



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड - II)

2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड - II)

2019-20

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

खण्ड - I

| विषय | पृष्ठ |
|--|--------------------|
| ● विषय-सूची | i - iii |
| ● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र | iv - vi |
| ● वित्त लेखे की मार्गदर्शिका | vii - xiii |
| 1 : वित्तीय स्थिति का विवरण | 1 - 3 |
| 2 : प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण अनुबंध - रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश | 4 - 9 |
| 3 : प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) | 10 - 14 |
| 4 : व्यय का विवरण (समेकित निधि) | 15 - 20 |
| 5 : प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण | 21 - 27 |
| 6 : उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण | 28 - 31 |
| 7 : सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण | 32 - 42 |
| 8 : सरकार के निवेशों का विवरण | 43 |
| 9 : सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण | 44 |
| 10 : सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण | 45 - 47 |

| | | | |
|------|--|------|---------|
| 11 : | दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण | | 48 - 49 |
| 12 : | राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण | | 50 - 54 |
| 13 : | समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश | | 55 - 58 |
| ● | लेखे पर टिप्पणियाँ | | 59 - 98 |

खण्ड - II

भाग I

| | | | |
|------|--|------|-----------|
| 14 : | लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण | | 99 - 146 |
| 15 : | लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण | | 147 - 208 |
| 16 : | लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण | | 209 - 354 |
| 17 : | उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण | | 355 - 373 |
| 18 : | सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण | | 374 - 401 |
| 19 : | सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण | | 402 - 430 |
| 20 : | सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण | | 431 - 432 |
| 21 : | आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण | | 433 - 442 |
| 22 : | कर्णाकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण | | 443 |

भाग II

| | | | |
|------|--|------|-----------|
| I | : वेतन पर तुलनात्मक व्यय | | 444- 451 |
| II | : सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय | | 452 - 480 |
| III | : राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान (संस्थावार और योजनावार) | | 481 - 502 |
| IV | : बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं का विवरण | | 503 - 504 |
| V | : योजनागत योजना पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) ख- राज्य योजनागत योजनाएं | | 505 - 517 |
| VI | : राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट से बाह्य निधियां) (अअंकेक्षित आंकड़े) | | 518 - 522 |
| VII | : शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है) | | 523 - 529 |
| VIII | : सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम | | 530 - 535 |
| IX | : सरकार की वचनबद्धता-अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची | | 536 - 581 |
| X | : पृथक किये गए वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय | | 582 - 585 |
| XI | : वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं | | 586 |
| XII | : सरकार की वचनबद्ध देयताएँ | | 587 |
| XIII | : राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है | | 588 - 592 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|--|----------------------|----------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | |
| क- कर राजस्व | | | |
| (वापसियों को लेखे में शामिल किये जाने के बाद ये निवल आँकड़े हैं) | | | |
| (क) वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| 0005- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| 101- कर | 0.00 | 0.07 | (-)100.00 |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 58,43,70.00 | 59,00,18.00 | (-)0.96 |
| | 58,43,70.00 | 59,00,18.07 | (-)0.96 |
| जोड़ - 0005 | | | |
| 0006- राज्य वस्तु और सेवा कर | | | |
| 101- कर | 53,75,52.65 | 50,35,36.68 | 6.76 |
| 102- ब्याज | 29,54.85 | 12,90.43 | 128.98 |
| 103- शास्ति | 2,03.74 | 2,79.74 | (-)27.17 |
| 104- फीस | 42,72.50 | 26,95.69 | 58.49 |
| 105- यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग | 25,00,07.03 | 18,11,88.55 | 37.98 |
| 106- आईजीएसटी का बटवारा-यूटीजीएसटी का कर भाग का अंतः स्थानांतरण | 3,58,71.51 | 3,24,45.41 | 10.56 |
| 110- आईजीएसटी में से अग्रिम बटवारा | 69,11.68 | 9,85,90.37 | (-)92.99 |
| 500- अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां | 39,88.76 | 41.27 | 9565.03 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 9.65 | 15.88 | (-)39.26 |
| | 84,17,72.37 | 82,00,84.02 | 2.64 |
| जोड़ - 0006 | | | |
| 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | | | |
| 01- वस्तुओं और सेवाओं के आयात/निर्यात पर आईजीएसटी | | | |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.00 | 4,70,90.00 | (-)100.00 |
| | 0.00 | 4,70,90.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 01 | | | |
| जोड़ - 0008 | | | |
| जोड़ (क) - वस्तु एवं सेवा कर | 1,42,61,42.37 | 1,45,71,92.08 | (-)2.13 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | | | (₹ लाख में) |
| क- कर राजस्व-क्रमशः | | | |
| (ख) आय तथा व्यय पर कर | | | |
| 0020- निगम कर | | | |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 70,21,40.00 | 83,13,36.00 | (-)15.54 |
| | जोड़ - 00 | 83,13,36.00 | (-)15.54 |
| | जोड़ - 0020 | 83,13,36.00 | (-)15.54 |
| 0021- आय पर निगम कर से भिन्न कर | | | |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 55,01,74.00 | 61,22,43.00 | (-)10.14 |
| | जोड़ - 0021 | 61,22,43.00 | (-)10.14 |
| 0022- कृषि आय पर कर | | | |
| 101- कर संकलन | 0.08 | 0.28 | (-)71.43 |
| | जोड़ - 0022 | 0.28 | (-)71.43 |
| 0023- होटल प्राप्ति कर | | | |
| 500- अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां | 0.00 | 0.03 | (-)100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.02 | (-)100.00 |
| | जोड़ - 0023 | 0.00 | (-)100.00 |
| 0028- आय तथा व्यय पर कर | | | |
| 107- व्यवसाय, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर | 83,93.00 | 78,59.84 | 6.78 |
| 109- व्यय कर अधिनियम, 1987 | 0.04 | 0.00 | 100.00 |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.10 | 43,30.36 | (-)100.00 |
| | जोड़ - 0028 | 83,93.14 | 1,21,90.20 |
| | जोड़ - (ख) आय तथा व्यय पर कर | 1,26,07,07.22 | 1,45,57,69.52 |
| | | | (-)13.40 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|--|-------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| क- कर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | | | |
| 0029- भू-राजस्व | | | |
| 101- भू-राजस्व कर | 28,54.75 | 86,45.10 | (-)66.98 |
| 103- भूमि पर पौरकर और उपकर | 16.09 | 5,46.64 | (-)97.06 |
| 104- जमींदारी रहित संपदाओं के प्रबंध से प्राप्तियां | 0.11 | 8.18 | (-)98.68 |
| 105- सरकारी संपदाओं की बिक्री से प्राप्तियां | 49,08.47 | 68,18.55 | (-)28.01 |
| 106- सर्वेक्षण और व्यवस्थापन कार्रवाई की बाबत प्राप्तियां | 0.59 | 1.53 | (-)61.63 |
| 107- परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान | 1,95,60.63 | 1,76,88.31 | 10.59 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 64,50.65 | 51,83.37 | 24.45 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 6.50 | 45.98 | (-)85.87 |
| 0030- स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.10 | 0.41 | (-)75.61 |
| जोड़ - 0029 | 3,37,97.79 | 3,89,37.66 | (-)13.20 |
| जोड़ - 00 | 0.10 | 0.41 | (-)75.61 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| क- कर राजस्व- क्रमशः | | | |
| (ग) संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर - क्रमशः | | | |
| 01- स्टाम्प-न्यायिक | | | |
| 101- स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क | 8,79.61 | 10,21.55 | (-)13.90 |
| 102- स्टाम्पों की बिक्री | 7,74.40 | 8,66.57 | (-)10.64 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 12.06 | 67.18 | (-)82.06 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 0.45 | (-)100.00 |
| जोड़ - 01 | 16,66.06 | 19,55.75 | (-)14.81 |
| 02- स्टाम्प-न्यायिकेतर | | | |
| 101- स्टाम्पों की लागत | 1,83.72 | 2,50.48 | (-)26.65 |
| 102- स्टाम्पों की बिक्री | 3,02,63.82 | 2,16,50.22 | 39.79 |
| 103- दस्तावेजों पर स्टाम्प-शुल्क लगाना | 62.92 | 1,33.81 | (-)52.98 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 4,12.31 | 6,47.66 | (-)36.34 |
| 901- घटाएँ - संपत्ति के अंतरण पर स्थानीय निकायों द्वारा उदग्रहीत शुल्क के निवल आगमों के संबंध में स्थानीय निकायों को भुगतान | 0.00 | 0.79 | (-)100.00 |
| जोड़ - 02 | 3,09,22.77 | 2,26,81.38 | 36.34 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|-------------|---|--------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| क- | कर राजस्व - क्रमशः | | |
| (ग) | संपति तथा पूँजीगत संब्यवहारों पर कर - क्रमांत | | |
| 03- | | | |
| 104- | 2,34,31.98 | 2,04,43.58 | 14.62 |
| 800- | 12.20 | 23.00 | (-)46.96 |
| | जोड़ - 03 | 2,04,66.58 | 14.55 |
| 0032- | 5,60,33.11 | 4,51,04.12 | 24.23 |
| 901- | 32.00 | 3,05.00 | (-)89.51 |
| | जोड़ - 00 | 3,05.00 | (-)89.51 |
| | जोड़ - 0032 | 3,05.00 | (-)89.51 |
| | जोड़ - (ग) संपति तथा पूँजीगत संब्यवहारों पर कर | 8,43,46.78 | 6.54 |
| (घ) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | | |
| 0037- | | | |
| 101- | 0.00 | 0.05 | (-)100.00 |
| 901- | 13,05,32.00 | 16,94,50.00 | (-)22.97 |
| | जोड़ - 0037 | 16,94,50.05 | (-)22.97 |
| 0038- | | | |
| 01- | 9,07,52.00 | 11,26,11.00 | (-)19.41 |
| 901- | 9,07,52.00 | 11,26,11.00 | (-)19.41 |
| | जोड़ - 0038 | 11,26,11.00 | (-)19.41 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|--------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| क- कर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर - क्रमशः | | | |
| 0039- राज्य शुल्क | | | |
| 101- देशी स्प्रिट | 28,54.75 | 22,20.90 | 28.54 |
| 102- देशी किण्वित लिंकर | 79.29 | 1,04.93 | (-)24.43 |
| 103- यवरस (माल्ट लिंकर) | 2,94.04 | 6,17.11 | (-)52.35 |
| 104- लिंकर | 0.25 | 0.56 | (-)55.36 |
| 105- विदेशी लिंकर और स्प्रिट | 19,02,42.71 | 10,25,17.11 | 85.57 |
| 106- वाणिज्यिक और विकृत स्प्रिट तथा औषधयुक्त मदिरा | 39.48 | 0.00 | 100.00 |
| 107- अल्कोहल, अफीम, आदि युक्त औषधीय और प्रसाधन उत्पाद | 84.08 | 63.46 | 32.50 |
| 108- औषधीय और प्रसाधन उत्पाद | 1.70 | 0.23 | 637.09 |
| 150- अर्थदंड और समपहरण | 4,66.09 | 2,90.55 | 60.42 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 68,53.61 | 22,91.06 | 199.15 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 10.61 | 1,75.89 | (-)93.97 |
| | 20,09,26.61 | 10,82,81.80 | 85.56 |
| 0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | |
| 101- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 62,67.91 | 85,69.95 | (-)26.86 |
| 102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 39,33,63.97 | 33,87,07.50 | 16.14 |
| 104- बिक्री कर पर अधिभार | 0.39 | 43.15 | (-)99.10 |
| 107- पण्यवर्त कर की प्राप्तियां | 0.00 | 3.35 | (-)100.00 |
| 110- व्यापार कर | 0.35 | 1,70.65 | (-)99.79 |
| 111- मूल्यवर्द्धित कर (वैट) प्राप्तियां | 0.00 | 0.89 | (-)100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 0.16 | (-)100.00 |
| | 39,96,32.62 | 34,74,95.65 | 15.00 |
| | जोड़ - 0039 | 10,82,81.80 | 85.56 |
| | जोड़ - 0040 | 34,74,95.65 | 15.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| क- कर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर - क्रमशः | | | |
| 0041- वाहन कर | | | |
| 101- भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 7,59,83.37 | 5,59,86.96 | 35.72 |
| 102- राज्य मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 1,70.40 | 51.63 | 230.04 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 3,67,44.56 | 3,03,55.80 | 21.05 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.01 | 0.09 | (-)86.31 |
| | 11,28,98.34 | 8,63,94.48 | 30.68 |
| जोड़ - 0041 | | | |
| 0043- विद्युत कर तथा शुल्क | | | |
| 101- विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर | 2,35,53.49 | 2,06,99.99 | 13.79 |
| 102- भारतीय विद्युत नियमों के अन्तर्गत फीस | 61.62 | 23.74 | 159.57 |
| 103- सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस | 3.34 | 6.08 | (-)45.07 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 5.69 | 1,77.06 | (-)96.79 |
| | 2,36,24.14 | 2,09,06.87 | 13.00 |
| जोड़ - 0043 | | | |
| 0044- सर्विस टैक्स | | | |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 0.00 | 2,19,98.98 | (-)100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1.35 | 0.23 | 486.90 |
| | 1.35 | 2,19,99.21 | (-)99.99 |
| जोड़ - 0044 | | | |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|----------------------|----------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| क- कर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर - क्रमांत | | | |
| 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क | | | |
| 101- मनोरंजन कर | 33.16 | 12.04 | 175.41 |
| 104- विदेश यात्रा कर | 0.00 | 0.19 | (-)100.00 |
| 105- विलासिता कर | 32.08 | 1,23.20 | (-)73.96 |
| 111- सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर कर | 0.63 | 2.68 | (-)76.53 |
| 901- राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 13,04.00 | 12,34.00 | 5.67 |
| | 13,69.87 | 13,72.11 | (-)0.16 |
| जोड़ - 0045 | 95,97,36.93 | 86,85,11.17 | 10.50 |
| जोड़ - (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 3,73,64,49.42 | 3,86,58,19.56 | (-)3.35 |
| ख - करेतर- राजस्व | | | |
| (क) राजकोषीय सेवाएँ | | | |
| 0047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ | 0.14 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.14 | 0.00 | 100.00 |
| | 0.14 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - (क) राजकोषीय सेवाएँ | 0.14 | 0.00 | 100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व | | | |
| (ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | | | |
| 0049- ब्याज प्राप्तियां | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 6.72 | 73.84 | (-)90.90 |
| | 6.72 | 73.84 | (-)90.90 |
| 03- केंद्र सरकार की अन्य ब्याज प्राप्तियां | | | |
| 110- नाद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज | 1,23,07.93 | 20.87 | 58874.25 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 3.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1,23,10.93 | 20.87 | 58888.64 |
| 04- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां | | | |
| 110- नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज | 1,47,41.50 | 31,43.28 | 368.98 |
| 191- स्थानीय निकायों से ब्याज | 1.40 | 0.95 | 47.41 |
| 195- सहकारी समितियों से ब्याज | 7.65 | 8.30 | (-)7.78 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 38,82.31 | 14,72.30 | 163.69 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 0.41 | (-)100.00 |
| | 1,86,32.86 | 46,25.24 | 302.85 |
| 0050- लाभांश तथा लाभ | | | |
| 101- सार्वजनिक उपक्रमों में लाभांश | 0.00 | 0.15 | (-)100.00 |
| | 0.00 | 0.15 | (-)100.00 |
| जोड़ - (ख) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 3,09,50.51 | 47,20.10 | 555.72 |
| | 3,09,50.51 | 47,19.95 | 555.74 |
| | 1,86,32.86 | 46,25.24 | 302.85 |
| | 3,09,50.51 | 47,19.95 | 555.74 |
| | 0.00 | 0.15 | (-)100.00 |
| | 0.00 | 0.15 | (-)100.00 |
| | 3,09,50.51 | 47,20.10 | 555.72 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ | | | |
| 0051- लोक सेवा आयोग | | | |
| 104- संघ लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा शुल्क | 0.00 | 12,68.49 | (-)100.00 |
| 105- राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क | 0.00 | 2,79.17 | (-)100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.21 | 0.00 | 100.00 |
| | 0.21 | 15,47.66 | (-)99.99 |
| | जोड़- 0051 | | |
| 0055- पुलिस | | | |
| 101- अन्य सरकारों को भेजी गई पुलिस | 3,92.40 | 3,57.69 | 9.71 |
| 102- अन्य दलों को भेजी गई पुलिस | 29,33.76 | 40,18.69 | (-)27.00 |
| 103- फीस, अर्थदंड और समपहरण | 1,11.04 | 1,87.55 | (-)40.79 |
| 104- शास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 1,15.46 | 1,58.57 | (-)27.18 |
| 105- राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां | 1.73 | 2.87 | (-)39.72 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 2,17.85 | 2,53.13 | (-)13.94 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 52.64 | 1,29.16 | (-)59.24 |
| | 38,24.88 | 51,07.66 | (-)25.11 |
| | जोड़- 0055 | | |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0056- जेल | | | |
| 102- जेल उत्पादों की बिक्री | 2,23.10 | 4,81.17 | (-53.63) |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 55.35 | 1,19.38 | (-53.63) |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 8.35 | 9.60 | (-13.07) |
| | 2,86.80 | 6,10.15 | (-53.00) |
| 0057- पूर्ति तथा निपटान | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.58 | 9.08 | (-93.61) |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 4.28 | 0.41 | 943.90 |
| | 4.86 | 9.49 | (-48.79) |
| 0058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण | | | |
| 101- लेखन सामग्री प्राप्तियां | 0.07 | 0.52 | (-86.54) |
| 200- अन्य मुद्रणालय प्राप्तियां | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.04 | 0.01 | 260.80 |
| | 0.11 | 0.53 | (-79.07) |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0059- लोक निर्माण कार्य | | | |
| 01- कार्यालय भवन | 0.00 | 0.24 | (-)100.00 |
| 011- किराया | 5,76.33 | 9,55.12 | (-)39.66 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 5,76.33 | 9,55.36 | (-)39.67 |
| | जोड़ - 01 | | |
| 80- सामान्य | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.01 | 0.01 | 33.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1.50 | 0.00 | 100.00 |
| | जोड़ - 80 | 0.01 | 15033.00 |
| | जोड़ - 0059 | 9,55.37 | (-)39.52 |
| 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | |
| 01- न्याय प्रशासन | | | |
| 102- अर्थदंड और सम्पहरण | 15,87.09 | 22,51.65 | (-)29.51 |
| 501- सेवाएं और सेवा शुल्क | 0.60 | 5.01 | (-)88.07 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 1,93.00 | 34.47 | 459.90 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 5.70 | 75.39 | (-)92.43 |
| | जोड़ - 01 | 17,86.39 | (-)24.51 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ | | | |
| 02- चुनाव | | | |
| 101- चुनाव फर्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आपम | 14,07.85 | 11.73 | 11902.11 |
| 104- शुल्क, अर्थदंड और समपहरण | 4.63 | 4.97 | (-)6.86 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 50,00.00 | 15,00.00 | 233.33 |
| | 64,12.48 | 15,16.70 | 322.79 |
| 60- अन्य सेवाएं | | | |
| 101- केन्द्रीय अधिनियम और विनियमों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्तियां | 0.00 | 0.01 | (-)63.50 |
| 102- नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां | 19.82 | 25.75 | (-)23.02 |
| 103- विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 3.72 | 3.87 | (-)3.97 |
| 105- होम गार्ड | 3.46 | 0.05 | 6819.04 |
| 108- विवाह शुल्क | 43.36 | 30.42 | 42.55 |
| 109- अग्नि से बचाव और नियंत्रण | 38.45 | 0.85 | 4423.29 |
| 114- मोटर गैराज आदि से प्राप्तियां | 0.03 | 0.10 | (-)65.20 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ - क्रमांत | | | |
| 115- अतिथि गृहों, सरकारी होटलों आदि से प्राप्तियां | 30.29 | 46.82 | (-)35.30 |
| 116- पारपत्र शुल्क | 1,31.55 | 95.37 | 37.94 |
| 118- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्ति | 3.90 | 8.71 | (-)55.22 |
| 800- अन्य प्राप्तियां ¹ | 2,97.72 | 12,22.83 | (-)75.65 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1,57.32 | 16,72.58 | (-)90.59 |
| | 7,29.62 | 31,07.36 | (-)76.52 |
| | 89,28.48 | 69,90.58 | 27.72 |
| 0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 7.40 | 32.62 | (-)77.31 |
| | 7.40 | 32.62 | (-)77.31 |
| 01- सिविल | | | |
| 101- अभिदान और अंशदान | 3,15.25 | 3,01.35 | 4.61 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 2,76.46 | 1,86.19 | 48.48 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 2.00 | (-)100.00 |
| | 5,91.71 | 4,89.54 | 20.87 |
| | 5,99.11 | 5,22.16 | 14.74 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|----------------------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (i) सामान्य सेवाएँ - क्रमांत | | | |
| 0075- विविध सामान्य सेवाएँ | | | |
| 101- अदावाकृत जमा राशि | 0.00 | 0.01 | (-)63.00 |
| 103- राज्य लॉटरी | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 105- भूमि और संपत्ति की बिक्री | 1,17,67.73 | 30,08.04 | 291.21 |
| 107- कैदीन भण्डार विभाग | 0.16 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 9,77.62 | 2,50.84 | 289.74 |
| 911- घटाएँ - अधिक अदायगियों की वसूलियाँ | 14.46 | 0.00 | 100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 12,18.88 | 4,27.96 | 184.81 |
| | जोड़ - 0075 | 36,86.85 | 279.15 |
| | जोड़ - (i) सामान्य सेवाएँ | 1,94,30.46 | 45.14 |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ | | | |
| 0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1,38,81.86 | 0.00 | 100.00 |
| | जोड़ - 00 | 0.00 | 100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा | 2,30.73 | 31.98 | 621.47 |
| 101- प्रारंभिक शिक्षा | 1,13.84 | 2,50,50.81 | (-)99.55 |
| 102- माध्यमिक शिक्षा | 7.78 | 11.21 | (-)30.63 |
| 103- विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा | 27.79 | 10.04 | 176.78 |
| 600- सामान्य | 4.94 | 4.71 | 4.98 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 3,17,56.36 | 45,03.86 | 605.09 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | | | |
| जोड़ - 01 | 3,21,41.44 | 2,96,12.61 | 8.54 |
| 02- तकनिकी शिक्षा | | | |
| 101- शिक्षण और अन्य शुल्क | 7,40.18 | 3,23.39 | 128.88 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 83.00 | 7.57 | 996.48 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 2.67 | 1.33 | 100.43 |
| जोड़ - 02 | 8,25.85 | 3,32.29 | 148.53 |
| 03- खेल कूद और युवा सेवाएँ | | | |
| 101- शारीरिक शिक्षा-खेल और युवा कल्याण | 2.52 | 2.64 | (-)4.55 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.43 | 26.48 | (-)98.37 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.37 | 18.62 | (-)97.99 |
| जोड़ - 03 | 3.32 | 47.74 | (-)93.05 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 04- कला और संस्कृति | 2.88 | 5.19 | (-)/44.42 |
| 101- अभिलेखागार और संग्रहालय | 0.09 | 0.37 | (-)/76.46 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 15.11 | 2,89,93.79 | (-)/99.95 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 18.08 | 2,89,99.35 | (-)/99.94 |
| | जोड़ - 04 | 2,89,99.35 | (-)/99.94 |
| 0210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | 4,68,70.54 | 5,89,91.99 | (-)/20.55 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1,36.98 | 2.92 | 4591.19 |
| | जोड़ - 00 | 2.92 | 4591.19 |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं | | | |
| 020- अस्पताल तथा औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियाँ | 34.65 | 52.84 | (-)/34.42 |
| 101- कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ | 0.00 | 0.64 | (-)/99.52 |
| 107- औषधि निर्माण से प्राप्तियाँ | 79.98 | 92.88 | (-)/13.89 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,39.28 | 2.37 | 9996.32 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.37 | 6.22 | (-)/94.12 |
| | जोड़ - 01 | 1,54.95 | 128.64 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|------------------|--------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ | 6.54 | 0.07 | 9244.93 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 6.54 | 0.07 | 9244.93 |
| | जोड़ - 02 | | |
| 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान | | | |
| 101- आयुर्वेद | 30.88 | 6.49 | 375.74 |
| 102- होम्योपैथी | 33.48 | 0.15 | 22220.00 |
| 103- यूनानी | 0.00 | 1.32 | (-)99.86 |
| 105- एलोपैथी | 16.24 | 19.01 | (-)14.58 |
| 200- अन्य पद्धति | 15.28 | 10.83 | 41.10 |
| | 95.88 | 37.80 | 153.64 |
| | जोड़ - 03 | | |
| 04- लोक स्वास्थ्य | | | |
| 104- फीस और अर्थदंड आदि | 25.39 | 53.17 | (-)52.25 |
| 105- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्तियाँ | 3.42 | 1.57 | 117.85 |
| 501- सेवाएँ तथा सेवा शुल्क | 0.01 | 0.02 | (-)74.40 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.61 | 0.00 | 100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.55 | 27.71 | (-)98.02 |
| | 29.98 | 82.47 | (-)63.65 |
| | जोड़ - 04 | | |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|--------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | | | |
| 80- सामान्य | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,72.11 | 1,08.99 | 57.91 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 79.10 | 22,10.44 | (-)96.42 |
| | जोड़ - 80 | 23,19.43 | (-)89.17 |
| | जोड़ - 0210 | 25,97.64 | (-)66.32 |
| 0211- परिवार कल्याण | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.42 | 0.00 | 100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.14 | 2.17 | (-)93.67 |
| | जोड़ - 0211 | 2.17 | (-)74.31 |
| 0215- जलापूर्ति तथा सफाई | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 2,72.04 | 4.07 | 6583.93 |
| | जोड़ - 00 | 2,72.04 | 6583.93 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0215- जलापूर्ति तथा सफाई | | | |
| 01- जल पूर्ति | | | |
| 102- ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां | 0.82 | 1.86 | (-55.74) |
| 103- शहरी जल पूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां | 2.17 | 2.01 | 7.90 |
| 104- फीस, अर्थदंड इत्यादि | 0.01 | 0.02 | (-)62.40 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 9,08.20 | 8,33.23 | 9.00 |
| जोड़ - 01 | 9,11.20 | 8,37.12 | 8.85 |
| 02- मल जल और सफाई | | | |
| 103- सीवरेज योजना से प्राप्ति | 2.49 | 2.76 | (-)9.96 |
| जोड़ - 02 | 2.49 | 2.76 | (-)9.96 |
| 80- सामान्य | 3.64 | 1.14 | 218.86 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 3.64 | 1.14 | 218.86 |
| जोड़ - 80 | 3.64 | 1.14 | 218.86 |
| जोड़ - 0215 | 11,89.36 | 8,45.09 | 40.74 |
| 0216- आवास | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 0.25 | (-)100.00 |
| जोड़ - 00 | 0.00 | 0.25 | (-)100.00 |
| 01- सरकारी रिहायसी भवन | | | |
| 106- साधारण पुल, आवास | 1,22.64 | 1,39.06 | (-)11.80 |
| 700- अन्य आवास | 0.00 | 0.01 | (-)100.00 |
| जोड़ - 01 | 1,22.64 | 1,39.07 | (-)11.81 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 02- शहरी आवास | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 2,00.00 | 49,00.00 | (-)95.92 |
| | 2,00.00 | 49,00.00 | (-)95.92 |
| जोड़ - 02 | 3,22.64 | 50,39.32 | (-)93.60 |
| 0217- शहरी विकास | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 3,66,42.21 | 0.00 | 100.00 |
| | 3,66,42.21 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 00 | | | |
| 0217- शहरी विकास | | | |
| 01- राज्य के राजधानी का विकास | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 54,44.28 | 1,86,37.28 | (-)70.79 |
| | 54,44.28 | 1,86,37.28 | (-)70.79 |
| जोड़ - 01 | | | |
| 03- छोटे तथा मध्यम नगरों का समेकित विकास | | | |
| 191- नगरपालिकाओं आदि से प्राप्तियां | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 03 | | | |
| 0217- शहरी विकास | | | |
| 04- गन्दी बस्तियों का सुधार | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 41.02 | (-)100.00 |
| | 0.00 | 41.02 | (-)100.00 |
| जोड़ - 04 | | | |
| | 0.00 | 41.02 | (-)100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ | | | |
| 191- नगर पालिका से प्राप्तियाँ इत्यादि | 1,07,97.60 | 78,55.84 | 37.45 |
| | 1,07,97.60 | 78,55.84 | 37.45 |
| | जोड़ - 60 | 2,65,34.14 | 99.31 |
| 0220- सूचना तथा प्रचार | | | |
| 60- अन्य | | | |
| 106- विज्ञापन और दृश्य प्रचार से प्राप्तियाँ | 0.06 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1.29 | 1.45 | (-111.13) |
| | 1.35 | 1.45 | (-7.13) |
| | जोड़ - 60 | 1.45 | (-7.13) |
| | जोड़ - 0220 | 1.45 | (-7.13) |
| 0230- श्रम तथा रोजगार | | | |
| 101- श्रम विधि से प्राप्तियाँ | 1.63 | 9.38 | (-82.58) |
| 102- व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क | 0.13 | 1.99 | (-93.55) |
| 103- वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क | 16.07 | 69.93 | (-77.02) |
| 104- फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क | 73.04 | 2,07.57 | (-64.81) |
| 106- ठेका श्रमिक के अंतर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम) | 76,69.70 | 79,80.60 | (-3.90) |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,26.95 | 3,18.00 | (-28.63) |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.19 | 10.31 | (-98.15) |
| | 79,87.71 | 85,97.78 | (-7.10) |
| | जोड़ - 0230 | 85,97.78 | (-7.10) |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 73,74.10 | 1,11.01 | 6542.73 |
| जोड़ - 00 | 73,74.10 | 1,11.01 | 6542.73 |
| 0235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | |
| 01- पुनर्वास | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 23.54 | 13.15 | 79.03 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 5,95.26 | 2,75.52 | 116.05 |
| जोड़ - 01 | 6,18.80 | 2,88.67 | 114.36 |
| 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 46.33 | 1,25.36 | (-)63.04 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 4,21.29 | 3,21.42 | 31.07 |
| जोड़ - 60 | 4,67.62 | 4,46.78 | 4.66 |
| जोड़ - 0235 | 84,60.52 | 8,46.46 | 899.52 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|--------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ii) सामाजिक सेवाएँ - क्रमांत | | | |
| 0250- अन्य सामाजिक सेवाएँ | 0.38 | 0.26 | 46.15 |
| 101- आहार (पोषण) | | | |
| 102- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 17,93.76 | 8,15.92 | 119.85 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,42.11 | 2,16.13 | (-)34.25 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 63,16.94 | 1,66,47.67 | (-)62.06 |
| | 82,53.19 | 1,76,79.98 | (-)53.32 |
| | 12,68,44.83 | 12,11,36.01 | 4.71 |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ | | | |
| 0401- फसल कृषि-कर्म | | | |
| 103- बीज | 13.39 | 56.02 | (-)76.10 |
| 104- कृषि फर्मों खेतों से प्राप्तियाँ | 1.31 | 57.14 | (-)97.71 |
| 105- खाद और उर्वरक की बिक्री | 22.71 | 17.08 | 32.93 |
| 107- वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्तियाँ | 23.34 | 17.13 | 36.25 |
| 108- वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियाँ | 7.74 | 3.13 | 147.39 |
| 119- बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियाँ | 76.83 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,08.67 | 65.07 | 220.68 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1,56,86.00 | 13,07.18 | 1099.99 |
| | 1,60,39.99 | 15,22.75 | 953.36 |
| | जोड़ - 0401 | 15,22.75 | 953.36 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0403- पशु पालन | | | |
| 101- सेवाएँ तथा सेवा शुल्क | 6.49 | 4.87 | 33.36 |
| 102- मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियाँ | 36.12 | 37.81 | (-)4.47 |
| 103- मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियाँ | 4.52 | 4.70 | (-)3.79 |
| 104- भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियाँ | 0.34 | 1.42 | (-)76.03 |
| 105- सूअर पालन के विकास से प्राप्तियाँ | 79.46 | 1,06.76 | (-)25.57 |
| 501- सेवाएँ तथा सेवा शुल्क | 2.83 | 16.09 | (-)82.42 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 10.02 | 31.40 | (-)68.09 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 12,35.69 | 30.35 | 3971.45 |
| | जोड़ - 0403 | 13,75.47 | 2,33.40 |
| 0404- डेरी विकास | | | |
| 101- पशु विकास योजना और डेरी विकास योजना से प्राप्तियाँ | 11.94 | 11.65 | 2.46 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 0.90 | 1.28 | (-)29.66 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 42,19.94 | 1,37,42.19 | (-)69.29 |
| | जोड़ - 0404 | 42,32.78 | 1,37,55.12 |
| | | | (-)69.23 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0405- मछली पालन | 2,50.17 | 2,69.05 | (-)7.02 |
| 011- किराया | 1,67.38 | 2,13.35 | (-)21.55 |
| 103- मछली, मछली बीज आदि की बिक्री | 17.20 | 28.81 | (-)40.29 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 4,14.63 | 72.22 | 474.11 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | | | |
| | 8,49.38 | 5,83.43 | 45.58 |
| जोड़ - 0405 | | | |
| 0406- यांत्रिक तथा वन्य प्राणी | | | |
| 01- वानिकी | | | |
| 101- लकड़ी और अन्य वन्य उत्पाद की बिक्री | 12.43 | 9.73 | 27.74 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,11.49 | 4,02.21 | (-)72.28 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 9.88 | 0.00 | 100.00 |
| | 1,33.80 | 4,11.94 | (-)67.52 |
| जोड़ - 01 | | | |
| 02- पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन | | | |
| 112- सार्वजनिक उद्यान | 60.35 | 64.79 | (-)6.85 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 2,55.77 | 1,15.95 | 120.59 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 13,09.29 | 8,86.59 | 47.68 |
| | 16,25.41 | 10,67.33 | 52.29 |
| जोड़ - 02 | | | |
| जोड़ - 0406 | 17,59.22 | 14,79.27 | 18.92 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|--------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0425- सहकारिता | | | |
| 101- लेखा परीक्षा शुल्क | 62.28 | 58.07 | 7.24 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 4,87.19 | 1,05.48 | 361.88 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 10,90.30 | 0.62 | 175755.49 |
| | जोड़ - 0425 | 16,39.77 | 1,64.17 |
| 0435- अन्य कृषि कार्यक्रम | | | |
| 102- कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को श्रेणीबद्ध करने का शुल्क | 0.01 | 0.01 | (-)29.50 |
| 104- मृदा और जल संरक्षण | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 88.41 | 0.00 | 100.00 |
| | जोड़ - 00 | 88.43 | 0.01 |
| | जोड़ - 0435 | 88.43 | 0.01 |
| 0506- भूमि सुधार | | | |
| 101- भू-अभिलेखों के रख-रखाव से प्राप्तियाँ | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| | जोड़ - 0506 | 0.01 | 100.00 |
| 0515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | | | |
| 101- पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 73.32 | 2.91 | 2419.59 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 13,51.91 | 18,53.65 | (-)27.07 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 16,13.13 | 8,48.54 | 90.11 |
| | जोड़ - 0515 | 30,38.36 | 27,05.10 |
| | | | 12.32 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख - करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | | | |
| 60- अन्य | 0.06 | 0.35 | (-)82.86 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.06 | 0.35 | (-)82.86 |
| | जोड़ - 60 | 0.35 | (-)82.86 |
| 0700- मुख्य सिंचाई | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 53,19.06 | 14,39.40 | 269.53 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 3,43,43.51 | 3,05,69.45 | 12.35 |
| | जोड़ - 00 | 3,96,62.57 | 23.91 |
| 80- सामान्य | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 27,10.25 | 42.53 | 6272.55 |
| | जोड़ - 80 | 27,10.25 | 6272.55 |
| 0701- मध्यम सिंचाई | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 4,23,72.82 | 3,20,51.38 | 32.20 |
| | जोड़ - 00 | 3.63 | 505.63 |
| 01- मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.70 | 33.01 | (-)97.87 |
| | जोड़ - 01 | 0.70 | (-)97.87 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख- करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 03- मध्यम सिंचाई- वाणिज्यिक | | | |
| 101- छोटानागपुर और संचाल परगना के सिंचाई परियोजना के लिए जल की बिक्री | 0.00 | 9.42 | (-)100.00 |
| 103- अन्य प्रयोजनों हेतु जल की बिक्री | 2,26.41 | 0.00 | 100.00 |
| | 2,26.41 | 9.42 | 2303.48 |
| जोड़ - 03 | | | |
| 80- सामान्य | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 28,21.01 | 20,62.17 | 36.80 |
| | 28,21.01 | 20,62.17 | 36.80 |
| जोड़ - 80 | | | |
| जोड़ - 0701 | 30,51.76 | 21,05.20 | 44.96 |
| 0702- लघु सिंचाई | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.28 | 0.00 | 100.00 |
| | 0.28 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 00 | | | |
| 01- सतह जल | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 2,42.02 | 3,25.53 | (-)25.65 |
| | 2,42.02 | 3,25.53 | (-)25.65 |
| जोड़ - 01 | | | |
| 02- भूजल | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.19 | (-)99.47 |
| | 0.00 | 0.19 | (-)99.47 |
| जोड़ - 02 | | | |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|--------------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख- करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 80- सामान्य | 0.00 | 1.25 | (-)100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 1.25 | (-)100.00 |
| | जोड़ - 80 | 1.25 | (-)100.00 |
| 8001- उर्जा | | | |
| 80- सामान्य | 83,15.26 | 42,47.21 | 95.78 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 83,15.26 | 42,47.21 | 95.78 |
| | जोड़ - 8001 | 42,47.21 | 95.78 |
| 0851- ग्राम तथा लघु उद्योग | | | |
| 101- औद्योगिक क्षेत्र | 23.84 | 0.05 | 47587.44 |
| 102- लघु उद्योग | 1,03.74 | 31.63 | 227.98 |
| 103- हथकरघा उद्योग | 0.32 | 1.46 | (-)78.08 |
| 104- हस्तशिल्प उद्योग | 0.22 | 1.80 | (-)87.85 |
| 107- रेशम-उत्पाद उद्योग | 1,74.32 | 77.69 | 124.38 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 57.57 | 1.01 | 5599.98 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 11,24.60 | 77,72.52 | (-)85.53 |
| | जोड़ - 0851 | 14,84.60 | (-)81.17 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|-----------------|-------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ख- करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | |
| 0852- उद्योग | | | |
| 01- लोहा तथा इस्पात उद्योग | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1.01 | 33,35.00 | (-)99.97 |
| जोड़ - 01 | 1.01 | 33,35.00 | (-)99.97 |
| 0852- उद्योग | | | |
| 08- उपभोक्ता उद्योग | | | |
| 600- अन्य | 0.00 | 0.14 | (-)100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,46.20 | 5,05.92 | (-)71.10 |
| जोड़ - 08 | 1,46.20 | 5,06.06 | (-)71.11 |
| जोड़ - 0852 | 1,47.21 | 38,41.06 | (-)96.17 |
| 0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | | | |
| 102- खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क | 53,35,93.19 | 58,17,40.66 | (-)8.28 |
| 104- खान विभाग | 70.39 | 75.69 | (-)7.01 |
| 800- अन्य प्राप्तियाँ | 1,24,69.72 | 1,16,44.85 | 7.08 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 2.72 | 2.37 | 14.77 |
| जोड़ - 0853 | 54,61,36.02 | 59,34,63.57 | (-)7.97 |
| 0875- अन्य उद्योग | | | |
| 02- अन्य उद्योग | | | |
| 501- सेवाएँ तथा सेवा शुल्क | 24,93.28 | 1,79.34 | 1290.25 |
| जोड़ - 02 | 24,93.28 | 1,79.34 | 1290.25 |
| जोड़ - 0875 | 24,93.28 | 1,79.34 | 1290.25 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख- करेतर- राजस्व - क्रमशः | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमशः | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | |
| 1053- नागर विमानन | | | |
| 501- सेवाएं और सेवा शुल्क | 14.00 | 32.95 | (-)57.52 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.60 | (-)100.00 |
| जोड़ - 1053 | 14.00 | 33.55 | (-)58.28 |
| 1054- सड़क तथा सेतु | | | |
| 102- सड़कों पर पथकर | 0.55 | 0.00 | 100.00 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 1,06,48.87 | 1,24,37.44 | (-)14.38 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.05 | 18,93.65 | (-)100.00 |
| जोड़ - 1054 | 1,06,49.47 | 1,43,31.09 | (-)25.69 |
| 1055- सड़क परिवहन | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.19 | 0.52 | (-)64.37 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 0.00 | 0.37 | (-)99.89 |
| जोड़ - 00 | 0.19 | 0.89 | (-)79.14 |
| जोड़ - 1055 | 0.19 | 0.89 | (-)79.14 |
| 1075- अन्य परिवहन सेवाएं | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 00 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 1075 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|--------------------|--------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ख- करेतर- राजस्व - क्रमांत | | | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व - क्रमांत | | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएँ - क्रमांत | | | |
| 1452- पर्यटन | | | |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 18,72.45 | 88.17 | 2023.68 |
| | 18,72.45 | 88.17 | 2023.68 |
| 1456- जोड़ -1452 | | | |
| सिविल पूर्ति | | | |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 2,96,05.83 | 1,66.80 | 17649.30 |
| 913- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली | 1,23,68.43 | 3,99.65 | 2994.82 |
| | 4,19,74.26 | 5,66.45 | 7310.06 |
| 1475- जोड़ -1456 | | | |
| अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाएँ | | | |
| 103- ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए शुल्क | 0.12 | 0.02 | 495.00 |
| 104- प्रमाणन - मार्किंग तथा परिक्षण शुल्क से प्राप्तियां | 1.51 | 0.21 | 617.45 |
| 106- बाटो और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क | 12,22.59 | 9,46.14 | 29.22 |
| 107- जनाणना | 0.01 | 0.09 | (-)89.99 |
| 200- अन्य कारबार उपक्रमों के विनियम | 0.00 | 0.11 | (-)98.18 |
| 800- अन्य प्राप्तियां | 0.45 | 0.37 | 21.95 |
| | 12,24.68 | 9,46.94 | 29.33 |
| जोड़ - 1475 | | | |
| जोड़ - (iii) आर्थिक सेवाएँ | 68,90,01.74 | 68,05,11.60 | 1.25 |
| जोड़ - (ग) अन्य करेतर- राजस्व | 84,40,47.72 | 82,10,78.07 | 2.80 |
| जोड़ - ख - करेतर राजस्व | 87,49,98.37 | 82,57,98.17 | 5.96 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | | | (₹ लाख में) |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान | | | |
| 1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 12,58.98 | 5,33.91 | 135.80 |
| 06- केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | 23,22.71 | 0.00 | 100.00 |
| 101- केंद्रीय सहायता / अंश | | | |
| वन प्रबंधन का तीव्रिकरण | 3,90.85 | 0.00 | 100.00 |
| खरीद और आपूर्ति, अंतर-राज्य गतिविधि, खाद्यान्न का प्रबंध और एन.एफ.एस.ए. 2013 के एफ.पी.एस व्यापारियों की सीमा पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 11,59.46 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय आयुष अभियान | 0.00 | 3,90,50.29 | (-)100.00 |
| सर्व शिक्षा अभियान | 0.00 | 6,65.03 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 0.00 | 2,86.12 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 1,84,04.29 | 1,89,08.42 | (-)2.67 |
| विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम | 5,89,79.45 | 5,07,63.95 | 16.18 |
| पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 0.00 | 1,67.00 | (-)100.00 |
| अम्ब्रेला योजना के तहत सिंचाई जनगणना | 2,79,03.00 | 2,18,84.00 | 27.50 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 44,86.49 | 92.68 | 4740.84 |
| आधारभूत संरचना अनुरक्षण | 1,66.00 | 40.11 | 313.86 |
| राज्य औषधि नियंत्रक पद्धति का सुदृढीकरण | 3,93.00 | 1,42.00 | 176.76 |
| राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 1,39,44.00 | 1,78,40.30 | (-)21.84 |
| स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन स्वच्छ भारत मिशन | 1,77.00 | 22,55.92 | (-)92.15 |
| 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन | 1,96,00.00 | 0.00 | 100.00 |
| शहरी कायाकल्प मिशन | 1,53,86.84 | 94,55.00 | 62.74 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण | 4,90,44.00 | 4,74,32.23 | 3.40 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 2,71,61.20 | 3,53,52.58 | (-)23.17 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 1,44,40.66 | 77,09.30 | 87.31 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार | 3,30,68.96 | 5,37,38.13 | (-)38.46 |
| श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन | 0.00 | 24,30.00 | (-)100.00 |
| प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना | 2,14,40.69 | 5,63,70.24 | (-)61.96 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | 1,04.62 | 2,99.52 | (-)65.07 |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 11,91.31 | 8,22.73 | 44.80 |
| राष्ट्रीय शिक्षा अभियान : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) | 47,56.50 | 35,80.50 | 32.84 |
| वामपंथी - उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों का कौशल विकास | 0.00 | 7,14.33 | (-)100.00 |
| प्रदर्शन आधारित फंडिंग समझौता | 0.00 | 98.28 | (-)100.00 |
| नीली क्रान्ति | 0.00 | 5,65.40 | (-)100.00 |
| औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल को मजबूत करना (स्ट्राइव) | 30.00 | 0.00 | 100.00 |
| अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु मैट्रीक छात्रवृत्ति | 56,11.00 | 34,06.00 | 64.74 |
| अन्य कमजोर वर्ग के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना | 1,77.00 | 67.50 | 162.22 |
| संकल्प द्वारा झारखण्ड कौशल विकास अभियान संस्था (जेएसडीएमएस) | 4,20.08 | 0.00 | 100.00 |
| हरित क्रांति - कृषोन्नती योजना | 43,80.72 | 57,08.21 | (-)23.26 |
| हरित क्रांति - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 34,98.00 | 29,15.20 | 19.99 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम जल अधिक फसल | 14,24.00 | 1,50.00 | 849.33 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| दिव्यांग अधिकार विधेयक - 2016 को लागू करने की योजना | 0.00 | 3,73.39 | (-)100.00 |
| समोक्त बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) | 2,49,84.21 | 4,47,54.45 | (-)44.17 |
| महिलाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन | 61.87 | 2.64 | 2243.41 |
| अल्पसंख्यकों के लिए बहुउद्देशीय विकास कार्यक्रम | 0.00 | 32.40 | (-)100.00 |
| अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (भूतपूर्व एमएसडीपी) | 1,26.22 | 0.00 | 100.00 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलविभाजन विकास अंग | 26,77.00 | 20,23.00 | 32.33 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 1,55,07.01 | 43,69.87 | 254.86 |
| स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) | 63,99.88 | 2,03,23.60 | (-)68.51 |
| श्वेत क्रान्ति - राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना | 4,54.00 | 1,16.18 | 290.77 |
| न्यायालयों के अवसंचना सुविधाओं के लिए अनुदान | 13,74.00 | 9,59.00 | 43.27 |
| जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन योजना | 1,31.56 | 56.99 | 130.85 |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना | 0.00 | 2,77.08 | (-)100.00 |
| अल्पसंख्यक के लिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना (भूतपूर्व एमएसडीपी) | 41,93.91 | 0.00 | 100.00 |
| आशा लाभ पैकेज और आशा सुविधा भुगतान | 23,13.00 | 12,32.00 | 87.74 |
| समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) | 5,25,70.05 | 0.00 | 100.00 |
| समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) | 8,92.06 | 0.00 | 100.00 |
| महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अभियान (निर्भया फंड) | 4,95.00 | 0.00 | 100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| 102 - बाह्य संपोषित परियोजना - केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम के लिए अनुदान | | | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 14,90.00 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 34,84.00 | 0.00 | 100.00 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 0.00 | 1,93,62.00 | (-)100.00 |
| 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | |
| जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन योजना | 90.46 | 50.85 | 77.90 |
| वन्यजीवों के आवासों का समेकित विकास | 3,50.50 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय आयुष अभियान | 2,24.57 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 92,89.00 | 79,11.00 | 17.42 |
| आधारभूत अवसंरचना संधारण | 16,42.47 | 0.00 | 100.00 |
| सर्व शिक्षा अभियान | 0.00 | 99,37.95 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 0.00 | 50.03 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 0.00 | 1,63.54 | (-)100.00 |
| विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम | 47,75.56 | 49,01.83 | (-)2.58 |
| राज्य औषधि नियंत्रक पद्धति का सुदृढीकरण | 0.00 | 40.85 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 2,33.00 | 19.00 | 1126.32 |
| स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन | 26,51.00 | 35,53.00 | (-)25.39 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| शहरी आवास - अन्य अनुदान | 43,68.60 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 3,66.19 | 2,52.89 | 44.80 |
| औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल विकास करना (स्ट्राइव) | 6.66 | 0.00 | 100.00 |
| संकल्प द्वारा झारखण्ड कौशल विकास मिशन समाज | 93.23 | 0.00 | 100.00 |
| वामपंथी - उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों का कौशल विकास | 0.00 | 31.54 | (-)100.00 |
| प्रदर्शन आधारित फंडिंग समझौता | 0.00 | 21.06 | (-)100.00 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण | 4,43,52.78 | 2,67,47.38 | 65.82 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 73,73.41 | 39,64.90 | 85.97 |
| राष्ट्रीय शिक्षा अभियान : राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान (रूसा) | 13,59.00 | 6,93.00 | 96.10 |
| अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना | 18,91.00 | 39,66.00 | (-)52.32 |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 5,65.00 | 16,34.73 | (-)65.44 |
| प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 15,14.80 | 5,20.00 | 191.31 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम जल अधिक फसल | 2,76.00 | 3,50.00 | (-)21.14 |
| हरित क्रान्ति- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 3,95.00 | 98.00 | 303.06 |
| हरित क्रान्ति - कृषोन्नती योजना | 8,17.97 | 10,04.57 | (-)18.58 |
| विकलांगों का कल्याण | 0.00 | 75.84 | (-)100.00 |
| श्वेत क्रान्ति - राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना | 84.00 | 33.19 | 153.09 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| आंगनबाड़ी सेवाएं | 1,06,96.16 | 83,19.17 | 28.57 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलविभाजन विकास अंग | 10,00.00 | 4,78.00 | 109.21 |
| जल आपूर्ति - ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम | 62,21.65 | 15,26.60 | 307.55 |
| मल - जल एवं स्वच्छता - स्वच्छता सेवाएं | 16,27.39 | 0.00 | 100.00 |
| किशोरियों के लिए योजना | 42.00 | 0.00 | 100.00 |
| आशा लाभ पैकेज और आशा सुविधा भुगतान | 4,53.00 | 4,05.00 | 11.85 |
| समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) | 1,27,15.93 | 0.00 | 100.00 |
| समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) | 1,34.19 | 0.00 | 100.00 |
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | 0.00 | 56,14.94 | (-)100.00 |
| नीली क्रांति | 0.00 | 1,80.00 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | 0.00 | 54.24 | (-)100.00 |
| नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण के लिए मशीनरी का मजबूतीकरण | 2,66.00 | 3,16.57 | (-)15.97 |
| 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | 1,02.60 | 0.00 | 100.00 |
| वन्यजीवों के आवासों का समेकित विकास | 77.99 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय आयुष अभियान | 1,38.28 | 0.00 | 100.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | 2,10,05.00 | 1,48,89.00 | 41.08 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | | | (₹ लाख में) |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| आधारभूत अवसंरचना संधारण | 23,92.88 | 0.00 | 100.00 |
| सर्व शिक्षा अभियान | 0.00 | 1,90,01.76 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 0.00 | 63.18 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 0.00 | 98.10 | (-)100.00 |
| राज्य औषधि नियंत्रक पद्धति का सुदृढीकरण | 0.00 | 88.04 | (-)100.00 |
| विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम | 91,31.05 | 94,32.74 | (-)3.20 |
| राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 5,98.00 | 18.00 | 3222.22 |
| स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का मानव संसाधन | 14,45.00 | 19,08.00 | (-)24.27 |
| शहरी आवास - अन्य अनुदान | 28,39.20 | 3,64.70 | 678.50 |
| वामपंथी - उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों का कौशल विकास | 0.00 | 5,16.34 | (-)100.00 |
| प्रदर्शन आधारित फंडिंग समझौता | 0.00 | 10.66 | (-)100.00 |
| रोजगार सृजन योजनाएं | 97.35 | 0.00 | 100.00 |
| औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल विकास करना (स्ट्राइव) | 4.00 | 0.00 | 100.00 |
| संकल्प द्वारा झारखण्ड कौशल विकास मिशन समाज | 48.30 | 0.00 | 100.00 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण | 6,39,23.03 | 4,53,33.47 | 41.01 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 53,60.78 | 28,71.14 | 86.71 |
| राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 70.00 | 48.33 | 44.84 |
| राष्ट्रीय शिक्षा अभियान : राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) | 6,79.50 | 3,46.50 | 96.10 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|--|-----------------|------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग - सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06 - केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमशः | | | |
| अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना : आदिवासी संस्थान को समर्थन | 16,54.50 | 2,57.33 | 542.95 |
| अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना | 1,55,78.84 | 1,61,91.76 | (-)3.79 |
| अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना : वन बंधू कल्याण योजना | 8,47.00 | 32,95.79 | (-)74.30 |
| अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना | 0.00 | 9,54.50 | (-)100.00 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, न्यूनतम जल अधिक फसल | 5,97.00 | 5,00.00 | 19.40 |
| हरित क्रान्ति- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 9,51.00 | 2,36.00 | 302.97 |
| हरित क्रान्ति - कृषोन्नती योजना | 14,08.96 | 21,71.67 | (-)35.12 |
| विकलांगों का कल्याण | 0.00 | 1,34.19 | (-)100.00 |
| आंगनबाड़ी सेवाएं | 45,45.50 | 54,87.46 | (-)17.17 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलविभाजन विकास अंग | 0.00 | 3,82.00 | (-)100.00 |
| जल आपूर्ति - ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम | 73,90.45 | 26,15.74 | 182.54 |
| मल - जल एवं स्वच्छता - स्वच्छता सेवाएं | 25,57.98 | 0.00 | 100.00 |
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | 0.00 | 1,17,09.46 | (-)100.00 |
| श्वेत क्रान्ति - राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना | 42.00 | 16.59 | 153.16 |
| नीली क्रान्ति | 0.00 | 1,80.00 | (-)100.00 |
| राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | 0.00 | 1,17.68 | (-)100.00 |
| किशोरियों के लिए योजना | 66.65 | 0.00 | 100.00 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-) |
|---|--------------------|--------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | |
| ग- सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमशः | | | |
| 1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमशः | | | |
| 06- केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - क्रमांत | | | |
| आशा लाभ पैकेज और आशा सुविधा भुगतान | 8,87.00 | 2,02.00 | 339.11 |
| समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) | 2,48,37.92 | 0.00 | 100.00 |
| समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) | 2,76.59 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 06 | 73,39,05.44 | 69,96,85.28 | 4.89 |
| 07- वित्त आयोग अनुदान | | | |
| 102- स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए अनुदान | | | |
| राज्य सरकार के स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए मूलभूत अनुदान | 22,36,71.00 | 6,04,12.00 | 270.24 |
| 104- राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायक अनुदान | | | |
| राज्य आपदा मोचन निधि | 3,31,50.00 | 3,15,75.00 | 4.99 |
| 107- शहरी स्थानीय निकाय के लिए अनुदान | | | |
| राज्य सरकार के शहरी स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए मूलभूत अनुदान | 5,86,39.18 | 1,40,02.05 | 318.79 |
| जोड़ - 07 | 31,54,60.18 | 10,59,89.05 | 197.63 |
| 08- अन्य अंतरण / राज्यों को अनुदान | | | |
| 106- माप और तौल का नियम | | | |
| ऊँचाई और बुनियादी ढाँचे की माप का सुदृढीकरण | 0.00 | 2,19.01 | (-)100.00 |
| 108- केंद्रीय सड़क निधि के अनुदान | | | |
| राज्य का सड़क के अनुदान | 1,37,67.00 | 63,33.00 | 117.39 |
| 113- विशेष सहायता | | | |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| शीर्ष | वास्तविक आँकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-) |
|---|----------------------|----------------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| | (₹ लाख में) | | |
| ग- सहायता अनुदान तथा अंशदान - क्रमांत | | | |
| 1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क्रमांत | | | |
| 08- अन्य अंतरण / राज्यों को अनुदान - क्रमांत | | | |
| आपदा तैयारियां | 99.80 | 99.44 | 0.36 |
| निर्भया निधि से वित्तपोषित योजना | 6,08.00 | 0.00 | 100.00 |
| हरित क्रांति - कृषोन्नती योजना | 4,69.80 | 63.00 | 645.71 |
| किरोसिन वितरण सुधार के नकद प्रोत्साहन | 0.00 | 7,72.18 | (-)100.00 |
| श्वेत क्रांति | 0.00 | 81.46 | (-)100.00 |
| 114- जीएसटी को लापू करने के कारण हुए राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति | | | |
| राज्य को हुए राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति | 15,31,81.89 | 10,29,00.00 | 48.86 |
| 414- खाद्य भण्डारण और माल भण्डारण | | | |
| पीडीएस संचालन का सशक्तिकरण | 90.33 | 37.50 | 140.89 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | | | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के शर्त के तहत अनुदान | 1,11,65.85 | 73,54.30 | 51.83 |
| 800- अन्य अनुदान | | | |
| सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 15,18.25 | 0.00 | 100.00 |
| स्वच्छ मिशन योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मंच के शौचालयों का निर्माण/उन्नयन | 0.00 | 18.00 | (-)100.00 |
| | 18,09,00.92 | 11,78,77.89 | 53.46 |
| | 1,23,02,66.54 | 92,35,52.22 | 33.21 |
| जोड़ -ग- सहायता अनुदान तथा अंशदान | 1,23,02,66.54 | 92,35,52.22 | 33.21 |
| जोड़ - प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | 5,84,17,14.33 | 5,61,51,69.94 | 4.03 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(I) 2018-19 से 2019-20 के दौरान किए गए लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश निम्न प्रकार है :-

| | 2018-19 | 2019-20 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| आदि रोकड़ शेष | (-),2,42,16.21 | 1,88,30.03 |
| भाग - I - समेकित निधि - | | |
| (क) राजस्व लेखा पर संव्यवहार - | | |
| प्राप्त शीर्ष | 5,61,51,69.94 | 5,84,17,14.33 |
| व्यय शीर्ष | 5,06,30,72.89 | 5,64,56,62.99 |
| निवल राजस्व आधिक्य (+)/कमी (-) | 55,20,97.05 | 19,60,51.34 |
| (ख) राजस्व लेखा से भिन्न संव्यवहार - | | |
| पूँजीगत लेखा (निवल) | (-),1,07,11,70.79 | (-),98,78,70.98 |
| लोक ऋण (निवल) | 47,43,33.07 | 53,61,71.49 |
| कर्जें और उधार (निवल) | (-),14,38,02.40 | (-),1,16,23.82 |
| अन्तराज्यीय परिशोधन | 0.00 | (-),0.05 |
| भाग - II - आकस्मिकता निधि (निवल) | | |
| भाग - III- लोक-लेखा (निवल) | 23,15,89.31 | 24,30,28.25 |
| कुल आधिक्य (+) / कमी (-) | 4,30,46.24 | (-),2,42,43.77 |
| अन्तः रोकड़ शेष | 1,88,30.03 | (-),54,13.74 |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - क्रमशः

(II) भारत सरकार से प्राप्तियाँ : ₹ 5,84,17,14.33 लाख की राजस्व प्राप्तियाँ में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,28,95,71.84 लाख शामिल हैं, जिनके ब्योरे निम्न प्रकार हैं :-

| | (₹ लाख में) |
|--|----------------------|
| (i) विभाज्य संघीय करों की निवल प्राप्ति का हिस्सा- | |
| (क) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 58,43,70.00 |
| (ख) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | 0.00 |
| (ग) निगम कर | 70,21,40.00 |
| (घ) निगम कर से भिन्न आय पर कर | 55,01,74.00 |
| (ङ) धन कर | 32.00 |
| (च) सीमा शुल्क | 13,05,32.00 |
| (छ) संघीय उत्पाद शुल्क | 9,07,52.00 |
| (ज) सेवा कर | 0.00 |
| (झ) आय तथा व्यय पर अन्य कर | 0.10 |
| (ञ) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 13,04.00 |
| (ii) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत साविधिक अनुदान | 1,11,65.85 |
| (iii) अन्य अनुदान | |
| (क) केंद्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान (साविधिक अनुदान में सम्मिलित को छोड़कर) | 73,39,05.44 |
| (ख) वित्त आयोग अनुदान (साविधिक अनुदान में सम्मिलित को छोड़कर) | 31,54,60.18 |
| (ग) अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान | 16,97,35.07 |
| जोड़ | 3,28,95,70.64 |

**14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - क्रमशः**

(III) वर्ष के दौरान कराधान परिवर्तन :

बिक्री, व्यापार आदि पर कर-वर्ष के दौरान कोई नया कर नहीं लगाया गया।

(IV) राजस्व प्राप्तियां- राजस्व प्राप्ति जो 2018-19 में ₹ 5,61,51.70 करोड़ था, वह 2019-20 में बढ़कर ₹ 5,84,17.14 करोड़ हुई। वह ₹ 22,65.44 करोड़ की निवल वृद्धि मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

| | लेखा का मुख्य शीर्ष | वृद्धि (₹ करोड़ में) | मुख्य कारण |
|----|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 30,67.14 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः वित्त आयोग अनुदान तथा अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान/विधानसभा सहित केन्द्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हुआ। |
| 2 | 0039 राज्य शुल्क | 9,26.45 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः विदेशी लिकर और स्प्रेट तथा प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 3 | 0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 5,21.37 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 4 | 1456 सिविल पूर्ति | 4,14.08 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 5 | 0041 वाहन कर | 2,65.04 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 6 | 0217 शहरी विकास | 2,63.50 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली तथा नगरपालिकाओं से प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 7 | 0049 ब्याज प्राप्तियां | 2,62.31 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 8 | 0006 राज्य वस्तु और सेवा कर | 2,16.88 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः कर, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग तथा अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 9 | 0401 फसल कृषि-कर्म | 1,45.17 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 10 | 0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क | 1,09.29 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः स्टाम्पों की बिक्री तथा दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क के अंतर्गत हुआ। |
| 11 | 0700 मुख्य सिंचाई | 1,03.21 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 12 | 0075 विविध सामान्य सेवाएं | 1,02.92 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः भूमि और संपत्ति की बिक्री तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 13 | 0235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 76.14 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - क्रमशः

| लेखा का मुख्य शीर्ष | वृद्धि | मुख्य कारण |
|-------------------------------|--------|---|
| 14 0801 उर्जा | 40.68 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 15 0043 विद्युत कर तथा शुल्क | 27.17 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर के अंतर्गत हुआ। |
| 16 0875 अन्य उद्योग | 23.14 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः सेवाएं तथा सेवा शुल्क के अंतर्गत हुआ। |
| 17 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 19.38 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः चुनाव फर्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 18 1452 पर्यटन | 17.84 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 19 0425 सहकारिता | 14.76 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |
| 20 0403 पशुपालन | 11.42 | अधिक प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 21 0701 मध्यम सिंचाई | 9.47 | अधिक प्राप्तियां मुख्यतः अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री तथा अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत हुआ। |

उपर्युक्त वृद्धि मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हास से अंशतः प्रतिस्तुलित हुई :-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | हास | मुख्य कारण |
|---|---------------|---|
| | (₹ करोड़ में) | |
| 1 0020 निगम कर | 12,91.96 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 2 0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर | 6,20.69 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 3 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 4,73.28 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क के अंतर्गत हुआ। |
| 4 0008 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर | 4,70.90 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 5 0037 सीमा शुल्क | 3,89.18 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 6 0044 सेवा कर | 2,19.98 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 7 0038 संघ उत्पाद शुल्क | 2,18.59 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 8 0202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 1,21.21 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा और राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |

14. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण - क्रमांत
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - क्रमांत

| लेखा का मुख्य शीर्ष | हास | मुख्य कारण |
|------------------------------------|-------|---|
| 9 0404 डेरी विकास | 95.22 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 10 0250 अन्य सामाजिक सेवाएं | 94.27 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 11 0851 ग्राम तथा लघु उद्योग | 64.02 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 12 0005 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर | 56.48 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 13 0029 भू-राजस्व | 51.40 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः भू-राजस्व कर, भूमि पर पौरकर और उपकर तथा सरकारी संपदाओं की बिक्री से प्राप्तियां के अंतर्गत हुआ। |
| 14 0216 आवास | 47.17 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 15 0028 आय तथा व्यय पर कर | 37.97 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के अंतर्गत हुआ। |
| 16 0852 उद्योग | 36.94 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 17 1054 सड़क तथा सेतु | 36.82 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 18 0210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | 17.23 | अल्प प्राप्ति मुख्यतः राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 19 0051 लोक सेवा आयोग | 15.47 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा शुल्क तथा लोकसेवा आयोग परीक्षा शुल्क के अंतर्गत हुआ। |
| 20 0055 पुलिस | 12.83 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः अन्य दलों को भेजी गई पुलिस तथा राज्य एवं केंद्र शाषित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अंतर्गत हुआ। |
| 21 0230 श्रम तथा रोजगार | 6.10 | अल्प प्राप्तियां मुख्यतः फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क तथा ठेका श्रमिक के अंतर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम) के अंतर्गत हुआ। |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|---|----------------------------|---|--|-----------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं | | | | | |
| (क) राज्य के अंग | | | | | |
| 2011- ससद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | | | | | |
| 02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 31,42.50 | (-)3.62 |
| 101- विधान-सभा | 30,91.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 103- विधानमंडल सचिवालय | 60,51.60 | 0.00 | 0.00 | 60,51.60 | 7.14 |
| | 50.99 | | | | |
| जोड़- 02 | 91,43.11 | 0.00 | 0.00 | 91,94.10 | 89,08.86 |
| जोड़-2011 | 50.99 | | | | 3.20 |
| वेतन | 91,43.11 | 0.00 | 0.00 | 91,94.10 | 89,08.86 |
| | 77,48.69 | | | | |
| 2012- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | | | | | |
| 03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 5,68.01 | 0.00 | 0.00 | 5,68.01 | 13.25 |
| 090- सचिवालय | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | (-)59.77 |
| 101- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलिब्धियाँ और भत्ते | | | | | |

इस विवरण में के०प्रा०स्कीम (राज्यांश), के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश) और के०से०स्कीम क्रमशः केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश), केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को सूचित करते हैं। तारांकित (*) आंकड़े के०से०स्कीम को इंगित करता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | (₹ लाख में) |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग - क्रमशः | | | | | | |
| 2012- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - क्रमांत | | | | | | |
| 03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - क्रमांत | | | | | | |
| 102- विवेकाधीन अनुदान | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 49.26 | 39.22 | 25.60 |
| 103- पारिवारिक स्थापना | 3,26.25 | 0.00 | 0.00 | 3,26.25 | 3,13.41 | 4.10 |
| 104- आतिथ्य भत्ता | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.14 | 30.70 |
| 105- चिकित्सा सुविधाएँ | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 11.02 | 4.54 |
| 107- सविदा भत्ते से व्यय | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 4.00 | -0.50 |
| 108- दौरा खर्च | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 11.03 | (-)23.03 |
| जोड़- 03 | 10,11.00 | 0.00 | 0.00 | 10,11.00 | 9,85.76 | 2.56 |
| जोड़-2012 | 10,11.00 | 0.00 | 0.00 | 10,11.00 | 9,85.76 | 2.56 |
| वेतन | 7,05.61 | | | | | |
| 2013- मंत्रिपरिषद् - | | | | | | |
| 101- मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन | 9,13.63 | 0.00 | 0.00 | 9,13.63 | 10,33.36 | (-)11.59 |
| 105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान | 5,64.74 | 0.00 | 0.00 | 5,64.74 | 7,12.52 | (-)20.74 |
| 108- दौरा खर्च | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | 1,28.98 | (-)56.40 |
| जोड़-2013 | 15,34.60 | 0.00 | 0.00 | 15,34.60 | 18,74.86 | (-)18.15 |
| वेतन | 7,51.56 | | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | योजना | | जोड़ | | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (क) राज्य के अंग - क्रमांत | | | | | | |
| 2014- न्याय प्रशासन - | | | | | | |
| 102- उच्च न्यायालय | 97,53.67 | 0.00 | 0.00 | 97,53.67 | 89,72.44 | 8.71 |
| 105- सिविल और सेशन न्यायालय | 3,33,25.17 | 0.00 | 0.00 | 3,33,25.17 | 3,24,79.44 | 2.60 |
| 114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) | 24,78.70 | 0.00 | 0.00 | 24,78.70 | 22,43.61 | 10.48 |
| 116- राज्य प्रशासनिक अधिकरण | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 57.54 | |
| | 97,53.67 | | | | | |
| जोड़-2014 | 3,58,09.06 | 0.00 | 0.00 | 4,55,62.73 | 4,37,53.03 | 4.14 |
| वेतन | 4,10,30.79 | | | | | |
| 2015- निर्वाचन - | | | | | | |
| 102- निर्वाचन अधिकारी | 25,49.84 | 0.00 | 0.00 | 25,49.84 | 21,59.15 | 18.09 |
| 103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण | 56,84.15 | 0.00 | 0.00 | 56,84.15 | 40,28.20 | 41.11 |
| 105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 1,31,78.14 | 0.00 | 0.00 | 1,31,78.14 | 31,75.53 | 314.99 |
| 106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 1,32,77.06 | 0.00 | 0.00 | 1,32,77.06 | 6,88.42 | 1828.63 |
| 108- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना | 1,27.10 | 0.00 | 0.00 | 1,27.10 | 2,10.76 | (-)39.69 |
| 109- पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार | 3,07.88 | 0.00 | 0.00 | 3,07.88 | 3,00.69 | 2.39 |
| | 3,51,24.17 | 0.00 | 0.00 | 3,51,24.17 | 1,05,62.75 | 232.53 |
| जोड़-2015 | 3,51,24.17 | 0.00 | 0.00 | 3,51,24.17 | 1,05,62.75 | 232.53 |
| वेतन | 12,28.38 | | | | | |
| जोड़ (क) राज्य के अंग | 1,08,15.66 | | | | | |
| | 8,16,10.94 | 0.00 | 0.00 | 9,24,26.60 | 6,60,85.26 | 39.86 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं | | | | | | |
| (ii) सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण - | | | | | | |
| 2029- भू-राजस्व - | | | | | | |
| 101- संग्रहन प्रभार | 34,42.01 | 0.00 | 0.00 | 34,42.01 | 21,63.96 | 59.06 |
| 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य | 19,92.02 | 39,63.70 | 0.00 | 59,55.72 | 49,36.56 | 20.65 |
| 103- भू-अभिलेख | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 (*) | 1,00.00 | 0.00 | 100.00 |
| 104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध | 2,47,57.16 | 0.00 | 0.00 | 2,47,57.16 | 2,25,89.36 | 9.60 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 21,12.71 | 0.00 | 21,12.71 | 21,71.94 | (-)2.73 |
| जोड़-2029 | 3,01,91.19 | 60,76.41 | 1,00.00 (*) | 3,63,67.60 | 3,18,61.82 | 14.14 |
| वेतन | 2,58,65.51 | | | | सहायक अनुदान | 10,25.00 |
| 2030- स्टाम्प पंजीकरण - | | | | | | |
| 01- स्टाम्प - न्यायिक | | | | | | |
| 101- स्टाम्पों की लागत | 2,19.26 | 0.00 | 0.00 | 2,19.26 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़-01 | 2,19.26 | 0.00 | 0.00 | 2,19.26 | 0.00 | 100.00 |
| 02- स्टाम्प-न्यायिकेतर | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 5.05 | 26.93 |
| 101- स्टाम्पों की लागत | 8,37.86 | 0.00 | 0.00 | 8,37.86 | 6,11.15 | 37.10 |
| जोड़-02 | 8,44.27 | 0.00 | 0.00 | 8,44.27 | 6,16.20 | 37.01 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और केंद्रांस्कीम (राज्यांश) | केंद्रांस्कीम (केन्द्रांश)/ केंसेंस्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण - क्रमांत | | | | | | |
| 03- पंजीकरण | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 14,26.47 | 0.00 | 0.00 | 14,26.47 | 15,91.92 | (-)10.39 |
| जोड़- 03 | 14,26.47 | 0.00 | 0.00 | 14,26.47 | 15,91.92 | (-)10.39 |
| जोड़- 2030 | 24,90.00 | 0.00 | 0.00 | 24,90.00 | 22,08.12 | 12.77 |
| वेतन | 9,80.18 | | | | | |
| जोड़-(ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 3,26,81.18 | 60,76.41 | 0.00(*) | 3,88,57.59 | 3,40,69.94 | 14.05 |
| | | | 100.00(*) | | | |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - | | | | | | |
| 2039- राज्य उत्पाद शुल्क - | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 30,52.77 | 0.00 | 0.00 | 30,52.77 | 21,99.12 | 38.82 |
| जोड़- 2039 | 30,52.77 | 0.00 | 0.00 | 30,52.77 | 21,99.12 | 38.82 |
| वेतन | 24,38.26 | | | | | |
| 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर - | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 13,09.20 | 0.00 | 0.00 | 13,09.20 | 15,76.39 | (-)16.95 |
| 101- संग्रहण प्रभार | 67,16.92 | 0.00 | 0.00 | 67,16.92 | 67,29.95 | (-)0.19 |
| जोड़- 2040 | 80,26.12 | 0.00 | 0.00 | 80,26.12 | 83,06.34 | (-)3.37 |
| वेतन | 40,70.30 | | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--|
| | स्थापना | योजना | जोड़ | |
| | | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | वास्तविकी 2018-19 |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | (₹ लाख में) |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं - क्रमशः | | | | |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण - क्रमानुसार | | | | |
| 2041- वाहन कर - | 1,95.57 | 0.00 | 0.00 | 1,95.57 |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 4,61.65 | 0.00 | 0.00 | 4,61.65 |
| 101- संग्रहण प्रभार | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 71.96 |
| 102- मोटर वाहनों का निरीक्षण | 7,29.18 | 0.00 | 0.00 | 7,29.18 |
| | 6,03.03 | | | 7,54.49 |
| जोड़- 2041 | | | | |
| वेतन | | | | |
| 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क - | | | | |
| 103- संग्रहण प्रभार - विद्युत शुल्क | 1,69.42 | 0.00 | 0.00 | 1,69.42 |
| | 1,69.42 | 0.00 | 0.00 | 1,70.24 |
| जोड़- 2045 | | | | |
| वेतन | 1,65.06 | | | |
| जोड़- (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 1,19,77.48 | 0.00 | 0.00 | 1,19,77.48 |
| | | | | 1,14,30.19 |
| | | | | 4.79 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में सुत्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--|----------------------------|---|-------------------|--|--|
| | जोड़ | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं - क्रमांत | | | | | |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं - | | | | | |
| 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं - | 2,62.50 | 0.00 | 0.00 | 2,62.50 | (-)9.95 |
| 103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि | 2,62.50 | 0.00 | 0.00 | 2,62.50 | (-)9.95 |
| जोड़- 2047 | 2,62.50 | 0.00 | 0.00 | 2,62.50 | (-)9.95 |
| वेतन | 2,17.29 | | | | |
| जोड़- (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 2,62.50 | 0.00 | 0.00 | 2,62.50 | (-)9.95 |
| जोड़- (ख) राजकोषीय सेवाएं | 4,49,21.16 | 60,76.41 | 100.00(*) | 5,10,97.57 | 11.59 |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा | | | | | |
| 2049- ब्याज अदायगियाँ- | | | | | |
| 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज | | | | | |
| 101- बाजार कर्जों पर ब्याज | 28,07,55.90 | 0.00 | 0.00 | 28,07,55.90 | 2.37 |
| 115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज | 3,94.56 | 0.00 | 0.00 | 3,94.56 | (-)36.70 |
| 123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज | 8,00,26.93 | 0.00 | 0.00 | 8,00,26.93 | (-)8.38 |
| 200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज | 13,15,12.94 | 0.00 | 0.00 | 13,15,12.94 | 52.39 |
| 305- ऋण प्रबन्ध | 9,54.35 | 0.00 | 0.00 | 9,54.35 | 9.17 |
| जोड़- 01 | 49,36,44.68 | 0.00 | 0.00 | 49,36,44.68 | 9.84 |
| | 44,94,03.40 | | | 44,94,03.40 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--|----------------------------|---|---|--------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा - क्रमांत | | | | | |
| 03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज | | | | | |
| 104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 2,38,16.13 | 0.00 | 0.00 | 2,38,16.13 | 2,24,38.52 |
| 108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 43.71 |
| | 2,38,33.47 | 0.00 | 0.00 | 2,38,33.47 | 2,24,82.23 |
| जोड़ - 03 | | | | | 6.01 |
| 04- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज | | | | | |
| 101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज | 73,38.94 | 0.00 | 0.00 | 73,38.94 | 58,41.43 |
| 104- योजनेतर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज | 1,53.08 | 0.00 | 0.00 | 1,53.08 | 1,81.07 |
| 109- 12वें वित्त आयोग की सिफारिसों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज | 54,92.01 | 0.00 | 0.00 | 54,92.01 | 62,97.31 |
| | 1,29,84.03 | 0.00 | 0.00 | 1,29,84.03 | 1,23,19.81 |
| जोड़ - 04 | | | | | 5.39 |
| 60- अन्य दायित्वों पर ब्याज | | | | | |
| 701- विविध | 3,09.03 | 0.00 | 0.00 | 3,09.03 | 9,91.95 |
| | 3,09.03 | 0.00 | 0.00 | 3,09.03 | (-)68.85 |
| जोड़ - 60 | | | | | (-)68.85 |
| जोड़ - 2049 | 53,07,71.21 | 0.00 | 0.00 | 53,07,71.21 | 48,51,97.39 |
| जोड़- (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा | 53,07,71.21 | 0.00 | 0.00 | 53,07,71.21 | 48,51,97.39 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - | | | | | |
| 2051- लोक सेवा आयोग | | | | | |
| 102- राज्य लोक सेवा आयोग | 14,71.39 | 0.00 | 0.00 | 14,71.39 | 9,80.17 |
| 103- कर्मचारी चयन आयोग | 4,14.36 | 0.00 | 0.00 | 4,14.36 | 3,88.19 |
| | 14,71.39 | 0.00 | 0.00 | 18,85.75 | 13,68.36 |
| | 4,14.36 | | | | |
| | 8,21.97 | | | | |
| वेतन | | | | | |
| 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं | | | | | |
| 090- सचिवालय | 76,02.57 | 0.00 | 0.00 | 76,02.57 | 71,90.25 |
| 092- अन्य कार्यालय | 24,30.60 | 0.00 | 0.00 | 24,30.60 | 24,71.48 |
| 099- राजस्व बोर्ड | 3,86.28 | 0.00 | 0.00 | 3,86.28 | 3,13.17 |
| | 1,04,19.45 | 0.00 | 0.00 | 1,04,19.45 | 99,74.90 |
| | 82,04.22 | | | | सहायक अनुदान |
| | | | | | 2,26.57 |
| 2053- जिला प्रशासन | | | | | |
| 093- जिला स्थापनाएं | 72,20.60 | 0.00 | 0.00 | 72,20.60 | 83,59.80 |
| 094- अन्य स्थापनाएं | 77,59.06 | 1,12.65 | 0.00 | 78,71.71 | 81,90.18 |
| 101- आयुक्त | 7,47.55 | 0.00 | 0.00 | 7,47.55 | 7,90.48 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 1,72,27.39 | 0.00 | 1,72,27.39 | 3,92,73.62 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 65,00.00 | 0.00 | 65,00.00 | 1,29,66.44 |
| | 1,57,27.21 | 2,38,40.04 | 0.00 | 3,95,67.25 | 6,95,80.52 |
| | 1,44,65.09 | | | | सहायक अनुदान |
| | | | | | 0.00 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन - | | | | | |
| 095- लेखा तथा खजाना निदेशालय | 4,94.53 | 0.00 | 0.00 | 4,94.53 | 2,85.61 |
| 097- खजाना स्थापना | 20,46.79 | 0.00 | 0.00 | 20,46.79 | 11,62.36 |
| जोड़ - 2054 | 25,41.32 | 0.00 | 0.00 | 25,41.32 | 14,47.97 |
| वेतन | 21,74.02 | | | | |
| 2055- पुलिस | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,02,16.14 | 0.00 | 0.00 | 2,02,16.14 | 1,86,87.72 |
| 003- शिक्षा और प्रशिक्षण | 38,90.05 | 0.00 | 0.00 | 38,90.05 | 36,51.19 |
| 101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता | 2,04,43.80 | 0.00 | 0.00 | 2,04,43.80 | 1,80,53.67 |
| 104- विशेष पुलिस | 13,38,85.27 | 0.00 | 0.00 | 13,38,85.27 | 12,48,09.06 |
| 109- जिला पुलिस | 27,58,95.16 | 0.00 | 0.00 | 27,58,95.16 | 23,92,90.38 |
| 110- ग्राम पुलिस | 2,24,26.91 | 0.00 | 0.00 | 2,24,26.91 | 2,17,03.41 |
| 111- रेल पुलिस | 74,49.12 | 0.00 | 0.00 | 74,49.12 | 70,51.13 |
| 113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण | 3,27.92 | 0.00 | 0.00 | 3,27.92 | 3,26.68 |
| 114- बेतार और कम्प्यूटर | 50,79.18 | 0.00 | 0.00 | 50,79.18 | 36,04.95 |
| 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 4,87.51 | 0.00 | 0.00 | 4,87.51 | 4,58.06 |
| जोड़ - 2055 | 49,01,01.06 | 0.00 | 0.00 | 49,01,01.06 | 43,76,36.25 |
| वेतन | 42,12,96.46 | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| 2056- जेल - | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,75.80 | 0.00 | 0.00 | 2,75.80 | 5.11 |
| 101- जेल | 1,53,64.75 | 0.00 | 0.00 | 1,53,64.75 | (-)3.12 |
| 102- जेल उत्पाद | 7,17.97 | 0.00 | 0.00 | 7,17.97 | 7.16 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| | 1,63,58.52 | 0.00 | 0.00 | 1,63,58.52 | (-)14.32 |
| जोड़ - 2056 | | | | | |
| वेतन | 26,37.75 | | | | |
| | | | | | |
| 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 1,42.08 | 0.00 | 0.00 | 1,42.08 | (-)11.85 |
| 103- सरकारी मुद्रणालय | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | (-)40.22 |
| 105- सरकारी प्रकाशन | 1,64.05 | 0.00 | 0.00 | 1,64.05 | (-)17.12 |
| जोड़ - 2058 | | | | | |
| वेतन | 1,13.07 | | | | |
| | | | | | |
| 2059- लोक निर्माण कार्य - | | | | | |
| 80- सामान्य | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 90,75.57 | 6,94.64 | 0.00 | 97,70.21 | 3.54 |
| 053- रखरखाव तथा मरम्मत | 0.85 | 34,94.90 | 0.00 | 34,95.75 | (-)12.49 |
| | 90,76.42 | 41,89.54 | 0.00 | 1,32,65.96 | (-)1.23 |
| जोड़ - 80 | | | | | |
| जोड़ - 2059 | 90,76.42 | 41,89.54 | 0.00 | 1,32,65.96 | (-)1.23 |
| वेतन | 58,35.35 | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं - क्रमांतः | | | | | | |
| 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ - | | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | 4,67.21 | 0.00 | 0.00 | 4,67.21 | 3,93.60 | 18.70 |
| 104- सतर्कता | 35,63.67 | 0.00 | 0.00 | 35,63.67 | 31,44.10 | 13.34 |
| 105- विशेष जांच आयोग | 1,28.93 | 0.00 | 0.00 | 1,28.93 | 1,23.86 | 4.09 |
| 106- सिविल रक्षा | 5,82.58 | 0.00 | 0.00 | 5,82.58 | 5,71.58 | 1.92 |
| 107- होमगार्ड | 1,17,54.22 | 0.00 | 0.00 | 1,17,54.22 | 61,45.32 | 91.27 |
| 108- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण | 18,19.77 | 0.00 | 0.00 | 18,19.77 | 17,97.94 | 1.21 |
| 114- वाहन का क्रय तथा रख-रखाव | 14,15.52 | 0.00 | 0.00 | 14,15.52 | 14,11.52 | 0.28 |
| 115- अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि | 12,43.23 | 8.51 | 0.00 | 12,51.74 | 11,55.05 | 8.37 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| 800- अन्य व्यय | 11,28.90 | 0.00 | 0.00 | 11,28.90 | 13,74.93 | (-)17.89 |
| जोड़ - 2070 | 2,21,04.03 | 21.26 | 0.00 | 2,21,25.29 | 1,61,17.90 | 37.27 |
| वेतन | 75,16.31 | | | | सहायक अनुदान | 0.12 |
| जोड़ - (घ) प्रशासनिक सेवाएं | 14,71.39 | | | | | |
| (ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं - | 56,69,06.41 | 2,80,50.84 | 0.00 | 59,64,28.64 | 56,88,47.31 | 4.85 |
| 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ - | | | | | | |
| 01- सिविल - | | | | | | |
| 101- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते | 38,15,31.65 | 0.00 | 0.00 | 38,15,31.65 | 41,53,71.58 | (-)8.15 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|---|---|---|--|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाएं - क्रमांत | | | | | | |
| (ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं - क्रमांत | | | | | | |
| 2071- | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ - क्रमांत | | | | | |
| 01- | सिविल - | | | | | |
| 102- | पेंशन का सारांशिकृत मूल्य | 0.00 | 0.00 | 3,58,06.08 | 3,01,08.09 | 18.93 |
| 104- | उपदान | 0.00 | 0.00 | 6,18,20.83 | 4,76,98.69 | 29.61 |
| 105- | परिवार पेंशन | 2,46,51.27 | 0.00 | 2,46,51.27 | 1,95,97.34 | 25.79 |
| 106- | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार | 43.55 | 0.00 | 43.55 | 32.96 | 32.13 |
| 111- | विधायकों को पेंशन | 4,59.98 | 0.00 | 4,59.98 | 6,39.26 | (-)28.04 |
| 115- | छुट्टी नकदीकरण हितलाभ | 4,65,19.46 | 0.00 | 4,65,19.46 | 4,29,69.67 | 8.26 |
| 117- | अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि | 4,96,26.87 | 0.00 | 4,96,26.87 | 4,27,30.72 | 16.14 |
| | | | | जोड़ - 01 | 60,04,59.69 | 0.00 |
| | | | | जोड़ - 2071 | 60,04,59.69 | 0.00 |
| | | | | वेतन | 2.32 | 0.22 |
| | | | | जोड़ - 01 | 60,04,59.69 | 59,91,48.31 |
| | | | | जोड़ - 2071 | 60,04,59.69 | 59,91,48.31 |
| 2075- विविध सामान्य सेवाएं | | | | | | |
| 791- | विनियम द्वारा हानि | 2,02.15 | 0.00 | 2,02.15 | 4,96.04 | (-)59.25 |
| | | | | जोड़ - 2075 | 2,02.15 | 0.00 |
| | | | | जोड़ - (ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 60,06,61.84 | 0.00 |
| | | | | जोड़ - क - सामान्य सेवाएं | 54,30,58.26 | 0.00 |
| | | | | 1,29,41,00.35 | 3,41,27.25 | 1,00.00 (*) |
| | | | | 1,87,13,85.86 | 1,76,55,65.94 | 5.99 |

*साई पेंशन डाटाबेस के अनुसार झारखण्ड में कुल 49,309 एवं 8,037 पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशन आहरण करने वाले हैं।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|
| | योजना | | जोड़ | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | वास्तविकी 2018-19 | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा - | | | | | |
| 01- प्रारंभिक शिक्षा - | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,29.71 | 0.00 | 0.00 | 2,29.71 | 1,99.33 |
| 101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय | 31,48,65.22 | 1,43,80.61 | 0.00 | 32,92,45.83 | 33,40,64.88 |
| 102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता | 2,19,24.93 | 0.00 | 0.00 | 2,19,24.93 | 1,34,43.66 |
| 104- निरीक्षण | 56.83.20 | 0.00 | 0.00 | 56,83.20 | 56,14.35 |
| 105- अनौपचारिक शिक्षा | 0.00 | 3,53.64 | 6,03.75 | 9,57.39 | 0.00 |
| 107- अध्यापक प्रशिक्षण | 16,12.03 | 0.00 | 0.00 | 16,12.03 | 25,46.41 |
| 111- सर्व शिक्षा अभियान | 0.00 | 5,54,97.29 | 5,25,99.91 | 10,80,97.20 | 6,50,83.82 |
| 112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम | 0.00 | 2,75,50.25 | 1,90,89.48 | 4,66,39.73 | 3,04,27.06 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,37,91.09 | 1,79,35.60 | 4,17,26.69 | 3,13,07.83 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 4,85,55.57 | 3,53,81.69 | 8,39,37.26 | 5,94,01.29 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 34,43,15.09 | 17,01,28.45 | 12,56,10.43 | 64,00,53.97 | 54,20,88.63 |
| | जोड़ - 01 | | | | 18.07 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | योजना | | | | जोड़ | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - क्रमशः | | | | | | | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा - क्रमशः | | | | | | | | | | |
| 02- माध्यमिक शिक्षा - | | | | | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,26.29 | 0.00 | 0.00 | 2,26.29 | 1,79.61 | 25.99 | | | | |
| 101- निरीक्षण | 23,73.21 | 0.00 | 0.00 | 23,73.21 | 21,68.20 | 9.46 | | | | |
| 109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय | 4,37,27.13 | 3,47,43.30 | 0.00 | 7,84,70.43 | 5,04,78.72 | 55.45 | | | | |
| 110- अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता | 1,59,30.91 | 0.00 | 0.00 | 1,59,30.91 | 1,15,77.70 | 37.60 | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 36,61.40 | 0.00 | 36,61.40 | 42,28.87 | (-)13.42 | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 2,80,72.96 | 0.00 | 2,80,72.96 | 1,14,50.92 | 145.16 | | | | |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | | | | |
| जोड़ - 02 | | | | | 6,22,57.54 | 6,64,77.66 | 0.00 | 12,87,35.20 | 8,01,34.02 | 60.65 |
| 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा- | | | | | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,60.50 | 0.00 | 0.00 | 2,60.50 | 2,56.71 | 1.48 | | | | |
| 102- विश्वविद्यालयों को सहायता | 11,28,92.89 | 1,88,65.42 | 17,55.38 | 13,35,13.69 | 8,20,50.50 | 62.72 | | | | |
| 103- राजकीय कॉलेज तथा संस्थान | 1,49,18.49 | 0.00 | 0.00 | 1,49,18.49 | 1,46,00.51 | 2.18 | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,07.00 | 3,39.75 | 5,46.75 | 12,84.00 | (-)57.42 | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,02,60.07 | 1,69.87 | 1,04,29.94 | 66,34.51 | 57.21 | | | | |
| जोड़ - 03 | | | | | 12,80,71.88 | 2,93,32.49 | 22,65.00 | 15,96,69.37 | 10,48,26.23 | 52.32 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - क्रमशः | | | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा - क्रमशः | | | | | | |
| 05- भाषा विकासख | | | | | | |
| 103- संस्कृत शिक्षा | 4,17.17 | 0.00 | 0.00 | 4,17.17 | 1,43.42 | 190.87 |
| 200- अन्य भाषाओं की शिक्षा | 16,69.00 | 0.00 | 26.64 | 16,95.64 | 15,86.17 | 6.90 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | (-)100.00 |
| | 20,86.17 | 0.00 | 26.64 | 21,12.81 | 17,82.33 | 18.54 |
| जोड़ - 05 | 53,67,30.68 | 26,59,38.60 | 12,79,07.07 | 93,05,71.35 | 72,88,31.21 | 27.68 |
| वेतन | 43,36,83.37 | | | | सहायक अनुदान | 48,77,86.05 |
| 2203- तकनीकी शिक्षा - | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 1,34.01 | 58,45.08 | 0.00 | 59,79.09 | 76,05.67 | (-)21.39 |
| 003- प्रशिक्षण | 0.00 | 77,74.80 | 5,62.20 | 83,37.00 | 86,73.44 | (-)3.88 |
| 004- अनुसंधान | 1.51 | 7,40.00 | 0.00 | 7,41.51 | 56,95.35 | (-)86.98 |
| 103- तकनीकी विद्यालय | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 25.96 | (-)23.50 |
| 105- बहुशिल्प (पॉलिटेकनीक) विद्यालय | 25,38.31 | 24,63.30 | 0.00 | 50,01.61 | 62,35.26 | (-)19.79 |
| 112- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान | 27,57.51 | 14,95.22 | 0.00 | 42,52.73 | 46,35.94 | (-)8.27 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 83.17 | 1,24.77 | 2,07.94 | 10.40 | 1899.42 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,25,68.81 | 64.64 | 1,26,33.45 | 1,63,11.33 | (-)22.55 |
| | 54,51.20 | 3,09,70.38 | 7,51.61 | 3,71,73.19 | 4,91,93.35 | (-)24.43 |
| जोड़ - 2203 | 48,69.84 | | | | सहायक अनुदान | 13,44,44.71 |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|--|-----------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - क्रमशः | | | | | |
| 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं- | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 55.63 (-)10.84 |
| 102- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 12,14.42 | 0.00 | 0.00 | 12,14.42 | 12,21.32 (-)0.56 |
| 104- खेल-कूद | 86.65 | 12,59.46 | 0.00 | 13,46.11 | 14,68.09 (-)8.31 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | 0.00 | 29,29.41 | 0.00 | 29,29.41 | 21,66.35 35.22 |
| | 13,50.67 | 41,88.87 | 0.00 | 55,39.54 | 49,11.39 12.79 |
| | 7,69.63 | | | | सहायक अनुदान 20,00.00 |
| 2205- कला एवं संस्कृति- | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 33.01 9.00 |
| 101- ललित कला शिक्षा | 31.97 | 3,30.56 | 0.00 | 3,62.53 | 4,41.85 (-)17.95 |
| 103- पुरातत्व विज्ञान | 74.28 | 7.01 | 0.00 | 81.29 | 80.16 1.41 |
| 104- अभिलेखागार | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 39.35 | 49.53 (-)20.55 |
| 105- सार्वजनिक पुस्तकालय | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 50.56 (-)20.83 |
| 107- संग्रहालय | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | 1,02.01 (-)5.62 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|-------------|----------------------|--|
| | योजना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - क्रमांत | | | | | |
| 2205- कला एवं संस्कृति - क्रमांत | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 0.00 | 7,59.39 | 0.00 | 7,59.39 | 7.12 |
| जोड़ - 2205 | 3,17.89 | 10,96.96 | 0.00 | 14,14.85 | (-)3.49 |
| वेतन | 2,46.27 | | | सहायक अनुदान | 1,85.08 |
| जोड़-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 54,38,50.44 | 30,21,94.81 | 12,86,53.68 | 97,46,98.93 | 78,44,02.01 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | | |
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 26,85.10 | 31,38.26 | 0.00 | 58,23.36 | 69,33.45 |
| 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 14,96.43 | 67,65.98 | 0.00 | 82,62.41 | 1,53,77.55 |
| 103- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना | 0.00 | 2,61,21.99 | 2,89,69.00 | 5,50,90.99 | 6,01,17.76 |
| 104- चिकित्सा भण्डार डिपो | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| 109- स्कूल स्वास्थ्य योजना | 0.00 | 59.59 | 0.00 | 59.59 | 64.14 |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय | 2,00,30.91 | 97,75.81 | 19,79.00 | 3,17,85.72 | 3,24,83.53 |
| 200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,35,87.85 | 83,62.00 | 2,19,49.85 | 72,81.81 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 4,76,33.38 | 1,90,26.00 | 6,66,59.38 | 7,12,43.01 |
| जोड़ - 01 | 2,42,12.44 | 10,80,82.86 | 5,83,36.00 | 19,06,31.30 | 19,35,01.25 |
| | | | | | (-)1.48 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | योजना | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - क्रमशः | | | | | | | |
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - क्रमशः | | | | | | | |
| 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- | | | | | | | |
| 101- आयुर्वेद | 11,04.80 | 42.73 | 0.00 | 11,47.53 | 12,24.15 | (-)6.26 | |
| 200- अन्य पद्धतियाँ | 0.00 | 1,49.00 | 15,22.31 | 16,71.31 | 1,20.56 | 1286.29 | |
| जोड़ - 02 | 11,04.80 | 1,91.73 | 15,22.31 | 28,18.84 | 13,44.71 | 109.62 | |
| 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी- | | | | | | | |
| 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र | 58,60.78 | 0.00 | 0.00 | 58,60.78 | 54,96.21 | 6.63 | |
| 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 2,97,76.83 | 0.00 | 0.00 | 2,97,76.83 | 3,04,80.00 | (-)2.31 | |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय | 40,16.23 | 0.00 | 0.00 | 40,16.23 | 46,02.43 | (-)12.74 | |
| जोड़ - 03 | 3,96,53.84 | 0.00 | 0.00 | 3,96,53.84 | 4,05,78.64 | (-)2.28 | |
| 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- | | | | | | | |
| 101- आयुर्वेद | 6,49.39 | 0.00 | 0.00 | 6,49.39 | 7,23.65 | (-)10.26 | |
| 102- होम्योपैथी | 2,32.95 | 0.00 | 0.00 | 2,32.95 | 3,03.40 | (-)23.22 | |
| 103- यूनानी | 1,04.82 | 0.00 | 0.00 | 1,04.82 | 1,17.07 | (-)10.46 | |
| जोड़ - 04 | 9,87.16 | 0.00 | 0.00 | 9,87.16 | 11,44.12 | (-)13.72 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - क्रमशः | | | | | | |
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - क्रमशः | | | | | | |
| 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- | | | | | | |
| 105- ऐलोपैथी | 3,29,47.35 | 36.19 | 0.00 | 3,29,83.54 | 5,39,42.93 | (-)38.85 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | 0.00 | 86.90 | 0.00 | 86.90 | 90.70 | (-)4.19 |
| | जोड़ - 05 | 3,29,47.35 | 1,23.09 | 3,30,70.44 | 5,40,33.63 | (-)38.80 |
| 06- लोक स्वास्थ्य- | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 4,49.18 | 2,23.33 | 3,35.00 | 10,07.51 | 5,83.75 | 72.59 |
| 101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण | 79,21.13 | 14,85.80 | 0.00 | 94,06.93 | 95,67.23 | (-)1.68 |
| 102- खाद्य अपमिश्रण का निवारण | 1,88.87 | 0.00 | 0.00 | 1,88.87 | 36.67 | 415.05 |
| 104- औषध नियंत्रण | 4,61.73 | 0.00 | 0.00 | 4,61.73 | 5,34.99 | (-)13.69 |
| 106- सीरा/वैक्सीन का विनिर्माण | 3,50.30 | 0.00 | 0.00 | 3,50.30 | 3,97.62 | (-)11.90 |
| 200- अन्य पद्धतियाँ | 0.00 | 1,62.00 | 0.00 | 1,62.00 | 0.00 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | जोड़ - 06 | 93,71.21 | 18,71.13 | 1,15,77.34 | 1,11,20.26 | 4.11 |
| | जोड़ - 2210 | 10,82,76.80 | 11,02,68.81 | 6,01,93.31 | 30,17,22.61 | (-)7.62 |
| | वेतन | 7,31,67.25 | | | सहायक अनुदान | 11,81,35.07 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - क्रमांत | | | | | |
| 2211- परिवार कल्याण- | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,80.58 (-)100.00 |
| 003- प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,76.22 (-)100.00 |
| 101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,31.50 (-)100.00 |
| 102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,89.75 (-)100.00 |
| 103- मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य | 3,41.04 | 0.00 | 0.00 | 3,41.04 | 2,99.66 13.81 |
| जोड़ - 2211 | 3,41.04 | 0.00 | 0.00 | 3,41.04 | 1,05,77.71 (-)96.78 |
| वेतन | 3,40.08 | | | | |
| जोड़ (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 10,86,17.84 | 11,02,68.81 | 6,01,93.31 | 27,90,79.96 | 31,23,00.32 (-)10.64 |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - | | | | | |
| 2215- जल पूर्ति तथा सफाई- | | | | | |
| 01- जल पूर्ति | | | | | |
| 101- शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम | 48,50.81 | 0.00 | 0.00 | 48,50.81 | 66,16.06 (-)26.68 |
| 102- ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम | 1,21,02.13 | 69,38.65 | 1,46,94.95 | 3,37,35.73 | 3,06,86.99 9.93 |
| 191- नगर निगम को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 13,74.02 | 37,33.97 | 51,07.99 | 1,46,60.36 (-)65.16 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 0.00 | 34,46.14 | 63,80.08 | 98,26.22 | 2,25,80.87 (-)56.48 |
| जोड़ - 01 | 1,69,52.94 | 1,17,58.81 | 2,48,09.00 | 5,35,20.75 | 7,45,44.28 (-)28.20 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं*

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | (₹ लाख में) |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | | |
| - क्रमशः | | | | | | |
| 2215- जल पूर्ति तथा सफाई - क्रमांत | | | | | | |
| 02- मल-जल तथा सफाई | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 39.62 | 57.77 | (-31.42) |
| 105- सफाई सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 60,74.98 (*) | 60,74.98 | 5,33,54.63 | (-88.61) |
| 107- मल-जल सेवाएं | 8,00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00.00 | 8,00.00 | 0.00 |
| 191- नगर निगम को सहायता | 2,50.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50.00 | 2,38.74 | 4.72 |
| 192- नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता | 3,51.12 | 0.00 | 0.00 | 3,51.12 | 4,00.00 | (-12.22) |
| 193- नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता | 0.00 | 0.00 | 17,35.78 (*) | 17,35.78 | 36,07.32 | (-51.88) |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 27,74.49 (*) | 27,74.49 | 49,53.88 | (-43.99) |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| जोड़ - 02 | 14,40.74 | 0.00 | 1,05,85.25 (*) | 1,20,25.99 | 6,34,12.34 | (-81.04) |
| जोड़ - 2215 | 1,83,93.68 | 1,17,58.81 | 2,48,09.00 | 6,55,46.74 | 13,79,56.62 | (-52.49) |
| | | | 1,05,85.25 (*) | | | |
| वेतन | 1,54,61.47 | | | | सहायक अनुदान | 4,82,83.72 |
| 2216- आवास | | | | | | |
| 02- शहरी आवास | | | | | | |
| 103- आवास बोर्डों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | (-100.00) |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,35.61 | (-100.00) |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,35.61 | (-100.00) |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | | |
| - क्रमशः | | | | | | |
| 2216- आवास - क्रमांत | 0.00 | 12,79.47 | 0.00 | 12,79.47 | 5,87.10 | 117.93 |
| 05- साधारण पूल आवास | 0.00 | 12,79.47 | 0.00 | 12,79.47 | 5,87.10 | 117.93 |
| 053- रखरखाव तथा मरम्मत | 0.00 | 12,79.47 | 0.00 | 12,79.47 | 17,22.71 | (-)25.73 |
| जोड़ - 05 | | | | | | |
| जोड़ - 2216 | | | | | | |
| | | | | | सहायक अनुदान | 0.00 |
| 2217- शहरी विकास- | | | | | | |
| 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास | | | | | | |
| 191- नगर निगम को सहायता | 84,81.89 | 0.00 | 0.00 | 84,81.89 | 38,87.15 | 118.20 |
| जोड़ - 03 | 84,81.89 | 0.00 | 0.00 | 84,81.89 | 38,87.15 | 118.20 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 9,34.71 | 0.00 | 0.00 | 9,34.71 | 8,38.82 | 11.43 |
| 191- नगर निगम को सहायता | 23,84.29 | 6,60,98.33 | 1,58,62.39 | 12,45,25.59 | 7,37,70.08 | 68.80 |
| | | | 4,01,80.58 (*) | | | |
| 192- नगरपालिका/नगर परिषद को सहायता | 9,49.16 | 0.00 | 1,37,97.28 (*) | 1,47,46.44 | 42,38.37 | 247.93 |
| 193- नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता | 4,26.70 | 0.00 | 45,00.99 (*) | 49,27.69 | 15,93.18 | 209.30 |

* के.से.स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|----------------|----------------------|--|
| | योजना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - क्रमांत | | | | | |
| 2217- शहरी विकास - क्रमांत | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,24,00.70 | 22,87.99 | 1,46,88.69 | 1,39,59.88 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 6,71,92.68 | 1,61,95.27 | 8,33,87.95 | 9,19,42.50 |
| जोड़ - 80 | | | 3,43,45.65 | | |
| जोड़ - 2217 | 46,94.86 | 14,56,91.71 | 5,84,78.85 (*) | 24,32,11.07 | 18,63,42.83 |
| जोड़ - 2217 | 1,31,76.75 | 14,56,91.71 | 3,43,45.65 | 25,16,92.96 | 19,02,29.98 |
| जोड़ - 2217 | | | 5,84,78.85 (*) | | |
| वेतन | 1,27.56 | | | सहायक अनुदान | 25,09,03.61 |
| जोड़- (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 3,15,70.43 | 15,87,29.99 | 5,91,54.65 | 31,85,19.17 | 32,99,09.31 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण | | | 6,90,64.10 (*) | | (-)3.45 |
| 2220- सूचना तथा प्रचार | | | | | |
| 01- फिल्म | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 9,86.47 | 0.00 | 0.00 | 9,86.47 | 6,61.59 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,75.00 |
| जोड़ - 01 | 9,86.47 | 0.00 | 0.00 | 9,86.47 | 10,36.59 |
| | | | | | (-)4.84 |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|-------------------|--|--|
| | जोड़ | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण | | | | | |
| 2220- सूचना तथा प्रचार - क्रमांत | | | | | |
| 60- अन्य - | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 3,39.00 | 0.00 | 0.00 | 3,39.00 | 2,94.55 |
| 101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार | 95,00.00 | 0.00 | 0.00 | 95,00.00 | 85,00.00 |
| 102- सूचना केन्द्र | 0.00 | 7,74.90 | 0.00 | 7,74.90 | 0.00 |
| 106- क्षेत्र प्रचार | 7,26.72 | 26,87.07 | 0.00 | 34,13.79 | 23,24.72 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 44,58.54 | 0.00 | 44,58.54 | 38,48.44 |
| | 1,05,65.72 | 79,20.51 | 0.00 | 1,84,86.23 | 1,49,67.71 |
| जोड़ - 60 | | | | | 23.51 |
| जोड़ - 2220 | 1,15,52.19 | 79,20.51 | 0.00 | 1,94,72.70 | 1,60,04.30 |
| वेतन | 12,63.52 | | | | सहायक अनुदान |
| | 1,15,52.19 | 79,20.51 | 0.00 | 1,94,72.70 | 1,60,04.30 |
| जोड़ - (घ) सूचना तथा प्रसारण | | | | | 21.67 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- | | | | | 0.00 |
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- | | | | | |
| 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण- | 23,74.77 | 0.00 | 0.00 | 23,74.77 | 23,14.70 |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 26,75.64 | 0.00 | 0.00 | 26,75.64 | 27,24.28 |
| 277- शिक्षा | | | | | (-)1.79 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 85,90.25 | 1,86.99 | 1,28,16.07 | 1,07,12.00 |
| | | | 40,38.83 (*) | | |
| | | | 1,86.99 | | |
| जोड़ - 01 | 50,50.41 | 85,90.25 | 40,38.83 (*) | 1,78,66.48 | 1,57,50.98 |
| | | | | | 13.43 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | (₹ लाख में) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - क्रमांत | | | | | | |
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - क्रमांत | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.67 | (-)95.51 |
| 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 89,86.27 | 26,65.55 | 20,17.77 (*) | 1,36,69.59 | 1,51,99.16 | (-)10.06 |
| 277- शिक्षा | 1,70.01 | 0.00 | 0.00 | 1,70.01 | 1,66.91 | 1.86 |
| 282- स्वास्थ्य | 0.00 | 2,08,08.47 | 3,31,53.19 (*) | 5,39,61.66 | 4,88,15.06 | 10.54 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 91,56.40 | 2,34,74.02 | 3,51,70.96 (*) | 6,78,01.38 | 6,41,83.80 | 5.64 |
| 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण | 3,67.16 | 1,84,82.37 | 1,07.18 | 1,97,64.98 | 1,95,60.93 | 1.04 |
| 277- शिक्षा | | | 8,08.27 (*) | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,42,91.83 | 2,05.46 | 1,51,07.72 | 1,51,49.65 | (-)0.28 |
| | | | 6,10.43 (*) | | | |
| जोड़ - 02 | 3,67.16 | 3,27,74.20 | 3,12.64 | 3,48,72.70 | 3,47,10.58 | 0.47 |
| | | | 14,18.70 (*) | | | |
| जोड़ - 03 | 1,45,73.97 | 6,48,38.47 | 4,99.63 | 12,05,40.56 | 11,46,45.36 | 5.14 |
| | | | 4,06,28.49 (*) | | | |
| जोड़ - 2225 | 1,04,19.05 | | | | | |
| वैतन | | | 4,99.63 | | | |
| जोड़ (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1,45,73.97 | 6,48,38.47 | 4,06,28.49 (*) | 12,05,40.56 | 11,46,45.36 | 5.14 |
| | | | सहायक अनुदान | | 3,28,89.12 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | योजना | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | | (₹ लाख में) |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | | |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - | | | | | | | |
| 2230- श्रम तथा रोजगार - | | | | | | | |
| 01- श्रम | | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 3,28.11 | 3,10.84 | 0.00 | 0.00 | 6,38.95 | 8,23.04 | (-)22.37 |
| 101- औद्योगिक संबंध | 14,06.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,06.55 | 15,04.09 | (-)6.48 |
| 102- कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा | 5,97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,97.59 | 6,16.92 | (-)3.13 |
| 103- सामान्य श्रम कल्याण | 1,95.59 | 0.00 | 1.30 | 1,96.89 | 1,96.89 | 3,03.54 | (-)35.14 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 4,54.46 | 0.00 | 4,54.46 | 4,54.46 | 6,29.45 | (-)27.80 |
| जोड़ - 01 | 25,27.84 | 7,65.30 | 1.30 | 32,94.44 | 32,94.44 | 39,04.34 | (-)15.62 |
| 02- रोजगार सेवाएं - | | | | | | | |
| 101- रोजगार सेवाएं | 9,73.83 | 1,78.82 | 50.10 (*) | 12,02.75 | 11,07.06 | 8.64 | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 12.01 | 0.00 (*) | 12.01 | 19.88 | (-)39.59 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 4,30.48 | 89.88 (*) | 5,20.36 | 3,77.28 | 37.92 | |
| जोड़ - 02 | 9,73.83 | 6,21.31 | 1,39.98 | 17,35.12 | 15,04.22 | 15.35 | |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं*

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - क्रमांत | | | | | | |
| 2230- श्रम तथा रोजगार - क्रमांत | | | | | | |
| 03- प्रशिक्षण - | | | | | | |
| 003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | 1,32.16 | 12,53.16 | 54.60 | 14,47.50 | 14,94.39 | (-)3.14 |
| 101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 24,25.87 | 0.00 | 0.00 | 24,25.87 | 23,01.51 | 5.40 |
| 102- प्रशिक्षु प्रशिक्षण | 1,08.62 | 0.00 | 0.00 | 1,08.62 | 76.61 | 41.78 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 5,29.82 | 27.72 | 5,57.54 | 2,90.31 | 92.05 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 28,09.69 | 88.34 | 29,03.42 | 22,33.42 | 30.00 |
| | | | 5.39 (*) | | | |
| जोड़ - 03 | 26,66.65 | 45,92.67 | 1,70.66 | 74,42.95 | 63,96.24 | 16.36 |
| | | | 12.97 (*) | | | |
| जोड़ - 2230 | 61,68.32 | 59,79.28 | 1,71.96 | 1,24,72.51 | 1,18,04.80 | 5.66 |
| | | | 1,52.95 (*) | | | |
| वेतन | 74,29.31 | | | | सहायक अनुदान | 1.30 |
| | | | 1,71.96 | | | |
| जोड़-(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 61,68.32 | 59,79.28 | 1,52.95 (*) | 1,24,72.51 | 1,18,04.80 | 5.66 |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में सुत्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|
| | योजना | | जोड़ | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | वास्तविकी 2018-19 | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (छ) सामाज कल्याण तथा पोषण | | | | | |
| 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - | | | | | |
| 01- पुनर्वास - | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 2,08.68 | 0.00 | 0.00 | 2,08.68 | 1,78.07 |
| 200- अन्य राहत उपाय | 11,31.83 | 0.00 | 0.00 | 11,31.83 | 10,16.84 |
| | 13,40.51 | 0.00 | 0.00 | 13,40.51 | 11,94.91 |
| जोड़ - 01 | | | | | |
| 02- समाज कल्याण - | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 1,69.25 | 0.00 | 0.00 | 1,69.25 | 1,65.81 |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | 1,03.79 | 89,48.32 | 0.00 | 90,52.11 | 59,02.13 |
| 102- बाल कल्याण | 0.00 | 1,02,32.01 | 1,21,93.46 | 2,24,25.47 | 2,06,28.81 |
| 103- महिला कल्याण | 24.74 | 1,64,04.34 | 9,53.78 | 1,73,82.86 | 1,08,75.50 |
| 104- वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण | 0.00 | 14,23.20 | 0.00 | 14,23.20 | |
| 106- सुधारक सेवाएं | 5,71.37 | 1,72.38 | 0.00 | 7,43.75 | 5,97.97 |
| 200- अन्य कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 31,49.71 | 0.00 | 31,49.71 | 17,46.05 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 4,18,58.19 | 1,36,17.95 | 5,54,76.14 | 3,94,33.20 |
| | 8,69.15 | 8,21,88.15 | 2,67,65.19 | 10,98,22.49 | 7,93,49.47 |
| जोड़ - 02 | | | | | |
| | | | | | 38.40 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | योजना | | | |
| | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | (₹ लाख में) | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (छ) सामाज कल्याण तथा पोषण - क्रमशः | | | | | |
| 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - क्रमांत | | | | | |
| 03- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - | | | | | |
| 101- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 0.00 | 8,23,41.36 | 1,75,85.92 | 9,99,27.28 | 5,15,02.05 |
| 102- राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना | 0.00 | 0.00 | 2,14.20 (*) | 2,14.20 | 2,69.70 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,56,79.63 | 54,93.06 | 3,12,94.69 | 1,61,10.15 |
| | | | 1,22.00 (*) | | 94.25 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 8,81,44.81 | 1,73,02.87 | 10,58,75.08 | 5,57,22.70 |
| | | | 4,27.40 (*) | | 90.00 |
| जोड़ - 03 | 0.00 | 19,61,65.80 | 4,03,81.85 | 23,73,11.25 | 12,36,04.60 |
| | | | 7,63.60 (*) | | 91.99 |
| 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - | | | | | |
| 102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन | 6,50.08 | 0.00 | 0.00 | 6,50.08 | 7,65.47 |
| 200- अन्य कार्यक्रम | 19,76.86 | 0.00 | 0.00 | 19,76.86 | 26,36.03 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,74.75 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 12,29.05 |
| | | | 0.00 | 26,51.43 | 48,05.30 |
| जोड़ - 60 | 26,26.94 | 24.49 | 0.00 | 26,51.43 | 48,05.30 |
| जोड़ - 2235 | | | 6,71,47.04 | | |
| | 48,36.60 | 27,83,78.44 | 7,63.60 (*) | 35,11,25.68 | 20,89,54.28 |
| वेतन | 1,00,98.03 | | | सहायक अनुदान | 1,17,10.32 |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | |
| | | | | वास्तविकी 2018-19 |
| | | | | (₹ लाख में) |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | |
| (छ) सामाज कल्याण तथा पोषण - क्रमशः | | | | |
| 2236- पोषण - | | | | |
| 02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण - | | | | |
| 101- विशेष पोषण कार्यक्रम | 0.00 | 1,04,38.00 | 1,00,67.31 | 2,05,05.31 2,57,03.47 (-)20.22 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 25,00.14 | 25,99.08 | 50,99.22 57,47.20 (-)11.27 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 90,47.41 | 89,62.88 | 1,80,10.29 2,32,96.29 (-)22.69 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 2,19,85.55 | 2,16,29.27 | 4,36,14.82 5,47,46.96 (-)20.33 |
| जोड़ - 2236 | 0.00 | 2,19,85.55 | 2,16,29.27 | 4,36,14.82 5,47,46.96 (-)20.33 |
| 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - | | | | |
| 01- सूखा | | | | |
| 101- अनुग्रहिक राहत | 38,27.86 | 0.00 | 0.00 | 38,27.86 2,07.11 100.00 |
| 102- पीने के पानी की पूर्ति | 1,09,68.24 | 0.00 | 0.00 | 1,09,68.24 22,59.77 385.37 |
| जोड़ - 01 | 1,47,96.10 | 0.00 | 0.00 | 1,47,96.10 24,66.88 499.79 |
| 02- बाढ़, चक्रवात आदि | | | | |
| 101- अनुग्रहिक राहत | 1,29.20 | 0.00 | 0.00 | 1,29.20 5,49.10 (-)76.47 |
| 113 घर की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए सहायता | 2,24.03 | 0.00 | 0.00 | 2,24.03 2,37.49 (-)5.67 |
| 114- कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 9.86 31.65 (-)68.85 |
| जोड़ - 02 | 3,63.09 | 0.00 | 0.00 | 3,63.09 8,18.24 (-)55.63 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण - क्रमांत | | | | | | |
| 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - क्रमांत | | | | | | |
| 05- राज्य आपदा मोचन निधि | 0.00 | 55,25.00 | 1,65,75.00 | 2,21,00.00 | 4,21,00.00 | (-)47.51 |
| 101- आरक्षित निधि और जमा लेखों का अन्तरण - राज्य आपदा मोचन निधि | 2,14,09.96 | 0.00 | 0.00 | 21,409.96 | 41,95.00 | 4,10.37 |
| 901- घटाएं - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि | | | | | | |
| जोड़ - 05 | (-)2,14,09.96 | 55,25.00 | 1,65,75.00 | 6,90.04 | 3,79,05.00 | (-)98.18 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 001- निदेशन एवं प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | (-)100.00 |
| 101- विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केंद्र | 10,45.61 | 0.00 | 0.00 | 10,45.61 | 44.31 | 2259.76 |
| 102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 52,28.78 | 0.00 | 0.00 | 52,28.78 | 14,22.34 | 267.62 |
| 796- आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 80 | 62,74.39 | 0.00 | 0.00 | 62,74.39 | 14,69.48 | 326.98 |
| जोड़ - 2245 | 23.62 | 55,25.00 | 1,65,75.00 | 2,21,23.62 | 4,26,59.60 | (-)48.14 |
| वेतन | 0.00 | | 0.00 | | सहायक अनुदान | 47,06.47 |
| | | | 10,53,53.31 | | | |
| जोड़-(छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 48,60.22 | 30,58,88.99 | 7,63.60 (*) | 41,68,64.12 | 30,63,60.84 | 36.07 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--|----------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| ख- सामाजिक सेवाएं - क्रमांत | | | | | | |
| (ज) अन्य - | | | | | | |
| 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ | | | | | | |
| 101- धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | 18.50 | 130.59 |
| 102- धार्मिक तथा पूत अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 4.54 | 225.99 |
| 103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रख-रखाव | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 7.09 | 15.09 |
| जोड़ - 2250 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 30.13 | 117.79 |
| वेतन | 11.47 | | | | सहायक अनुदान | 38.67 |
| 2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ | | | | | | |
| 090- सचिवालय | 30,74.22 | 0.00 | 0.00 | 30,74.22 | 31,45.50 | (-)2.27 |
| जोड़ - 2251 | 30,74.22 | 0.00 | 0.00 | 30,74.22 | 31,45.50 | (-)2.27 |
| वेतन | 26,79.90 | | | | | |
| जोड़ (ज) अन्य | 31,39.84 | 0.00 | 0.00 | 31,39.84 | 31,75.63 | (-)1.13 |
| जोड़-ख-सामाजिक सेवाएँ | 72,43,33.25 | 95,58,20.86 | 11,06,28.15 (*) | 2,14,47,87.80 | 1,87,86,02.57 | 14.17 |
| | | | 35,40,24.54 | | | |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|--|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और केन्द्रांश (राज्यांश) | केन्द्रांश (केन्द्रांश)/ केन्द्रांश | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | | | | | | |
| 2401- फसल कृषि-कर्म | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 2,64.79 | 0.00 | 0.00 | 2,64.79 | 2,49.46 | 6.15 |
| 102- खाद्यान्न फसलें | 21,90.57 | 17,06.11 | 7,03.38 | 46,00.06 | 35,22.54 | 30.59 |
| 103- बीज | 3,46.59 | 0.00 | 0.00 | 3,46.59 | 3,83.93 | (-)9.73 |
| 104- कृषि फार्म | 0.00 | 6,02,66.07 | 0.00 | 6,02,66.07 | 2,64.25 | 227.06 |
| 105- खाद तथा उर्वरक | 1,22.46 | 20,85.61 | 0.00 | 22,08.07 | 16,48.38 | 33.95 |
| 107- वनस्पति रक्षण | 7,87.42 | 0.00 | 0.00 | 7,87.42 | 7,61.97 | 3.34 |
| 108- वाणिज्यिक फसलें | 1,24.41 | 23,89.39 | 0.00 | 25,13.80 | 10,78.97 | 132.98 |
| 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | 62,45.16 | 25,52.80 | 19,18.16 | 1,07,16.12 | 86,10.49 | 24.45 |
| 113- कृषि इंजिनियरिंग | 0.00 | 9,79.25 | 0.00 | 9,79.25 | 15,11.36 | (-)35.21 |
| 114- तिलहन का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.93 | (-)100.00 |
| 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें | 5,48.81 | 12,93.29 | 0.00 | 18,42.10 | 11,16.23 | 65.03 |
| 789- अनुसूचित जातियों लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,35,06.72 | 9,18.04 | 2,46,09.01 | 32,45.13 | 658.34 |
| | | | 1,84.25 (*) | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 7,14,59.18 | 70,41.69 | 7,85,00.87 | 2,29,69.76 | 241.76 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 5,28.17 | 8,74.83 | 14,03.00 | 13,43.26 | 4.45 |
| जोड़ - 2401 | 1,06,30.21 | 16,67,66.59 | 1,14,56.10 | 18,90,37.15 | 4,67,73.66 | 304.15 |
| | | | 1,84.25 (*) | | | |
| वेतन | 82,81.65 | | सब्सिडी | 17,45,71.53 | सहायक अनुदान | 23,06.90 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|----------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - क्रमशः | | | | | |
| 2402- मृदा तथा जल संरक्षण | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 99.66 | 3.60 |
| 101- मृदा-सर्वेक्षण तथा परीक्षण | 2,48.80 | 0.00 | 0.00 | 2,48.80 | 36.09 |
| 102- मृदा संक्षण | 11,24.23 | 4,15.69 | 0.00 | 15,39.92 | (-)58.76 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,61.86 | 0.00 | 1,61.86 | (-)82.63 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 14,74.48 | 0.00 | 14,74.48 | (-)72.41 |
| जोड़ - 2402 | 14,72.69 | 20,52.03 | 0.00 | 35,24.72 | (-)65.74 |
| वेतन | 13,60.88 | | सब्सिडी | 20,52.02 | |
| 2403- पशु-पालन- | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 15,24.45 | 32.10 | 0.00 | 15,56.55 | (-)6.18 |
| 101- पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य | 76,92.73 | 34,83.14 | 65.83 | 1,12,41.70 | 17.91 |
| 102- पशु तथा भैंस विकास | 23,72.58 | 0.00 | 0.00 | 23,72.58 | (-)0.48 |
| 103- कुक्कुट विकास | 2,80.53 | 0.00 | 0.00 | 2,80.53 | (-)7.03 |
| 104- भेड़ तथा ऊन विकास | 2,18.47 | 0.00 | 0.00 | 2,18.47 | 5.59 |
| 105- सूअर बाड़ा विकास | 7,04.77 | 0.00 | 0.00 | 7,04.77 | (-)6.28 |
| 106- अन्य पशुधन विकास | 0.00 | 1,52.45 | 0.00 | 1,52.45 | (-)40.33 |
| 107- चारा तथा चारागाह विकास | 1,04.50 | 0.00 | 0.00 | 1,04.50 | 4.02 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - क्रमशः | | | | | | |
| 2403- पशु-पालन - क्रमांत | 4,69.06 | 0.00 | 0.00 | 4,69.06 | 4,83.58 | (-)3.00 |
| 113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी | 0.00 | 10,78.77 | 1,18.33 | 11,97.10 | 97.08 | 1133.11 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 21,96.45 | 0.00 | 21,96.45 | 8,96.14 | 145.10 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| जोड़ - 2403 | 1,34,55.85 | 70,19.82 | 1,84.16 | 2,06,59.83 | 1,68,35.61 | 22.72 |
| वेतन | 1,33,73.87 | | सब्सिडी | 52,16.61 | सहायक अनुदान | 0.00 |
| 2404- डेरी विकास | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 1,67.80 | 0.00 | 0.00 | 1,67.80 | 2,02.41 | (-)17.10 |
| 102- डेरी विकास परियोजनाएं | 8,22.72 | 29,83.14 | 0.00 | 38,05.86 | 85,20.81 | (-)55.33 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 5,51.42 | 0.00 | 5,51.42 | 17,80.94 | (-)69.04 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 13,54.37 | 0.00 | 13,54.37 | 37,95.33 | (-)64.31 |
| जोड़ - 2404 | 9,90.52 | 48,88.93 | 0.00 | 58,79.45 | 1,42,99.49 | (-)58.88 |
| वेतन | 8,35.12 | | सब्सिडी | 46,07.02 | सहायक अनुदान | 0.00 |
| 2405- मछली पालन - | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 13,95.78 | 0.00 | 0.00 | 13,95.78 | 14,22.50 | (-)1.88 |
| 101- अंतर्देशीय मछली पालन | 0.00 | 18,36.91 | 3,57.27 | 21,94.18 | 18,31.12 | 19.83 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 3,84.80 | 79.49 | 4,64.29 | 4,68.38 | (-)0.87 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 15,52.15 | 2,62.42 | 18,14.57 | 16,54.32 | 9.69 |
| जोड़ - 2405 | 13,95.78 | 37,73.86 | 6,99.18 | 58,68.82 | 53,76.32 | 9.16 |
| वेतन | 12,03.91 | | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|----------------------|--|
| | योजना | | जोड़ | | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - क्रमशः | | | | | | |
| 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी - | | | | | | |
| 01- वानिकी - | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 47,66.79 | 0.00 | 0.00 | 47,66.79 | 48,18.70 | (-)1.08 |
| 003- शिक्षा तथा प्रशिक्षण | 2,97.40 | 0.00 | 0.00 | 2,97.40 | 2,78.92 | 6.63 |
| 004- अनुसंधान | 4,24.54 | 0.00 | 0.00 | 4,24.54 | 4,28.53 | (-)0.93 |
| 005- वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग | 4,20.82 | 0.00 | 0.00 | 4,20.82 | 4,16.17 | 1.12 |
| 070- संचार तथा भवन | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.25 | 53.85 |
| 101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | 1,48,35.07 | 1,19,97.46 | 0.00 | 2,68,32.53 | 2,58,15.85 | 3.94 |
| 102- समाज तथा फार्म वानिकी | 0.00 | 34,22.88 | 2,26.98 | 36,49.86 | 32,33.33 | 12.88 |
| 110- भूतपूर्व जमींदारी वन सम्पदाओं के प्रबंध पर व्यय | 0.00 | 59.48 | 88.33 | 1,47.81 | 1,15.56 | 27.91 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 59,33.91 | 96.24 | 60,30.15 | 60,89.74 | (-)0.98 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 1,08,28.15 | 88.75 | 1,09,16.90 | 82,06.72 | 33.02 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 1,21.25 | 0.00 | 1,21.25 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 01 | 2,07,49.62 | 3,23,63.13 | 5,00.30 | 5,36,13.05 | 4,94,06.77 | 8.51 |
| 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन | | | | | | |
| 110- वन्य जीव परिरक्षण | 16,37.82 | 4,30.59 | 5,03.83 | 25,72.24 | 25,03.32 | 2.75 |
| जोड़ - 02 | 16,37.82 | 4,30.59 | 5,03.83 | 25,72.24 | 25,03.32 | 2.75 |
| | | | 0.00 | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|--|---|--|
| | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | जोड़ के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - क्रमशः | | | | |
| 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी - क्रमांत | 0.00 | 1,46,98.64 | 0.00 | 1,46,98.64 |
| 04- वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास | | | | |
| 103- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण | | | | |
| 904- घटायें-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की राशि | 1,46,98.64 | 0.00 | 0.00 | 1,46,98.64 |
| जोड़ - 04 | (-)1,46,98.64 | 1,46,98.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 2406 | 76,88.80 | 4,74,92.36 | 10,04.13 | 5,61,85.29 |
| वेतन | 2,01,17.93 | | | 5,19,10.09 |
| | | | | सहायक अनुदान |
| | | | | 23,00.00 |
| 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा - | | | | |
| 01- फसल कृषि-कर्म - | | | | |
| 004- अनुसंधान | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 43.93 |
| 277- शिक्षा | 76,06.22 | 0.00 | 0.00 | 76,06.22 |
| जोड़ - 01 | 76,50.15 | 0.00 | 0.00 | 76,50.15 |
| | | | | 74,08.09 |
| 80- सामान्य | | | | |
| 277- शिक्षा | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 10,00.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 38,47.00 | 0.00 | 38,47.00 |
| जोड़ - 80 | 0.00 | 48,47.00 | 0.00 | 48,47.00 |
| जोड़ - 2415 | 76,50.15 | 48,47.00 | 0.00 | 1,24,97.15 |
| वेतन | 2,00.64 | | | 1,65,55.09 |
| | | | | सहायक अनुदान |
| | | | | 1,22,88.26 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े - | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|---|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप - क्रमांत | | | | | |
| 2425- सहाकारिता - | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 37,28.24 | 0.00 | 37,28.24 | 41,42.01 | (-)9.99 |
| 003- प्रशिक्षण | 96.71 | 0.00 | 96.71 | 93.37 | 3.58 |
| 004- अनुसंधान तथा मूल्यांकन | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 20.87 | (-)24.34 |
| 101- सहाकारी समितियों की लेखापरीक्षा | 17,83.59 | 0.00 | 17,83.59 | 18,80.36 | (-)5.15 |
| 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,00.00 | (-)100.00 |
| 108- अन्य सहाकारी समितियों को सहायता | 4,48.59 | 1,18.90 | 5,67.49 | 4,83.20 | 17.44 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,30.90 | (-)100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,25.09 | 1,25.09 | 44,82.78 | (-)97.21 |
| जोड़ - 2425 | 60,72.92 | 2,43.99 | 63,16.91 | 1,57,33.49 | (-)59.85 |
| वेतन | 60,26.84 | | | सहायक अनुदान | 2,43.99 |
| 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | | |
| 01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण - | | | | | |
| 102- श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं | 2,36.52 | 1,20.00 | 3,56.52 | 6,42.78 | (-)44.53 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 38.39 | 38.39 | 49.56 | (-)22.54 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,95.99 | 1,95.99 | 4,85.24 | (-)59.61 |
| जोड़ - 01 | 2,36.52 | 3,54.38 | 5,90.90 | 11,77.58 | (-)49.82 |
| जोड़ - 2435 | 2,36.52 | 3,54.38 | 5,90.90 | 11,77.58 | (-)49.82 |
| वेतन | 2,33.16 | | सब्सिडी | सहायक अनुदान | 0.00 |
| | | | 1,33,43.57 | | |
| जोड़ (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप | 4,95,93.44 | 23,74,38.96 | 1,84.25 (*) | 30,05,60.22 | 17,89,49.85 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास | | | | | | |
| 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम - | | | | | | |
| 02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम - | | | | | | |
| 101- लघु सिंचाई | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 10,00.00 | 33,71.67 | (-)70.34 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,96.67 | (-)100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 82.89 | 0.00 | 82.89 | 7,95.32 | (-)89.58 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 82.89 | 10,00.00 | 10,82.89 | 49,63.66 | (-)78.18 |
| 06- स्वरोजगार कार्यक्रम - | | | | | | |
| 101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | 0.00 | 1,72,82.78 | 1,18,94.96 | 2,91,77.74 | 1,85,58.23 | 57.22 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 60,94.91 | 68,28.88 | 1,29,23.79 | 1,20,06.08 | 7.64 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 1,14,84.90 | 55,06.32 | 1,69,91.22 | 1,21,72.54 | 39.59 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 1,47.43 | 4,46.06 | 5,93.49 | 8,36.45 | (-)29.05 |
| जोड़ - 06 | 0.00 | 3,50,10.02 | 2,46,76.22 | 5,96,86.24 | 4,35,73.30 | 36.98 |
| जोड़ - 2501 | 0.00 | 3,50,92.91 | 2,56,76.22 | 6,07,69.13 | 4,85,36.96 | 25.20 |
| वेतन | 12.31 | | | | सहायक अनुदान | 5,97,25.95 |
| 2505- ग्राम रोजगार | | | | | | |
| 01- राष्ट्रीय कार्यक्रम - | | | | | | |
| 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना | 0.00 | 7,81,98.61 | 4,90,44.00 | 12,72,42.61 | 11,30,75.08 | 12.53 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,35,00.00 | 4,43,28.28 | 5,78,28.28 | 4,68,81.05 | 23.35 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 5,89,68.82 | 6,36,35.58 | 12,26,04.40 | 10,86,99.87 | 12.79 |
| जोड़ - 01 | 0.00 | 15,06,67.43 | 15,70,07.86 | 30,76,75.29 | 26,86,56.00 | 14.52 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) | | |
|--|---|---|--------------------|----------------------|--|---|--------------------|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | | | | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास - क्रमशः | | | | | | | |
| 2505- | ग्राम रोजगार - क्रमांत | | | | | | |
| 02- | ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | | | | | | |
| 101- | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 0.00 | 43,33.55 | 1,62,03.80 | 2,05,37.35 | 3,46,07.99 | (-)40.66 |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 13,26.22 | 49,60.34 | 62,86.56 | 1,04,95.71 | (-)40.10 |
| 796- | जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | 0.00 | 31,89.85 | 1,19,04.82 | 1,50,94.67 | 2,54,35.05 | (-)40.65 |
| जोड़ - 02 | | 0.00 | 88,49.62 | 3,30,68.96 | 4,19,18.58 | 7,05,38.75 | (-)40.57 |
| जोड़ - 2505 | | 0.00 | 15,95,17.05 | 19,00,76.82 | 34,95,93.87 | 33,91,94.75 | 3.07 |
| वेतन | | 17,89.33 | | | | सहायक अनुदान | 34,77,25.10 |
| 2515- | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- | | | | | | |
| 001- | निदेशन तथा प्रशासन | 2,83,67.68 | 14,96.04 | 0.00 | 2,98,63.72 | 3,31,87.48 | (-)10.02 |
| 003- | प्रशिक्षण | 3,53.09 | 0.00 | 0.00 | 3,53.09 | 3,66.51 | (-)3.66 |
| 101- | पंचायती राज | 12,51.64 | 0.00 | 0.00 | 12,51.64 | 11,69.69 | 7.01 |
| 102- | सामुदायिक विकास | 2,59,85.12 | 1,31,50.59 | 72,85.85 | 4,64,21.56 | 14,85,51.83 | (-)68.75 |
| 196- | जिला परिषद/जिला स्तर पंचायतों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.14 | (-)100.00 |
| 198- | ग्राम पंचायतों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,36,71.00 | 6,15,97.70 | 263.12 |
| | | | | | | | 22,36,71.00 (*) |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास - क्रमांत | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 29,98.46 | 10,20.00 | 40,18.46 | 23,75.68 | 69.15 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 3,58,72.88 | 3,54,62.68 | 7,13,35.56 | 10,80,82.61 | (-)34.00 |
| | | | 4,37,68.53 | | | |
| जोड़ - 2515 | 5,59,57.53 | 5,35,17.97 | 22,36,71.00 (*) | 37,69,15.03 | 35,54,31.64 | 6.04 |
| वेतन | 4,82,56.36 | | | | सहायक अनुदान | 31,80,73.12 |
| | | | 25,95,21.57 | | | |
| जोड़ (ख) ग्राम विकास | 5,59,57.53 | 24,81,27.93 | 22,36,71.00 (*) | 78,72,78.03 | 74,31,63.35 | 5.94 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | | | | | | |
| 2700- मुख्य सिंचाई- | | | | | | |
| 01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक | 1,59,12.15 | 0.00 | 0.00 | 1,59,12.15 | 1,65,41.48 | (-)3.80 |
| 001- निर्देशन तथा प्रशासन | 1,59,12.15 | 0.00 | 0.00 | 1,59,12.15 | 1,65,41.48 | (-)3.80 |
| | | | | 1,59,12.15 | 1,65,41.48 | (-)3.80 |
| वेतन | 1,56,82.35 | | | | | |
| 2701- मध्यम सिंचाई - | | | | | | |
| 03- मध्यम सिंचाई - वाणिज्यिक | 1,48,65.70 | 0.00 | 0.00 | 1,48,65.70 | 1,48,92.99 | (-)0.18 |
| 001- निर्देशन और प्रशासन | 1,48,65.70 | 0.00 | 0.00 | 1,48,65.70 | 1,48,92.99 | (-)0.18 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|--|-----------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण - क्रमांत | | | | | |
| 2701- मध्यम सिंचाई - | | | | | |
| 80- सामान्य | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 2,52.79 | 0.00 | 0.00 | 2,52.79 | 1,68.58 |
| | 2,52.79 | 0.00 | 0.00 | 2,52.79 | 1,68.58 |
| जोड़ - 80 | | | | | 49.95 |
| जोड़ - 2701 | 1,51,18.49 | 0.00 | 0.00 | 1,51,18.49 | 1,50,61.57 |
| वेतन | 1,48,90.54 | | | | |
| 2702- लघु सिंचाई- | | | | | |
| 01- सतही जल- | | | | | |
| 102- उत्थान सिंचाई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,05.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,04.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 01 | | | | | (-)100.00 |
| 02- भू-जल- | | | | | |
| 005- अन्वेषण | 75,33.06 | 0.00 | 0.00 | 75,33.06 | 77,30.04 |
| | 75,33.06 | 0.00 | 0.00 | 75,33.06 | (-)2.55 |
| जोड़ - 2702 | 75,33.06 | 0.00 | 0.00 | 75,33.06 | 77,30.04 |
| जोड़ - 2702 | 75,33.06 | 0.00 | 0.00 | 75,33.06 | 83,39.04 |
| वेतन | 73,98.32 | | | | |
| जोड़ - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 3,85,63.71 | 0.00 | 0.00 | 3,85,63.71 | 3,99,42.09 |
| | | | | | (-)3.45 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|--|-------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/के०से०स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ड) ऊर्जा - | | | | | |
| 2801- बिजली- | | | | | |
| 01- हाइडल उत्पादन | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 (-)100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,50.00 (-)100.00 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,50.00 (-)100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,00.00 (-)100.00 |
| जोड़ - 01 | | | | | |
| 05- संचरण तथा वितरण | | | | | |
| 052- मशीनरी तथा उपस्कर | 0.00 | 13,86.32 | 0.00 | 13,86.32 | 9,52.00 45.62 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 2,68.32 | 0.00 | 2,68.32 | 5,03.00 (-)46.66 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 5,81.36 | 0.00 | 5,81.36 | 10,90.00 (-)46.66 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,47.00 (-)100.00 |
| | 0.00 | 22,36.00 | 0.00 | 22,36.00 | 41,92.00 (-)46.66 |
| जोड़ - 05 | | | | | |
| 06- ग्रामीण विद्युतीकरण | | | | | |
| 052- मशीनरी तथा उपस्कर | 0.00 | 3,19,47.98 | 0.00 | 3,19,47.98 | 1,15,84.20 175.79 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 61,83.48 | 0.00 | 61,83.48 | 22,42.10 175.79 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 1,33,97.54 | 0.00 | 1,33,97.54 | 48,57.90 175.79 |
| | 0.00 | 5,15,29.00 | 0.00 | 5,15,29.00 | 1,86,84.20 175.79 |
| जोड़ - 06 | | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ड) ऊर्जा - क्रमांत | | | | | | |
| 2801- बिजली-क्रमांत | | | | | | |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 004- अनुसंधान तथा विकास | 0.00 | 7,28.35 | 0.00 | 7,28.35 | 22,51.50 | (-)67.25 |
| 101- विद्युत बोर्डों को सहायता | 13,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 13,50,00.00 | 10,94,95.00 | 23.29 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 9,50,00.00 | 0.00 | 9,50,00.00 | 11,19,00.00 | (-)15.10 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 80 | 13,50,00.00 | 9,57,28.35 | 0.00 | 23,07,28.35 | 22,36,46.50 | 3.17 |
| जोड़ - 2801 | 13,50,00.00 | 14,94,93.35 | 0.00 | 28,44,93.35 | 24,90,22.70 | 14.24 |
| | | | सब्सिडी | 13,50,00.00 | सहायक अनुदान | 14,92,65.00 |
| 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | | | | | | |
| 101- ग्रिड पारस्परिक प्रभावकारी और वितरित नवीकरणीय विद्युत | 0.00 | 47,50.00 | 0.00 | 47,50.00 | 59,99.70 | (-)20.83 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 41,25.00 | 0.00 | 41,25.00 | 49,99.75 | (-)17.50 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 66,25.00 | 0.00 | 66,25.00 | 89,99.55 | (-)26.39 |
| जोड़ - 2810 | 0.00 | 1,55,00.00 | 0.00 | 1,55,00.00 | 1,99,99.00 | (-)22.50 |
| | | | | | सहायक अनुदान | 1,55,00.00 |
| जोड़ - (ड) ऊर्जा | 13,50,00.00 | 16,49,93.35 | 0.00 | 29,99,93.35 | 26,90,21.70 | 11.51 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|----------------------|--|
| | योजना | | जोड़ | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | वास्तविकी 2018-19 | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - | | | | | |
| 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग - | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 2,45.29 | 0.00 | 0.00 | 2,45.29 | 3.94 |
| 102- लघु उद्योग | 11,56.02 | 44,97.86 | 0.00 | 56,53.88 | 353.34 |
| 103- हथकरघा उद्योग | 1,01.92 | 4,03.11 | 0.00 | 5,05.03 | 457.55 |
| 104- हस्तशिल्प उद्योग | 3,31.73 | 24,79.82 | 0.00 | 28,11.55 | 4.11 |
| 107- रेशम उत्पादन उद्योग | 11,39.67 | 5,52.39 | 0.00 | 16,92.06 | (-)5.16 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,10.80 | 0.00 | 1,10.80 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 0.00 | 50,23.38 | 0.00 | 50,23.38 | 7.52 |
| जोड़ - 2851 | 29,74.63 | 1,30,67.36 | 0.00 | 1,60,41.99 | 49.50 |
| वेतन | 28,38.29 | | | सहायक अनुदान | 1,07,68.59 |
| 2852- उद्योग - | | | | | |
| 80- सामान्य - | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 5,75.44 | 0.00 | 0.00 | 5,75.44 | (-)4.19 |
| 003- औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | 33.01 | 18.96 | 0.00 | 51.97 | 4.50 |
| 102- औद्योगिक उत्पादकता | 1,02.06 | 39,77.06 | 0.00 | 40,79.12 | (-)69.72 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 61,33.00 | 0.00 | 61,33.00 | 9.06 |
| जोड़ - 80 | 7,10.51 | 1,01,29.02 | 0.00 | 1,08,39.53 | (-)45.10 |
| जोड़ - 2852 | 7,10.51 | 1,01,29.02 | 0.00 | 1,08,39.53 | (-)45.10 |
| वेतन | 6,71.74 | | सब्सिडी | 12,32.31 | सहायक अनुदान |
| | | | | | 84,62.50 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| | योजना | जोड़ | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | वास्तविकी 2018-19 |
| | | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | |
| | | | (₹ लाख में) |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज - क्रमांत | | | |
| 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग - | 13,93.81 | 20,62.70 | 21,51.95 |
| 02- खानों का विनियमन तथा विकास - | 14,41.46 | 6,02.23 | 18,29.91 |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 28,35.27 | 26,64.93 | 39,81.86 |
| 102- खनिज अन्वेषण | 28,35.27 | 26,64.93 | 39,81.86 |
| | 25,46.51 | | 38.13 |
| जोड़ - 02 | 65,20.41 | 2,58,61.31 | 3,44,55.22 |
| जोड़ - 2853 | | | |
| वेतन | | | |
| जोड़ - (च) - उद्योग तथा खनिज | | | |
| (छ) परिवहन - | | | |
| 3053- नागर विमानन - | | | |
| 02- विमान पत्तन | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 0.00 | 10.78 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 14.02 | 0.00 |
| | 0.00 | 24.80 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | | | |
| | | | 100.00 |
| 80- सामान्य - | | | |
| 003- प्रशिक्षण तथा शिक्षा | 4,85.88 | 0.00 | 4,66.00 |
| | 4,85.88 | 0.00 | 4,66.00 |
| जोड़ - 80 | | | |
| जोड़ - 3053 | 4,85.88 | 24.80 | 4,66.00 |
| वेतन | 63.70 | | 9.59 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े - | | | | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|------------------------------|---|---|------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | जोड़ | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | (₹ लाख में) | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन - क्रमशः | | | | | | |
| 3054- सड़क तथा सेतु - | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 52.05 | (-)30.64 |
| 01- राष्ट्रीय राजमार्ग | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 52.05 | (-)30.64 |
| 337- सड़क निर्माण-कार्य | | | | | | |
| 03- राजकीय राजमार्ग - | 1,07,33.21 | 0.00 | 0.00 | 1,07,33.21 | 1,13,08.72 | (-)5.09 |
| 337- सड़क निर्माण-कार्य | 1,07,33.21 | 0.00 | 0.00 | 1,07,33.21 | 1,13,08.72 | (-)5.09 |
| 80- सामान्य - | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 1,34,73.37 | 0.00 | 0.00 | 1,34,73.37 | 1,39,58.85 | (-)3.48 |
| जोड़ - 80 | 1,34,73.37 | 0.00 | 0.00 | 1,34,73.37 | 1,39,58.85 | (-)3.48 |
| जोड़ - 3054 | 2,42,42.68 | 0.00 | 0.00 | 2,42,42.68 | 2,53,19.62 | (-)4.25 |
| वेतन | 1,31,39.04 | | | | | |
| 3055- सड़क परिवहन | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 3055 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | सहायक अनुदान | 2.98 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- सामाजिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन - क्रमांत | | | | | | |
| 3075- अन्य परिवहन सेवाएं - | | | | | | |
| 60- अन्य | | | | | | |
| 101- लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिये रेलवे को आर्थिक सहायता | 0.00 | 69,22.00 | 0.00 | 69,22.00 | 58,00.00 | 19.34 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 97,78.00 | 0.00 | 97,78.00 | 71,00.00 | 37.72 |
| जोड़ - 60 | 0.00 | 1,67,00.00 | 0.00 | 1,67,00.00 | 1,29,00.00 | 29.46 |
| जोड़ - 3075 | 0.00 | 1,67,00.00 | 0.00 | 1,67,00.00 | 1,29,00.00 | 29.46 |
| | | | | | सहायक अनुदान | 1,67,00.00 |
| जोड़ - (छ) परिवहन | 2,47,31.54 | 1,67,24.80 | 0.00 | 4,14,56.34 | 3,86,85.62 | 7.16 |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं - | | | | | | |
| 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं - | | | | | | |
| 090- सचिवालय | 57,89.83 | 0.00 | 0.00 | 57,89.83 | 54,36.23 | 6.50 |
| जोड़ - 3451 | 57,89.83 | 0.00 | 0.00 | 57,89.83 | 54,36.23 | 6.50 |
| वेतन | 51,29.50 | | | | | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|---|----------------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | (₹ लाख में) |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| 3452- पर्यटन - | | | | | | |
| 01- पर्यटन अवसरचना - | | | | | | |
| 101- पर्यटक केन्द्र | 20.73 | 11,10.00 | 0.00 | 11,30.73 | 1,70.76 | 562.17 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 5,01.15 | 0.00 | 5,01.15 | 3,97.90 | 25.95 |
| जोड़ - 01 | 20.73 | 16,11.15 | 0.00 | 16,31.88 | 5,78.66 | 182.01 |
| 80- सामान्य - | | | | | | |
| 001- निर्देशन तथा प्रशासन | 1,64.74 | 0.00 | 0.00 | 1,64.74 | 1,70.26 | (-)3.24 |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | 0.00 | 29,55.30 | 0.00 | 29,55.30 | 21,27.01 | 38.94 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 23,23.70 | 0.00 | 23,23.70 | 18,63.81 | 24.67 |
| जोड़ - 80 | 1,64.74 | 52,79.00 | 0.00 | 54,43.74 | 41,61.08 | 30.83 |
| जोड़ - 3452 | 1,85.47 | 68,90.15 | 0.00 | 70,75.62 | 47,39.74 | 49.28 |
| वेतन | 1,38.19 | | सब्सिडी | 1,00.00 | सहायक अनुदान | 40,75.89 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|----------------------------|---|---|-----------------|----------------------|--|
| | स्थापना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | | |
| 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | | | | | | |
| 01- जनगणना | | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 5,58.86 (*) | 5,58.86 | 59.03 | 846.74 |
| 101- जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण | 0.00 | 0.00 | 2,71.42 (*) | 2,71.42 | 0.00 | 100.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 0.00 | 9.28 (*) | 9.28 | 0.00 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 0.00 | 1,84.45 (*) | 1,84.45 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 01 | 0.00 | 0.00 | 10,24.01 (*) | 10,24.01 | 59.03 | 1634.73 |
| 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - | | | | | | |
| 204- केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन | 18,37.67 | 5.00 | 2,94.26 | 21,36.93 | 20,57.31 | 3.87 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 0.00 | 0.00 | 25.59 (*) | 25.59 | 34.41 | (-)25.63 |
| जोड़ - 02 | 18,37.67 | 5.00 | 2,94.26 | 21,62.52 | 20,91.72 | 3.38 |
| | | | 25.59 (*) | | | |
| | | | 2,94.26 | | | |
| जोड़ - 3454 | 18,37.67 | 5.00 | 10,49.60 (*) | 31,86.53 | 21,50.75 | 48.16 |
| वेतन | 17,06.16 | | | | सहायक अनुदान | 271.43 |

* के.से. स्कीम से सम्बद्ध

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं।

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आँकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/हास (-) |
|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| | स्थापना | योजना | | | |
| | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | के०प्रा०स्कीम (केन्द्रांश)/ के०से०स्कीम (*) | | (₹ लाख में) | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाएं - क्रमशः | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं - क्रमांत | | | | | |
| 3456- सिविल पूर्ति - | | | | | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | 28,27.90 | 0.00 | 28,27.90 | 28,57.88 | (-1.05) |
| 102- सिविल पूर्ति योजना | 0.00 | 4,38,26.93 | 4,38,26.93 | 4,09,98.58 | 6.90 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 0.00 | 1,36,00.82 | 1,36,00.82 | 1,06,11.00 | 28.18 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | 0.00 | 5,24,67.27 | 5,24,67.27 | 4,75,59.00 | 10.34 |
| जोड़ - 3456 | 28,27.90 | 10,98,95.02 | 11.53 (*) 11,27,34.45 | 10,20,26.46 | 10.50 |
| वेतन | 25,75.44 | | सब्सिडी 10,43,52.73 | सहायक अनुदान 1,00.61 | |
| 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | | | | | |
| 106- भार और माप का विनियमन | 3,08.87 | 0.00 | 3,08.87 | 3,02.15 | 2.22 |
| 201- भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 31.22 | 23.57 |
| जोड़ - 3475 | 3,47.45 | 0.00 | 3,47.45 | 3,33.37 | 4.22 |
| वेतन | 3,24.58 | | | | |
| जोड़ - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 1,09,88.31 | 11,67,90.17 | 2,94.26 12,91,33.87 | 11,46,86.55 | 12.60 |
| | | | 10,61.13 (*) | | |
| जोड़ - ग -आर्थिक सेवाएं | | | 27,31,59.40 | | |
| | 32,13,54.93 | 80,99,36.52 | 22,49,16.38 (*) | 1,62,93,67.23 | 14.83 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| शीर्ष | 2019-20 के वास्तविक आंकड़े | | जोड़ | वास्तविकी 2018-19 | वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिशत में वृद्धि (+)/ह्रास (-) |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--|
| | योजना | राज्य योजना और के०प्रा०स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) - क्रमशः | | | | (₹ लाख में) | |
| घ- अनुदान एवं सहायता | | | | | |
| 3604- स्थानीय निधि एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 1,22.10 | 0.00 | 1,22.10 | 0.00 | 100.00 |
| 200- अन्य विवध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन | 1,22.10 | 0.00 | 1,22.10 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - 3604 | | | | | |
| वेतन | 0.00 | | | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ घ - अनुदान एवं सहायता | 1,22.10 | 0.00 | 1,22.10 | 0.00 | 100.00 |
| जोड़ - व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 54,30,58.26 | 62,71,83.95 | 5,64,56,62.99 | 5,06,30,72.89 | 11.51 |
| | 2,33,99,10.63 | 1,79,98,84.63 | 33,56,25.52 (*) | | |
| जोड़ (वेतन, सब्सिडी एवं सहायक अनुदान - राजस्व लेखा) | वेतन ₹ 12,78,234.33 लाख | सब्सिडी ₹ 4,27,486.59 लाख | सहायक अनुदान ₹ 19,19,146.13 लाख | | |

(*) के०से० स्कीम से संबंधित है

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

विवरण संख्या 15 का व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(1) राजस्व लेखे पर व्यय :- राजस्व लेखे पर व्यय जो 2018-19 में ₹ 5,06,30.73 करोड़ था, 2019-20 में बढ़कर ₹ 5,64,56.63 करोड़ हो गया, ₹ 58,25.90 करोड़ की वृद्धि, मुख्यतः निम्नलिखित के अन्तर्गत हुआ :-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वृद्धि | मुख्य कारण |
|--|-----------------|----------|----------|--|
| | 2019-20 | 2018-19 | | |
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| 1 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ | 2,21.25 | 1,61.18 | 60.07 | अधिक व्यय मुख्यतः होमगार्ड के अंतर्गत हुआ। |
| 2 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग | 1,60.42 | 1,07.30 | 53.12 | अधिक व्यय मुख्यतः हथकरघा उद्योग एवं लघु उद्योग के अंतर्गत हुआ। |
| 3 3452- पर्यटन | 70.76 | 47.40 | 23.36 | अधिक व्यय मुख्यतः पर्यटक केंद्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता के अंतर्गत हुआ। |
| 4 2202- सामान्य शिक्षा | 93,05.71 | 72,88.31 | 20,17.40 | अधिक व्यय मुख्यतः अनौपचारिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम और जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 5 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 55.00 | 39.82 | 15.18 | अधिक व्यय मुख्यतः निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत हुआ। |
| 6 2401- फसल कृषि कर्म | 18,90.37 | 4,67.74 | 14,22.63 | अधिक व्यय मुख्यतः कृषि फार्म, वाणिज्यिक फसलें, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 7 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 35,11.26 | 20,89.54 | 14,21.72 | अधिक व्यय मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 8 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन | 25.41 | 14.48 | 10.93 | अधिक व्यय मुख्यतः राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, लेखा तथा कोषागार निदेशालय एवं कोषागार स्थापना के अंतर्गत हुआ। |
| 9 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 31.87 | 21.51 | 10.36 | अधिक व्यय मुख्यतः निदेशन तथा प्रशासन, जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटीकरण एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 10 2039- राज्य उत्पाद शुल्क | 30.53 | 21.99 | 8.54 | अधिक व्यय मुख्यतः निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत हुआ। |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 15 का व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

| लेखा का मुख्य शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | वृद्धि (₹ करोड़ में) | मुख्य कारण |
|---|-----------------|----------|-------------------------|--|
| | 2019-20 | 2018-19 | | |
| 11 2217- शहरी विकास | 25,16.93 | 19,02.30 | 6,14.63 | अधिक व्यय मुख्यतः नगर निगम को सहायता, नगर परिषद् को सहायता एवं नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता के अंतर्गत हुआ। |
| 12 2055- पुलिस | 49,01.01 | 43,76.36 | 5,24.65 | अधिक व्यय मुख्यतः बेतार और कंप्यूटर, जिला पुलिस एवं आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता के अंतर्गत हुआ। |
| 13 2051- लोक सेवा आयोग | 18.86 | 13.68 | 5.18 | अधिक व्यय मुख्यतः राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 14 2049- ब्याज अदायगियाँ | 53,07.71 | 48,51.97 | 4,55.74 | अधिक व्यय मुख्यतः बाजार कर्जों पर ब्याज एवं आंतरिक ऋण पर ब्याज के अंतर्गत हुआ। |
| 15 2801- बिजली | 28,44.93 | 24,90.23 | 3,54.70 | अधिक व्यय मुख्यतः अनुसंधान तथा विकास के अंतर्गत हुआ। |
| 16 2015- निर्वाचन | 3,51.24 | 1,05.63 | 2,45.61 | अधिक व्यय मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विधान मंडल के चुनाव कराने के अंतर्गत हुआ। |
| 17 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 37,69.15 | 35,54.32 | 2,14.83 | अधिक व्यय मुख्यतः ग्राम पंचायतों को सहायता के अंतर्गत हुआ। |
| 18 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 6,07.69 | 4,85.37 | 1,22.32 | अधिक व्यय मुख्यतः स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 19 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 1.22 | 0.00 | 1.22 | अधिक व्यय मुख्यतः अन्य विविध क्षतिपूर्ति और समनुदेशन के अंतर्गत हुआ। |
| 20 3456- सिविल पूर्ति | 11,27.35 | 10,20.27 | 1,07.08 | अधिक व्यय मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 21 2505- ग्राम रोजगार | 34,95.94 | 33,91.95 | 1,03.99 | अधिक व्यय मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक एवं योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 22 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ | 0.66 | 0.30 | 0.36 | अधिक व्यय मुख्यतः धार्मिक तथा पूर्ण अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान के अंतर्गत हुआ। |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

उपर्युक्त वृद्धि मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई हास से अंशतः प्रतिशतुलित हुई :-

| लेखा का मुख्य शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | हास | मुख्य कारण |
|--|-----------------|----------|---------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | | |
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| 1 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 2,21.24 | 4,26.60 | 2,05.36 | अल्प व्यय मुख्यतः अनुग्रहिक राहत, कृषि लागतों के क्रय के लिए कोसनों को सहायता एवं आरक्षित निधि जमा लेखों का अंतरण राज्य आपदा मोचन के अंतर्गत हुआ। |
| 2 2215- जल पूर्ति तथा सफाई | 6,55.47 | 13,79.57 | 7,24.10 | अल्प व्यय मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मल-जल सेवाएँ एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 3 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम | 5.91 | 11.78 | 5.87 | अल्प व्यय मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र उपयोग एवं श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ के अंतर्गत हुआ। |
| 4 2216- आवास | 12.79 | 17.23 | 4.44 | अल्प व्यय मुख्यतः आवास बोर्डों को सहायता एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत हुआ। |
| 5 2043- जिला प्रशासन | 3,95.67 | 6,95.81 | 3,00.14 | अल्प व्यय मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र उपयोग एवं अन्य व्यय के अंतर्गत हुआ। |
| 6 2075- विविध सामान्य सेवाएँ | 2.02 | 4.96 | 2.94 | अल्प व्यय मुख्यतः लघु शीर्ष विनियम द्वारा हानि के अंतर्गत हुआ। |
| 7 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 27,87.39 | 30,17.23 | 2,29.84 | अल्प व्यय मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना, होम्योपैथी एवं एलोपैथी के अंतर्गत हुआ। |
| 8 2203- तकनीकी शिक्षा | 3,71.73 | 4,91.93 | 1,20.20 | अल्प व्यय मुख्यतः अनुसंधान, तकनीकी विद्यालय, जनजातीय क्षेत्र उपयोग एवं बहुशिल्प विद्यालय के अंतर्गत हुआ। |
| 9 2236- पोषण | 4,36.15 | 5,47.47 | 1,11.32 | अल्प व्यय मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र उपयोग एवं विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। |
| 10 2211- परिवार कल्याण | 3.41 | 1,05.78 | 1,02.37 | अल्प व्यय मुख्यतः ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ एवं शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ के अंतर्गत हुआ। |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा का मुख्य शीर्ष | वास्तविक आंकड़े | | ह्रास | मुख्य कारण |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-------|--|
| | 2019-20 | 2018-19 | | |
| | (₹ करोड़ में) | | | |
| 11 2425- सहकारिता | 63.17 | 1,57.34 | 94.17 | अल्प व्यय मुख्यतः क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत हुआ। |
| 12 2852- उद्योग | 1,08.40 | 1,97.43 | 89.03 | अल्प व्यय मुख्यतः औद्योगिक उत्पादकता के अंतर्गत हुआ। |
| 13 2404- डेरी विकास | 58.80 | 1,43.00 | 84.20 | अल्प व्यय मुख्यतः अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, डेरी विकास परियोजनाएँ एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत हुआ। |
| 14 2402- मृदा तथा जल संरक्षण | 35.25 | 1,02.89 | 67.64 | अल्प व्यय मुख्यतः मृदा संरक्षण, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत हुआ। |
| 15 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | 1,55.00 | 1,99.99 | 44.99 | अल्प व्यय मुख्यतः ग्रिड पारस्परिक प्रभावकारी और वितरित नवीकरणीय विद्युत के अंतर्गत हुआ। |
| 16 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 1,24.97 | 1,65.55 | 40.58 | अल्प व्यय मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत हुआ। |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 15 का अनुबंध I

| शीर्ष | 2018-19 के वास्तविक आंकड़े | | | | जोड़ |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------|
| | स्थापना | राज्य योजना तथा सी.ए.एस.एस | सी.ए.ए | स.सी/सी.एस.एस. (*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | | | | |
| (क) सामान्य सेवाएं | 1,83,71,58.61 | 3,41,27.25 | 1,00.00 | 1,87,13,85.86 | |
| (ख) सामाजिक सेवाएं | 72,43,33.25 | 95,58,20.86 | 46,46,33.69 | 2,14,47,87.80 | |
| (ग) आर्थिक सेवाएं | 32,13,54.93 | 80,99,36.52 | 49,80,75.78 | 1,62,93,67.23 | |
| (घ) अनुदान एवं सहायता | 1,22.10 | 0.00 | 0.00 | 1,22.10 | |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 15 (*) का अनुबंध II

| क्रम संख्या | योजना का नाम जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान विमुक्त किया | आर.बी.आई. सी.एम./संस्वीकृति आदेशों के अनुसार शीर्ष 1601-06 के अन्तर्गत दर्ज राशि (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) | इन योजनाओं पर किये गए योजनागत व्यय (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) (#) | हास (-) / वृद्धि (+) |
|-------------|---|--|--|----------------------|
| (₹ लाख में) | | | | |
| 1 | समेकित बाल विकास आंगनवाड़ी सेवा समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) किशोरी बालिकाओं के लिए योजना मातृत्व लाभ कार्यक्रम कृषोन्नती योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 4,03,34.52 | 7,25,70.69 | 3,22,36.17 |
| 2 | हरित क्रांति | 1,74,27.36 | 1,25,77.56 | (-)48,49.80 |
| 3 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) ह्युमन रिसोर्स इन हेल्थ एण्ड मेडिकल स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन मल-जल एवं स्वच्छता - स्वच्छता सेवाएँ | 9,33,46.52 | 9,91,07.16 | 57,60.64 |
| 4 | राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.एल.एम.) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) | 9,82,21.74 | 18,83,93.83 | 9,01,72.09 |
| 5 | राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.एल.एम.) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) | 3,22,86.35 | 3,63,04.25 | 40,17.90 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 15 (*) का अनुबंध II

| क्रम संख्या | योजना का नाम जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान विमुक्त किया | आर.बी.आई. सी.एम./संस्वीकृति आदेशों के अनुसार शीर्ष 1601-06 के अन्तर्गत दर्ज राशि (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) | इन योजनाओं पर किये गए योजनागत व्यय (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) (#) | हास (-) / वृद्धि (+) |
|-------------|---|--|--|----------------------|
| | | (₹ लाख में) | | |
| 6 | प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी | 15,75,27.02 | 23,73,09.18 | 7,97,82.15 |
| 7 | अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (भूतपूर्व एम.एस.डी.पी.) | 51,51.13 | 4,53.54 | (-)46,97.59 |
| 8 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) न्यूनतम जल अधिक फसल त्वरित सिंचाई लाभ और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम समेकित जल विभाजन विकास कार्यक्रम | 1,95,86.10 | 1,79,56.85 | (-)16,29.25 |
| 9 | स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) | 65,76.88 | 1,05,60.13 | 39,83.25 |
| 10 | रोजगार एवं कौशल विकास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संकल्प द्वारा झारखण्ड कौशल विकास मिशन समाज (जे.एस.डी.एम.एस.) औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल को मजबूत करना (एस.टी.आर.आई.वी.ई.) | 6,99.61 | 3,62.48 | (-)3,37.13 |
| 11 | पर्यावरण, वाणिकी और वन्य जीवन जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन योजना वन्य जीवन का समेकित विकास | 19,09.49 | 4,60.08 | (-)14,49.41 |

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 15 (*) का अनुबंध II

| क्रम संख्या | योजना का नाम जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान विमुक्त किया | आर.बी.आई. सी.एम./संस्वीकृति आदेशों के अनुसार शीर्ष 1601-06 के अन्तर्गत दर्ज राशि (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) | इन योजनाओं पर किये गए योजनागत व्यय (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) (#) | हास (-) / वृद्धि (+) |
|-------------|---|--|--|----------------------|
| | | (₹ लाख में) | | |
| 12 | न्यायपालिकाओं के लिए ढांचागत सुविधाएँ (ग्राम ढांचागत सुविधाएँ न्यायालय एवं ई-कोर्ट सहित) | 13,74.00 | 38,26.67 | 24,52.67 |
| 13 | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम | 3,30,68.96 | 3,47,87.54 | 17,18.58 |
| 14 | पिछड़े वर्गों, विकलांगों एवं अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम | 61,78.85 | 41,57.91 | (-)20,20.94 |
| 15 | शहरी कार्याकल्प मिशन (ए.एम.आर.यू.टी. और स्मार्ट शहरी मिशन) | 4,21,94.64 | 5,64,30.31 | 1,42,35.67 |
| 16 | महिलाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन | 5,56.87 | 29.18 | (-)5,27.70 |
| 17 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 5,89,79.45 | 3,84,04.03 | (-)2,05,75.43 |

**15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमांत
विवरण संख्या 15 (*) का अनुबंध II**

| क्रम संख्या | योजना का नाम जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अनुदान विमुक्त किया | आर.बी.आई. सी.एम./ संस्वीकृति आदेशों के अनुसार शीर्ष 1601-06 के अन्तर्गत दर्ज राशि (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) | इन योजनाओं पर किये गए योजनागत व्यय (पूँजीगत योजनाओं के लिये सहायता सहित) (#) | ह्रास (-)/ वृद्धि (+) |
|-------------|--|---|--|-----------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| 18 | मध्याह्न भोजन कार्यक्रम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम | 3,23,10.90 | 8,09,74.01 | 4,86,63.11 |
| 19 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम, पाईप जलापूर्ति योजना (पी.डब्ल्यू.एस.) | 1,55,07.01 | 2,49,08.38 | 94,01.37 |
| 20 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 2,86,76.00 | 12,58,21.33 | 9,71,45.33 |
| 21 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई.) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 2,14,40.69 | 6,26,61.77 | 4,12,21.09 |
| 22 | अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना बंधु कल्याण योजना अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना : आदिवासी संस्थान को समर्थन | 1,80,80.34 | 41,05.89 | (-)1,39,74.45 |
| 23 | अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला योजना | 18,91.00 | 2,42.01 | (-)16,49.00 |
| 24 | श्वेत क्रांति राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना | 5,80.00 | 2,46.72 | (-)3,33.28 |
| जोड़ | | | 1,11,26,51.50 | 37,87,46.06 |

(*) सभी अम्ब्रेला योजनाओं के लिये ही डाटाबेस को संकलित किया गया।

(#) अम्ब्रेला योजना पर योजनागत व्यय में केन्द्र प्रायोजित योजना (केन्द्रांश) केन्द्र प्रायोजित योजना (राज्यांश) तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय शामिल है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | |
| 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 039- राज्य उत्पाद शुल्क | | | | | |
| झारखण्ड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन के लिए हिस्सा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राज्य उत्पाद भवन का निर्माण | 0.00 | 2,73.67 | 0.00 | 2,73.67 | 100.00 |
| जोड़ - 039 | 0.00 | 2,73.67 | 0.00 | 2,73.67 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| बन्दोबस्त कार्यालय भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कचहरी और दामिन बंगला का निर्माण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सयरात के अधीन हाट बाजार आदि का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राजस्व प्रशासन के सद्दीकरण के तहत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/तहसील कचहरी/दामिन बंगला/अंचल अधिकारी मुख्यालय का निर्माण/जीर्णोद्धार | 14,28.75 | 17,39.67 | 0.00 | 17,39.67 | 21.76 |
| राज्य उत्पाद भवन का निर्माण | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 796 | 17,28.75 | 17,39.67 | 0.00 | 17,39.67 | 1,05,11.89 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | |
| बन्दोबस्त कार्यालय, भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

इस विवरण में के.प्रा.स्कीम (राज्यांश), के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) और के.से.स्कीम क्रमशः केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश), केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को सूचित करते हैं। तारांकित (*) आंकड़े के.से.स्कीम. करे अंगित करता है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमशः | | | | | | |
| राजस्व प्रशासनान्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/जिर्णोद्धार | 37,36.92 | 0.00 | 42,66.05 | 0.00 | 1,23,81.63 | 14.16 |
| सयरात के अधीन हाट बाजार आदि का विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 37,36.92 | 0.00 | 42,66.05 | 0.00 | 1,44,91.23 | 14.16 |
| जोड़ - 4047 | 54,65.67 | 0.00 | 62,79.39 | 0.00 | 2,57,76.79 | 14.89 |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 207- राज्य पुलिस | | | | | | |
| कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी | 3,90.75 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 27,33.84 | (-77.83) |
| पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,51.31 | 0.00 |
| ए बन्दी वार्ड पेरीमीटर वाल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,80.62 | 0.00 |
| पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण | 21,10.00 | 0.00 | 31,24.55 | 30,00.00 | 61,24.55 | 190.26 |
| ए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण | 14,00.00 | 0.00 | 5,29.28 | 0.00 | 58,27.75 | (-62.19) |
| कारा कर्मियों के आवास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,90.38 | 0.00 |
| कारा भवनों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,99.48 | 0.00 |
| बाथिंग प्लेटफार्म, यूरिनल एवं शौचालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,31.48 | 0.00 |
| कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,94.04 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 207- राज्य पुलिस - क्रमशः | | | | | | |
| पारम्परिक ऊर्जा सोलर वायो गैस सहित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,63.96 | 0.00 |
| पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,46.37 | 0.00 |
| कारा उद्योग सुदृढीकरण एवं व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,85.82 | 0.00 |
| कारा परिसर की चारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,79.50 | 0.00 |
| कारा कर्मियों हेतु सामुदायिक व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.93 | 0.00 |
| एम्बुलेंस की व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,53.80 | 0.00 |
| प्रवेशन होम/हॉस्टल का निर्माण/प्रवेशन सेवाएं/ छात्रवास/बोस्टल स्कूल की व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.73 | 0.00 |
| अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
| राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सह सैनिक आरामगृह का निर्माण | 99.97 | 0.00 | 98.12 | 98.12 | 2,73.94 | (-)1.85 |
| अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता | 1,20,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,99,99.85 | 3,99,99.85 | 66.67 |
| पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय | 17,13.59 | 0.00 | 3,83.00 | 5,20.50 | 26,17.09 | (-)47.27 |
| राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण | 6,11.46 | 0.00 | 3,24.72 | 0.00 | 9,36.18 | (-)46.89 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 207- राज्य पुलिस - क्रमांत | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये या उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 207 | 1,83,25.77 | 0.00 | 45,46.30 | 2,10,18.58 | 2,80,66.65 | 9,90,89.79 |
| | | | | 25,01.77 (*) | | 53.15 |
| 211- पुलिस आवास | | | | | | |
| पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण | 40,28.26 | 46,43.95 | 0.00 | 0.00 | 46,43.95 | 4,55,74.57 |
| जोड़ - 211 | 40,28.26 | 46,43.95 | 0.00 | 0.00 | 46,43.95 | 4,55,74.57 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| वार मेमोरियल फेज -I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,16.03 |
| नये बंदी वार्ड/पेरिमीटर वाला निर्माण | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 |
| निर्माणाधीन बन्दी वार्ड को पूरा कराने हेतु प्रोबेशन होम/हॉस्टल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,10.46 |
| कारा उद्योगों का सुदृढीकरण एवं व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,61.74 |
| कारा परिसर का चारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,82.86 |
| कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,84.47 |
| पुलिस भवन का आधुनिकीकरण निर्माण | 87,51.54 | 0.00 | 89,55.54 | 0.00 | 89,55.54 | 3,53,19.00 |
| कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर्य घेराबंदी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,84.45 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|----------|---|------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - क्रमशः | | | | | | |
| कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,13.48 | 0.00 |
| कारा भवनों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,76.14 | 0.00 |
| पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण | 0.00 | 55,55.60 | 84,72.10 | 1,40,27.70 | 2,65,79.02 | 100.00 |
| बार्थिंग प्लेटफॉर्म, ग्रूनिंग तथा शौचालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,92.29 | 0.00 |
| कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौय घेराबंदी एवं चहारदीवारी एवं वाच टावर का निर्माण | 3,98.02 | 2,32.76 | 0.00 | 2,32.76 | 33,90.39 | (-41.52) |
| प्रोवेशन होम/हॉस्टल का निर्माण/प्रावेशन सेवाएं/ छात्रवास/बोस्टल स्कूल की व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |
| नये उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण | 0.00 | 12,00.00 | 0.00 | 12,00.00 | 25,11.30 | 100.00 |
| अपारंपारिक ऊर्जा सोलर/बायोगैस सहित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,93.85 | 0.00 |
| एम्बुलेंस की व्यवस्था (कारा अस्पताल का सुदृढीकरण) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,58.64 | 0.00 |
| बुडु, चाण्डील, चक्रधरपुर (नई योजना) में नये जेल भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 |
| कारा कर्मियों हेतु सामुदायिक व्यवस्था | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 0.00 |
| अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.16 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में सुद्विit आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|--|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - क्रमांत | | | | | | |
| राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सह सैनिक आरामगृह का निर्माण अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,99.77 | (-)100.00 |
| राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण | 1,40,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,33,33.15 | 3,73,33.15 | 66.67 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 6,16.95 | 0.00 | 2,02.83 | 0.00 | 8,19.78 | (-)67.12 |
| जोड़ - 796 | 2,39,66.30 | 0.00 | 1,61,46.73 | 3,18,05.25 | 11,74,76.98 | 100.08 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,92.97 | 0.00 |
| निर्माणार्थीन बंदी वार्ड को पूरा करने हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,36.35 | 0.00 |
| जेल का आधुनिकीकरण (केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,75.92 | 0.00 |
| नयी उपजलों का निर्माण एवं विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,78.43 | 0.00 |
| विडीओ कन्फरेंसिंग के इन्स्टोलेशन ई. गवरनेंस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,46.11 | 0.00 |
| जेल का आधुनिकीकरण (केंद्र प्र.यो. में राज्याश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,11.87 | 0.00 |
| जेल में महिला वार्ड तथा इन्व्लोजर दीवार का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,17.27 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमशः | | | | | | |
| जेल मुख्य द्वार की सुरक्षा हेतु फेंसिंग, दीवार तथा वाच टावर का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,45.06 | 0.00 |
| खुला जेल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.45 | 0.00 |
| बार्थिंग प्लेटफॉर्म यूरिनल तथा लेवाटरी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,11.51 | 0.00 |
| जेल उद्योगों का सुदृढीकरण एवं प्रबंध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,10.62 | 0.00 |
| जेल कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,89.49 | 0.00 |
| जेल भवनों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,29.46 | 0.00 |
| जेल होटवार, रॉची का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,08.00 | 0.00 |
| घाघीडीह में जेल कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 | 0.00 |
| पेरीमीटर दीवार का निर्माण तथा ऊँचीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,70.28 | 0.00 |
| जेल का आधुनिकीकरण (के.प्रा.यो. में राज्यांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,58.00 | 0.00 |
| जेल मुख्य द्वार की सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा चहारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20.00 | 0.00 |
| नये उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,89.20 | 0.00 |
| कारा परिसर का चहारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,46.96 | 0.00 |
| पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उपकरणों की खरीदारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,30.72 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | स्थापना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमांत | | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,80.88 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50,49.55 | 0.00 |
| जोड़ - 4055 | 4,63,20.33 | 46,43.95 | 2,06,93.03 | 5,28,23.83 | 8,06,62.58 | 28,71,90.89 | 74.14 |
| | | | | 25,01.77 (*) | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 01- कार्यालय भवन | | | | | | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | | | | | | | |
| श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण | 1,42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,83.98 | (-)100.00 |
| बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
| बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 0.00 |
| जोड़ - 001 | 1,42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,86.65 | (-)100.00 |
| 051- निर्माण | | | | | | | |
| भवन (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,85.09 | 0.00 |
| भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,70.66 | 0.00 |
| परिसदन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,34.70 | 0.00 |
| भवन (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,82.22 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिसूत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|--|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- कार्यालय भवन - क्रमशः | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,01.40 | 0.00 |
| 051- निर्माण - क्रमशः | | | | | | |
| हजारीबाग/डाल्टेनगंज में/भवन/पुलिस महानिरीक्षक के लिए भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,22.33 | 0.00 |
| कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,71.81 | 0.00 |
| 22 कोर्ट भवन चतरा का निर्माण/12 कोर्ट भवन मधुपुर का निर्माण इत्यादि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,04.01 | 0.00 |
| अनुमंडलीय आयुक्त/उपमहानिरीक्षक कार्यालय/विकास भवन/उप अनुमंडलीय प्रखंड कार्यालय/समाहरणालय कार्यपालक अभियंता के लिए भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,95.89 | 0.00 |
| आयुक्त सह उपमहानिरीक्षक अनुमण्डल कार्यालय महुआटांड/कार्यपालक अभियंता का कार्यालय बोकरो, लातेहार, बोकरो/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एवं निबंधक भवन जिला मुख्यालय में | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,94.96 | 0.00 |
| रामगढ़ में न्यायिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ए०, बी०, सी०, डी० प्रकार आवास/22 कोर्ट रामगढ़/ जिला मुख्यालय में सेवा सदन आदि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|--|--------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- कार्यालय भवन - क्रमशः | | | | | | |
| 051- निर्माण - क्रमांत | | | | | | |
| रामगढ़ में समाहरणालय/विकास भवन, बोकारो/रंका में अनुमण्डल कार्यालय/कार्यपालक अभियंता कार्यालय हजारीबाग एवं अन्य कार्यालय भवन कोर्ट भवन आवासीय/गैर आवासीय डी०जे०एस०डी०जे०एम० एवं पी०ओ० आवास रामगढ़/15 कोर्ट तेनुघाट/22कोर्ट चतरा/16 पी०ओ० आवास, हजारीबाग/गोड्डा एवं अन्य। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,18.88 | 0.00 |
| कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक | 9,21.29 | 0.00 | 10,48.67 | 99.21 | 11,47.88 | 24.59 |
| कार्यालय भवन/परिसर भवन कार्यालय भवनें प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/परामर्शी शुल्क | 67,08.37 | 0.00 | 60,59.85 | 0.00 | 60,59.85 | (-)9.67 |
| विद्युत कार्य प्रमंडल धनबाद के अन्तर्गत पुराने भवनों का जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.96 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| | 76,29.66 | 0.00 | 71,08.52 | 99.21 | 72,07.73 | (-)5.53 |
| जोड़ - 051 | 76,29.66 | 0.00 | 71,08.52 | 99.21 | 5,65,23.27 | (-)5.53 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|----------------|---------------------------|---|--|------|----------------------------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |

व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)

क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -

क्रमशः

01- कार्यालय भवन - क्रमशः

201- भूमि का अधिग्रहण

सरकारी-कार्यालय/भवन हेतु भूमि का अधिग्रहण

जोड़ - 201

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

अनुमंडल कार्यालय भवन एवं अन्य कार्यालय भवनों भवनें

परिसदन

परिसदन (नई योजना)

भवनें (चालू योजना)

भवनें (नई योजना)

जिला अतिथि गृह/अन्य परिसदन चाडिल बुंदु में अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कोल्हान आयुक्त कार्यालय भवन, चाईबासा, राँची समाहरणालय भवन फेज-1 का निर्माण इत्यादि।

राँची में नया सचिवालय भवन का निर्माण, स्टेट आरचिव, सचिवालय पुस्तकालय भवन का निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्यालय के लिए भवन निर्माण इत्यादि।

(₹ लाख में)

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 01- कार्यालय भवन - क्रमशः | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,54.79 | 0.00 |
| 201- भूमि का अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,54.79 | 0.00 |
| जोड़ - 201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,54.79 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,68.51 | 0.00 |
| अनुमंडल कार्यालय भवन एवं अन्य कार्यालय भवनें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,61.72 | 0.00 |
| परिसदन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,88.43 | 0.00 |
| परिसदन (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,94.52 | 0.00 |
| भवनें (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,63.55 | 0.00 |
| भवनें (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,71.52 | 0.00 |
| जिला अतिथि गृह/अन्य परिसदन चाडिल बुंदु में अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कोल्हान आयुक्त कार्यालय भवन, चाईबासा, राँची समाहरणालय भवन फेज-1 का निर्माण इत्यादि। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,16.03 | 0.00 |
| राँची में नया सचिवालय भवन का निर्माण, स्टेट आरचिव, सचिवालय पुस्तकालय भवन का निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्यालय के लिए भवन निर्माण इत्यादि। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,44.24 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभाषित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|----------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- कार्यालय भवन - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - क्रमशः | | | | | | |
| कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरेक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित कार्य | 15,61.69 | 0.00 | 27,14.08 | 10,01.14 | 37,15.22 | 1,65,49.60 |
| 12 कोर्ट भवन जामताड़ा/20 कोर्ट भवन घाटशिला का निर्माण कार्य इत्यादि। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,30.83 |
| कोर्ट भवन (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,02.13 |
| विभिन्न कोर्ट भवनों/आवासीय मुख्यालयों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.32 |
| विधानसभा में सिटिंग अरेंजमेंट/अनुमंडल कार्यालय सिमडेगा/राजमहल/खुंटी/सरायकेला में कार्यपालक अभियंता/दुमका एवं पाकुड़ में समाहरणालय भवन का निर्माण आदि। | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,09.37 |
| रांची में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु 8 आवास/पोरहर, चक्रधरपुर में न्यायिक भवन दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,31.90 |
| रांची में सी०बी०आई० न्यायालय भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,68.24 |
| समाहरणालय रांची/खुंटी/अनुमंडल कार्यालय जगन्नाथपुर/आयुक्त कार्यालय, चाईबासा/विधानसभा में निर्माण/कार्यपालक अभियंता भवन एवं अन्य कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,64.52 |
| कोर्ट भवन (आवासीय/गैर आवासीय) | 45,26.17 | 0.00 | 29,41.64 | 0.00 | 29,41.64 | 4,60,04.62 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- कार्यालय भवन - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - क्रमांत | | | | | | |
| निरूपण एवं परामर्शी सेवाएं | 50.89 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | (-)57.63 |
| श्रम कार्यालय भवनों का निर्माण | 34.64 | 0.00 | 47.88 | 0.00 | 47.88 | 38.22 |
| बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यालय भवन/परिसदन भवन कार्यालय भवनों | 1,29,26.66 | 0.00 | 2,26,80.60 | 0.00 | 2,26,80.60 | 75.46 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 1,91,00.05 | 0.00 | 2,84,05.76 | 10,01.14 | 2,94,06.90 | 53.96 |
| जोड़ - 01 | 2,68,72.70 | 0.00 | 3,55,14.28 | 11,00.35 | 3,66,14.63 | 36.25 |
| 60- अन्य | | | | | | |
| 051- निर्माण | | | | | | |
| भूमि अधिग्रहण | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 051 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,31.44 | (-)100.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| झारखण्ड सिविल सर्विसेस ऑफिसर्स संस्थान, राँची | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 | 0.00 |
| योजनागत भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,00.00 | 0.00 |
| प्रस्तावित चेक पोस्ट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,13.98 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,13.98 | 0.00 |
| जोड़ - 60 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,45.42 | (-)100.00 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 051- निर्माण | | | | | | |
| अन्य क्षेत्र उपयोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,25.07 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,76.19 | 0.00 |
| जोड़ - 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,01.26 | 0.00 |
| जोड़ - 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,01.26 | 0.00 |
| जोड़ - 4059 | 2,69,04.81 | 0.00 | 3,55,14.28 | 11,00.35 | 23,62,72.57 | 36.09 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण | | | | | |
| आई.एफ.एम.एस. - भर्सन 2.0 | 45.26 | 0.00 | 2,00.09 | 0.00 | 2,45.35 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
| | 45.26 | 0.00 | 2,00.09 | 0.00 | 2,65.04 |
| जोड़ - 003 | | | | | 342.09 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| विभिन्न जिलों में गैरेज मकान चहाखदीवारी, प्रशिक्षण केंद्र भवन, बैरेक, विद्युत, मोटर, जल पूर्ति लेवोटरी, पार्क, रिमांड होम/वाली इत्यादि का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,98.58 |
| रांची से जिला कमांडेंट, राँची के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के क्रय हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,77.56 |
| बहरागोड़ा में अग्नि शमन सह आवासीय भवन और धुर्बा में प्रशिक्षण केंद्र भवन का बकाया निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,51.67 |
| होमगार्ड-शहरी-मुख्य निर्माण कार्य चाईबासा जिला समादेष्टा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,94.13 |
| केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र नागरिक सुरक्षा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धुर्बा (रांची) में प्रशिक्षण विद्यालय भवन का शेष निर्माण कार्य हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18.43 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्विit आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| वाटर टैंडर अग्निशमन इंजन का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,65.00 | 0.00 |
| नई 02 अदद बोलेरो जीप का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
| केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा, राँची में स्नानागार एवं शौचालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 |
| मुख्य अनुदेशक के निवास के लिए डी० टाईप क्वार्टर का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, दुमका के लिए पेय जलापूर्ति आदित्यपुर (जमशेदपुर) में अग्निशामालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| भवन-सह-आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,09.91 | 0.00 |
| गृह रक्षावाहिनी कार्यालय गुमला के लिए चहारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00 |
| क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, दुमका में विद्युत आपूर्ति अग्नि शमन सेवा का सुदृढीकरण योजना | 2,00.00 | 1,60.35 | 0.00 | 1,60.35 | 3,60.35 | (-)19.83 |
| गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढीकरण योजना | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | (-)100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपए और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,31.08 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 2,36.00 | 1,60.35 | 0.00 | 1,60.35 | 33,20.03 | (-)32.06 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | स्थापना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमशः | | | | | | | |
| 4070- अन्त्य प्रशासनिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 800- अन्त्य व्यय | | | | | | | |
| अग्निशमन सेवा कार्यालय और झारखण्ड के विभिन्न जिलों/स्थानों में सम्बद्ध आवासीय भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,37.53 | 0.00 |
| होम गार्ड कार्यालय का चहारदीवारी निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | 0.00 |
| गिरिडीह में चहारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.53 | 0.00 |
| गिरिडीह में पहुँच पथ का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| हजारीबाग में चहारदीवारी का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.37 | 0.00 |
| शहरी होमगार्ड-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,09.63 | 0.00 |
| रिवैम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,04.00 | 0.00 |
| विभिन्न जिलों में गैरेज, मकान, चहारदीवारी प्रशिक्षण केंद्र भवन, बैरेक विद्युत, मोटर, जल पूर्ति, शौचालय, पार्क, रिमांड होम/नाली इत्यादि का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,98.60 | 0.00 |
| अग्निशमक सेवा कार्यालय और सम्बद्ध आवासीय भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,87.20 | 0.00 |
| झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गिरिडीह के नवनिर्मित भवन में विद्युत आपूर्ति की योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गिरिडीह के नवनिर्मित परिसर में नलकूप अधिष्ठापन की योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा के नवनिर्मित भवन में विद्युत आपूर्ति की योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढीकरण योजना | 1,31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,31.51 | (-)100.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| क- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमांत | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,47.38 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 1,31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,76.26 | (-)100.00 |
| जोड़ - 4070 | 4,12.77 | 0.00 | 3,60.44 | 0.00 | 91,61.33 | (-)12.68 |
| जोड़ - क | 7,91,03.58 | 46,43.95 | 6,28,47.14 | 5,39,24.18 | 12,39,17.04 | 55,84,01.58 |
| | | | | | 25,01.77 (*) | 56.65 |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा | | | | | | |
| 201- प्रारंभिक शिक्षा | | | | | | |
| प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,81.70 | 0.00 |
| जोड़ - 201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,81.70 | 0.00 |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | | | | | | |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,53.35 | 0.00 |
| राज्य में बी.एड. कॉलेज का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.49 | 0.00 |
| इन्दिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों हजारीबाग में भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,94.36 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा - क्रमशः | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य | | | | | |
| विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत आदर्श विद्यालय का निर्माण | | | | | |
| जोड़ - 202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष/घटक योजना | | | | | |
| कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बालिका विद्यालय निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत आदर्श विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राज्य में बी०एड० महाविद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,21,53.36 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,07.19 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 01- सामान्य शिक्षा - क्रमांत | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | |
| कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बालिका विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत आदर्श विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02- तकनीकी शिक्षा | | | | | |
| 103- तकनीकी विद्यालय | | | | | |
| खनन संस्थाओं/पोलिटेकनिक विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104- बहुशिल्प | | | | | |
| पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- तकनीकी शिक्षा - क्रमशः | | | | | | |
| 105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान | | | | | | |
| तकनीकी विश्वविद्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,55.40 | 0.00 |
| इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक/खनन संस्थाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,12,49.55 | 0.00 |
| तकनीकी शिक्षा संस्थानों का निर्माण | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क का निर्माण | 12,50.00 | 0.00 | 7,03.89 | 0.00 | 39,42.72 | (-)43.69 |
| भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,26.15 | 0.00 |
| तकनीकी शिक्षा संस्थान का निर्माण-नई पॉलिटेक्निक का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,87.04 | 0.00 |
| तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 2,14,59.66 | 0.00 | 1,56,35.06 | 0.00 | 7,55,43.36 | (-)27.14 |
| इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| स्टेट डाटा सेन्टर (भवन) का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,39.01 | 0.00 |
| प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-------------|--|--|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35.00 | 0.00 |
| 02- तकनीकी शिक्षा - क्रमशः | | | | | | |
| 105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-क्रमांत अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एवं करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 105 | 2,27,09.66 | 0.00 | 1,63,38.95 | 0.00 | 11,74,69.12 | (-)28.05 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा संस्थान का निर्माण तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पॉलिटेकनिक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,40.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,47.20 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा-संस्थापन का निर्माण इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलिटेकनिक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 93,51.36 | 0.00 | 69,84.86 | 0.00 | 3,68,24.37 | (-)25.31 |
| आई०आई०आई०टी० का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- तकनीकी शिक्षा - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-क्रमांत | | | | | | |
| आई०टी० पार्क का निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 | 0.00 |
| तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-17 नये पॉलिटेकनिक का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,01.51 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 93,51.36 | 0.00 | 69,84.86 | 0.00 | 3,86,46.08 | (-)25.31 |
| जोड़ - 02 | 3,20,61.02 | 0.00 | 2,33,23.81 | 0.00 | 16,22,66.82 | (-)27.25 |
| 03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं | | | | | | |
| 102- खेलकूद स्टेडियम | | | | | | |
| इंडोर स्टेडियम देवघर के निर्माण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,67.82 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 03- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 102- खेलकूद स्टेडियम-क्रमांत | | | | | | |
| जिला/ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम एवं खेल-कूद का निर्माण खेलकूद स्टेडियम का निर्माण एवं विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,40.29 | 0.00 |
| राष्ट्रीय खेल 2007 का आयोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,92.10 | 0.00 |
| बहुदेशीय सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,02.85 | 0.00 |
| खेल छात्रावास एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,40.00 | (-) 1,00.00 |
| खेलकूद संरचना, खेलकूद आवासिका एवं स्टेडियम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,19.00 | 0.00 |
| स्टेडियम/खेल तथा युवा छात्रावास, एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण | 13,07.69 | 0.00 | 8,49.99 | 0.00 | 27,82.68 | (-) 35.00 |
| प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय कमल क्लब मैदान का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 3,90.00 | 0.00 | 3,90.00 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,28.93 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 15,07.69 | 0.00 | 12,39.99 | 0.00 | 1,18,63.67 | (-) 17.76 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| | | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 03- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम एवं खेलकूद संरचना राष्ट्रीय खेल 2007 का आयोजन खेलकूद स्टेडियम का निर्माण एवं विकास अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,79.77 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,62.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,76.59 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,18.36 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | |
| बृहत् खेलकूद की सुरक्षा एवं रखरखाव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,85.00 | 0.00 |
| खेल छात्रावास एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण | 2,35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,95.50 | (-100.00) |
| खेलकूद स्टेडियम का निर्माण एवं विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,77.97 | 0.00 |
| एस्ट्रोर्टफ हॉकी स्टेडियम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,39.58 | 0.00 |
| स्टेडियम/खेल तथा युवा छात्रावास/स्वामी विवेकानंद स्मारक/एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण | 12,98.18 | 0.00 | 8,27.43 | 0.00 | 8,27.43 | 46,55.61 | (-36.26) |
| जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम एवं खेलकूद संरचना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,44.14 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 03- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - क्रमांत | | | | | | | |
| राष्ट्रीय खेल 2007 का आयोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,35,75.92 | 0.00 | 0.00 |
| खेल छात्रावास एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,99.70 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय खेल 2007 का आयोजन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
| बृहत् खेलकूद काम्पलेक्स एवं बिजली बिल की सुरक्षा एवं रखरखाव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,95.50 | 0.00 | 0.00 |
| जिला/प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स की अवसरचना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,17.51 | 0.00 | 0.00 |
| एन०सी०सी० प्रशासनिक भवन (नई योजना) का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कमल क्लब मैदानों का उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 3,95.00 | 0.00 | 3,95.00 | 100.00 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,01.55 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 15,33.68 | 0.00 | 12,22.43 | 0.00 | 12,22.43 | 7,53,96.83 | (-)20.29 |
| जोड़ - 03 | 30,41.37 | 0.00 | 24,62.42 | 0.00 | 24,62.42 | 9,12,78.86 | (-)19.04 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत | |
|--|---------------------------|-------------|---|--|---|----------------------------|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 04- कला तथा संस्कृति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101- ललित कला शिक्षा | | | | | | |
| सांस्कृतिक भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| सांस्कृतिक भवनों, संग्रहालय एवं एम०सी०सी० निर्माण, सुरक्षा | 3,00.00 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | 5,79.47 (-)91.71 | |
| जोड़ - 101 | 3,00.00 | 0.00 | 24.86 | 24.86 | (-)91.71 | |
| 789- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोग | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोग | | | | | | |
| संग्रहालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| सांस्कृतिक भवनों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बहुदेशीय सांस्कृतिक परिसर का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बहुदेशीय सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स (नई योजना) का सुरक्षा एवं मरम्मती | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| राज्य संग्रहालय सुरक्षा एवं मरम्मती | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 04- कला तथा संस्कृति - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - क्रमांत | | | | | | |
| सांस्कृतिक भवनों, संग्रहालय एवं एम०सी०सी० निर्माण, सुरक्षा | 2,36.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12,88.00 | (-99.15) |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,30.79 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 2,36.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 45,54.28 | (-99.15) |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,63.02 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,63.02 | 0.00 |
| जोड़ - 04 | 5,36.00 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 55,79.75 | (-94.99) |
| जोड़ - 4202 | 3,56,38.39 | 0.00 | 2,58,13.09 | 0.00 | 28,79,86.71 | (-27.57) |
| जोड़ - (क) | 3,56,38.39 | 0.00 | 2,58,13.09 | 0.00 | 28,79,86.71 | (-27.57) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखे | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ | | | | | |
| 109- विद्यालय स्वास्थ्य योजना | | | | | |
| फार्मसी-भवनों का जीर्णोद्धार (विशेष मरम्मत मेडिसिनल गार्डन एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नया फार्मसी स्थापना | 14,52.72 | 0.00 | 11,39.83 | 11,39.83 | 25,92.55 (-)21.54 |
| जमशेदपुर एवं साहेबगंज में 100 सीटों वाला जी.एन. एम. स्कूल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 109 | 14,52.72 | 0.00 | 11,39.83 | 11,39.83 | 35,26.80 (-)21.54 |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय | | | | | |
| भवन-पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| महात्मा गाँधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सदर में आवासीय क्वार्टर, सब-डिवीजन अस्पताल और रेफरल अस्पताल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्वास्थ्य निदेशालय (ड्रग्स एवं फूड सहित) भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वर्न यूनिट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वेयर हाउस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पोस्टमार्टम हाउस एवं मच्युरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखे - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय - क्रमशः | | | | | | |
| जिला अन्तर्गत खाद्य व औषधि हाउस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,61.16 | 0.00 |
| जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,92.26 | 0.00 |
| 500 शय्यावाला अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,04.61 | 0.00 |
| यक्ष्मा संचारी रोग केन्द्र इटकी प्रमंडलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,45.65 | 0.00 |
| स्टेट मेडिकल एवं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रक्यूमेंट कार्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| दुमका में क्षेत्रीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,92.56 | 0.00 |
| विभागीय मुख्यालय पर क्षेत्रीय अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,40.36 | 0.00 |
| सिविल सर्जन कार्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,11.54 | 0.00 |
| हेल्थ इन्फार्मेशन हेल्पलाईन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20.00 | 0.00 |
| नए एम्बुलेंस की खरीद (चालू खर्च सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,74.38 | 0.00 |
| नये ट्रॉमा सेंटर की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 |
| तृतीयक देखभाल कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,25.00 | 0.00 |
| सेटिंग अप मेडिको सिटी | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | (-)100.00 |
| ट्रॉमा केयर सुविधाएँ | 4,44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,44.24 | (-)100.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखे - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय - क्रमांत | | | | | | |
| मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पताले- आधारभूत संरचना | 20,79.36 | 31,32.81 | 0.00 | 31,32.81 | 52,12.17 | 50.66 |
| जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण | 40,54.52 | 32,45.10 | 0.00 | 32,45.10 | 72,99.62 | (-)19.96 |
| फेज-2 अन्तर्गत/रेफरल अस्पताल से संबंधित नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना | 70,00.00 | 57,92.56 | 1,55,18.00 | 2,13,10.56 | 2,83,10.56 | 204.44 |
| जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेन्टर्स की स्थापना | 0.00 | 1,04.20 | 0.00 | 1,04.20 | 1,04.20 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,41.17 | 0.00 |
| जोड़ - 110 | 1,36,48.12 | 1,22,74.67 | 1,55,18.00 | 2,77,92.67 | 7,68,00.16 | 103.64 |
| 200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ | | | | | | |
| शहरी क्षेत्रों में मातृ एवं बाल केंद्रों का जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,75.00 | 0.00 |
| खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेबोरेट्रीज का विस्तार | 84.80 | 3,71.70 | 0.00 | 3,71.70 | 4,56.50 | 338.33 |
| एम्बुलेंसेज/शव वाहन योजना | 4,05.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,05.00 | (-)100.00 |
| राज्य रक्त आधान परिषद् का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| जोड़ - 200 | 4,89.80 | 3,71.70 | 0.00 | 3,71.70 | 12,46.50 | (-)24.11 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमशः | | | | | | |
| मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पताल- आधारभूत संरचना | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | (-)100.00 |
| जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण | 9,27.57 | 0.00 | 3,66.83 | 3,66.83 | 12,94.40 | (-)60.45 |
| जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में फिजियो थेरापी सेंट्रों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.98 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 11,27.57 | 0.00 | 3,66.83 | 0.00 | 15,72.38 | (-)67.47 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | |
| भवन-एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,76.97 | 0.00 |
| भवन-सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,90.21 | 0.00 |
| सदर में आवासीय क्वार्टर, सबडिवीजन, अस्पताल और रेफरल अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| भवन-रौंची मेडिकल कॉलेज अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,81.15 | 0.00 |
| 500 शय्यावाला अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,31,89.00 | 0.00 |
| नये ट्रोमा सेंटर की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,40.18 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें- आधारभूत संरचना | 8,84.99 | 0.00 | 28,18.86 | 0.00 | 37,03.85 | 218.52 |
| जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण | 20,27.49 | 0.00 | 18,85.73 | 0.00 | 39,13.22 | (-)6.99 |
| फेज-2 अन्तर्गत/रेफरल अस्पताल से संबंध नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना | 70,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,00.00 | (-)100.00 |
| नया फार्मैसी संस्थान | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 100.00 |
| खाद्य एवं औषधी, नियंत्रण कार्यालयों प्रयोगशाला का विस्तार | 0.00 | 0.00 | 40.87 | 0.00 | 40.87 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,76.57 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 99,12.48 | 0.00 | 50,45.46 | 0.00 | 3,09,12.02 | (-)49.10 |
| जोड़ - 01 | 2,66,30.69 | 0.00 | 1,91,98.49 | 1,55,18.00 | 11,40,57.86 | 30.36 |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ | | | | | | |
| 101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र | | | | | | |
| राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/ राजकीय आयुर्वेदक फार्मैसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,54.00 | 0.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,54.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः

तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | |
| 102- सहायक स्वास्थ्य केन्द्र गैची में स्टेट योगा केन्द्र (आयुष सेक्टर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | | | | | |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन निर्माण-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीनरी एवं उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन एवं उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्वास्थ्य उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मॉडल स्वास्थ्य उपकेन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,92.26 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,92.26 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,87.99 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,11.60 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,20.50 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,02.80 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,97,92.60 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,40,71.94 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,96.19 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,79.93 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,42.99 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - क्रमांत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,61.86 | 0.00 |
| जोड़ - 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,15,68.40 | 0.00 |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय | | | | | | |
| भवनें-(मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,12.22 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,89.09 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल तथा अनुमण्डलीय अस्पताल के डॉक्टरों तथा पारा मेडिकल कर्मचारियों के आवास हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,69.92 | 0.00 |
| भवनें-औषधालय (देशी डॉक्टर और होम्योपैथी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 0.00 |
| भवनें-रेफरल अस्पताल (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,15.83 | 0.00 |
| भवनें-जिला संयुक्त औषधालय (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.90 | 0.00 |
| भवनें-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,54.71 | 0.00 |
| भवनें-जिला संयुक्त औषधालय भवनें-औषधालय (देशी चिकित्सा एवं होम्योपैथी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,26.00 | 0.00 |
| भवनें-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-इन्व्यूवटर मशीन का क्रय) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,20.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय - क्रमशः | | | | | | | |
| भवन-सदर/अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-भवन-अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीनरी उपकरण एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,96.04 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर/अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-जिला चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय भवन का निर्माण-(चिकित्सा एवं पारा मेडिकल कमियों का आवासीय भवन सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,61.60 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर एवं अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-क्षेत्रीय अस्पताल, डालटेनगंज-100 शय्या वाले भवन का निर्माण (डायग्नोस्टिक केन्द्र सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,61.74 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,96.89 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज-अस्पताल, धनबाद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,11,71.06 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-रेफरल अस्पताल-भवन निर्माण (मशीन उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35.51 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर एवं अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,87.49 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-अनुण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,87.37 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 110- अस्पताल तथा औषधालय - क्रमांत | | | | | | |
| भवन निर्माण-क्षेत्रीय अस्पताल डाल्टेनगंज एवं हजारीबाग का 100-300 शय्या का उत्क्रमण (डायनोस्टिक सेन्टर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,76.62 | 0.00 |
| भवन निर्माण-क्षेत्रीय अस्पताल डाल्टेनगंज एवं हजारीबाग का 100-300 शय्या (डायनोस्टिक सेन्टर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.68 | 0.00 |
| जिला संयुक्त आयुष अस्पताल और राजकीय औषधालय आयुष निदेशालय/जिला संयुक्त अस्पताल/औषधालय आयुष निदेशालय आयुष चिकित्सा परिषद् इग कंट्रोलर कार्यालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,22.08 | 0.00 |
| ब्लड बैंक | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,52.38 | 0.00 |
| जोड़ - 110 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,93.11 | (-100.00) |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| भवन-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,77.83 | 0.00 |
| जोड़ - 110 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,95,59.59 | (-100.00) |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमशः | | | | | | | |
| भवन-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,88.25 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य एवं उप केन्द्र की स्थापना-भवन (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,98.78 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल (मशीनरी एवं उपस्कर सहित)-अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,54.04 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण-जिला चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सा एवं पारा मेडिकल कर्मियों का आवासीय भवन सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,63.72 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,93.39 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी सहित)- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना (प्रसव गृह मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,28.02 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमांत | | | | | | |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (मशीनरी सहित)-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,89.71 | 0.00 |
| स्वास्थ्य उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मॉडल स्वास्थ्य उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विकास (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,67.35 | 0.00 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,93.18 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,12,54.27 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | | | | | | |
| भवन-एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,24.89 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्विit आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--|--|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-क्रमशः | | | | | | |
| भवनें-रेफरल अस्पताल (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,26.73 | 0.00 |
| भवनें-जिला चिकित्सा पदाधिकारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,54.15 | 0.00 |
| भवनें-रेफरल अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,43.29 | 0.00 |
| भवनें-रौंची मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रौंची | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,63.35 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल रौंची का 500 शय्या वाले सदर अस्पताल के रूप में उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,09.97 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित)-क्षेत्रीय अस्पताल, दुमका का 100 शय्या का निर्माण (डायनोस्टिक सेन्टर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,55,27.72 | 0.00 |
| भवनें-अनुमण्डलीय अस्पताल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,47.02 | 0.00 |
| भवनें-अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 |
| भवनें-सदर एवं अनुमण्डलीय अस्पताल के डाक्टरों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों के आवास हेतु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| भवनें-औषधालय (देशी डाक्टर एवं होम्योपैथी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,80.18 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,55.48 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - क्रमशः | | | | | | |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,64.62 | 0.00 |
| भवन-जिला संयुक्त औषधालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य उप-केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,52.44 | 0.00 |
| भवन-सदर अस्पताल (मशीनरी और उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,66.11 | 0.00 |
| भवन-(मशीनरी और उपस्कर सहित) अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण | | | | | | |
| भवन-(मशीनरी एवं उपस्कर सहित) सदर अस्पताल इनक्यूबेटर मशीन का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,64.98 | 0.00 |
| भवन-सदर अस्पताल (मशीनरी और उपस्कर सहित)-सदर अस्पताल का उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,15.39 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी और उपस्कर सहित)-हेल्थ इन्फोर्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम का विस्तार/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,51.43 | 0.00 |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी और उपस्कर सहित)-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,22.82 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-क्रमशः | | | | | | | |
| भवन-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी और उपस्कर सहित)-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,33,52.11 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,41.66 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,65,20.24 | 0.00 | 0.00 |
| राँची में झारखण्ड कैंसर अस्पताल एवं शोध केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| भवन-सदर अस्पताल-जिला चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण (चिकित्सा एवं पारा मेडिकल कर्मियों का आवासीय भवन सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,25.61 | 0.00 | 0.00 |
| क्षेत्रिय अस्पताल दुमका एवं चाईबासा (मशीनरी और उपस्कर सहित) का निर्माण/उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,01.14 | 0.00 | 0.00 |
| स्वास्थ्य निदेशालय (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,67.10 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-क्रमशः | | | | | | |
| भवनें - सदर अस्पताल (मशीनरी एवं उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,67.56 | 0.00 |
| भवनें - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी और उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,13.02 | 0.00 |
| भवनें-मानसिक अरोग्यशाला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| भवनें-दंत चिकित्सा महाविद्यालय राजेन्द्र आयुर्वेदिक संस्थान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00.00 | 0.00 |
| भवनें-औषधालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | 0.00 |
| भवनें-(मशीनरी एवं उपस्कर) फार्मसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,72.00 | 0.00 |
| स्वास्थ्य संबंधी सहायता केन्द्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,40.00 | 0.00 |
| भवनें-सदर अस्पताल के अंतर्गत नेत्र चिकित्सालय एवं ऑपरेशन थियेटर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| भवनें-क्षेत्रीय अस्पताल दुमका एवं चाईबासा (मशीनरी और उपस्कर सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,28.17 | 0.00 |
| भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना (मशीनरी सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,06.52 | 0.00 |
| दुमका/खरसवाँ में 500 शय्या वाले भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,13.69 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) | के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - क्रमांत | | | | | | |
| अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण (आवासीय भवन सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,90.04 | 0.00 |
| भवन- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मशीनरी एवं उपकरण सहित) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,29.25 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,05.57 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,20,83.44 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,54,11.96 | (-)100.00 |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | | | | | | |
| 105- एलोपैथी | | | | | | |
| भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,50.00 | 0.00 |
| 10 ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण-भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50.00 | 0.00 |
| ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण-भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,49.16 | 0.00 |
| पी.एम.सी.एच. धनबाद एवं एम.जी.एम.सी.एच. जमशेदपुर में पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-क्रमशः | | | | | |
| 105- एलोपैथी - क्रमांत | | | | | |
| ए.एन.एम./जी.एन.एम. स्कूल निर्माण एवं उत्क्रमण | 6,28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,28.79 (-)100.00 |
| 2 ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण-भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,27.63 0.00 |
| जोड़ - 105 | 6,28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,05.58 (-)100.00 |
| 200- अन्य पद्धतियाँ | | | | | |
| भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 0.00 |
| आयुष प्रक्षेत्र-आधारभूत संरचना | 54.31 | 0.00 | 52.31 | 52.31 | 1,06.62 (-)3.68 |
| राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का निर्माण-भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,57.63 0.00 |
| जोड़ - 200 | 54.31 | 0.00 | 52.31 | 52.31 | 44,64.25 (-)3.68 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| भवन-राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, चाईबासा, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहबगंज/गुमला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,90.00 0.00 |
| ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण - भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,85.70 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| भवन-राज्य होमियोपैथिक कॉलेज और अस्पताल, गोड्डा/यूनानी-आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,65.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,53.87 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,94.62 |
| जोड़ - 03 | 6,83.10 | 0.00 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 92,64.45 |
| जोड़ - 4210 | 2,73,38.79 | 0.00 | 1,92,50.80 | 1,55,18.00 | 3,47,68.80 | 32,87,34.27 |
| जोड़ - (ख) | 2,73,38.79 | 0.00 | 1,92,50.80 | 1,55,18.00 | 3,47,68.80 | 32,87,34.27 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति | | | | | | |
| 101- शहरी जलापूर्ति | | | | | | |
| त्वरित शहरी जलापूर्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,70,74 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,72.78 | 0.00 |
| 102- ग्रामीण जलापूर्ति | | | | | | |
| पाईपों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति-सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,95,56.20 | 0.00 |
| ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,88.21 | 0.00 |
| पाईपों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (विशेष अंगीभूत योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,90.28 | 0.00 |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 1,33,65.62 | 0.00 | 1,81,52.86 | 0.00 | 4,68,32.80 | 35.82 |
| पाईपों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (मशीनरी एवं उपस्कर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10.57 | 0.00 |
| 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों/ उप-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति-सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,13,85.99 | 0.00 |
| 20,000 तक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों/उप-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति-विशेष अंगीभूत योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,83.48 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-क्रमशः | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति - क्रमशः | | | | | | |
| 102- ग्रामीण जलापूर्ति - क्रमांत | | | | | | |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (नलकूपों, कुओं आदि के द्वारा कार्य)-सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,12,85.42 | 0.00 |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (नलकूपों, कुओं आदि के द्वारा) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,70.84 | 0.00 |
| विशेष अंगीभूत योजना त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,44.52 | 0.00 |
| बड़े शहरों में पाईपों द्वारा जलापूर्ति योजना | 22,77.16 | 0.00 | 22,65.65 | 0.00 | 2,23,76.83 | (-)0.51 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,92.46 | 0.00 |
| त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,80,38.83 | 0.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,16,85.65 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.32 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 1,56,42.78 | 0.00 | 2,04,18.51 | 0.00 | 2,04,18.51 | 30.53 |
| 106- मल निकासी सेवाएँ | | | | | | |
| ग्रामीण स्वच्छता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,21.81 | 0.00 |
| जोड़ - 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,21.81 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पाईपों से ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 77,36.18 | 1,18,81.10 | 0.00 | 1,18,81.10 | 2,75,02.33 | 53.58 |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (नलकूपों, कुओं आदि के द्वारा) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,95.64 | 0.00 |
| त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,47.89 | 0.00 |
| पाईपों से बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,62.64 | 0.00 |
| ग्रामीण सफाई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,41.71 | 0.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,14.00 | 0.00 |
| त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,48.20 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,73.34 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 77,36.18 | 1,18,81.10 | 0.00 | 1,18,81.10 | 3,42,85.75 | 53.58 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग | | | | | | |
| ग्यारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर शहरी जलापूर्ति योजना- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,59.61 | 0.00 |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईप द्वारा) | 1,59,63.28 | 1,88,29.52 | 0.00 | 1,88,29.52 | 7,56,76.80 | 17.96 |
| ग्रामीण सफाई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,37.87 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमांत | | | | | | |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईप द्वारा) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,66.83 | 0.00 |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवैल्स, वेल्स द्वारा) | 9.31 | 0.00 | 18.93 | 18.93 | 78,25.15 | 103.33 |
| 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों/ उप-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,76.85 | 0.00 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,06.27 | 0.00 |
| त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,11,85.93 | 0.00 |
| त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,03.00 | 0.00 |
| बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाईपों से) | 6,60.96 | 0.00 | 27,24.73 | 27,24.73 | 1,47,13.82 | 312.24 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,41,62.15 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,72.72 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 1,66,33.55 | 0.00 | 2,15,73.18 | 0.00 | 17,75,87.00 | 29.70 |
| 799- उचित | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 |
| जोड़ - 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभाषरत व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 01- जलापूर्ति - क्रमांत | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| ग्रामीण जलापूर्ति (ट्यूबवेल्लस द्वारा) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 4,00,12.51 | 0.00 | 5,38,72.79 | 0.00 | 5,38,72.79 | 44,78,28.52 |
| 02- मल-जल तथा सफाई | | | | | | |
| 106- मल-जल सेवायें | | | | | | |
| ग्रामीण सफाई-सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,30.15 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| ग्रामीण सफाई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,20.51 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,50.66 |
| जोड़ - 4215 | 4,00,12.51 | 0.00 | 5,38,72.79 | 0.00 | 5,38,72.79 | 45,14,79.18 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01- सरकारी रिहायशी भवन | | | | | | |
| 106- मल-जल सेवाएँ | | | | | | |
| राज्य में लोक कार्य-लघु कार्य का भवन | 68.89 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 6,87.10 |
| जोड़- 106 | 68.89 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 6,87.10 |
| 700- अन्य आवास | | | | | | |
| अन्य क्षेत्र उप-योजना (निर्माण) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,34.39 |
| विभिन्न कमिश्नर/जिला/अनुमंडल और मुख्यालय तथा रिहायशी आवासों आदि में ए., बी., सी., डी. और ई टाईप आवासों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,60.92 |
| अन्य आवास (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,65.60 |
| अन्य आवास (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,45.48 |
| केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,13.28 |
| आवासीय भवनों का निर्माण | 28,23.77 | 0.00 | 16,93.74 | 0.00 | 16,93.74 | 1,28,35.72 |
| उपायुक्त आवास, रामगढ़ एवं अन्य आवासीय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,84.25 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50.46 |
| जोड़- 700 | 28,23.77 | 0.00 | 16,93.74 | 0.00 | 16,93.74 | 1,91,90.10 |
| | | | | | | (-)88.63 |
| | | | | | | (-)88.63 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- सरकारी रिहायशी भवन - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | | |
| विभिन्न कमिशनर/जिला/अनुमंडल और मुख्यालय तथा आवासीय भवनों आदि में ए., बी., सी., डी. एवं ई टाईप आवासों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,42,54 | 0.00 |
| जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (निर्माण) | | | | | | |
| भवनें (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,88,76 | 0.00 |
| भवनें (नयी योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,64,47 | 0.00 |
| माननीय मंत्री आवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,89,01 | 0.00 |
| राँची में आवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,91,91 | 0.00 |
| माननीय मंत्रियों के लिए आवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,79,62 | 0.00 |
| आवासीय भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,88,88 | 0.00 |
| सरकारी आवासीय भवन का निर्माण | 1,07,77.15 | 0.00 | 75,82.71 | 0.00 | 4,20,34.21 | (-)29.64 |
| राँची/गुमला में ए., बी., सी., डी. तथा ई. टाईप क्वार्टर का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,03,87 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 01- सरकारी रिहायशी भवन - क्रमांत | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 1,07,77.15 | 0.00 | 75,82.71 | 0.00 | 5,68,17.81 |
| जोड़ - 01 | 1,36,69.81 | 0.00 | 92,84.28 | 0.00 | 7,66,95.01 |
| जोड़ - 4216 | 1,36,69.81 | 0.00 | 92,84.28 | 0.00 | 7,66,95.01 |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,32.50 |
| जोड़ - 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,32.50 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 04- गंदी बस्तियों का विकास | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - क्रमशः | | | | | |
| शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,60.00 |
| जोड़- 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,60.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,08.78 |
| जोड़- 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,08.78 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | |
| शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,21.51 |
| जोड़- 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,21.51 |
| जोड़- 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,90.29 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - | | | | | |
| शहरी मास्टर योजना की तैयारी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,91.86 |
| रात्रि शरण के लिए केन्द्रांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,24.27 |
| बस पड़ाव के निर्माण के लिए स्थानीय शहरी निकायों को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,88.02 |
| शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,23.21 |
| स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,67.31 |
| केन्द्रीय प्रायोजित शहरी स्थानीय निकाय के लिए सहायक अनुदान, केन्द्रीय योजनान्तर्गत वाल्मीकी अम्बेदकर गंदी बस्ती के लिए आवासों के निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,88.87 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18,91.20 |
| जे.एन.एन.यू.आई.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एम.टी./आई.एच.एस.डी.पी./डी.एस.यू.पी. योजना का राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - क्रमशः | | | | | | |
| शहरी निकायों/प्राधिकरणों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,17.54 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी./आई.एच.एस.डी.पी./डी.एस.यू.पी. योजना का राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,00.00 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी./एवं अन्य सभी तरह के योजनाओं हेतु परामर्शी कार्य/मास्टर प्लान आदि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,85.69 | 0.00 |
| शहरी निकायों/प्राधिकरणों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,75.00 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,52.48 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित यू.आई.डी.एस.एस.एम. योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,28.05 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित बी.एस.यू.पी. योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,16.70 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित आई.एच.एस.डी.पी. योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,11.98 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - क्रमांत | | | | | | | |
| 12वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय अनुदान योजना अन्तर्गत केन्द्र अनुदान निगमों/निकायों/प्राधिकारों/प्रशिक्षण का शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता संबर्द्धन हेतु सहायक अनुदान शहरी गंदे क्षेत्रों में पर्यावरणीय विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान निगमों/निकायों/प्राधिकारों/प्रशिक्षण का क्षमता संबर्द्धन हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित एस.जे.एस.आर.वाई. योजना हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 191- नगर निगम को सहायता | | | | | | |
| शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,39.95 | 0.00 |
| शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,00.00 | 0.00 |
| शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,77.28 | 0.00 |
| आवास एवं शहरी गरीबी उपसमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.82 | 0.00 |
| आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,08.87 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,00.00 | 0.00 |
| शहरी प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,07.38 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित एस.जे.एस.आर.वाई. हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,42.12 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु सहायक अनुदान (राज्यांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,16.79 | 0.00 |
| संस्थाओं के लिए हिस्सा पूंजी हेतु अनुदान | 18,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,00.00 | (-100.00) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 191- नगर निगम को सहायता - क्रमांत | | | | | | |
| नगर निगम को सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 0.00 |
| | 18,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,10,21.36 | (-)100.00 |
| जोड़- 191 | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,04.97 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु सहायक अनुदान (राज्यांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,50.59 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,93.30 | 0.00 |
| शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,73.17 | 0.00 |
| आवास एवं शहरी गरीबी उपसमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,05.79 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एम.टी./आई.एस.एस.डी.पी./बी.एस.यू.पी. योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,69.81 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमशः | | | | | | |
| केन्द्र प्रायोजित बी.एस.यू.पी. योजना हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए सहायक अनुदान सहायक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,32.28 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.25 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,03.16 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| बाल्मिकी/अम्बेडकर गन्दी बस्ती आवास योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,98.80 | 0.00 |
| शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,22.33 | 0.00 |
| केन्द्रीय प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस. एम.एम.टी./आई.एच.एस.डी.पी./बी.एस.यू.पी. योजना के लिए राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,00.00 | 0.00 |
| निगमों/निकायों/प्राधिकारों/प्रशिक्षण की क्षमता संवर्द्धन हेतु सहाय्य अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,05.69 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभाति व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - क्रमशः | | | | | | |
| केन्द्र प्रायोजित बी.एस.यू.पी. योजना हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,74,20.13 | 0.00 |
| केन्द्र प्रायोजित आई.एच.एस.डी.पी. योजना हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,24.96 | 0.00 |
| एडभाईजरी वक्र/मास्टर प्लान के लिए एन.यू.आर. एम./ यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा अन्य सभी प्रकार के योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,87.11 | 0.00 |
| शहरी स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के लिए भूमि अधिग्रहण-सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,93.77 | 0.00 |
| जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी./आई.एच.एस.डी.पी./बी.एस.यू.पी. योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,74.86 | 0.00 |
| यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,42.40 | 0.00 |
| 12वीं वित्त आयोग के आलोक में राजधानी शहर राँची के विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,77.61 | 0.00 |
| 12वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय अनुदान योजना अन्तर्गत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,00.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,47.96 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|-------------|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | स्थापना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | | |
| राँची की संस्थाओं के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण जे.एन.एन.यू.आर.एम.हेतु सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,62.41 | 0.00 |
| संस्थाओं के हिस्सा पूंजी हेतु अनुदान (राज्य अंशदान) | 12,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,06.05 | 0.00 |
| शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,00.00 | (-100.00) |
| न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,21.78 | 0.00 |
| आवास एवं शहरी गरीबी उपसमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,73.75 | 0.00 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,72.34 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 12,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,13,87.90 | (-100.00) |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभाषित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|--|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमांत | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| सामुदायिक भवनों/थियेटर्स के निर्माण के लिए अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,68.93 |
| सफाई यंत्रों का क्रय/अनुरक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,90.21 |
| शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,82.98 |
| रौची शहर का सौंदर्यीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,94.82 |
| दुमका शहर का सौंदर्यीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,04.47 |
| शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ-बस पड़ाव के निर्माण के लिए अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,06.88 |
| समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,20.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,21.50 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,89.79 |
| जोड़ - 60 | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,65,72.17 |
| जोड़ - 4217 | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,78,94.96 |
| जोड़ - (ग) | 5,66,82.32 | 0.00 | 6,31,57.07 | 0.00 | 6,31,57.07 | 66,60,69.15 |
| | | | | | | 11.42 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सूचना और प्रसारण पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 4220- सूचना और प्रसारण परिव्यय | | | | | |
| 60- अन्य | | | | | |
| 052- मशीनरी एवं उपकरण | | | | | |
| सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.ई.डी. बैंक | 3,87.33 | 98.23 | 0.00 | 98.23 | 7,85.36 (-)74.64 |
| जोड़ - 052 | 3,87.33 | 98.23 | 0.00 | 98.23 | 7,85.36 (-)74.64 |
| 101- भवनें | | | | | |
| क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 0.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन का निर्माण | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,59.74 (-)100.00 |
| सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.ई.डी. बैंक | 8,06.14 | 7,83.15 | 0.00 | 7,83.15 | 31,94.21 (-)2.85 |
| जोड़ - 796 | 8,95.88 | 7,83.15 | 0.00 | 7,83.15 | 33,53.95 (-)12.58 |
| जोड़ - 60 | 12,83.21 | 8,81.38 | 0.00 | 8,81.38 | 42,39.31 (-)31.31 |
| जोड़ - 4220 | 12,83.21 | 8,81.38 | 0.00 | 8,81.38 | 42,39.31 (-)31.31 |
| जोड़ - (घ) | 12,83.21 | 8,81.38 | 0.00 | 8,81.38 | 42,39.31 (-)31.31 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय | | | | | | |
| 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण | | | | | | |
| 277- शिक्षा | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,71.32 | 0.00 |
| जोड़ - 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,71.32 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,04.35 | 0.00 |
| छात्रों के लिए छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.53 | 0.00 |
| छात्रावास का जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,05.46 | 0.00 |
| आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण | 7,99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,42.61 | (-100.00) |
| +2 आवासीय उच्च विद्यालय का उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,38.13 | 0.00 |
| छात्रावास का जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,91.80 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 7,99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,82.88 | (-100.00) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 7,99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,46.19 |
| 02- अनुसूचित जातियों का कल्याण | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश टी.सी.डी.सी. को हिस्सापूंजी | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 277- शिक्षा | | | | | | |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मांझी हाउस मानकी मुण्डा हाउस, माराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस का निर्माण आदिवासियों का जादूर स्थान/हड़गढ़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार | 3,47.33 | 0.00 | 5,07.15 | 0.00 | 5,07.15 | 46.01 |
| छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का जीर्णोद्धार | 13,20.99 | 0.00 | 15,95.37 | 0.00 | 15,95.37 | 20.77 |
| जोड़ - 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 02- अनुसूचित जातियों का कल्याण - क्रमशः | | | | | |
| 277- शिक्षा - क्रमांत | | | | | |
| आवासीय उच्च विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय में उल्लमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.24 |
| अन्य कल्याण कार्यक्रम-आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
| संविधान की धारा 275(1) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,05.57 |
| आवासीय उच्च विद्यालय का जीर्णोद्धार | 1,08.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,61.74 |
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 2,34.00 | 2,34.00 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,09.89 |
| जोड़ - 277 | 21,76.98 | 0.00 | 23,36.52 | 0.00 | 1,15,70.44 |
| 283- आवास | | | | | |
| अनुसूचित जन जातियों के लिए आवास का निर्माण | 12,28.54 | 0.00 | 4,65.03 | 0.00 | 1,02,97.92 |
| जोड़ - 283 | 12,28.54 | 0.00 | 4,65.03 | 0.00 | 1,02,97.92 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | |
| | | | | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 02- अनुसूचित जातियों का कल्याण - क्रमशः | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमशः | | | | | |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,71.05 |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,09.86 |
| आवासीय विद्यालय के निर्माण का जीर्णोद्धार (बिरसा मुंडा डी.ए.बी. स्कूल) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,09.80 |
| संविधान का अनुच्छेद 275(क) | 1,75,70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,33,52.14 |
| आवासीय विद्यालय का निर्माण/जीर्णोद्धार | 21,89.58 | 0.00 | 1,27.25 | 1,27.25 | 68,96.95 |
| अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण | 43,60.44 | 0.00 | 27,27.84 | 27,27.84 | 1,20,13.19 |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,95.59 |
| मांझी हाउस मानकी पुण्डा हाउस, माराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस का निर्माण | 12,88.44 | 0.00 | 11,95.37 | 11,95.37 | 41,53.43 |
| आदिवासियों का जादूर स्थान/हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार | 34,43.39 | 0.00 | 36,30.03 | 36,30.03 | 1,46,25.62 |
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 2,34.00 | 2,34.00 | 2,34.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्ट आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- अनुसूचित जातियों का कल्याण - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| आवासीय उच्च विद्यालय को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,13.05 | 0.00 |
| बिरसा मुण्डा उलिहातु कॉम्पलेक्स का जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| अन्य कल्याण कार्यक्रम-आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 0.00 |
| आश्रम/एकलव्य विद्यालय को खोलना एवं संवर्धन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,60.69 | 0.00 |
| पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय/आवासीय विद्यालय का जीर्णोद्धार/निर्माण (बिरसा मुण्डा डी.ए.वी. विद्यालय) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,75.67 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 2,88,51.99 | 0.00 | 79,14.49 | 0.00 | 14,73,28.62 | (-72.57) |
| जोड़ - 02 | 3,22,57.51 | 0.00 | 1,07,66.04 | 0.00 | 16,92,46.98 | (-66.62) |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण - क्रमांत | | | | | | |
| 277- शिक्षा | | | | | | |
| छात्र/छात्राओं के छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,54.16 | 0.00 |
| आवासीय विद्यालय का निर्माण | 2,28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,39.92 | (-100.00) |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,96.42 | 0.00 |
| जोड़ - 277 | 2,28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,90.50 | (-100.00) |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| आवासीय विद्यालय का निर्माण | 99.23 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 6,18.62 | (-92.58) |
| छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,61.48 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,79.21 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 99.23 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 13,59.31 | (-92.58) |
| जोड़ - 03 | 3,27.74 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 27,49.81 | (-97.75) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्ट आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 80- सामान्य | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमन की हिस्सा पूंजी | | | | | |
| | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | |
| 277- शिक्षा | | | | | |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण | 74.75 | 36.82 | 0.00 | 36.82 | (-)50.74 |
| अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु साईकिल योजना | 9,78.86 | 10,06.77 | 0.00 | 10,06.77 | 71,40.26 |
| कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु | 8,12.69 | 10,64.25 | 0.00 | 10,64.25 | 70,46.11 |
| अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को समर्थन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,75.00 |
| अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम | 8,39.21 | 41.58 | 1,24.44 | 1,66.02 | 19,51.53 |
| | | | | | (-)80.22 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | 80.20 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | 4,26.06 | (-)67.07 |
| 277- शिक्षा - क्रमांत | | | | | | |
| अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण | 54.04 | 0.00 | 60.40 | 0.00 | 2,93.38 | 11.77 |
| कियोस्क निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.13 | 0.00 |
| छात्रावास-बर्तन उपस्कर एवं टी०वी० | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | (-)100.00 |
| मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,85.49 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | | | | | | |
| जोड़ - 277 | 28,57.16 | 0.00 | 22,36.23 | 1,24.44 | 23,60.67 | (-)17.38 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी | 11,62.37 | 0.00 | 14,74.75 | 0.00 | 14,74.75 | 26.87 |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण | 68.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | (-)88.74 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|---------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | 99.47 | 1,00.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.53 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमशः | | | | | | | |
| अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए वाणिज्यिक प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| हज हाउस का निर्माण | 69.94 | 71.51 | 0.00 | 71.51 | 0.00 | 71.51 | 2.24 |
| अल्पसंख्यकों के लिए कियोस्क का निर्माण | 1,64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-100.00) |
| राँची में मुसाफिरखाना | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-100.00) |
| मल्टीसेक्टर विकास कार्यक्रम | 5,80.85 | 6,03.01 | 0.00 | 6,03.01 | 0.00 | 6,03.01 | 3.82 |
| अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए साईकिल योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छात्रावास-सामग्री, उपस्कर एवं टी.वी.० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 9,10.12 | 2,16.69 | 0.00 | 2,16.69 | 3,78.45 | 5,95.14 | (-34.61) |
| अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,90.08 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की हिस्सा पूंजी | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,25.00 | (-100.00) |
| अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता आयवृद्धि परिसम्पत्ति हेतु अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 | 7,51.00 ¹ | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम हैं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,60.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,50.04 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 32,16.69 | 0.00 | 29,73.62 | 3,78.45 | 33,52.07 | 4.21 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,69.20 | 0.00 |
| कब्रिस्तानों की पक्की घोराबंदी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,57.34 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,05.38 | 0.00 |

¹ पूंजी प्रभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम को ₹ 7,51.00 लाख सहायक अनुदान के रूप में दिया गया है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभाषित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,15.23 | 0.00 |
| 80- सामान्य - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,90.12 | 0.00 |
| 800- अन्य व्यय - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए साईकिल योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,73.66 | 0.00 |
| मेरिट-सह मीन्स छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पोस्ट-प्रवेश प्रावेशिकोत्तर छात्रवृत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,93.89 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,02.06 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,06.88 | 0.00 |
| जोड़ - 80 | 60,73.85 | 0.00 | 52,59.85 | 5,02.89 | 8,48,18.65 | (-)5.12 |
| जोड़ - 4225 | 3,94,58.75 | 0.00 | 1,60,33.25 | 5,02.89 | 26,28,61.63 | (-)58.09 |
| जोड़ - (ङ) | 3,94,58.75 | 0.00 | 1,60,33.25 | 5,02.89 | 26,28,61.63 | (-)58.09 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दशाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतियुत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|--|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) - समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परित्यय | | | | | | |
| 02- समाज कल्याण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,88,39.71 | 0.00 |
| 103- महिला कल्याण | | | | | | |
| 13वें वित्त आयोग की अनुशासा के आलोक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 0.00 |
| बेसहारा, परितयाक एवं तिरस्कृत महिलाओं के लिए नारी निकेतन सह प्रशिक्षण केन्द्र/अल्पकालीन गृह का निर्माण आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/संधारण/उन्नयण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,40.00 | 0.00 |
| जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए गाड़ी का क्रय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,88.14 | 0.00 |
| जोड़ - 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,77,11.55 | 0.00 |
| 106- सुधारक सेवाएं | | | | | | |
| ओल्ड एज होम का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,31.68 | 0.00 |
| विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,89.83 | 0.00 |
| जोड़ - 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,21.51 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-------------|---|---|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | | |
| | | | | | | (₹ लाख में) |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) - समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 02- समाज कल्याण - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण ओल्ड ऐज होम का निर्माण बेसहारा, परित्याक एवं तिरस्कृत महिलाओं के लिए नारी निकेतन सह प्रशिक्षण केन्द्र/अल्पकालीन गृह का निर्माण आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/संधारण/उन्नयन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के लिए गाड़ी का क्रय विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,78,63.96 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,23.95 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,60.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.04 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 86.39 | 0.00 | 11,45.82 | 100.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 86.39 | 0.00 | 2,90,84.47 | 100.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 86.39 | 0.00 | 5,96,17.53 | 100.00 |
| जोड़ - 4235 | 0.00 | 0.00 | 86.39 | 0.00 | 5,96,17.53 | 100.00 |
| जोड़ - (छ) | 0.00 | 0.00 | 86.39 | 0.00 | 5,96,17.53 | 100.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 203- रोजगार | | | | | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण | 7,00.00 | 0.00 | 3,03.95 | 0.00 | 3,03.95 | (-)56.58 |
| 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उग्रवार प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना | 18.74 | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 32.41 | 72.95 |
| भवनों का निर्माण | 13.90 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 13.67 |
| कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| औद्योगिक संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 203 | 8,07.19 | 0.00 | 3,52.16 | 0.00 | 3,52.16 | (-)56.37 |
| 789- अनुमूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवन | 0.00 | 0.00 | 5,73.21 | 0.00 | 5,73.21 | 100.00 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 5,73.21 | 0.00 | 5,73.21 | 100.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आंकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | स्थापना | योजना | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | योजना | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | | | |
| ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | | | | |
| (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | | | | |
| 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | | | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 6,07.21 | 0.00 | 6,07.21 | 0.00 | 6,07.21 | 18,79.18 | 100.00 |
| 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,75.00 | 0.00 |
| औद्योगिक संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का अनुसूक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,67.54 | 0.00 |
| उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्ल्यू०ई०) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना | 1,66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,46.58 | (-)100.00 |
| कार्यरत सरकारी आई०टी०आई० का मॉडल आई०टी०आई० के रूप में उन्नयन (केन्द्रांश-70:राज्यांश-30) | 1,10.37 | 0.00 | 61.95 | 0.00 | 61.95 | 1,55.91 | 2,17.86 | 5,15.73 | 97.39 |
| नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,00.00 | 0.00 |
| मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना | 46.16 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 77.20 | (-)74.39 |
| भवनों का निर्माण | 13.55 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 1,60.06 | 91.07 |
| जोड़ - 796 | 3,36.44 | 0.00 | 7,06.87 | 0.00 | 7,06.87 | 1,55.91 | 8,62.78 | 57,21.29 | 156.44 |
| जोड़ - 4250 | 11,43.63 | 0.00 | 16,32.24 | 0.00 | 16,32.24 | 1,55.91 | 17,88.15 | 1,37,98.37 | 56.36 |
| जोड़ - (ज) | 11,43.63 | 0.00 | 16,32.24 | 0.00 | 16,32.24 | 1,55.91 | 17,88.15 | 1,37,98.37 | 56.36 |
| जोड़ - ख | 16,15,45.09 | 0.00 | 12,68,54.22 | 0.00 | 1,61,76.80 | 14,30,31.02 | 1,62,33,06.97 | (-)11.46 | |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | राज्य योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101- कृषि सहकारिता | | | | | | |
| कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना भू-अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,72.67 | 0.00 |
| आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 12,26.73 | 100.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 16,99.40 | 100.00 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.98 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.98 | 0.00 |
| 277- जोड़ | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,02.72 | 0.00 |
| जोड़ - 277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,02.72 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,58.57 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,58.57 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| कृषि प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,29.55 |
| कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग के आधारभूत संरचना भू-अर्जन एवं सुविधाओं के विकास की योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,23.41 |
| कृषि प्रौद्योगिकी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60.00 |
| आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,77.82 |
| बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| राज्य बीज निगम को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.94 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,90.72 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | |
| एग्रो एक्सपोर्ट जोन का क्रियान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,50.00 |
| चतरा जिला में बागवानी केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 |
| धनबाद में कृषि तकनीकी पार्क की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|--|-----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमांत | | | | | | | |
| कृषि प्रौद्योगिकी का विकास एवं विस्तार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,09.99 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एवं करोड़ रुपये और उससे कम हैं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,50.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,09.99 | 0.00 |
| जोड़ - 4401 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 97,24.38 | 100.00 |
| 4402- मृदा तक जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 203- भूमि को कृषि योग बनाना तथा उसका विकास | | | | | | | |
| बंजर भूमि एवं राईस फ़ैलों का विकास | 81,12.00 | 0.00 | 18,73.00 | 0.00 | 18,73.00 | 3,02,63.47 | (-76.91) |
| वर्षा जल संचयन इकाई - डोभा | 4,48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,77.71 | (-100.00) |
| जोड़ - 203 | 85,60.31 | 0.00 | 18,73.00 | 0.00 | 18,73.00 | 3,62,41.18 | (-78.12) |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| बंजर भूमि एवं राईस फ़ैलों का विकास | 23,35.00 | 0.00 | 5,61.16 | 0.00 | 5,61.16 | 89,40.91 | (-75.97) |
| वर्षा जल संचयन इकाई - डोभा | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,28.90 | (-100.00) |
| जोड़ - 789 | 23,59.12 | 0.00 | 5,61.16 | 0.00 | 5,61.16 | 96,69.81 | (-76.21) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|-------------|---|--|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4402- मृदा तक जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| बंजर भूमि एवं राईस फ़ैलों का विकास | 1,48,36.10 | 0.00 | 37,33.82 | 0.00 | 37,33.82 | 5,71,45.87 (-)74.83 |
| वर्षा जल संचयन इकाई - डोभा | 2,85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,52.05 (-)100.00 |
| जोड़ - 796 | 1,51,21.94 | 0.00 | 37,33.82 | 0.00 | 37,33.82 | 6,59,97.92 (-)75.31 |
| जोड़ - 4402 | 2,60,41.37 | 0.00 | 61,67.98 | 0.00 | 61,67.98 | 11,19,08.91 (-)76.31 |
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101- पशु चिकित्सा सेवा तथा लघु स्वास्थ्य | | | | | | |
| पशु चिकित्सालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95 0.00 |
| पशु औषधालय का आधुनिकीकरण पेट क्लीनिक | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,31.84 (-)100.00 |
| पेट क्लीनिक | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.26 (-)100.00 |
| जोड़ - 101 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,21.05 (-)100.00 |
| 102- पशु तथा भैंस विकास | | | | | | |
| फ़ॉर्जेन सिमेन बैंक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 0.00 |
| 106- अन्व पशुधन विकास | | | | | | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में जी.एम.पी. मानक प्रयोगशाला का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,40.00 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|--|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 106- अन्य पशुधन विकास - क्रमांत | | | | | | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रोजेन सीमेन बुल स्टेशन | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 100.00 |
| स्टेट रनींग फार्म | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 100.00 |
| जोड़ - 106 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 100.00 |
| 109- प्रसार और प्रशिक्षण | | | | | | |
| निदेशन तथा प्रशासन | 3.99 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 105.51 |
| प्रसार और प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 109 | 3.99 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 105.51 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| निदेशालय तथा प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 2,60.00 | 0.00 | 2,60.00 | 100.00 |
| पशु चिकित्सालय का आधुनिकीकरण | 61.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| प्रसार और प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) सूकर विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पेट क्लीनिक | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, काँके, राँची का टोकोवधी उत्पादन हेतु उत्तम मानक पद्धति प्रयोगशाला के तहत सुदृढीकरण | 8,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | (-)75.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | | | |
| | | (र लाख में) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) - कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत स्टेट स्नींग फार्म | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 100.00 |
| जोड़ - 796 | 8,70.17 | 0.00 | 4,83.56 | 0.00 | 4,83.56 | (-)44.43 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| निर्देशन तथा प्रशासन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,14.54 | 0.00 |
| जोड़ - 4403 | 8,96.95 | 0.00 | 5,06.57 | 0.00 | 5,06.57 | (-)43.52 |
| 4404- डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 102- डेरी विकास परियोजनाएं | | | | | | |
| क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गोकुल नगर योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,97.81 | 0.00 |
| 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण | | | | | | |
| प्रसार एवं प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| जोड़ - 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4404- डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| दुग्ध संघ को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,00.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,00.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| गोकुल नगर योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 |
| आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.25 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,93.69 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| विस्तार और प्रशिक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.83 | 0.00 |
| आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,24.93 | 0.00 |
| गोकुल नगर योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,02.63 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,96.39 | 0.00 |
| जोड़ - 4404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,06.42 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|----------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क) - कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 101- अन्तर्देशीय मछली पालन | | | | | | | |
| मछुआरों के लिए आवास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,36.40 | 0.00 | 0.00 |
| मछुआरों के लिए समूह जीवन बीमा, नलकूप और आवास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,15.20 | 0.00 | 0.00 |
| तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,24.11 | 0.00 | 0.00 |
| तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | (-)100.00 |
| मत्स्य अनुसंधान योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य विपणन योजना | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | (-)100.00 |
| मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठान | 3,34.15 | 53.79 | 0.00 | 53.79 | 3,87.94 | 53.79 | (-)83.90 |
| ब्लू रेभोल्यूशन योजना | 2,39.96 | 2,47.80 | 3,67.80 | 6,15.60 | 8,55.56 | 6,15.60 | 156.54 |
| रियरिंग तालाब का निर्माण | 85.50 | 1,62.83 | 0.00 | 1,62.83 | 19,13.16 | 1,62.83 | 90.44 |
| मछुआरों के लिए आवास का निर्माण (चापाकल सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,41.93 | 0.00 | 0.00 |
| वेद व्यास आवास योजना | 15,60.00 | 13,34.40 | 0.00 | 13,34.40 | 58,89.35 | 13,34.40 | (-)14.46 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (स्ट्रीम-I,II एवं एनपीएमएस) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.56 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| 101- अन्तर्देशीय मछली पालन - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,14.00 | 0.00 |
| फिश फिड फैक्ट्री का निर्माण | | | | | | |
| मत्स्य तालाब के विकास योजना | 23,08.50 | 0.00 | 17,98.82 | 3,67.80 | 21,66.62 | 1,25,45.83 |
| जोड़ - 101 | 23,08.50 | 0.00 | 17,98.82 | 3,67.80 | 21,66.62 | (-6.15) |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| मछुआरों के लिए आवास का निर्माण (चापाकल सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| रियरिंग तालाब का निर्माण | 16.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 3,63.08 |
| वेद व्यास आवास योजना | 4,69.20 | 0.00 | 2,23.20 | 0.00 | 2,23.20 | 14,30.15 |
| नील क्रांति योजना | 0.00 | 0.00 | 1,10.40 | 1,65.60 | 2,76.00 | 100.00 |
| मत्स्य तालाब के विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,59.34 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,53.73 |
| जोड़ - 789 | 4,85.20 | 0.00 | 3,85.60 | 1,65.60 | 5,51.20 | 31,25.64 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| मछुआरों के लिए आवास का निर्माण (चापाकल सहित) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,86.60 |
| | | | | | | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|---------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क) - कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमशः | | | | | | | |
| मछली पालकों के लिए आवास, शौचालय पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आर.के.वी.वाई-स्ट्रीम I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र का गठन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| रियरिंग तालाब का निर्माण | 76.75 | 1,41.75 | 0.00 | 1,41.75 | 10,15.50 | 1,41.75 | 84.69 |
| वेद व्यास आवास योजना | 11,58.00 | 8,24.40 | 0.00 | 8,24.40 | 40,85.80 | 8,24.40 | (-)28.81 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (स्ट्रीम-I, II एवं एन.पी.एम.एस.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्यकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,44.51 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य तालाब के विकास योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,81.14 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य अनुसंधान योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| फीड बेस्ट फिशरीज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.83 | 0.00 | 0.00 |
| मत्स्य विपणन योजना | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | (-)100.00 |
| मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना | 3,40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,40.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन | 4,49.81 | 0.00 | 15.21 | 15.21 | 4,65.02 | 15.21 | (-)96.62 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग - आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमांत | | | | | | |
| नील क्रांति योजना | 2,39.12 | 0.00 | 67.20 | 1,00.80 | 1,68.00 | (-)29.74 |
| तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 23,55.60 | 0.00 | 10,48.56 | 1,00.80 | 11,49.36 | (-)51.21 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| मछली पालकों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मछली पालकों के लिए आवास का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 4405 | 51,49.30 | 0.00 | 32,32.98 | 6,34.20 | 38,67.18 | (-)24.90 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 01- वानिकी | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | |
| झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,55.00 |
| झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,00.00 |
| राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| झारखण्ड राज्य वन विकास निगम को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| जोड़- 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,30.00 |
| जोड़- 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,30.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04- वनरोपण तथा परिस्थिक विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 4406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02- भंडारण तथा भांडागार | 97.33 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 34,58.82 |
| 101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम | 97.33 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 34,58.82 |
| गोदाम निर्माण मरम्मत | | | | | | (-)88.54 |
| जोड़ - 101 | 97.33 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 34,58.82 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| गोदाम निर्माण/मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,64.61 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,64.61 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-------------|---|--|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (क)- कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | 37.84 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | 26.44 |
| 02- भंडारण तथा भांडागार - क्रमांत | 2,50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना गोदाम निर्माण/मरम्मत | | | | | |
| झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम का मुख्यालय निर्माण | | | | | |
| | 2,88.29 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | 26.44 |
| जोड़ - 796 | 3,85.62 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 37.59 |
| | 3,85.62 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 37.59 |
| जोड़ - 4408 | 3,85.62 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 37.59 |
| 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 107- सहकारी समितियों में निवेश | | | | | |
| ऐपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

² इसमें सहकारी समितियों में निवेश से संबंधित ₹ 80.57 लाख सम्मिलित है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों पर पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 108- सहकारी समितियों में निवेश - क्रमांत | | | | | | |
| एन.सी.डी.सी. सम्पोषित आई.सी.डी.पी. के लिए हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,25.27 | 0.00 |
| सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय | 19,53.77 | 0.00 | 14,46.61 | 0.00 | 14,46.61 | (-)25.96 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60.00 | 0.00 |
| जोड़ - 108 | 19,53.77 | 0.00 | 14,46.61 | 0.00 | 14,46.61 | (-)25.96 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| एन.सी.डी.सी. सम्पोषित आई.सी.डी.पी. को हिस्सा पूंजी समेकित सहकारिता विकास परियोजना के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,40.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,46.26 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,15.37 | 0.00 |
| जोड़ - 108 + जोड़ - 190 | 19,53.77 | 0.00 | 14,46.61 | 0.00 | 1,05,75.65 | (-)25.96 |
| जोड़ - 108 + जोड़ - 190 | 19,53.77 | 0.00 | 14,46.61 | 0.00 | 1,05,75.65 | (-)25.96 |
| जोड़ - 108 + जोड़ - 190 | 19,53.77 | 0.00 | 14,46.61 | 0.00 | 1,05,75.65 | (-)25.96 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|-------------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-क्रमशः | | | | | | | |
| 195- सहकारिता में निवेश | | | | | | | |
| एन.सी.डी.सी. सम्पौषित आई.सी.डी.पी. को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| एन.सी.डी.सी. सम्पौषित आई.सी.डी.पी. को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,73.62 | 0.00 | 0.00 |
| सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय | 13,06.58 | 9,53.53 | 0.00 | 9,53.53 | 42,58.03 | (-) | 27.02 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20.62 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 13,06.58 | 9,53.53 | 0.00 | 9,53.53 | 50,52.27 | (-) | 27.02 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| झारखण्ड राज्य को-ऑपरेटिव बैंक लि० के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| एन.सी.डी.सी. सम्पौषित आई.सी.डी.पी. को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35.00 | 0.00 | 0.00 |
| एन.सी.डी.सी. सम्पौषित आई.सी.डी.पी. जिलों के लिए हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,32.17 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | राज्य योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (क)- कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय | 33,00.00 | 0.00 | 23,97.64 | 0.00 | 23,97.64 | 1,65,17.63 (-)27.34 |
| एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 33,00.00 | 0.00 | 23,97.64 | 0.00 | 23,97.64 | 1,91,92.26 (-)27.34 |
| जोड़ - 4425 | 65,60.35 | 0.00 | 47,97.78 | 0.00 | 47,97.78 | 3,62,28.68 (-)26.87 |
| जोड़ - (क) | 3,90,33.59 | 0.00 | 1,47,50.79 | 6,34.20 | 1,53,84.99 | 20,88,76.38 (-)60.59 |
| (ख)- ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 101- पंचायती राज | | | | | | |
| सी.एल.एफ. हेतु भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,90.00 0.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,90.00 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्ट आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख)- ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| -क्रमशः | | | | | | |
| 102- सामुदायिक विकास | | | | | | |
| प्रखण्ड भवन जीर्णोद्धार | 9.11 | 0.00 | 74.90 | 0.00 | 74.90 | 722.17 |
| प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य | 1,09,53.29 | 0.00 | 53,26.36 | 0.00 | 53,26.36 | (-51.37) |
| जोड़ - 102 | 1,09,62.40 | 0.00 | 54,01.26 | 0.00 | 54,01.26 | (-50.73) |
| 103- ग्राम विकास | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पुरानी सड़कों का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण | 6,12,07.33 | 0.00 | 4,11,87.23 | 0.00 | 4,11,87.23 | (-32.71) |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण सड़कें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मुख्यमंत्री की ग्राम सेतु योजना मशीनरी एवं उपस्कर-आर.आई.ओ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-नई पुल/पुलों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| चीफ इंजीनियर/अधीक्षक अभियंता (ग्रामीण विकास) | 17,90.55 | 0.00 | 19,49.97 | 0.00 | 19,49.97 | 8.90 |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 103- ग्राम विकास - क्रमशः | | | | | | |
| मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना | 2,28,93.56 | 1,94,83.82 | 0.00 | 1,94,83.82 | 18,66,16.22 | (-)14.89 |
| विधानसभा के सदस्यों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,79,63.71 | 0.00 |
| विधायकों की अनुशंसा पर लोक जल समृद्धि योजना का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,15.63 | 0.00 |
| पी.आई.यु. का सुदृढीकरण-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,53.60 | 0.00 |
| विधायक योजना | 1,34,24.18 | 1,34,18.34 | 0.00 | 1,34,18.34 | 5,32,71.37 | (-)0.04 |
| पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत पहुँच पथ तक भूमि का अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 0.00 |
| जे.एस.आर.आर.डी.ए. का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|--|-------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 103- ग्राम विकास - क्रमांत | | | | | |
| 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर भवन का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,56,44.97 |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पी.एम.जी.एस.वाई. सेतु योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,00.00 |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम परामर्शी सेवाएँ | 3,49.15 | 0.00 | 2,53.44 | 2,53.44 | 13,39.82 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,98.86 |
| जोड़ - 103 | 9,96,64.77 | 0.00 | 7,62,92.80 | 7,62,92.80 | (-)23.45 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण | 76,97.50 | 0.00 | 80,02.12 | 80,02.12 | 5,38,41.26 |
| मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना | 9,06.04 | 0.00 | 4,64.70 | 4,64.70 | 4,06,93.55 |
| विधायकों की अनुशंसा पर लोक जल समृद्धि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,47.60 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | योजना | | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमांत | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पी.एम.जी.वाई. के अन्तर्गत पुल योजना का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,50.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-परामर्शी सेवाएँ विधायक योजना | 39,36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,31.49 | 0.00 |
| सी.एल.एफ. हेतु भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 | 0.00 |
| विधानसभा के सदस्यों की अनुशांसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,42,62.08 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 1,25,39.54 | 0.00 | 1,23,54.82 | 0.00 | 12,89,71.98 | (-)1.47 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,61,76.72 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण | 7,16,02.39 | 0.00 | 5,85,76.77 | 0.00 | 45,26,83.89 | (-)18.19 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमशः | | | | | | |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत पुल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,31.91 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,66.48 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पुराने पथों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,47.02 | 0.00 |
| विधानसभा के सदस्यों की अनुशांसा पर लोक जल समृद्धि योजना का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,82,90.14 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,66.67 | 0.00 |
| पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत डी.पी.आर. का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,50.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-झारखण्ड राज्य पथ विकास का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-परामर्शी सेवाएं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,95.12 | 0.00 |
| 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10,74.46 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-नए पथों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,06.67 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभासित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिसात |
|---|---------------------------|------------|---|------------|----------------------------|--|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4515- अन्वय ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमशः | | | | | | |
| ग्रामीण सड़कें, मुख्यमंत्री की ग्राम सेतु योजना, मशीनरी एवं उपस्कर - आर.ई.ओ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,23,37.02 | 0.00 |
| चीफ इंजीनियर/अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) विधानसभा के सदस्यों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन | 30,73.99 | 32,77.83 | 0.00 | 32,77.83 | 4,27,83.72 | 6.63 |
| मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना | 2,42,67.77 | 2,40,67.57 | 0.00 | 2,40,67.57 | 19,91,20.25 | (-)0.82 |
| प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,57,79.54 | 0.00 |
| ग्रामीण सम्पर्क सड़क का निर्माण विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,88.27 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास का कार्यान्वयन एवं सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| प्रखण्ड भवन लघु निर्माण कार्य | 40.56 | 58.16 | 0.00 | 58.16 | 13,28.32 | 43.39 |
| प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य | 80,74.36 | 35,81.24 | 0.00 | 35,81.24 | 3,25,45.99 | (-)55.65 |
| विधायक योजना | 1,55,34.10 | 1,51,90.25 | 0.00 | 1,51,90.25 | 6,19,64.94 | (-)2.21 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्विit आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|-------------|------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| र-सेटी भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 |
| सर्ड में निर्माण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,42.46 | 0.00 |
| न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-परामर्शी सेवाएं | 3,27.78 | 0.00 | 2,08.07 | 0.00 | 12,14.69 | (-)36.52 |
| सी.एल.एफ हेतु भवन निर्माण | 0.00 | 0.00 | 1,02.45 | 0.00 | 4,62.45 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,97.92 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 12,29,20.95 | 0.00 | 10,50,62.34 | 0.00 | 1,03,26,02.42 | (-)14.53 |
| 799- उचंत | | | | | | |
| विविध लोक निर्माण अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60.18 | 0.00 |
| जोड़ - 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60.18 | 0.00 |
| जोड़ - 4515 | 24,60,87.66 | 0.00 | 19,91,11.22 | 0.00 | 1,96,13,78.09 | (-)19.09 |
| जोड़ - (ख) | 24,60,87.66 | 0.00 | 19,91,11.22 | 0.00 | 1,96,13,78.09 | (-)19.09 |
| | | | | | वेतन - ₹ 49,34.79 लाख | |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-----------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02- मुख्य सिंचाई-अवाणिज्यिक | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| स्वर्णरेखा परियोजना-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,80.96 | 0.00 |
| स्वर्ण रेखा परियोजना/नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.) कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,13,10.90 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,23,94.99 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,23,94.99 | 0.00 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| स्वर्णरेखा परियोजना-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,90.59 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना-ए.आई.पी.पी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,17,32.23 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना) | 85.61 | 0.00 | 91,57.30 | 0.00 | 5,13,07.33 | 10596.53 |
| ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) | 1,23,79.88 | 0.00 | 24,25.96 | 30,08.66 | 2,29,52.26 | (-)56.10 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,01.60 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 1,24,65.49 | 0.00 | 1,15,83.26 | 30,08.66 | 10,27,84.01 | 17.06 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / ह्रास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | | |
| स्वर्णरेखा परियोजना-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,40,17.91 | 0.00 |
| सर्वेक्षण और अन्वेषण-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,51,07.04 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना - ए.आई.बी.पी. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,44,67.44 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना - ए.आई.बी.पी. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,53,09.31 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना - (नाबाई, आर.आई.डी.एफ.) -कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60,30.95 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना - कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,09,73.68 | 0.00 |
| स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल अंश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,39.26 | 0.00 |
| ए.आई.बी.पी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) | 2,09,20.83 | 0.00 | 48,72.84 | 1,54,60.14 | 7,65,59.64 | (-)2.81 |
| स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना) | 74,68.67 | 0.00 | 65,87.80 | 0.00 | 6,77,33.13 | (-)11.79 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,86.55 ³ | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 2,83,89.50 | 0.00 | 1,14,60.64 | 1,54,60.14 | 2,69,20.78 | (-)5.17 |

³ स्वर्ण रेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल) से संबंधित हिस्सा ₹ 1.65 लाख है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---------|---|--|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमांत | | | | | |
| 799 उचंत | 28,54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,55.09 |
| उचंत | 28,54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,55.09 |
| जोड़ - 799 | | | | | |
| 901- घटाएँ-पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ | | | | | |
| पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)8,44,90.18 |
| जोड़ - 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)8,44,90.18 |
| जोड़ - 80 | 4,37,09.72 | 0.00 | 2,30,43.90 | 1,84,68.80 | 4,15,12.70 |
| जोड़ - 4700 | 4,37,09.72 | 0.00 | 2,30,43.90 | 1,84,68.80 | 43,76,68.82 |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 02- मुख्य सिंचाई-अवाणिज्यिक | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| मध्यम सिंचाई परियोजना - स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,79.82 |
| मध्य सिंचाई परियोजना (नाबार्ड, आर.आई.डी.एफ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,13.37 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,97.53 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,90.72 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 02- मुख्य सिंचाई-अवाणिज्यिक - क्रमांत | | | | | | |
| 799- उचंत | | | | | | |
| विविध लोक निर्माण अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,26.23 | 0.00 |
| जोड़ - 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,26.23 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,16.95 | 0.00 |
| 03- मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक | | | | | | |
| 799- उचंत | | | | | | |
| विविध लोक निर्माण अग्रिम | 54,49.61 | (-0.77) | 20,44.73 | 0.00 | 84,28.32 | (-)62.49 |
| जोड़ - 799 | 54,49.61 | (-0.77) | 20,44.73 | 0.00 | 84,28.32 | (-)62.49 |
| जोड़ - 03 | 54,49.61 | (-0.77) | 20,44.73 | 0.00 | 84,28.32 | (-)62.49 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 052 मशीनरी तथा उपस्कर | | | | | | |
| ई-गवर्नेंस | 28.96 | 0.00 | 1,00.67 | 0.00 | 1,29.63 | 247.62 |
| जोड़ - 052 | 28.96 | 0.00 | 1,00.67 | 0.00 | 1,29.63 | 247.62 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| छोटानागपुर तथा सथाल परगना सिंचाई परियोजना-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,03.20 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------|---------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | योजना | | | | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | के.प्रा.स्कीम | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमशः | | | | | | | |
| - क्रमशः | | | | | | | |
| कोनाल सिंचाई परियोजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,00.00 | 0.00 |
| अमानत बराज योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 |
| केशो जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| उत्तर कोयल जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,54.90 | 0.00 |
| शुरू जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.04 | 0.00 |
| अजय बराज योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,30.37 | 0.00 |
| सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन | 4,85.93 | 0.00 | 6,61.32 | 0.00 | 6,61.32 | 34,40.53 | 36.09 |
| पचखरो जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,23.76 | 0.00 |
| नकटी जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| गुमानी जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,22.29 | 0.00 |
| अपर शंख जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,25.54 | 0.00 |
| सोनुआ जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,51.00 | 0.00 |
| गरही जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना-(कार्य) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,11.38 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना-(कार्य)(ए०आई०बी०पी०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,44.03 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|---|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमशः | | | | | | | |
| - छोटेनागपुर तथा स्थालपरगना सिंचाई परियोजना- कार्य- (ए०आई०बी०पी०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,60.00 | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना (कार्य) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,20.00 | 0.00 | 0.00 |
| छोटेनागपुर तथा स्थालपरगना परियोजना (कार्य)- (नाबार्ड, आर०आई०डी०एफ०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,94,36.19 | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,31.04 | 0.00 | 0.00 |
| छोटेनागपुर तथा स्थालपरगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 18,51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,10,23.97 | 0.00 | (-)100.00 |
| छोटेनागपुर तथा स्थालपरगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 21,24.45 | 0.00 | 21,24.45 | 21,24.45 | 100.00 | 100.00 |
| सिंचाई परियोजना का पुनर्स्थापन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमांत | | | | | | |
| नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत | 1,16.31 | 10,57.79 | 0.00 | 10,57.79 | 31,10.99 | 809.46 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना (ए०आई०बी०पी० चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,82.56 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 47,78.73 | 90,59.02 | 0.00 | 90,59.02 | 1,38,37.75 | 89.57 |
| छोटानागपुर तथा संधालपरगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,59.51 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 72,32.54 | 1,29,02.58 | 0.00 | 1,29,02.58 | 7,89,55.53 | 78.40 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| मध्यम सिंचाई परियोजना - स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,05,01.60 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड, आर०आई०डी०एफ०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,58.11 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - क्रमशः | | | | | |
| नकटी जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोनुआ जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अपर शंख जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गुमानी जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अजय बराज योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गरही जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| शुरू जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| रामरेखा जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन | 4,80.26 | 2,89.67 | 0.00 | 2,89.67 | (-)39.68 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना - कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,27,94.30 | |
| | | | | 5,41.98 | 0.00 |
| | | | | 3,81.00 | 0.00 |
| | | | | 7,49.54 | 0.00 |
| | | | | 11,36.00 | 0.00 |
| | | | | 9,88.26 | 0.00 |
| | | | | 8,00.00 | 0.00 |
| | | | | 3,00.00 | 0.00 |
| | | | | 4,61.45 | 0.00 |
| | | | | 67,44.38 | |
| | | | | 46,32.79 | 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|------------|---|------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमशः | | | | | | |
| मध्यम सिंचाई परियोजना - कार्य (ए०आई०बी०पी०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,07,22.44 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना (नाबाई, आर०आई०डी०एफ०) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,13.34 | 0.00 |
| अजय बराज परियोजना-कार्य | | | | | | |
| सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,17.89 | 0.00 |
| सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 11,15.66 | 39.23 | 0.00 | 39.23 | 20,12.36 | (-)96.48 |
| सर्वेक्षण अनुसंधान परियोजना (ए०आई०बी०पी०)-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,93.53 | 0.00 |
| सर्वेक्षण अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,49.07 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण ए०आई०बी०पी० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,35.94 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 29,08.18 | 64,23.87 | 0.00 | 64,23.87 | 93,32.05 | 120.89 |
| ई-गवर्नेंस | 67.69 | 1,85.67 | 0.00 | 1,85.67 | 6,27.68 | 174.29 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व | 3,60.92 | 6,10.70 | 0.00 | 6,10.70 | 1,39,43.35 | 69.21 |
| पूर्ण सिंचाई योजना का इ.आर.एम. | 1,95,78.98 | 1,33,26.22 | 0.00 | 1,33,26.22 | 5,59,03.70 | (-)31.94 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमांत | | | | | | |
| पुराने वाहनों की मरम्मत एवं नई वाहनों की क्रय भवन का संधारण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 0.00 |
| प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार | 40.54 | 0.00 | 3,49.12 | 0.00 | 3,49.12 | 761.17 |
| मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण ए.आई.बी.पी. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | 5.67 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 309.88 |
| डेम सेप्टी एवं हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,27.76 | 0.00 |
| जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नए वाहनों का क्रय | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,82.59 | 0.00 |
| 799- उंचांत | 2,45,57.90 | 0.00 | 2,12,64.04 | 0.00 | 2,12,64.04 | (-)13.41 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,68.75 | 0.00 |
| 800- अन्य व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,68.75 | 0.00 |
| झारखण्ड राज्य सिंचाई परियोजना-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,84.25 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमशः | | | | | | |
| छोटानागपुर एवं स्थालपरगना सिंचाई परियोजनाएँ-स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,74.00 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं स्थालपरगना सिंचाई परियोजनाएँ-कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,23,52.27 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं स्थालपरगना परियोजना (कार्य) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,84.46 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं स्थालपरगना सिंचाई परियोजना (कार्य) (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत पंचखेरो जलाशय योजना के लिए राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं स्थालपरगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भैरव जलाशय योजना कोनार जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,75.00 | 0.00 |
| अमानत बराज योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,36.75 | 0.00 |
| केशो जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| नोर्थ कोयल जलाशय योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| सिंचाई योजनाओं की पुनर्स्थापना | 11,70.04 | 0.00 | 5,53.20 | 0.00 | 16,57.65 | 0.00 |
| संपूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई.आई.एम. | 2,89,28.43 | 0.00 | 2,96,81.33 | 0.00 | 88,38.90 | (-)52.72 |
| | | | | | 9,11,12.41 | 2.60 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|----------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| भैरव जलाशय के अधीन(ए०आई०बी०पी०) छोटानागपुर एवं संचालपरगना परियोजना (कार्य) के अंतर्गत पंचखेरों जलाशय परियोजना के लिए राज्यांश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना कार्य के अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं संचालपरगना योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य, ए०आई०बी०पी० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भैरव जलाशय योजना (कार्य) (आर०आई०डी०एफ०, नाबार्ड) | 8,70.75 | 0.00 | 79,97.91 | 0.00 | 88,68.66 | 79,97.91 | 818.51 |
| छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तकनीकी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण | | | | | | | |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | |
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमांत | | | | | |
| 800- अन्य व्यय - क्रमांत | | | | | |
| मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 पूर्ण किए जाने वाले परियोजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व | 5,39.89 | 3,15.00 | 0.00 | 3,15.00 | 1,17,14.25 |
| सर्वेक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार | 19,39.26 | 74.97 | 0.00 | 74.97 | 28,71.60 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,18.52 |
| जोड़ - 800 | 3,36,48.37 | 3,86,22.41 | 0.00 | 3,86,22.41 | 21,25,74.06 |
| जोड़ - 80 | 6,54,67.77 | 7,28,89.70 | 0.00 | 7,28,89.70 | 47,26,79.53 |
| जोड़ - 4701 | 7,09,17.38 | 7,49,34.43 | (-0.77) | 7,49,33.66 | 48,49,24.80 |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 101- सतही जल | | | | | |
| लघु सिंचाई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,24.52 |
| सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 5.31 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 38.15 |
| चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 48,85.84 | 2,91.24 | 0.00 | 2,91.24 | 3,20,20.69 |

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

101- सतही जल

लघु सिंचाई

सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन

चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|--|---|--|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | |
| व्यय के दौरान हुआ व्यय | | | | | | | |
| जोड़ | | | | | | | |
| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
| व्यय के दौरान हुआ व्यय | 9,71.78 | 0.00 | 29,24.05 | 0.00 | 96,30.55 | | 200.90 |
| जोड़ | 70,10.26 | 0.00 | 33,35.92 | 0.00 | 2,40,76.11 | | (-)52.41 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी० | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,51.06 | | (-)100.00 |
| मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी० (केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35,55.11 | | 0.00 |
| ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,23.84 | | 0.00 |
| ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (राज्यांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | | 0.00 |
| भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जिर्णोद्धार नई/अधुनी सिंचाई योजनाओं का निर्माण- | 60.00 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 2,09.28 | | (-)35.08 |
| माईक्रोलिफ्ट योजना का निर्माण सह उद्वह सिंचाई योजना का पुनस्थापना- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,12.16 | | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई योजना के पुनस्थापना कार्य अंतर्गत लघु सिंचाई योजना का अपूर्ण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,37.78 | | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई योजना के पुनस्थापना कार्य अंतर्गत लघु सिंचाई योजना का अपूर्ण कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,87.99 | | 0.00 |

(₹ लाख में)

व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)

ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः

(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः

101- सतही जल - क्रमशः

नयी लघु सिंचाई योजना का निर्माण

पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का वित्त एवं पुनस्थापना

लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी०

मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी० (केन्द्रांश)

ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम

अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश)

ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम

अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (राज्यांश)

भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जिर्णोद्धार

नई/अधुनी सिंचाई योजनाओं का निर्माण-

माईक्रोलिफ्ट योजना का निर्माण सह उद्वह

सिंचाई योजना का पुनस्थापना-

मध्यम सिंचाई योजना के पुनस्थापना कार्य अंतर्गत

लघु सिंचाई योजना का अपूर्ण कार्य

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 101- सतही जल - क्रमांत | | | | | | |
| जल पर्षद (राज्यांश) के अंतर्गत पुनःस्थापना कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,96.61 | 0.00 |
| लघु सिंचाई के अंतर्गत पुराने वाहनों का मरम्मत कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.81 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजना की तैयारी (ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,07.96 | 0.00 |
| झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेंतन अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,81.97 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजना की तैयारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,76.92 | 0.00 |
| रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 44.54 (*) | 90.18 | 83.29 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,68.71 | 0.00 |
| जोड़ - 101 | 1,29,59.67 | 0.00 | 65,92.25 | 44.54 (*) | 10,03,86.30 | (-)48.79 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|---|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 102- भू जल | | | | | | | |
| नई/अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड से कर्ज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,58.55 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,73.55 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,55.12 | 0.00 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,44.43 | 0.00 | 0.00 |
| पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का वित्त एवं पुनःस्थापन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,19.42 | 0.00 | 0.00 |
| सिंचाई परियोजनाएँ (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,17.59 | 0.00 | 0.00 |
| ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,05.25 | 0.00 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण- ए.आई.बी.पी. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| नई/अधूरी उद्वह सिंचाई योजनाओं की निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,61.93 | 0.00 | 0.00 |

जोड़ - 102

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमांत | | | | | | |
| पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 0.00 |
| 10 फीट/20 फीट व्यास के सिंचाई कूप का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,27.78 | 0.00 |
| नई/अधुरी मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए नाबार्ड के ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,87.31 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,16.08 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,19.14 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| लघु सिंचाई | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,41.51 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,07.47 | 0.00 |
| नई/अधुरी उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,37.39 | 0.00 |
| चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 95,89.71 | 0.00 | 5,01.12 | 0.00 | 4,99,58.47 | (-)94.77 |
| नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 9,86.39 | 0.00 | 71,57.07 | 0.00 | 1,21,55.86 | 625.58 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|----------|---------------------------|---|----------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमशः | | | | | | | |
| ए.आई.बी.एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयण (केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का वित्त एवं पुनःस्थापन | 75,55.68 | 15,11.65 | 15,11.65 | 0.00 | 0.00 | 15,11.65 | 1,96,74.06 |
| नई योजना का भूगर्भजल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
| भूगर्भजल का सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
| भू-जल योजना का निष्पादन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,53.09 |
| भू-जल योजना का क्रियान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,76.18 |
| भू-जल योजना का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,55.19 |
| नई/अधूरी उद्वह सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत माइक्रोलिफ्ट योजना का निर्माण सह उद्वह सिंचाई योजना का पुनःस्थापन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,13.54 |
| नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत चेक डैम/मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,13.44 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---------|---|-----------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.14 | (-100.00) |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमशः | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 35.22 (*) | 79.10 | 196.22 |
| सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 48.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 2,60.00 | (-16.67) |
| रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जिर्णोद्धार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 0.00 |
| वाटर बीडिज का पुनःस्थापन कार्य - लघु सिंचाई सांख्यिकी का रेशनालाइजेशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,29.20 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,58.82 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,82.26 | 0.00 |
| लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी० अधूरी लघु सिंचाई योजनाओं के समापन के अन्तर्गत मध्यम सिंचाई योजना का पुनःस्थापन कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,72.03 | 0.00 |
| मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण ए०आई०बी०पी०(केन्द्रांश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,97,74.57 | 0.00 |
| झारखण्ड जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,81.96 | 0.00 |
| ई-गवर्नेंस | 25.78 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1,25.32 | (-88.36) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--|--|------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत लेखा - क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,80.99 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | | | | | | |
| जोड़ - 796 | 1,82,36.64 | 0.00 | 92,12.84 | 35.22 (*) | 14,45,86.16 | (-)49.29 |
| 799- उंचंत | | | | | | |
| विविध लोक निर्माण अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,04.80 | 0.00 |
| जोड़ - 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,04.80 | 0.00 |
| जोड़ - 4702 | 3,11,96.31 | 0.00 | 1,58,05.09 | 79.76 (*) | 25,73,69.95 | (-)49.08 |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय | | | | | | |
| 01- बाढ़ नियंत्रण | | | | | | |
| 103- सिविल कार्य | | | | | | |
| अनुरक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,79.38 | 0.00 |
| जोड़ - 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,79.38 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--------------|---|--------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 01- बाढ़ नियंत्रण - क्रमशः | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | |
| नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण | 8,69.25 | 34.04 | 0.00 | 34.04 | 22,44.26 | (-)96.08 |
| चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,72.79 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,91.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 8,69.25 | 34.04 | 0.00 | 34.04 | 29,08.05 | (-)96.08 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| अनुक्षण | | | | | | |
| बाढ़ नियंत्रण और जल कटाव नियंत्रण सिविल कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,71.49 | 0.00 |
| बाढ़ नियंत्रण और जल कटाव नियंत्रण (के.प्रा.यो.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,33.43 | 0.00 |
| बाढ़ नियंत्रण और जल कटाव नियंत्रण-सिविल कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,15.10 | 0.00 |
| बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण | 9,53.24 | 5,12.91 | 0.00 | 5,12.91 | 14,66.15 | (-)46.19 |
| बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,06.68 | 0.00 |
| बाढ़ नियंत्रण/जल कटाव नियंत्रण कार्यों का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,37.26 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश)/ के.से.स्कीम (*) | जोड़ | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय - क्रमांत | | | | | |
| 01- बाढ़ नियंत्रण - क्रमांत | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | |
| नये बाढ़ नियंत्रण/जल कटाव नियंत्रण कार्यों का कार्यान्वयन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,03.93 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,10.26 |
| | 9,53.24 | 0.00 | 5,12.91 | 0.00 | 1,85,47.58 |
| जोड़ - 796 | | 0.00 | 5,12.91 | 0.00 | (-)46.19 |
| 901- घटाएँ-पूंजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ-बाढ़ नियंत्रण और जल कटाव नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण और जल कटाव नियंत्रण - सिविल कार्य | | | | | |
| जोड़ - 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 18,22.49 | 0.00 | 5,46.95 | 5,46.95 | (-)69.99 |
| जोड़ - 4711 | 18,22.49 | 0.00 | 5,46.95 | 5,46.95 | (-)69.99 |
| जोड़ - (घ) | 14,76,45.90 | (-)0.77 | 11,43,30.37 | 13,28,78.16 | 1,19,95,98.58 |
| | | | | | 79.76 (*) |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 01- हाइडल उत्पादन | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| हरिजन मुहल्लों में विद्युतीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग्रामीण विद्युतीकरण-अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ए०डी०पी हेतु अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,27,23.05 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| ग्रामीण विद्युतीकरण अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ए०डी०पी हेतु अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,00.00 |
| जोड़ - 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,98,23.05 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | |
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन | | | | | |
| 800- अन्य व्यय | | | | | |
| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश (टीवीएनएल को हिस्सा पूंजी) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| जोड़ - 4801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,03,23.05 |
| जोड़ - (ङ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,03,23.05 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02- अलौह धातु | | | | | | |
| 004- अनुसंधान तथा विकास | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 0.00 |
| जोड़ - 004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 0.00 |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| झारखण्ड राज्य का खान विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| खान की स्थापना-मुख्य कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,03.58 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,08.07 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,11.65 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,38.00 | 0.00 |
| जोड़ - 4853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,38.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 60- अन्य उद्योग | | | | | | |
| 004 अनुसंधान तथा विकास | | | | | | |
| सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना | 6,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 004 | 6,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 60 | 6,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 4875 | 6,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | (-)100.00 |
| 4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 60- अन्य | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| जिडको को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 4,00.00 | 100.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 4,00.00 | 100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| जिडको को हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 |
| जोड़ - 60 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 24,00.00 | 100.00 |
| जोड़ - 4885 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 24,00.00 | 100.00 |
| जोड़ - (च) | 6,50.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 47,38.00 | (-)38.46 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | | | | | | |
| 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 02- विमानपत्तन | | | | | | |
| 102- हवाई अड्डा | | | | | | |
| रांची हवाई अड्डे पर राजकीय एयरप्लेट निर्माण हेतु निधि आवंटित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| देवघर विमानपत्तन, देवघर के विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,46,65.65 | 0.00 |
| झारखण्ड उड्डयन संस्थान के आधारभूत संसाधनों के | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,72.65 | 0.00 |
| सृजन एवं विकास | | | | | | |
| विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में सवे का निर्माण एवं विस्तार | 4,86.71 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 14,21.78 | (-93.23) |
| देवघर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हेतु संचरण लाईनों का परिवर्तन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,90.53 | 0.00 |
| झारखण्ड के 10 पर्यटन स्थानों में हेलीपैड का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 | 0.00 |
| बिरसा मुण्डा विमानपत्तन के विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10,00.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | 4,86.71 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 5,17,50.61 | (-93.23) |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-------------|--|---|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) (र लाख में) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 02- विमानपत्तन - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में सवरे का निर्माण एवं विस्तार | 6,44.94 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 7,68.47 (-)97.53 |
| जोड़ - 796 | 6,44.94 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 7,68.47 (-)97.53 |
| जोड़ - 02 | 11,31.65 | 0.00 | 48.91 | 0.00 | 48.91 | 5,25,19.08 (-)95.68 |
| 80- सामान्य | | | | | | |
| 003- प्रशिक्षण एवं शिक्षा | | | | | | |
| सोना सोबरान फ्लाइंग अकादमी की स्थापना, दुमका | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 0.00 |
| सी.पी.एल., ग्लोडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण | 23.27 | 0.00 | 1,69.75 | 0.00 | 1,69.75 | 1,93.02 629.48 |
| जोड़ - 003 | 23.27 | 0.00 | 1,69.75 | 0.00 | 1,69.75 | 6,93.02 629.48 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| एयरो मॉडलिंग एवं एयरो स्पॉट्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 0.00 |
| उड़ान एकेदमी, दुमका की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,74.24 0.00 |
| सी.पी.एल., ग्लोडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण | 1,42.46 | 0.00 | 1,22.83 | 0.00 | 1,22.83 | 2,65.29 (-)13.78 |
| जोड़ - 796 | 1,42.46 | 0.00 | 1,22.83 | 0.00 | 1,22.83 | 7,39.84 (-)13.78 |
| जोड़ - 80 | 1,65.73 | 0.00 | 2,92.58 | 0.00 | 2,92.58 | 14,32.86 76.54 |
| जोड़ - 5053 | 12,97.38 | 0.00 | 3,41.49 | 0.00 | 3,41.49 | 5,39,51.94 (-)73.68 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 03- राज्य राजमार्ग | | | | | | |
| 052- मशीनरी तथा उपस्कर | | | | | | |
| मशीनरी तथा उपस्कर | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,11.29 | (-100.00) |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रूपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| जोड़ - 052 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,17.20 | (-100.00) |
| 101- सेतु | | | | | | |
| सेतु (चालू योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,91,82.97 | 0.00 |
| सेतु (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,93,84.78 | 0.00 |
| सेतु | 1,05,73.40 | 0.00 | 55,76.45 | 0.00 | 1,61,49.85 | (-47.26) |
| जोड़ - 101 | 1,05,73.40 | 0.00 | 55,76.45 | 0.00 | 8,47,17.60 | (-47.26) |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | | | | | | |
| वृहत् सड़कें (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,36,19.22 | 0.00 |
| वृहत् सड़कें - वृहत् सड़कें (चालू योजना) | 12,88,98.63 | 0.00 | 12,44,83.89 | 0.00 | 12,44,83.89 | (-3.42) |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्याश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 03- राज्य राजमार्ग - क्रमशः | | | | | | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य - क्रमांत | | | | | | |
| वृहत् सड़कें - चालू योजना एवं नई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50,70.46 | 0.00 |
| वृहत् सड़कें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,07.01 | 0.00 |
| राज्य मार्ग की सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार | 2,24,02.91 | 0.00 | 70,00.00 | 0.00 | 70,00.00 | (-)68.75 |
| केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण | 51,56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,63.00 | (-)28.96 |
| जोड़ - 337 | 15,64,57.56 | 0.00 | 13,14,83.89 | 36,63.00 (*) | 2,40,59.31 | (-)13.62 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| वृहत् सड़कें-चालू योजना एवं नई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,08,19.78 | 0.00 |
| वृहत् सड़कें (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,35,50.60 | 0.00 |
| वृहत् सड़कें | 14,44,16.68 | 0.00 | 16,51,44.73 | 0.00 | 1,25,06,14.92 | 14.35 |
| पुलें | 1,63,58.42 | 0.00 | 1,21,40.26 | 0.00 | 10,15,17.90 | (-)25.79 |
| पुलें (नई योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,94.01 | 0.00 |
| पुलें-चालू योजना एवं नई योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,55.79 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 03- राज्य राजमार्ग - क्रमशः | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| वृहत् सड़क-राज्य मार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार | 1,75,00.00 | 80,00.00 | 0.00 | 80,00.00 | 13,70,68.31 | (-)54.29 |
| केन्द्रीय पथ निधि | 10,99.91 | 0.00 | 0.00 | 19,50.00 (*) | 85,63.33 | 77.29 |
| झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार हेतु अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| बी०ओ०टी० (एन०यू०टी०) परियोजना के एन०यू०टी० भुगतान | 3,58,13.88 | 3,87,96.41 | 0.00 | 3,87,96.41 | 23,73,12.19 | 8.33 |
| मशीनरी एवं उपस्कर | 3,96.70 | 1,05.79 | 0.00 | 1,05.79 | 11,86.52 | (-)73.33 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,38.27 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 21,55,85.59 | 22,41,87.19 | 0.00 | 22,61,37.19 | 1,79,52,21.62 | 4.89 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 03- राज्य राजमार्ग - क्रमांत | | | | | | |
| 799- उद्यत्त | | | | | | |
| विविध कार्य अग्रिम | 15,86.42 | 0.00 | 5,72.29 | 0.00 | 5,72.29 | 8,24,52.39 (-)63.93 |
| स्टॉक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)1.26 0.00 |
| जोड़ - 799 | 15,86.42 | 0.00 | 5,72.29 | 0.00 | 5,72.29 | 8,24,51.13 (-)63.93 |
| जोड़ - 03 | 38,43,01.42 | 0.00 | 36,18,19.82 | 56,13.00 (*) | 36,74,32.82 | 2,99,22,58.32 (-)4.39 |
| जोड़ - 5054 | 38,43,01.42 | 0.00 | 36,18,19.82 | 56,13.00 (*) | 36,74,32.82 | 2,99,22,58.32 (-)4.39 |
| 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| भवनों एवं चेक पोस्ट का निर्माण सहित परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,39.61 0.00 |
| बिहार राज्य परिवहन निगम-रिभाइथल पैकेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 0.00 |
| अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,11.92 (-)100.00 |
| मशीनरी एवं उपस्कर-आवाजरहित जेनरेटर की खरीदारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.35 0.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| - क्रमांत | | | | | | |
| प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (पी०एम०यू) ट्रांसपोर्ट | 98.20 | 0.00 | 1,72.69 | 0.00 | 1,72.69 | 75.86 |
| स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्यालय की मरम्मत तथा कार्यशाला एवं गोष्ठी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मशीन एवं उपस्कर | 7.19 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 216.41 |
| ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/कार्यशाला/गोष्ठी/जागरूकता अभियान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सड़क सुरक्षा निधि | 2,04.40 | 0.00 | 1,51.28 | 0.00 | 1,51.28 | (-)25.99 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 3,31.76 | 0.00 | 3,46.72 | 0.00 | 3,46.72 | 4.51 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- अस्थायी चेक पोस्ट | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिवहन का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण | 29.16 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 2.88 |
| मशीनरी एवं उपस्कर-आवाज रहित जेनरेटर की खरीदारी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता - क्रमांत | | | | | | |
| मशीनरी एवं उपस्कर | 35.71 | 0.00 | 41.83 | 0.00 | 41.83 | 17.14 |
| अस्थाई चेक पोस्ट का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रिन्टिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन | 2.58 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 915.89 |
| ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/कार्यशाला/गोष्ठी/जागरूकता अभियान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) ट्रांसपोर्ट | 1,55.96 | 0.00 | 1,32.86 | 0.00 | 1,32.86 | (-)14.81 |
| सड़क सुरक्षा निधि | 4,00.40 | 0.00 | 3,42.64 | 0.00 | 3,42.64 | (-)14.43 |
| स्मार्ट कार्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिहार राज्य परिवहन निगम (रिभाइभल पैकेज) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 6,23.81 | 0.00 | 5,73.54 | 0.00 | 5,73.54 | (-8.06) |
| जोड़ - 5055 | 9,55.57 | 0.00 | 9,20.26 | 0.00 | 9,20.26 | (-)3.70 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | | |
| 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 60- अन्य | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| रेलवे को सहाय्य अनुदान | | | | | | |
| रेल परियोजनाओं के लिए हिस्सा पूंजी | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 190 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | |
| झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे को सहाय्य अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 60 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - 5075 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (-)100.00 |
| जोड़ - (छ) | 38,70,54.37 | 0.00 | 36,30,81.57 | 56,13.00 (*) | 36,86,94.57 | 3,11,93,52.19 (-)4.74 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 80- सामान्य | | | | | | | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | | | | | | | |
| अविकसित यात्री स्थान का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,36.07 | 0.00 | 0.00 |
| पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,10.44 | 0.00 | 0.00 |
| अधिग्रहण-मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (चालू) | | | | | | | |
| पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास भूमि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,61.84 | 0.00 | 0.00 |
| अधिग्रहण-मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (नई) | | | | | | | |
| पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि | 39,72.09 | 18,05.56 | 0.00 | 18,05.56 | 57,77.65 | (-) | 54.54 |
| अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि | | | | | | | |
| विभिन्न पर्यटन सर्किट का समेकित विकास | 33,96.72 | 7,50.00 | 0.00 | 7,50.00 | 41,46.72 | (-) | 77.92 |
| अविकसित यात्री स्थान का निर्माण-(नयी योजनाएँ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,96.32 | 0.00 | 0.00 |
| संवर्धन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| नयी योजनाओं का समग्र विकास- भूमि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.64 | 0.00 | 0.00 |
| अधिग्रहण/क्रय/हस्तांतरण | | | | | | | |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभाषरत व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | जोड़ | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | | | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार - क्रमांत | | | | | | | |
| नयी योजनाओं का समग्र विकास- पर्यटन स्थलों एवं गंतव्यों का समेकित विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,77.87 | | 0.00 |
| सड़क मार्ग सुविधा का निर्माण- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,80.00 | | 0.00 |
| अविकसित पर्यटन स्थलों का निर्माण- भूमि अधिग्रहण/क्रय/हस्तांतरण (चालू) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,42.32 | | 0.00 |
| झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि. का हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,15.00 ⁴ | | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,70.19 ⁵ | | 0.00 |
| जोड़ - 104 | 73,68.81 | 0.00 | 25,55.56 | 0.00 | 25,55.56 | 3,53,15.06 | (-)65.32 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| अविकसित पर्यटन स्थलों का निर्माण- पर्यटन स्थलों एवं गंतव्यों का यथोचित विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,22.84 | | 0.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,37.84 | 0.00 |

⁴ अन्य योजनाओं से ₹ 90.00 लाख स्थानांतरित किया गया।

⁵ झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को हिस्सा पूंजी में ₹ 90.00 लाख स्थानांतरित किया गया।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | जोड़ | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमशः | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमशः | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| पर्यटन स्थलों में सड़कों का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,78.17 |
| अविकसित पर्यटन स्थल का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,83.94 |
| राज्यांश (भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 |
| नये योजनाओं का समग्र विकास- पर्यटन स्थलों एवं गंतव्यों का समेकित विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,57.95 |
| नये योजनाओं का समग्र विकास-भूमि अधिग्रहण/ क्रय/हस्तांतरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,79.97 |
| मार्गीय सुविधाओं का निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,62.49 |
| कंसलटेंसी एवं अन्य सेवाएँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,25.03 |
| अविकसित पर्यटन स्थल का निर्माण (नयी योजना) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,39.68 |
| झारखण्ड पर्यटन विकास लि० का हिस्सा पूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|---|---------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | | |
| 80- सामान्य - क्रमांत | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | |
| पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास भूमि अधिग्रहण/मार्ग सुविधाएँ, पर्यटन सूचना केन्द्र, एडवेंचर टूरिज्म आदि। | 12,43.95 | 0.00 | 88.94 | 0.00 | 88.94 | 1,13,22.75 |
| विभिन्न पर्यटन सर्किट का समेकित विकास | 13,24.21 | 0.00 | 18,01.25 | 0.00 | 18,01.25 | 31,25.46 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,63.05 |
| जोड़ - 796 | 25,68.16 | 0.00 | 18,90.19 | 0.00 | 18,90.19 | 2,12,38.49 |
| 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| पर्यटन स्थलों में सड़क निर्माण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,43.58 |
| जोड़ - 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,43.58 |
| जोड़ - 80 | 99,36.97 | 0.00 | 44,45.75 | 0.00 | 44,45.75 | 5,68,34.97 |
| जोड़ - 5452 | 99,36.97 | 0.00 | 44,45.75 | 0.00 | 44,45.75 | 5,68,34.97 |
| | | | | | | (-)55.26 |
| | | | | | | (-)26.40 |

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में सुद्वित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------------|-------------|--|--|----------------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | योजना राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ब) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 01- सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश | | | | | | |
| हिस्सा पूंजी का क्रय | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 100.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 100.00 |
| जोड़ - 01 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 100.00 |
| 02- व्यापार संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश भवन निर्माण निगम को हिस्सापूंजी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 5465 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 100.00 |

(₹ लाख में)

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमशः
तिरछे अक्षरों में मुद्रित आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | योजना | | जोड़ | | |
| | | स्थापना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | राज्य योजना के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 ⁶ | 0.00 |
| 101- भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर) | | | | | | |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 ⁶ | 0.00 |
| जोड़ - 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 202- जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमि धारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर | | | | | | |
| जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर | 1,13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,13.63 | (-)100.00 |
| अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये और उससे कम है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| जोड़ - 202 | 1,13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,19.04 | (-)100.00 |

⁶ क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूंजी के रूप में ₹ 0.95 लाख शामिल है।

16. लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण - क्रमांत :
तिरछे अक्षरों में सुदृष्टि आँकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं

| व्यय का स्वरूप | 2019-20 के दौरान हुआ व्यय | | | 2019-20 के अंत तक हुआ व्यय | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+) / हास (-) का प्रतिशत |
|--|---------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | 2018-19 के दौरान हुआ व्यय | स्थापना | जोड़ | | |
| | | राज्य योजना और के.प्रा.स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा.स्कीम (केन्द्रांश) / के.से.स्कीम (*) | | |
| | | (₹ लाख में) | | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | | | | | |
| ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - क्रमांत | | | | | |
| 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - क्रमांत | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | |
| झारखण्ड ग्रामीण बैंक रांची की हिस्सा पूंजी में राज्य वनांचल ग्रामीण बैंक दुमका को हिस्सा पूंजी में सरकार का अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,30.11 | 0.00 |
| राज्य सरकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश के हिस्सा-पूंजी में अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,40.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,01.95 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,72.06 | 0.00 |
| जोड़ - 5475 | 1,13.63 | 0.00 | 0.00 | 46,92.65 | (-)100.00 |
| जोड़ - (ज) | 1,00,50.60 | 8.23 | 44,45.75 | 6,17,35.85 | (-)55.68 |
| जोड़ - ग | 83,05,22.12 | 7.46 | 1,91,03.00 | 6,57,60,02.14 | (-)13.20 |
| | | | 56,92.76 (*) | | |
| कुल जोड़ | 1,07,11,70.79 | 46,51.41 | 8,92,03.98 | 8,75,77,10.69 | (-)7.78 |
| जोड़ (पूंजीगत लेखा) | | वेतन ₹ 49,34.79 लाख | 81,94.53 (*) | | |

(*) के.से.स्कीम से संबंधित है।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 को अंत शेष | वृद्धि (+)/ ह्रास (-) प्रतिशत | | भुगतान किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | (₹ लाख में) | | |
| इ- लोक ऋण- | | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | | | | | | |
| 101- बाजार कर्ज | 3,71,10,74.98 | 75,00,00.00 | 18,44,00.51 | 4,27,66,74.47 | 15.24 | 35,16,61.32 | |
| 103- भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 4,69.96 | 0.00 | 0.00 | 4,69.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 104- भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | 89.12 ¹ | 0.00 | 0.00 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 105- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 68,96,07.30 | 14,33,24.02 | 12,09,84.60 | 71,19,46.72 | 3.24 | 6,15,61.87 | |
| 106- प्रतिकर तथा अन्य बंध-पत्र | 55,58,07.48 | 0.00 | 0.03 | 55,58,07.45 | -0.00 | 0.00 | |
| 107- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 75,79.38 | 3,41.71 | 6,87.00 | 72,34.09 | (-)4.56 | 0.00 | |
| 109- अन्य संस्थानों से कर्ज | 4,28,25.01 ² | 2,30,48.02 | 2,27,65.08 | 4,31,07.95 | 0.66 | 0.00 | |
| 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,94.56 ³ | |
| 111- केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ | 83,25,86.75 | 0.00 | 7,69,48.83 | 75,56,37.92 | (-)9.24 | 8,00,26.93 | |
| 800- अन्य कर्ज | 35,78.59 | 0.00 | 0.00 | 35,78.59 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ - 6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण⁴ | 5,84,36,18.75 | 91,67,13.75 | 40,57,86.05 | 6,35,45,46.45 | 8.74 | 49,36,44.68 | |

¹ एच. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या (30)10/2015/216/बजट दिनांक 28.06.2018 के आधार पर लघुशीर्ष 104 के अंतर्गत शेष में ₹ 70.63 लाख की कमी हुई एवं लघुशीर्ष 109 के अंतर्गत शेष में ₹ 70.63 लाख की वृद्धि हुई।

² राज्य सरकार द्वारा ₹ 14,72,13.00 लाख अर्थोपाय अग्रिम 2019-20 में लिया गया था एवं इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे 6003-110 शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया एवं उसका पुनर्भुगतान करने के पश्चात् 'घटाएँ जमा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है। यद्यपि लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3,94.56 लाख का ब्याज भुगतान किया गया है।

⁴ विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया इस विवरण का अनुबंध देखें।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | 1 अप्रैल 2019 | | वर्ष के दौरान | | 31 मार्च 2020 | | वृद्धि (+)/ ह्रास (-) प्रतिशत | भुगतान किया गया ब्याज |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | का शेष | वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | को अंत शेष | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| इ- लोक ऋण - क्रमांत | | | | | | | | |
| 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम ⁵ | | | | | | | | |
| 01- योजनेतर कर्ज | 15,79.07 | 0.00 | 1,76.85 | 14,02.22 | (-)11.20 | | 1,53.08 | |
| 02- राज्यसंघ राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | 23,23,29.40 | 4,25,98.03 | 1,71,77.38 | 25,77,50.05 | 10.94 | | 1,28,30.95 | |
| जोड़ - 6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 23,39,08.47 | 4,25,98.03 | 1,73,54.23 | 25,91,52.27 | 10.79 | | 1,29,84.03 | |
| ख- अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि | | | | | | | | |
| (ख) राज्य भविष्य निधियाँ | | | | | | | | |
| 8009- राज्य भविष्य निधि | 23,49,87.96 ⁶ | 11,67,21.42 | 10,53,07.93 | 24,64,01.45 | 4.86 | | 2,38,16.13 | |
| जोड़ - (ख) राज्य भविष्य निधि | 23,49,87.96 | 11,67,21.42 | 10,53,07.93 | 24,64,01.45 | 4.86 | | 2,38,16.13 | |
| (ग) अन्य लेखे | | | | | | | | |
| 8011- बीमा तथा पेंशन निधि- | (-)11,38,76.58 ⁷ | 8,15.48 | 1,16,54.72 | (-)12,47,15.82 | 9.52 | | 17.34 | |
| जोड़ - (ग) अन्य लेखे | (-)11,38,76.58 | 8,15.48 | 1,16,54.72 | (-)12,47,15.82 | 9.52 | | 17.34 | |
| जोड़ - (झ) अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि | 12,11,11.38 | 11,75,36.90 | 11,69,62.65 | 12,16,85.63 | 0.47 | | 2,38,33.47 | |

⁵ विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया इस विवरण का अनुबंध देखें।

⁶ विवरण से 21 के अंकड़े के साथ सह-संबंध करने के लिए अथशेष को ₹ 0.01 लाख की वृद्धि की गई।

⁷ उत्तरवर्ती राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार राज्य के शेषों का बटवारा नहीं होने के कारण ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2020)।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | 1 अप्रैल 2019 | | वर्ष के दौरान | | 31 मार्च 2020 | | वृद्धि (+)/ हास (-) प्रतिशत | भुगतान किया गया ब्याज | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | का शेष | वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान | वापसियाँ | को अंत शेष | | | | |
| | (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| अ) आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | 19,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | 59,48,02.28 | 208.17 | 0.00 | | | |
| जोड़ - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | 19,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | 59,48,02.28 | 208.17 | 0.00 | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| 8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| जोड़ - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| जोड़ - (ज) आरक्षित निधियाँ | 19,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | 59,48,02.28 | 208.17 | 0.00 | | | |
| (ट)- जमा और पेशगियाँ | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज सहित जमा | | | | | | | | | |
| 8342- अन्य जमा | 12,63.51 | 5,22,42.67 | 4,95,50.87 | 39,55.31 | 213.04 | 0.00 | | | |
| जोड़ - (क) ब्याज सहित जमा | 12,63.51 | 5,22,42.67 | 4,95,50.87 | 39,55.31 | 213.04 | 0.00 | | | |
| (ख) ब्याज रहित जमा- | | | | | | | | | |
| 8443- सविल जमा ⁸ | 54,20,27.78 ⁸ | 47,67,01.30 | 28,48,12.82 | 73,39,16.26 | 35.40 | 3,09.03 | | | |
| 8448- अस्थानीय निधियों की जमा ⁹ | 1,43,47,24.51 ⁹ | 1,04,47,61.51 | 1,10,88,27.21 | 1,37,06,58.81 | (-)4.47 | 0.00 | | | |
| 8449- अन्य जमा | 86,29.92 | 95,78.78 | 1,62,65.39 | 19,43.31 | (-)77.48 | 0.00 | | | |
| जोड़ - (ख) ब्याज रहित जमा | 1,98,53,82.21 | 1,53,10,41.59 | 1,40,99,05.42 | 2,10,65,18.38 | 6.10 | 3,09.03 | | | |
| जोड़ - ट जमा और पेशगियाँ | 1,98,66,45.72 | 1,58,32,84.26 | 1,45,94,56.29 | 2,11,04,73.69 | 6.23 | 3,09.03 | | | |
| जोड़ - अन्य दायित्व | 2,30,07,66.29 | 2,13,87,22.85 | 1,61,25,27.54 | 2,82,69,61.60 | 22.87 | 2,41,42.50 | | | |
| जोड़ - ऋण एवं अन्य दायित्व | 8,37,82,93.51 | 3,09,80,34.63 | 2,03,56,67.82 | 9,44,06,60.32 | 12.68 | 53,07,71.21 | | | |

⁸ विवरण सं. 21 के आँकड़ों के साथ सह-संबंध करने के लिए अथशेष में ₹ 0.01 लाख की वृद्धि की गई।

⁹ विवरण सं. 21 के आँकड़ों के साथ सह-संबंध करने के लिए अथशेष में ₹ 0.02 लाख की कमी की गई।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | |

(₹ लाख में)

ड- लोक ऋण - क्रमशः

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

101 बाजार कर्ज

(क) ब्याज सहित बाजार ऋण

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|------|------------|-------------|
| 1 | 7.54 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2019 | 2009-2010 | 5,17,45.00 | 0.00 | 5,17,45.00 | 0.00 |
| 2 | 8.01 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2019 | 2009-2010 | 4,74,40.00 | 0.00 | 4,74,40.00 | 0.00 |
| 3 | 8.37 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2019 | 2009-2010 | 5,99,89.00 | 0.00 | 5,99,89.00 | 0.00 |
| 4 | 8.19 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2019 | 2009-2010 | 2,52,24.00 | 0.00 | 2,52,24.00 | 0.00 |
| 5 | 8.28 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2020 | 2010-2011 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 6 | 8.52 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2021 | 2011-2012 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 7 | 9.05 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2021 | 2011-2012 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 8 | 9.32 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2022 | 2011-2012 | 2,54,05.00 | 0.00 | 0.00 | 2,54,05.00 |
| 9 | 8.90 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2022 | 2012-2013 | 2,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,00.00 |
| 10 | 8.93 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2022 | 2012-2013 | 3,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00,00.00 |
| 11 | 8.81 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2022 | 2012-2013 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 12 | 9.00 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2022 | 2012-2013 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 13 | 8.66 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2023 | 2012-2013 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 14 | 8.64 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2023 | 2012-2013 | 8,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00,00.00 |
| 15 | 8.62 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2023 | 2012-2013 | 3,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00,00.00 |
| 16 | 8.55 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2023 | 2013-2014 | 3,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00,00.00 |
| 17 | 9.15 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक, 2023 | 2013-2014 | 3,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00,00.00 |
| 18 | 9.75 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2023 | 2013-2014 | 2,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,00.00 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्मों का विवरण | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|-----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 101 बाजार कर्ज - क्रमशः | | | | | | |
| (क) ब्याज सहित बाजार ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 19 9.36 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2024 | | 2013-2014 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 20 9.69 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2024 | | 2013-2014 | 4,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,50,00.00 |
| 21 9.67 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2024 | | 2013-2014 | 7,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00,00.00 |
| 22 9.69 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2024 | | 2013-2014 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 23 8.16 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2014-2015 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00,00.00 |
| 24 8.08 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2014-2015 | 12,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 12,00,00.00 |
| 25 8.10 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2014-2015 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 26 8.05 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2014-2015 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 27 8.27 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2024 | | 2014-2015 | 7,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 7,50,00.00 |
| 28 8.30 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2015-2016 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 29 7.98 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2015-2016 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 30 8.17 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2015-2016 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 31 8.17 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2015-2016 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 32 8.25 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2025 | | 2015-2016 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 33 8.42 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2026 | | 2015-2016 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 34 8.82 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2026 | | 2015-2016 | 18,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 18,50,00.00 |
| 35 7.25 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2026 | | 2016-2017 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 36 7.40 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2026 | | 2016-2017 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|-----------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(₹ लाख में)

ड- लोक ऋण - क्रमशः

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमशः

101 बाजार कर्ज - क्रमशः

(क) ब्याज सहित बाजार ऋण - क्रमशः

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|------|------|-------------|
| 37 | 6.90 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2026 | 2016-2017 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 38 | 7.21 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2016-2017 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 39 | 7.80 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2016-2017 | 6,57,50.00 | 0.00 | 0.00 | 6,57,50.00 |
| 40 | 7.94 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2016-2017 | 8,93,00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,93,00.00 |
| 41 | 7.59 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2016-2017 | 1,03,50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,03,50.00 |
| 42 | 7.27 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2017-2018 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 43 | 7.43 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 5,09,65.00 | 0.00 | 0.00 | 5,09,65.00 |
| 44 | 7.49 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 45 | 7.62 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 46 | 7.67 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 47 | 7.68 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 48 | 7.79 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2017-2018 | 4,90,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,90,00.00 |
| 49 | 7.90 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2033 | 2017-2018 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 50 | 8.08 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2033 | 2017-2018 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 51 | 8.51 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2028 | 2018-2019 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 52 | 8.84 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2028 | 2018-2019 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 53 | 8.40 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2028 | 2018-2019 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 54 | 8.35 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2028 | 2018-2019 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्मों का विवरण | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 101 बाजार कर्ज - क्रमशः | | | | | | |
| (क) ब्याज सहित बाजार ऋण - क्रमांत | | | | | | |
| 55 8.36 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2029 | 2018-2019 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 56 8.31 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2029 | 2018-2019 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 57 8.44 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2029 | 2018-2019 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| 58 8.43 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2029 | 2018-2019 | 10,09,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,09,00.00 |
| 59 7.05 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2030 | 2019-2020 | 0.00 | 10,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00.00 |
| 60 6.99 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2030 | 2019-2020 | 0.00 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00,00.00 |
| 61 7.37 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2031 | 2019-2020 | 0.00 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00,00.00 |
| 62 8.1 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2032 | 2019-2020 | 0.00 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00,00.00 |
| 63 7.6 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2019-2020 | 0.00 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00,00.00 |
| 64 7.26 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2027 | 2019-2020 | 0.00 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 |
| जोड़ - (क) ब्याज सहित बाजार ऋण | | 3,71,10,68.00 | 75,00,00.00 | 18,43,98.00 | 4,27,66,70.00 | |
| (ख) ब्याज रहित बाजार ऋण - | | | | | | |
| 1 7.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 1997 | 1982-1983 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2 9.75 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 1998 | 1985-1986 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 1999 | 1984-1985 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8.75 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2000 | 1983-1984 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |

* वास्तविक राशि केवल ₹ 306.00 लाख है।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|--|--|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमशः | | | | | | |
| 101 बाजार कर्ज - क्रमांत | | | | | | |
| (ख) ब्याज रहित बाजार ऋण - क्रमांत | | | | | | |
| 5 | 11.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2001 | 1986-1987 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 6 | 11.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2002 | 1987-1988 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 7 | 13.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2003 | 1993-1994 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 8 | 14.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2005 | 1995-1996 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 9 | 13.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2007 | 1992-1993 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 10 | 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2009 | 1989-1990 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 11 | 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2010 | 1990-1991 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 12 | 11.50 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011 | 1991-1992 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 13 | 12.00 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2011 | 1991-1992 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| जोड़ (ख) ब्याज रहित बाजार ऋण | | | 6.98 | 0.00 | 2.51 | 4.47 |
| जोड़ - 101 बाजार कर्ज | | | 3,71,10,74.98 | 75,00,00.00 | 18,44,00.51 | 4,27,66,74.47 |

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमशः

103 भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज

| | | | | |
|--|---------|------|------|---------|
| 1958-59 से | 4,69.96 | 0.00 | 0.00 | 4,69.96 |
| 1965-66, 1967-68 से 1969-70, 1971-72, 1975-76, 1976-77, 1978-79 से 1982-83 एवं 1999-2000 | | | | |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(₹ लाख में)

ड- लोक ऋण - क्रमशः

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमशः

107- भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों से कर्ज

(i) भारतीय स्टेट बैंक से कर्ज

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 1961-62 से 1963-64, 1965- 66 से 1966-67 एवं 1972-73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
|--|------|------|------|------|

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

(i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और केन्द्रीय भंडार निगम से कर्ज

| | | | | |
|--|----------|---------|---------|----------|
| 1956-57, 1959- 60 से 1967-68, 1969-70 से 1974-75, 1977- 78 से 1990-91, 1993-94, 1994- 95 एवं 1996-97, 2005-06, 2011- 12 से 2016-17 | 75,79.38 | 3,41.71 | 6,87.00 | 72,34.09 |
|--|----------|---------|---------|----------|

109- अन्य संस्थानों से कर्ज

(i) रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि उधार निधि से कर्ज

| | | | | |
|---|----------|------|------|----------|
| 1956-57, 1959- 60 से 1967-68, 1969-70, 1971- 72 से 1975-76, 1976-77, 1978- 79 से 1982- 83, 2005-06, 2007-2008 एवं 2008-09 | 82,07.31 | 0.00 | 0.00 | 82,07.31 |
|---|----------|------|------|----------|

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमशः | | | | | |
| 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण - क्रमांत | | | | | |
| 109- अन्य संस्थानों से कर्ज - क्रमांत | | | | | |
| (ii) खादी और ग्राम उद्योग आयोग से कर्ज | 1963-64 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| (iii) बिहार राज्य भंडारण निगम से कर्ज | 1973-74 एवं 1978-79 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
| (iv) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से कर्ज | 1974-75 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| (v) बिहार राज्य सहकारी लाह विपणन संघ से कर्ज | 1978-79 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| (vi) आवास तथा शहरी विकास निगम से कर्ज | 1988-89, 2007-08, 2009-10 से 2014-15 एवं 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 6,73,74.42 | 2,30,48.02 | 1,44,74.49 | 7,59,47.95 |
| (vii) राष्ट्रीय बीमा निगम से कर्ज | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (viii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज | 2009-10 | -3,27,60.37 ¹ | 0.00 | 82,90.59 | (-)4,10,50.96 |
| जोड़ - 109 अन्य संस्थानों से कर्ज | | 4,28,25.01 | 2,30,48.02 | 2,27,65.08 | 4,31,07.95 |
| 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ² | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111- केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ | 2000-01 से 2015-16 | 83,25,86.75 | 0.00 | 7,69,48.83 | 75,56,37.92 |
| 800- अन्य कर्ज | 1978-79 एवं 2008-09 | 35,78.59 | 0.00 | 0.00 | 35,78.59 |
| जोड़ - 6003 - राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | 5,84,36,18.75 | 91,67,13.75 | 40,57,86.05 | 6,35,45,46.45 |

¹ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गए कर्ज को अभी तक सूचित नहीं किया गया है, लेकिन पुनर्भुगतान किया गया है। इसलिए ऋणात्मक शेष है।

² राज्य सरकार द्वारा लाख ₹ 14,72,13.00 अर्थोपाय अग्रिम 2019-20 में लिया गया था एवं इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे 6003-110 शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया एवं उसका पुनर्भुगतान करने के पश्चात् 'घटाएँ जमा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है। यद्यपि लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3,94.56 लाख का ब्याज भुगतान किया गया है।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमशः | | | | | |
| 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | | | | |
| 01- योजनेतर कर्ज | | | | | |
| 201- आवास निर्माण अग्रिम | | | | | |
| आवास निर्माण अग्रिम- अखिल भारतीय सेवाएँ | 1991-92 से 1997-98 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 | 0.76 | 0.00 | 0.75 | 0.01 |
| 800- अन्य कर्ज | | | | | |
| पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 1984-85 से 2000-01 एवं 2009-10 | 13,10.01 | 0.00 | 1,76.10 | 11,33.91 |
| अन्य सुरक्षित बटालियन | 1998 से 2000, 2006-2007 एवं 2007-08 | 2,48.69 | 0.00 | 0.00 | 2,48.69 |
| छात्रवृत्ति- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज योजना | 1985-86 से 1989-90 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 19.61 |
| जोड़ - 01 योजनेतर कर्ज | | 15,79.07 | 0.00 | 1,76.85 | 14,02.22 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(क) लोक ऋण और अन्य दायित्वों का विवरण

| कर्जों का विवरण | कब उठाया गया | 1 अप्रैल 2019 का शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष के दौरान वापसियाँ | 31 मार्च 2020 का शेष |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ड- लोक ऋण - क्रमांत | | | | | |
| 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - क्रमांत | | | | | |
| 02- राज्य/संघ राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | | | | |
| 101- एकमुश्त कर्ज | 1984-85 से 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 से 2016-17 | 11,57,96.90 | 4,25,98.03 | 63,36.44 | 15,20,58.49 |
| 105- 12वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर समेकित राज्य योजना ऋण | | 11,65,32.50 | 0.00 | 1,08,40.94 | 10,56,91.56 |
| जोड़ - 02 राज्य/संघ राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | | | | |
| जोड़ - 6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | | | | |
| जोड़ - ड - लोक ऋण | | | | | |
| | | 23,23,29.40 | 4,25,98.03 | 1,71,77.38 | 25,77,50.05 |
| | | 23,39,08.47 | 4,25,98.03 | 1,73,54.23 | 25,91,52.27 |
| | | 6,07,75,27.22 | 95,93,11.78 | 42,31,40.28 | 6,61,36,98.72 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(ख) मैच्युरिटी प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण का मैच्युरिटी प्रोफाइल

| वर्ष | बाजार कर्ज का ब्यौरा बिहार/झारखण्ड राज्य विकास ऋण/ झारखण्ड सरकार स्टॉक | भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज | भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज | राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | प्रतिकार तथा अन्य बंध पत्र (जमींदारी उन्मूलन मुआवजा बंध पत्र) | प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (पावर बंध पत्र) | आवास एवं शहरी विकास निगम से कर्ज | केन्द्रीय सरकार की निधि को राष्ट्रीय अल्प बचत जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | अन्य निकायों से कर्ज | कुल |
|---------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(क) | 7(ख) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2020-21 | 5,00,04.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,69,48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,69,53.29 |
| 2021-22 | 12,54,05.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 7,69,48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,78,87.83 |
| 2022-23 | 36,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 7,69,48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,24,82.82 |
| 2023-24 | 29,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 7,69,48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,74,82.83 |
| 2024-25 | 49,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 7,69,48.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,74,82.83 |
| 2025-26 | 53,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 6,73,70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,79,04.88 |
| 2026-27 | 51,54,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 5,37,48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,46,82.82 |
| 2027-28 | 30,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 5,06,22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,61,56.43 |
| 2028-29 | 55,09,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 4,54,95.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,19,29.88 |
| 2029-30 | 25,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,34.00 | 0.00 | 3,86,16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,41,50.43 |
| 2030-31 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55,31.00 | 0.00 | 3,06,51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,61,82.33 |
| 2031-32 | 15,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,24,82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,24,82.28 |
| 2032-33 | 49,99,65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,58,26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,57,91.53 |
| 2033-34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,49,79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,49,79.38 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(ख) मैचुरिटी प्रोफाइल

(i) आंतरिक ऋण का मैचुरिटी प्रोफाइल

| वर्ष | बाजार कर्ज का ब्यौरा बिहार/झारखण्ड राज्य विकास ऋण/ झारखण्ड सरकार स्टॉक | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(क) | 7(ख) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|-------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2034-35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,40,89.28 | 0.00 | 0.00 | 1,40,89.28 |
| 2035-36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,73.73 | 0.00 | 0.00 | 97,73.73 |
| 2036-37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,34.58 | 0.00 | 0.00 | 36,34.58 |
| 2037-38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,54.23 | 0.00 | 0.00 | 23,54.23 |
| 2038-39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,48.01 | 0.00 | 0.00 | 12,48.01 |
| 2039-40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ब्योरे जहाँ मैचुरिटी वर्ष उपलब्ध नहीं है। | 0.00 | 0.18 | 4,69.96 | 89.12 | 71,19,46.72 | 4,70.45 | 0.00 | 7,59,47.95 | 0.00 | 72,34.09 | (-2,92,61.41) | 76,68,97.06 |
| कुल | 4,27,66,74.47 | 0.18 | 4,69.96 | 89.12 | 71,19,46.72 | 4,70.45 | 55,53,37.00 | 7,59,47.95 | 75,56,37.92 | 72,34.09 | (-2,92,61.41) | 6,35,45,46.45 |

नाबार्ड, हुडको तथा एन.सी.डी.सी. से प्राप्त ऋणों का मैचुरिटी प्रोफाइल राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(ख) मैचुरिटी प्रोफाईल

(ii) भारत सरकार से ऋण तथा पेशगियों के मैचुरिटी प्रोफाईल

| वर्ष | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| | योजनेतर कर | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | आर्थोपाय अग्रिम | 1984-85 के पूर्व के कर्ज | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (₹ लाख में) | | | |
| 2020-2021 | 1,75.52 | 2,11,72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,13,47.91 |
| 2021-2022 | 1,74.34 | 2,30,36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,32,10.38 |
| 2022-2023 | 1,72.78 | 2,34,45.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,36,18.51 |
| 2023-2024 | 1,70.84 | 2,54,05.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,55,75.98 |
| 2024-2025 | 1,67.64 | 2,54,05.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,55,72.78 |
| 2025-2026 | 1,65.07 | 2,21,33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,22,98.91 |
| 2026-2027 | 82.80 | 1,20,17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20,99.99 |
| 2027-2028 | 24.93 | 1,19,66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,19,91.34 |
| 2028-2029 | 0.00 | 1,18,98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18,98.02 |
| 2029-2030 | 0.00 | 1,18,82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18,82.94 |
| 2030-2031 | 0.00 | 1,18,39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18,39.81 |
| 2031-2032 | 0.00 | 1,18,07.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,18,07.86 |
| 2032-2033 | 0.00 | 1,13,86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,13,86.92 |
| 2033-2034 | 0.00 | 1,10,12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10,12.82 |
| 2034-2035 | 0.00 | 1,10,12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,10,12.82 |
| 2035-2036 | 0.00 | 24,60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,60.00 |
| 2036-2037 | 0.00 | 6,31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,31.62 |
| 2037-2038 | 0.00 | 6,31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,31.62 |
| 2038-2039 | 0.00 | 6,31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,31.62 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(ख) मैचुरिटी प्रोफाईल

(ii) भारत सरकार से ऋण तथा पेशगियाँ के मैचुरिटी प्रोफाईल

| वर्ष | योजनेतर कर | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | आर्थोपाय अग्रिम | 1984-85 के पूर्व के कर्ज | कुल |
|--|-----------------|--|--|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | | (₹ लाख में) | | | |
| 2039-2040 | 0.00 | 6,31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,31.62 |
| 2040-2041 | 0.00 | 6,31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,31.62 |
| 2041-2042 | 0.00 | 5,96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,96.06 |
| 2042-2043 | 0.00 | 6,05.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,05.78 |
| 2043-2044 | 0.00 | 6,05.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,05.78 |
| 2044-2045 | 0.00 | 6,05.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,05.78 |
| 2045-2046 | 0.00 | 6,05.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,05.78 |
| 2046-2047 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2047-2048 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2048-2049 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2049-2050 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2050-2051 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2051-2052 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| 2052-2053 | 0.00 | 5,27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,27.10 |
| महालोकाकार (लेखा एवं हक.) के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है | 2,68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,68.30 |
| कुल | 14,02.22 | 25,77,50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,91,52.27 |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

(ग) बकाया कर्ज पर ब्याज दर का प्रोफाइल

(i) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

| ब्याज दर (प्रतिशत में) | 2 | 3(क) | 3(ख) | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | | | | | कुल कुल हिस्सा (प्रतिशत में) | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | ब्याज सहित बाजार ऋण | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र (जमींदारी उन्मुलन मुआवजा बंध पत्र) | प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र (पावर बंध पत्र) | केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 3(क) | 3(ख) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 से कम | 0.00 | 4,70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,70.45 | 0.01 |
| 6.00 से 6.99 | 80,09,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,09,00.00 | 12.60 |
| 7.00 से 7.99 | 146,53,65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,53,65.00 | 23.06 |
| 8.00 से 8.99 | 1,62,00,00.52 | 0.00 | 55,53,37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,17,53,37.52 | 34.23 |
| 9.00 से 9.99 | 39,04,05.00 | 0.00 | 0.00 | 75,56,37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,14,60,42.92 | 18.04 |
| 10.00 से 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.00 से 11.99 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 12.00 से 12.99 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 13.00 से 13.99 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 14.00 से अधिक | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,69.96 | 89.12 | 71,19,46.72 | 72,34.09 | 7,59,47.95 | (-) | 2,92,61.23 | 76,64,26.61 | 100.00 | |
| कुल:- | 4,27,66,74.47 | 4,70.45 | 55,53,37.00 | 75,56,37.92 | 4,69.96 | 89.12 | 71,19,46.72 | 72,34.09 | 7,59,47.95 | (-) | 2,92,61.23 | 6,35,45,46.45 | 100.00 | |

17. उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण - क्रमांत

(ग) बकाया कर्ज पर ब्याज दर का प्रोफाइल

(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

| ब्याज दर (प्रतिशत में) | 1 अप्रैल 2020 का बकाया राशि केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम (₹ लाख में) | कुल में हिस्सा (प्रतिशत में) |
|---|--|-----------------------------------|
| परिवर्तनीय ब्याज | 16,17,32.30 | 62.41 |
| 0.00 to 1.00 | 158,13.00 | 6.10 |
| 6.00 to 6.99 | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 to 7.99 | 6,29,73.10 | 24.30 |
| 8.00 to 8.99 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 to 9.99 | 1,72,31.67 | 6.65 |
| 10.00 to 10.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11.00 to 11.99 | 1,99.44 | 0.08 |
| 12.00 to 12.99 | 9,24.35 | 0.36 |
| 13.00 to 13.99 | 10.11 | 0.00 |
| 14 to 14.99 | 0.00 | 0.00 |
| महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है | 2,68.30 | 0.10 |
| कुल | 25,91,52.27 | 100.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 वर्ष के दौरान को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---|------------------------------|-----------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| च - कर्ज तथा उधार | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 01 - जल पूर्ति | | | | | | | |
| 101- शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति के लिए कर्ज | 41,83.37 | 0.00 | 41,83.37 | 0.00 | 41,83.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 41,83.37 | 0.00 | 41,83.37 | 0.00 | 41,83.37 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 101 | | | | | | | |
| 191 - स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं आदि को कर्ज - | | | | | | | |
| (i) नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ | 55,07.69 | 0.00 | 55,07.69 | 0.00 | 55,07.69 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) जनजातीय क्षेत्रों के शहरी निकायों को जल पूर्ति के लिए कर्ज | 5,39.45 | 0.00 | 5,39.45 | 0.00 | 5,39.45 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) शौचालय बदलने / सामुदायिक शौचालय का निर्माण | 4,41.79 | 0.00 | 4,41.79 | 0.00 | 4,41.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 64,88.93 | 0.00 | 64,88.93 | 0.00 | 64,88.93 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 191 | | | | | | | |
| 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- शहरी स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति के लिए कर्ज | 12,59.73 | 0.00 | 12,59.73 | 0.00 | 12,59.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 12,59.73 | 0.00 | 12,59.73 | 0.00 | 12,59.73 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | | | | | | | |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 01- जल पूर्ति - क्रमशः | | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | |
| (i) शहरी स्थानीय निकायों को, नगरपालिकाओं को जल पूर्ति के लिए कर्ज | 89,77.32 | 0.00 | 89,77.32 | 0.00 | 0.00 | 89,77.32 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 89,77.32 | 0.00 | 89,77.32 | 0.00 | 0.00 | 89,77.32 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 2,09,09.35 | 0.00 | 2,09,09.35 | 0.00 | 0.00 | 2,09,09.35 | 0.00 | 0.00 |
| 02- मल जल तथा सफाई | | | | | | | | |
| (i) नालियों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों को कर्ज | 4,92.24 | 0.00 | 4,92.24 | 0.00 | 0.00 | 4,92.24 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) मल निकासी के लिए स्थानीय निकायों को कर्ज | 4,78.61 | 0.00 | 4,78.61 | 0.00 | 0.00 | 4,78.61 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) शौचालय के निर्माण/बदलने के लिए/सामुदायिक शौचालय का निर्माण के लिए स्थानीय निकायों को कर्ज | 6,94.99 | 0.00 | 6,94.99 | 0.00 | 0.00 | 6,94.99 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को कर्ज | 2,25.00 | 0.00 | 2,25.00 | 0.00 | 0.00 | 2,25.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 18,90.84 | 0.00 | 18,90.84 | 0.00 | 0.00 | 18,90.84 | 0.00 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| च- कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| 02- मल-जल तथा सफाई - क्रमशः | | | | | | | |
| 191- स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं आदि को कर्जे- | | | | | | | |
| (i) निगमों, नगर पालिकाओं को जल निकासी और मल निकासी योजनाओं तथा सविस शौचालय को सेप्टिक शौचालय में बदलने के लिए कर्जे | 6,26.19 | 0.00 | 6,26.19 | 0.00 | 6,26.19 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को कर्जे | 7,69.27 | 0.00 | 7,69.27 | 0.00 | 7,69.27 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) मल निकासी/नालियों के निर्माण के लिए शहरी निकायों को कर्जे | 3,20.98 | 0.00 | 3,20.98 | 0.00 | 3,20.98 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 191 | 17,16.44 | 0.00 | 17,16.44 | 0.00 | 17,16.44 | 0.00 | 0.00 |
| 192 - नगरपालिकाएँ/नगर परिषदों को सहायता | | | | | | | |
| (i) शौचालय परिवर्तन / निर्माण / सामुदायिक शौचालय निर्माण, यूरिनल निर्माण एवं भगियों के पुनर्वास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को कर्जे | 1,50.00 | 0.00 | 1,50.00 | 0.00 | 1,50.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 02- मल-जल तथा सफाई - क्रमशः | | | | | | | | |
| 192 - नगरपालिकाएँ/नगर परिषदों को सहायता - क्रमांत | | | | | | | | |
| (ii) टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों को कर्ज | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) मल निकासी/नालियों के निर्माण के लिए शहरी निकायों को कर्ज | 45.52 | 0.00 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 45.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,20.52 | 0.00 | 2,20.52 | 0.00 | 0.00 | 2,20.52 | 0.00 | 0.00 |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - | | | | | | | | |
| (i) शौचालय परिवर्तन/निर्माण, ग्रूरिनल निर्माण एवं भगियों के पुनर्वास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को कर्ज | 1,44.61 | 0.00 | 1,44.61 | 0.00 | 0.00 | 1,44.61 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) मल निकासी/नालियों के निर्माण के लिए शहरी निकायों को कर्ज | 70.68 | 0.00 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 70.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,15.29 | 0.00 | 2,15.29 | 0.00 | 0.00 | 2,15.29 | 0.00 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोटे खाले गए अप्रतिप्राय्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया व्याज |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|---|---------------------------|--|--------------------|
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|---|---------------------------|--|--------------------|

(₹ लाख में)

च- कर्ज तथा उधार - क्रमशः

1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे - क्रमशः

(ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्जे - क्रमशः

6215- जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्जे - क्रमांत

02- मल-जल तथा सफाई - क्रमांत

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(i) नाली निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उधार

(ii) शहरी स्थानीय निकायों को शौचालय बदलने/सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए उधार

| | | | | | | | |
|---|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| जोड़- 796 | 44,94.34 | 0.00 | 44,94.34 | 0.00 | 44,94.34 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 02 | 85,37.43 | 0.00 | 85,37.43 | 0.00 | 85,37.43 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 6215 -जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्जे | 2,94,46.78 | 0.00 | 2,94,46.78 | 0.00 | 2,94,46.78 | 0.00 | 0.00 |

6216- आवास के लिए कर्जे

02- शहरी आवास -

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे

(i) झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|---------|------|
| जोड़- 190 | (-0.52) | 0.00 | (-0.52) | 0.00 | (-0.52) | (-0.52) | 0.00 |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|---------|------|

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वषूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|------------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(₹ लाख में)

च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः

1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः

(ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमशः

6216- आवास के लिए कर्ज - क्रमशः

02- शहरी आवास - क्रमशः

201- आवास बोर्ड को कर्ज

- (i) झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को कर्ज
- (ii) एच.आई.जी./एम.आई.जी./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.फ्लैट्स का निर्माण तथा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को अधिग्रहित भूमि के विकास हेतु कर्ज

जोड़ - 201

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

- (i) झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को उधार
- (ii) राँची के विस्थापित व्यक्तियों के लिए फल एवं सब्जी दुकानों का निर्माण
- (iii) हरमु, राँची में 100 फ्लैट्स (2 बीएचके) का निर्माण
- (iv) एच.आई.जी./एम.आई.जी./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.फ्लैट्स का निर्माण तथा अधिग्रहित भूमि का विकास

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बट्टे खाते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | 9,00.00 | 0.00 | 9,00.00 | 0.00 | 0.00 | 9,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 44,65.00 | 0.00 | 44,65.00 | 0.00 | 0.00 | 44,65.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 02 | 76,91.32 | 0.00 | 76,91.32 | 0.00 | 0.00 | 76,91.32 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

च- कर्ज तथा उधार - क्रमशः

1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः

(ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमशः

6216 - आवास के लिए कर्ज - क्रमांत

02- शहरी आवास - क्रमांत

(v) सहजानन्द चौक, हरसु, राँची के निकट व्यवसायिक कोम्प्लेक्स का निर्माण

80- सामान्य

800- अन्य कर्ज-

(i) मध्यम आय वर्गीय आवास योजना

(ii) निम्न आय वर्गीय आवास योजना

जोड़ - 800

जोड़ - 80

जोड़ - 6216 - आवास के लिए कर्ज

6217- शहरी विकास के लिए कर्ज

04- गन्दे क्षेत्र का विकास

राष्ट्रीय स्लम क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए स्थानीय निकायों को कर्ज

जोड़ - 04

जोड़ - 800

जोड़ - 800

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़ें वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जों - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6217 - शहरी विकास के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ | | | | | | | | |
| 191- स्थानीय निकायों एवं नगरपालिकाओं/नगर निगमों को कर्ज- | | | | | | | | |
| (i) नगरपालिकाओं/ निगमों/ जिलों/ स्थानीय निधि समितियों को उधार | 83,16.39 | 0.00 | 83,16.39 | 0.00 | 0.00 | 83,16.39 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) नगरपालिका बाजार के निर्माण के लिए उधार | 4,41.31 | 0.00 | 4,41.31 | 0.00 | 0.00 | 4,41.31 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) बस पड़ाव के लिए नगरपालिका को उधार | 4,97.19 | 0.00 | 4,97.19 | 0.00 | 0.00 | 4,97.19 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) स्थायी कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु नगर निगम को कर्ज | 57,63.47 | 16,53.78 | 74,17.25 | 0.00 | 0.00 | 74,17.25 | 16,53.78 | 0.00 |
| जोड़ - 191 | 1,50,18.36 | 16,53.78 | 1,66,72.14 | 0.00 | 0.00 | 1,66,72.14 | 16,53.78 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोले गये अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| 6217 - शहरी विकास के लिए कर्जे - क्रमशः | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमशः | | | | | | | |
| 192- नगरपालिकाओं/नगर परिषदों आदि को कर्जे- | | | | | | | |
| (i) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज | 19,12.63 | 0.00 | 19,12.63 | 0.00 | 19,12.63 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) स्थायी कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु नगर निगम/नगर परिषद को कर्ज | 31,67.51 | 6,41.43 | 38,08.94 | 0.00 | 38,08.94 | 6,41.43 | 0.00 |
| जोड़ - 192 | 50,80.14 | 6,41.43 | 57,21.57 | 0.00 | 57,21.57 | 6,41.43 | 0.00 |
| 193- नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति इत्यादि को कर्ज | | | | | | | |
| (i) स्थाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि को कर्ज | 6,45.26 | 63.63 | 7,08.89 | 0.00 | 7,08.89 | 63.63 | 0.00 |
| जोड़ - 193 | 6,45.26 | 63.63 | 7,08.89 | 0.00 | 7,08.89 | 63.63 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| (i) परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उधार | 79,86.97 | 0.00 | 79,86.97 | 0.00 | 79,86.97 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बाजार के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उधार | 17,14.32 | 0.00 | 17,14.32 | 0.00 | 17,14.32 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 97,01.29 | 0.00 | 97,01.29 | 0.00 | 97,01.29 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| 6217 - शहरी विकास के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| 60- अन्य शहरी विकास योजनाएँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | | |
| (i) परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को कर्ज | 1,34.00 | 0.00 | 1,34.00 | 0.00 | 0.00 | 1,34.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 1,34.00 | 0.00 | 1,34.00 | 0.00 | 0.00 | 1,34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800- अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (i) परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उधार | 32,26.03 | 0.00 | 32,26.03 | 0.00 | 0.00 | 32,26.03 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बस पड़ाव के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उधार | 5,25.47 | 0.00 | 5,25.47 | 0.00 | 0.00 | 5,25.47 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | 37,51.50 | 0.00 | 37,51.50 | 0.00 | 0.00 | 37,51.50 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 60 | 3,43,30.55 | 23,58.84 | 3,66,89.39 | 0.00 | 0.00 | 3,66,89.39 | 23,58.84 | 0.00 |
| जोड़ - 6217 - शहरी विकास के लिए कर्ज | 3,61,05.50 | 23,58.84 | 3,84,64.34 | 0.00 | 0.00 | 3,84,64.34 | 23,58.84 | 0.00 |
| जोड़ (ii) जल पूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास के लिए कर्ज | 7,29,39.70 | 23,58.84 | 7,52,98.54 | 0.00 | 0.00 | 7,52,98.54 | 23,58.84 | 0.00 |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बट्टे खाते डाले गए अप्रतिप्राय्य कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया व्याज |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| (iii) सामाजिक कल्याण तथा पोषण | | | | | | | | |
| 6245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 02- बाढ़, चक्रवात | | | | | | | | |
| 800- अन्य कर्ज- | | | | | | | | |
| (i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिला बोर्डों/ प्राधिकारों को कर्ज | | | | | | | | |
| (ii) अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक का शेष 25 लाख रुपये और उससे कम है | | | | | | | | |
| जोड़ - 800 | | | | | | | | |
| जोड़ - 02 | | | | | | | | |
| जोड़ - 6245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| जोड़ - (iii) सामाजिक कल्याण तथा पोषण | | | | | | | | |
| जोड़- 1. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 02- आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| (i) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप के लिए कर्ज- | | | | | | | | |
| 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 103- बीज | | | | | | | | |
| (i) कृषकों को अधिक उत्पादन के लिए उन्नत प्रकार के बीजों को खरीदने के लिए उधार | | | | | | | | |
| जोड़ - 103 | | | | | | | | |

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणान्तक आंकड़ें वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (i) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| 800- अन्य कर्ज- | | | | | | | | |
| (i) अन्य योजनाएँ जिनमें प्रत्येक का शेष ₹ 25 लाख और उससे कम है | (-1.76) | 0.00 | (-1.76) | 0.00 | 0.00 | (-1.76) | 0.00 | 0.00 |
| (ii) पीपिंग सेट के लिए कृषि ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | (-1.76) | 0.00 | (-1.76) | 0.00 | 0.00 | (-1.76) | 0.00 | 0.00 |
| 6425- जोड़- 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज | (-2,79.00) | 0.00 | (-2,79.00) | 0.00 | 0.00 | (-2,79.00) | 0.00 | 0.00 |
| 107- सहकारिता के लिए कर्ज - | | | | | | | | |
| 107- जमा सहकारी समितियों को कर्ज - | | | | | | | | |
| (i) कृषि उधार (स्थिरता) निधि | (-7.44) | 0.00 | (-7.44) | 0.00 | 0.00 | (-7.44) | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 107 | (-7.44) | 0.00 | (-7.44) | 0.00 | 0.00 | (-7.44) | 0.00 | 0.00 |
| 108- अन्य सहकारी समितियों को कर्ज - | | | | | | | | |
| (i) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के द्वारा वित्त प्रदत्त आई.सी.डी.पी. के लिए ऋण | 10,36.89 | 0.00 | 10,36.89 | 41.75 | 0.00 | 9,95.14 | (-41.75) | 0.00 |
| (ii) एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए ऋण | 1,07.89 | 0.00 | 1,07.89 | 0.00 | 0.00 | 1,07.89 | 0.00 | 0.00 |
| (क) भण्डागार तथा विपणन सहकारी समितियाँ- | | | | | | | | |
| (i) ई.ई.सी. परियोजना के अंतर्गत गोदाम के निर्माण के लिये उधार | (-1.55) | 0.00 | (-1.55) | 0.00 | 0.00 | (-1.55) | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - (क) | (-1.55) | 0.00 | (-1.55) | 0.00 | 0.00 | (-1.55) | 0.00 | 0.00 |
| (ख) अन्य प्रक्रियात्मक सहकारी समितियाँ - | | | | | | | | |
| जोड़ - (ख) | (-0.54) | 0.00 | (-0.54) | 0.00 | 0.00 | (-0.54) | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 108 | 11,42.69 | 0.00 | 11,42.69 | 41.75 | 0.00 | 11,00.94 | (-41.75) | 0.00 |

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोले गये अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया व्याज |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|---|---------------------------|--|--------------------|
| | | वर्ष के दौरान ती गई राशि | | | | | |
| | | | | | | | |

(₹ लाख में)

च- कर्ज तथा उधार - क्रमशः

2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः

(i) कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रमों के लिए कर्ज - क्रमशः

6425- सहकारिता के लिए कर्ज - क्रमशः

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| (i) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के द्वारा वित्त प्रदत्त आई.सी.डी.पी. के लिए ऋण | 5,91.76 | 0.00 | 5,91.76 | 0.00 | 5,91.76 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए ऋण | 1,12.63 | 0.00 | 1,12.63 | 0.00 | 1,12.63 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 7,04.39 | 0.00 | 7,04.39 | 0.00 | 7,04.39 | 0.00 | 0.00 |

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग

- (i) एन.सी.डी.सी. प्रायोजित योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए ऋण
- (ii) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के द्वारा वित्त प्रदत्त आई.सी.डी.पी. के लिए ऋण

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 2,90.97 | 0.00 | 2,90.97 | 0.00 | 2,90.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 28,93.13 | 0.00 | 28,93.13 | 0.00 | 28,93.13 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 31,84.10 | 0.00 | 31,84.10 | 0.00 | 31,84.10 | 0.00 | 0.00 |

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज -

- (i) बिहार राज्य विपणन संघ को बकाया ओवरड्यू के भुगतान के लिए कर्ज
- (ii) समर्पित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक को कर्ज
- (iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुद्धिकरण/शीत भण्डारण/गोदाम

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (i) कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रमों के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| 6425- सहकारिता के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के कर्ज - क्रमांत | | | | | | | | |
| (iv) लाह किसान और विस्तार के लिए झासको लैम्स को ऋण | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (v) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के द्वारा आई.सी.डी.पी. के लिए ऋण | 4,10.00 | 0.00 | 4,10.00 | 0.00 | 0.00 | 4,10.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 12,88.33 | 0.00 | 12,88.33 | 0.00 | 0.00 | 12,88.33 | 0.00 | 0.00 |
| 195- सहकारी समितियों को उधार | | | | | | | | |
| (i) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के द्वारा वित्त प्रदत्त आई.सी.डी.पी. के लिए ऋण | 1,00.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 195 | 1,00.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 6425 - सहकारिता के लिए कर्ज | 64,12.07 | 0.00 | 64,12.07 | 41.75 | 0.00 | 63,70.32 | (-)41.75 | 0.00 |
| जोड़- (i) कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रमों के लिए कर्ज | 64,09.28 | 0.00 | 64,09.28 | 41.75 | 0.00 | 63,67.53 | (-)41.75 | 0.00 |
| (ii) ग्रामीण विकास के लिए कर्ज - | | | | | | | | |
| 6506- भूमि सुधार के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 800- अन्य कर्ज | | | | | | | | |
| (i) भूमि विकास ऋण अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को कर्ज | (-)0.20 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 800 | (-)0.20 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 6506 -भूमि सुधार के लिए कर्ज | (-)0.20 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 | (-)0.20 | 0.00 | 0.00 |

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़ें वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बट्टे खाते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ii) ग्रामीण विकास के लिए कर्जे - क्रमांत | | | | | | | | |
| 6515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 102- सामुदायिक विकास | | | | | | | | |
| (i) अन्य स्थानीय निधि एवं जिला समितियों को कर्ज | 12,29.17 | 0.00 | 12,29.17 | 0.00 | 0.00 | 12,29.17 | 0.00 | 0.00 |
| 197- जिला परिषदों एवं जिला स्तर के पंचायतों को कर्ज | 12,29.17 | 0.00 | 12,29.17 | 0.00 | 0.00 | 12,29.17 | 0.00 | 0.00 |
| (i) अन्य स्थानीय निधि एवं जिला समितियों को कर्ज | 15,56.09 | 0.00 | 15,56.09 | 0.00 | 0.00 | 15,56.09 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 197 | 15,56.09 | 0.00 | 15,56.09 | 0.00 | 0.00 | 15,56.09 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 6515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज | 27,85.26 | 0.00 | 27,85.26 | 0.00 | 0.00 | 27,85.26 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- (ii) ग्रामीण विकास के लिए कर्ज | 27,85.06 | 0.00 | 27,85.06 | 0.00 | 0.00 | 27,85.06 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) उर्जा के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - | | | | | | | | |
| (i) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज (जे.बी.भी.एन.एल.) | 61,36,37.00 | 0.00 | 61,36,37.00 | 0.00 | 0.00 | 61,36,37.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | 61,36,37.00 | 0.00 | 61,36,37.00 | 0.00 | 0.00 | 61,36,37.00 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (iii) उर्जा के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 201- पन-बिजली उत्पादन - क्रमशः | | | | | | | | |
| (i) तेनुघाट बिजली परियोजना को उधार | 3,80.00 | 0.00 | 3,80.00 | 0.00 | 0.00 | 3,80.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु कर्ज | 1,36,69.36 | 0.00 | 1,36,69.36 | 0.00 | 0.00 | 1,36,69.36 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु कर्ज | 9,31,76.17 | 0.00 | 9,31,76.17 | 0.00 | 0.00 | 9,31,76.17 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 201 | 10,72,25.53 | 0.00 | 10,72,25.53 | 0.00 | 0.00 | 10,72,25.53 | 0.00 | 0.00 |
| 202- ताप विद्युत उत्पादन | | | | | | | | |
| (i) तेनुघाट विद्युत परियोजना को कर्ज | 57,00.00 | 0.00 | 57,00.00 | 0.00 | 0.00 | 57,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) कोल ब्लॉक एवं प्लांट्स के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 34,96.50 | 0.00 | 34,96.50 | 0.00 | 0.00 | 34,96.50 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) कोल ब्लॉक एवं प्लांट्स के लिए झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड को कर्ज | 50,00.00 | 0.00 | 50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 50,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 202 | 1,41,96.50 | 0.00 | 1,41,96.50 | 0.00 | 0.00 | 1,41,96.50 | 0.00 | 0.00 |
| 204- ग्रामीण विद्युतीकरण | | | | | | | | |
| (i) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 1,36,00.00 | 0.00 | 1,36,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,36,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 204 | 1,36,00.00 | 0.00 | 1,36,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,36,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205- संचरण एवं सवितरण | | | | | | | | |
| (i) आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग-ख के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज | 5,73,50.00 | 0.00 | 5,73,50.00 | 0.00 | 0.00 | 5,73,50.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० को संचरण के लिए कर्ज | 0.00 | 27,70.00 | 27,70.00 | 0.00 | 0.00 | 27,70.00 | 27,70.00 | 0.00 |
| जोड़ - 205 | 5,73,50.00 | 27,70.00 | 6,01,20.00 | 0.00 | 0.00 | 6,01,20.00 | 27,70.00 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान खोटी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बट्टे खाते डाले गए अप्रतिप्राय्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|------------|---------------------------|----------------------------|-----|------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|
|------------|---------------------------|----------------------------|-----|------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|

(₹ लाख में)

च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः

2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः
 - (iii) उर्जा के लिए कर्ज-क्रमशः
 - 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - क्रमशः
 - 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|------|------|------------|----------|------|
| (i) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कर्ज | 52,28.51 | 0.00 | 52,28.51 | 0.00 | 0.00 | 52,28.51 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार के लिए कर्ज | 7,06.97 | 0.00 | 7,06.97 | 0.00 | 0.00 | 7,06.97 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को वितरण के लिए कर्ज | 6,84.48 | 0.00 | 6,84.48 | 0.00 | 0.00 | 6,84.48 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज | 41,15.88 | 0.00 | 41,15.88 | 0.00 | 0.00 | 41,15.88 | 0.00 | 0.00 |
| (v) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. को वार्षिक विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज | 11,94.74 | 0.00 | 11,94.74 | 0.00 | 0.00 | 11,94.74 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) संचरण के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 77,04.95 | 0.00 | 77,04.95 | 0.00 | 0.00 | 77,04.95 | 0.00 | 0.00 |
| (vii) संचरण के लिए झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को कर्ज | 4,37,64.85 | 50,00.61 | 4,87,65.46 | 0.00 | 0.00 | 4,87,65.46 | 50,00.61 | 0.00 |
| (viii) आर-ए.प.डी.आर.पी. भाग-ख के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज | 1,11,00.00 | 0.00 | 1,11,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,11,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ix) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. आई.पी. डी.एस. के लिए कर्ज | 35,12.00 | 0.00 | 35,12.00 | 0.00 | 0.00 | 35,12.00 | 0.00 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटूटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (iii) उर्जा के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - क्रमांत | | | | | | | | |
| (x) ए.पी.डी.आर.पी. पुनर्संरचना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 |
| (xi) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण | 1,68,39.36 | 0.00 | 1,68,39.36 | 0.00 | 0.00 | 1,68,39.36 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 789 | 9,48,84.86 | 50,00.61 | 9,98,85.47 | 0.00 | 0.00 | 9,98,85.47 | 50,00.61 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | | |
| (i) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण | 2,09,41.03 | 0.00 | 2,09,41.03 | 0.00 | 0.00 | 2,09,41.03 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार के लिए ऋण | 14,44.69 | 0.00 | 14,44.69 | 0.00 | 0.00 | 14,44.69 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण | 1,11,82.77 | 0.00 | 1,11,82.77 | 0.00 | 0.00 | 1,11,82.77 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को वितरण के लिए ऋण | 90,95.46 | 0.00 | 90,95.46 | 0.00 | 0.00 | 90,95.46 | 0.00 | 0.00 |
| (v) संचरण के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 1,95,83.02 | 0.00 | 1,95,83.02 | 0.00 | 0.00 | 1,95,83.02 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण हेतु कर्ज | 9,48,23.87 | 11,61.61 | 9,59,85.48 | 0.00 | 0.00 | 9,59,85.48 | 11,61.61 | 0.00 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोटे खाले गए अप्रतिप्राय्य कर्जों एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | |
| (iii) उर्जा के लिए कर्ज-क्रमशः | | | | | | | |
| 680I- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना - क्रमांत | | | | | | | |
| (vii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण | 3,90,73.88 | 0.00 | 3,90,73.88 | 0.00 | 3,90,73.88 | 0.00 | 0.00 |
| (viii) आर-ए.प.डी.आर.पी. भाग-ख के अंतर्गत जे.बी.भी.एन.एल. को कर्ज | 2,40,50.00 | 0.00 | 2,40,50.00 | 0.00 | 2,40,50.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ix) समेकित उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी. एस.) के लिए जे.बी.भी.एन.एल. को कर्ज | 76,10.00 | 0.00 | 76,10.00 | 0.00 | 76,10.00 | 0.00 | 0.00 |
| (x) ए.पी.डी.आर.पी. पुनर्संरचना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उधार | 71.76 | 0.00 | 71.76 | 0.00 | 71.76 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 22,78,76.48 | 11,61.61 | 22,90,38.09 | 0.00 | 22,90,38.09 | 11,61.61 | 0.00 |
| 800- बिजली बोर्ड को अन्य कर्ज - | | | | | | | |
| (i) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 33,17,67.09 | 0.00 | 33,17,67.09 | 0.00 | 33,17,67.09 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के बकाया राशि के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा सीधे कटौती के विरुद्ध बोर्ड को ऋण | 1,20,41.00 | 0.00 | 1,20,41.00 | 0.00 | 1,20,41.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) सैचुरेशन के लिए कर्ज | 30,00.00 | 0.00 | 30,00.00 | 0.00 | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iv) पतरातु थर्मल पावर को उत्पादन हेतु ऋण | 20,00.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 | 20,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (v) नया विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन स्थापना हेतु जे.एस.ई.बी. को ऋण | 2,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (vi) वितरण हेतु जे.एस.ई.बी. को ऋण | 1,98,91.71 | 0.00 | 1,98,91.71 | 0.00 | 1,98,91.71 | 0.00 | 0.00 |
| (vii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उधार | 5,67,04.56 | 0.00 | 5,67,04.56 | 0.00 | 5,67,04.56 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | |
| | 1,97,54.70 | 0.00 | 1,97,54.70 | 0.00 | 0.00 | 1,97,54.70 | 0.00 | 0.00 |
| (viii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम हेतु जे.एस.ई.बी. को ऋण | 8,48,54.32 | 0.00 | 8,48,54.32 | 0.00 | 0.00 | 8,48,54.32 | 0.00 | 0.00 |
| (ix) विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किए गए बंधपत्र के विरुद्ध बकाए ब्याज की वापसियों के लिए कर्ज | 2,51,64.08 | 0.00 | 2,51,64.08 | 0.00 | 0.00 | 2,51,64.08 | 0.00 | 0.00 |
| (x) पावर बौंड-ब्याज की अदायगियों के लिए जे.एस.ई.बी. को ऋण | 9,22.14 | 0.00 | 9,22.14 | 0.00 | 0.00 | 9,22.14 | 0.00 | 0.00 |
| (xi) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार के लिए कर्ज | 2,31,00.00 | 0.00 | 2,31,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,31,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (xii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उत्पादन के लिए कर्ज | 3,31,22.14 | 0.00 | 3,31,22.14 | 0.00 | 0.00 | 3,31,22.14 | 0.00 | 0.00 |
| (xiii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण के लिए ऋण | 22,61,18.43 | 0.00 | 22,61,18.43 | 0.00 | 0.00 | 22,61,18.43 | 0.00 | 0.00 |
| (xiv) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण के लिए ऋण | 1,81,47.00 | 0.00 | 1,81,47.00 | 0.00 | 0.00 | 1,81,47.00 | 0.00 | 0.00 |
| (xv) समेकित उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी. एस.) के लिए जे.बी.पी.एन.एल. को ऋण | 1,71.12 | 0.00 | 1,71.12 | 0.00 | 0.00 | 1,71.12 | 0.00 | 0.00 |
| (xvi) ए.पी.डी.आर.पी. पुनर्संरचना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उधार | 85,69,58.29 | 0.00 | 85,69,58.29 | 0.00 | 0.00 | 85,69,58.29 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 800 | 1,98,57,28.66 | 89,32.22 | 1,99,46,60.88 | 0.00 | 0.00 | 1,99,46,60.88 | 89,32.22 | 0.00 |
| जोड़- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | 1,98,57,28.66 | 89,32.22 | 1,99,46,60.88 | 0.00 | 0.00 | 1,99,46,60.88 | 89,32.22 | 0.00 |
| जोड़- (iii)- उर्जा के लिए कर्ज | 1,98,57,28.66 | 89,32.22 | 1,99,46,60.88 | 0.00 | 0.00 | 1,99,46,60.88 | 89,32.22 | 0.00 |

च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः

2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः

(iii) उर्जा के लिए कर्ज - क्रमांत

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - क्रमांत

800- बिजली बोर्ड को अन्य कर्ज - क्रमांत

(viii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम हेतु जे.एस.ई.बी. को ऋण

(ix) विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किए गए बंधपत्र के विरुद्ध बकाए ब्याज की वापसियों के लिए कर्ज

(x) पावर बौंड-ब्याज की अदायगियों के लिए जे.एस.ई.बी. को ऋण

(xi) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार के लिए कर्ज

(xii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उत्पादन के लिए कर्ज

(xiii) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण के लिए ऋण

(xiv) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचरण के लिए ऋण

(xv) समेकित उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी. एस.) के लिए जे.बी.पी.एन.एल. को ऋण

(xvi) ए.पी.डी.आर.पी. पुनर्संरचना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को उधार

जोड़- 800

जोड़- 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

जोड़- (iii)- उर्जा के लिए कर्ज

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोटे खाते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | |
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | |
| (iv) उद्योग और खनिजों के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 6851- ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 102- लघु उद्योग | | | | | | | |
| (i) बिहार राज्य लघु उद्योग निगम | (-)13.34 | 0.00 | (-)13.34 | 0.00 | (-)13.34 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बंद और रूण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कर्ज | (-)1,76.01 | 0.00 | (-)1,76.01 | 0.00 | (-)1,76.01 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 102 | (-)1,89.35 | 0.00 | (-)1,89.35 | 0.00 | (-)1,89.35 | 0.00 | 0.00 |
| 200- अन्य ग्राम उद्योग | | | | | | | |
| (i) जिला औद्योगिक केंद्रों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को उधार | (-)7.84 | 0.00 | (-)7.84 | 0.00 | (-)7.84 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) औद्योगिक अधिनियम, 1956 के अंतर्गत औद्योगिक कंपनियों को राज्य सहाय्य के लिए उधार | (-)1.19 | 0.00 | (-)1.19 | 0.00 | (-)1.19 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 200 | (-)9.03 | 0.00 | (-)9.03 | 0.00 | (-)9.03 | 0.00 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | |
| (i) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना- जिला औद्योगिक केंद्र के अधीन औद्योगिक इकाइयों को उधार | (-)36.18 | 0.00 | (-)36.18 | 0.00 | (-)36.18 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा सूद मुक्त ऋण प्राप्ति | (-)1,25.42 | 0.00 | (-)1,25.42 | 0.00 | (-)1,25.42 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | (-)1,61.60 | 0.00 | (-)1,61.60 | 0.00 | (-)1,61.60 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ 6851- ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज | (-)3,59.98 | 0.00 | (-)3,59.98 | 0.00 | (-)3,59.98 | 0.00 | 0.00 |

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणान्तरित वहां शामिल हुए हैं जहां शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु कर्जियों प्राप्त हुई है (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बटुटे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| च - कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| (iv) उद्योग और खनिजों के लिए कर्ज - क्रमशः | | | | | | | | |
| 6885- उद्योग और खनिजों के लिए अन्य कर्ज - | | | | | | | | |
| 01- औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज - | | | | | | | | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | | | | | | | | |
| (i) विक्रीकर से छूट के स्थान पर उद्योगों को बिना सूद के ऋण | (-),1,59.23 | 0.00 | (-),1,59.23 | 0.00 | 0.00 | (-),1,59.23 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 190 | (-),1,59.23 | 0.00 | (-),1,59.23 | 0.00 | 0.00 | (-),1,59.23 | 0.00 | 0.00 |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | |
| (i) विक्रीकर से छूट के स्थान पर उद्योगों को बिना सूद के ऋण | (-),55.95 | 0.00 | (-),55.95 | 0.00 | 0.00 | (-),55.95 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बंद एवं रुण औद्योगिक इकाई को सूद मुक्त ऋण | 31,64.39 | 0.00 | 31,64.39 | 0.00 | 0.00 | 31,64.39 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 31,08.44 | 0.00 | 31,08.44 | 0.00 | 0.00 | 31,08.44 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 01 | 29,49.21 | 0.00 | 29,49.21 | 0.00 | 0.00 | 29,49.21 | 0.00 | 0.00 |
| 60- अन्य | | | | | | | | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना | | | | | | | | |
| (i) वृहत् एवं मध्यम उद्योगों की बंद और रुण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए उधार | 2,23.81 | 0.00 | 2,23.81 | 0.00 | 0.00 | 2,23.81 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बंद एवं रुण औद्योगिक इकाई को सूद मुक्त ऋण | (-),3.40 | 0.00 | (-),3.40 | 0.00 | 0.00 | (-),3.40 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 796 | 2,20.41 | 0.00 | 2,20.41 | 0.00 | 0.00 | 2,20.41 | 0.00 | 0.00 |

(₹ लाख में)

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई है (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जे एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 वर्ष के लौटायी गई राशि | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान खोते डाले गए अप्रतिप्राप्य कर्जे एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ हास (-) | जमा किया गया व्याज |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| च- कर्ज तथा उधार - क्रमशः | | | | | | | |
| 2. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | |
| (iv) उद्योग और खनिजों के लिए कर्ज - क्रमांत | | | | | | | |
| 6885- उद्योग और खनिजों के लिए अन्य कर्ज - क्रमांत | | | | | | | |
| 60- अन्य - क्रमांत | | | | | | | |
| 800- अन्य कर्ज | | | | | | | |
| (i) वृहत एवं मध्यम उद्योगों की बंद और रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उधार | (-)45.79 | 0.00 | (-)45.79 | 0.00 | (-)45.79 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) बंद एवं रुग्ण औद्योगिक इकाई को सूद मुक्त ऋण | (-)0.25 | 0.00 | (-)0.25 | 0.00 | (-)0.25 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 800 | (-)46.04 | 0.00 | (-)46.04 | 0.00 | (-)46.04 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 60 | 1,74.37 | 0.00 | 1,74.37 | 0.00 | 1,74.37 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 6885 उद्योग और खनिजों के लिए अन्य कर्ज | 31,23.58 | 0.00 | 31,23.58 | 0.00 | 31,23.58 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- (iv)- उद्योग और खनिजों के लिए कर्ज | 27,63.60 | 0.00 | 27,63.60 | 0.00 | 27,63.60 | 0.00 | 0.00 |
| (v)- सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | | | | | | | |
| 102- व्यापारिक संस्थाएँ | | | | | | | |
| जोड़- 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- (v)- सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 2 आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | 1,99,76,86.60 | 89,32.22 | 2,00,66,18.82 | 41.75 | 2,00,65,77.07 | 88,90.47 | 0.00 |

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
भाग 1 - मुख्य एवं लघु शीर्षवार कर्जों एवं उधारों का सार

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को शेष राशि | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि | राजस्व को बट्टे खाते डाले गए अप्रतिप्राय कर्ज एवं उधार | 31 मार्च 2020 का शेष राशि | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | जमा किया गया ब्याज |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| च- कर्ज तथा उधार - क्रमांत | | | | | | | | |
| 3. सरकारी सेवकों आदि को कर्ज | | | | | | | | |
| 7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | | | | | | | | |
| 201- भवन निर्माण-अग्रिम | | | | | | | | |
| (i) सरकारी कर्मचारी | 1,38,59.24 | 49,36.79 | 1,87,96.03 | 32,00.40 | 0.00 | 1,55,95.63 | 17,36.39 | 0.00 |
| (ii) अखिल भारतीय सेवाएँ | 41.14 | 30.00 | 71.14 | 21.32 | 0.00 | 49.82 | 8.68 | 0.00 |
| (iii) मंत्रीगण/विधायक | 76.00 | 34.50 | 1,10.50 | 0.00 | 0.00 | 1,10.50 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 201 | 1,39,76.38 | 50,01.29 | 1,89,77.67 | 32,21.72 | 0.00 | 1,57,55.95 | 17,45.07 | 0.00 |
| 202- मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम- | | | | | | | | |
| (i) सरकारी कर्मचारी | (-),6,83.38 | 0.00 | (-),6,83.38 | 4,04.73 | 0.00 | (-),10,88.11 | (-),4,04.73 | 0.00 |
| (ii) मंत्रीगण | 3,90.28 | 0.00 | 3,90.28 | 15.64 | 0.00 | 3,74.64 | (-),15.64 | 0.00 |
| (iii) विधायक | 14,54.68 | 2,50.54 | 17,05.22 | 1,43.30 | 0.00 | 15,61.92 | 1,07.24 | 0.00 |
| जोड़- 202 | 11,61.58 | 2,50.54 | 14,12.12 | 5,63.67 | 0.00 | 8,48.45 | (-),3,13.13 | 0.00 |
| 203- अन्य वाहनों के क्रय करने के लिए अग्रिम | (-),76.73 | 0.00 | (-),76.73 | 0.00 | 0.00 | (-),76.73 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़- 203 | (-),76.73 | 0.00 | (-),76.73 | 0.00 | 0.00 | (-),76.73 | 0.00 | 0.00 |
| 800- अन्य अग्रिम | | | | | | | | |
| (i) सरकारी सेवकों को विदेश तथा भारत में अध्ययन के लिए मार्ग अग्रिम, विवाह अग्रिम और अन्य अग्रिम | (-),1,26,38.91 | 0.00 | (-),1,26,38.91 | 1,091.93 | 0.00 | (-),1,37,30.84 | (-),10,91.93 | 0.00 |
| जोड़- 800 | (-),1,26,38.91 | 0.00 | (-),1,26,38.91 | 10,91.93 | 0.00 | (-),1,37,30.84 | (-),10,91.93 | 0.00 |
| जोड़- 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | 24,22.32 | 52,51.83 | 76,74.15 | 48,77.32 | 0.00 | 27,96.83 | 3,74.51 | 0.00 |
| जोड़- 3. सरकारी सेवकों आदि को कर्ज | 24,22.32 | 52,51.83 | 76,74.15 | 48,77.32 | 0.00 | 27,96.83 | 3,74.51 | 0.00 |
| जोड़ - च- कर्ज तथा उधार | 2,07,29,99.78 | 1,65,42.89 | 2,08,95,42.67 | 49,19.07 | 0.00 | 2,08,46,23.60 | 1,16,23.82 | 0.00 |

दिनांक 14.11.2020 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के बकाया शेष का बंटवारा प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

नोट : उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़ें वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई है (अगस्त 2020)।

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 2 - वर्ष के दौरान योजना उद्देश्यों एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना सम्मिलित) के लिए संवितरित कर्जों तथा अग्रिमों का विवरण

| लेखा का मुख्य शीर्ष | राज्य योजना | केन्द्रीय योजनागत योजना | केन्द्र प्रायोजित योजना | कुल |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | (₹ लाख में) | | | |
| 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | 89,32.22 | 0.00 | 0.00 | 89,32.22 |
| 6217- शहरी विकास के लिए कर्ज | 23,58.84 | 0.00 | 0.00 | 23,58.84 |
| जोड़ | 1,12,91.06 | 0.00 | 0.00 | 1,12,91.06 |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

अतिरिक्त प्रकटीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान नवीन कर्जों एवं पेशगियों दी गई :-

| कर्ज धारक | कर्जों की संख्या | कर्जों की कुल राशि (₹ लाख में) | शर्तें | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | ब्याज दर (प्रतिशत में) | ऋण स्थगन अवधि यदि कोई हो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| नगरपालिकाएं/नगर निगम | 35 | 23,58.84 | 13.00 | 1 वर्ष |
| झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड | 15 | 89,32.22 | 13.00 | 1 वर्ष |

ऋण एवं अग्रियों से सम्बंधित असामान्य लेन-देन को इंगित करते हुए प्रकटीकरण :-

1. निम्नलिखित मामले स्वीकृत किए गए ऋण की "ऋण में स्थायित्व" के रूप में हैं।

| क्रम सं. | लेन-देन का वर्ष | स्वीकृति सं. | राशि | ब्याज दर |
|----------|-----------------|----------------|------|----------|
| | | ऐसे मामले नहीं | | |

2. सरकार के द्वारा निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति जैसे नियम एवं शर्तों के अधीन दी गई है जिनका निर्धारण किया जाना है।

| कर्ज धारक | कर्जों की संख्या | कर्जों की कुल राशि (₹ लाख में) | पूर्व अवधि जिससे कर्ज संबंधित है। |
|-----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | ऐसे मामले नहीं |

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

भाग 3 - कर्जधारकों को वर्ष के दौरान नवीन कर्जे एवं पेशगियाँ दी गईं जिनसे पूर्व के कर्जों की अदायगियाँ बकाया हैं।

| कर्ज धारक | चालू वर्ष के दौरान कर्जों का संवितरण किया गया | | 31 मार्च 2020 को बकाया राशि | | | पूर्व अवधि जिसमें बकाया संबंधित है | चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-------|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| | ब्याज दर प्रतिशत | मूलधन | मूलधन | ब्याज | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(₹ लाख में)

नगरपालिकाएं/नगर निगम/एन.ए.सी./
नगर पंचायत

13.00 23,58.84 6,79,11.12 48,47.86 7,27,58.98 2007-08 छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर पुनरीक्षित वेतन / बकाया वेतन के भुगतान के लिए

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड लि०,
झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लि०,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि०,
झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि०

13.00 89,32.22 1,27,24,42.64 7,33,11.39 1,34,57,54.03 2016-17 खाली संसाधन, उत्तम उत्पादन संचरण एवं वितरण के लिए

18. सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण - क्रमांत

क. उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2014 के अनुसार झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को विघटित कर चार कम्पनियों का सृजन किया गया है, यथा :-

- i. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)।
- ii. झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूएनएल)।
- iii. झारखण्ड उर्जा संवर्ण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल)।
- iv. झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल)।

ख. 06 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के पारा 4.2 के अनुसार बोर्ड द्वारा देय राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि को राज्य सरकार के खाते में बोर्ड से वसूलनीय दिखाया जायेगा जबतक कि बोर्ड एवं राज्य सरकार के बीच इसका अंतिम समायोजन न हो जाये। बोर्ड के विघटन से पहले वर्ष 2013-14 तक बोर्ड के विरुद्ध ₹ 72,22,18.24 लाख ऋण की राशि बकाया है। बोर्ड के विरुद्ध बकाया राशि के अन्तिम समायोजन से संबंधित कोई भी सूचना राज्य सरकार से अब तक प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2020)।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्साब में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्साब में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. सांविधिक निगमों (#) | | | | | | | | | | |
| (i) कार्यरत निगमों (नाम का उल्लेख) | | | | | | | | | | |
| (ii) गैर-कार्यरत निगमों | | | | | | | | | | |
| II. ग्रामीण बैंक | | | | | | | | | | |
| 1 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 2001-02, 2007-08 से 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 31,02.90 | | | | |
| | | 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 14,70.11 | | | | |
| | | | | | | जोड़ - (II) 45,73.01 | | | | |
| III. सरकारी कम्पनियों | | | | | | | | | | |
| (i) कार्यरत कम्पनियाँ | | | | | | | | | | |
| 1 | झारखण्ड राज्य पुलिस आवास निर्माण निगम लिमिटेड | 2001-02 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 (*) | | | | |
| 2 | झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | 2003-04 | ... | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | |
| 3 | तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड | 2005-06 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 (\$) | | | | |

(₹ लाख में)

(#) सांविधिक निगमों में कोई निवेश नहीं है।

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 (*) पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

(क) कृपया पृष्ठ सं. 411 (क) पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

(ख) कृपया पृष्ठ सं. 411 (ख) पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

(\$) इसमें अविभाजित बिहार सरकार द्वारा ₹1,00,00,00.00 लाख शामिल नहीं है, जिसका उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच बंटवारा नहीं हुआ है।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्साब में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्साब में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियाँ |
|---------|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------|---|--|--|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम | 2005-06 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | | | | |
| 5 | झारखण्ड राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का हिस्सा पूँजी (जिडको) | 2004-05 से 2006-07 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 (*) | | | | |
| | | 2007-08 से 2010-11 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | | | | |
| | | 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | | | | |
| | | 2013-14 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | | | | |
| | | 2014-15 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | | | | |
| | | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | | | | |
| | | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | | | | |
| | | 2017-18 | ... | 0.00 | 0.00 | 6,00.00 | | | | |
| | | 2019-20 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 29,00.00 (\$\$) | | | |
| | | | | | | | 1,50.00 | | | |
| 6 | अल्प संख्यक विकास एवं वित्तीय निगम का हिस्सा पूँजी | 2008-09 से 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 2013-14 | ... | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | |
| | | 2014-15 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | |
| | | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | |
| | | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | |
| | | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | | | | |
| | | 2019-20 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 4,75.00 (\$\$) | | | |

(\$\$) यह आंकड़ा कम्पनी के आंकड़े के भिन्न हो सकता है।

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्सा में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्सा में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियाँ |
|---------|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------|---|---|---|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | झारखण्ड पर्यटन विकास निगम का हिस्सा पूंजी | 2002-03 से 2008-09 | ... | 0.00 | 0.00 | ... | 35.00 (*) | | | |
| | | 2011-12 से 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,65.00 | | | | |
| | | 2013-14 | ... | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | |
| | | 2014-15 | ... | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | |
| | | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | | | | |
| | | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 9,50.00 | | | |
| 8 | झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिस्सा पूंजी | 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | | | | |
| 9 | वृहद् राँची विकास अभिकरण (जीआर.डी.ए.) | 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 25,00.00 (*) | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 25,00.00 | | | |
| 10 | भवन निर्माण निगम को हिस्सा पूंजी | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | | | | |
| 11 | राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड को हिस्सा पूंजी (आर.एस.एस.सी.एल.) | 2017-18 | ... | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | | | | |
| | | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 30,00.00 | | | |
| 12 | रेलवे परियोजना को हिस्सा पूंजी | 2017-18 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,99.50 | | | | |
| | | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 9,99.50 | | | |

(*) यह आंकड़ा कम्पनी के आंकड़े के भिन्न हो सकता है।

(†) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्साब में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्साब में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियाँ |
|---------|---|---------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|---|--|--|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | शेयर का मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जुडकोल) | 2013-14 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 (*) | 50.00 (*) | | | |
| | | 2014-15 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 (*) | 50.00 (*) | | | |
| | | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 34,00.00 | 34,00.00 | | | |
| | | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 10,00.00 | | | |
| | | | | | | जोड़ | 45,00.00 | | | |
| 14 | झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालिको) | 2001-02 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 5,00.00 | | | |
| 15 | झारखण्ड राज्य रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम (झारक्राफ्ट) | 2006-07 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 (*) | 2,00.00 (*) | | | |
| | | 2007-08 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 (*) | 2,00.00 (*) | | | |
| | | 2008-09 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 (*) | 1,00.00 (*) | | | |
| | | 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 (*) | 1,50.00 (*) | | | |
| | | 2010-11 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 (*) | 1,50.00 (*) | | | |
| | | 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 (*) | 2,00.00 (*) | | | |
| | | | | | | जोड़ | 10,00.00 | | | |

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------|---|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---|----|----|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 16 | झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लि. | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | | | | |
| | | 2017-18 | ... | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | | | | |
| | | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 45,00.00 | | | |
| 17 | झारखण्ड रेलवे परियोजना विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | ... | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 (*) | | | | |
| | | 2019-20 | ... | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 (*) | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 15,00.00 | | | |
| 18 | वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) | 2019-20 | ... | 0.00 | 0.00 | 8.23 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 8.23 | | | |
| | | | | | | जोड़ - (III) | 2,41,37.73 (ग) | | | |

(ii) गैर कार्यरत कम्पनियाँ (#)

1. कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड
2. पतरातू ऊर्जा लिमिटेड
3. झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

IV. संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ

V. साझेदारी संस्थाएँ

(ग) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

(घ) लेखा परीक्षा कार्यालय के कॉर्पोरेट शाखा से यह सूचित किया गया है कि (03) तीन गैर-कार्यरत कम्पनियाँ हैं।

अनुपलब्ध
अनुपलब्ध

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्साब में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्साब में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|---|--|--|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | शेयर का मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| VI. सहकारी बैंकों एवं समितियों में निवेश | | | | | | | | | | |
| 1 | क्रैडिट कॉर्पोरेटिव्स | 2002-03 एवं 2004-05 | ... | 0.00 | 0.00 | 40.00 (*) | | | | |
| | | 2010-11 एवं 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 80.57 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 1,20.57 | | | |
| 2 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत सहकारी समितियाँ/संस्थाएँ | 2002-03 एवं 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,40.84 (*) | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 1,40.84 (*) | | | |
| 3 | लाह उत्पादन एवं विपणन संघ | 2003-04, 2004-05, 2006-07 से 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,55.00 (*) | | | | |
| | | 2010-11 से 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 5,55.00 | | | |

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्सा में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्सा में नहीं जमा किया गया (ख) | 11 |
|---------|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 4 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सहकारी समितियों का हिस्सा पूँजी | 2003-04, 2004-05 एवं 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 45.00 (*) | | | | |
| 5 | दक्षिण छोटानागपुर अनुसूचित जनजातीय सहकारी फल एवं सब्जी विकास संघ लिमिटेड (भेजफेड) | 2003-04, 2004-05, 2006-07 से 2009-10 2010-11 एवं 2011-12 2013-14 2014-15 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | जोड़ 45.00 5,90.00 (*) | 50.00 | | | |
| 6 | वृहत् एवं बहुउद्देशीय सहकारी संघ/ समिति का हिस्सा पूँजी (लैम्प्स) | 2003-04, 2004-05, 2006-07 एवं 2007-08 2003-04 | ... | 0.00 | 0.00 | जोड़ 12,08.34 3,49.98 (*) | 40.00 (*) 1,80.00 (*) 3,48.34 (*) | | | |
| 7 | अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सहकारी समितियों का हिस्सा पूँजी | 2003-04 | ... | 0.00 | 0.00 | 5.00 (*) | | | | |
| 8 | प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति एवं व्यापार मंडल का हिस्सा पूँजी | 2006-07 एवं 2007-08 | ... | 0.00 | 0.00 | 3,50.00 (*) | | | | |

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्साब में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्साब में नहीं जमा किया गया (ख) | 11 |
|---------|---|--|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|--|----|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित रिफाईनरी/कोल्ड स्टोर्ज/गोदाम निर्माण परियोजना का हिस्सा पूंजी | 2006-07 | ... | 0.00 | 0.00 | 50.00 (*) | | | | |
| 10 | झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास सहकारी संघ का हिस्सा पूंजी | 2007-08 से 2009-10 2010-11 से 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 8,50.00 (*) | | | | |
| 11 | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का हिस्सा पूंजी | 2007-08 | ... | 0.00 | 0.00 | जोड़ 9,25.00 | | | | |
| | | 2008-09 | ... | 0.00 | 0.00 | 13,05.00 (*) | | | | |
| 12 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सम्पौषित समोक्षित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूंजी | 2007-08 से 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | जोड़ 27,95.00 | | | | |
| | | 2013-14 | ... | 0.00 | 0.00 | 6,97.86 (*) | | | | |
| | | 2014-15 | ... | 0.00 | 0.00 | 25,40.58 | | | | |
| | | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 3,15.04 | | | | |
| | | 2016-17 | ... | 0.00 | 0.00 | 4,16.59 | | | | |
| | | 2017-18 | ... | 0.00 | 0.00 | 3,61.80 | | | | |
| | | | ... | 0.00 | 0.00 | 2,04.20 | | | | |
| | | | | | | जोड़ 45,36.07 | | | | |

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्सा में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्सा में नहीं जमा किया गया (ख) | 11 |
|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|---|----|
| | | | प्रकार | श्रेयों की संख्या | प्रत्येक श्रेय का अंकित मूल्य | | | | | |
| 13 | अनुसूचित जातियों/जनजातियों/पिछड़े वर्गों के महिलाओं के कल्याण हेतु विशेष प्रकार की सहकारी समितियों का हिस्सा पूंजी | 2008-09 एवं 2009-10 | ... | 0.00 | 0.00 | 80.00 (*) | | | | |
| 14 | सहकारी समितियों का हिस्सा पूंजी | 2008-09 2011-12 | ... | 0.00 | 0.00 | 40.00 (*) 43.95 | | | | |
| 15 | झारखण्ड राज्य विकास सहकारिता संघ को हिस्सा पूंजी | 2010-11 | ... | 0.00 | 0.00 | 83.95 | | | | |
| 16 | झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक को हिस्सा पूंजी | 2011-12 एवं 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | |
| 17 | झारखण्ड राज्य सहकारिता संघ को हिस्सा पूंजी | 2011-12 एवं 2012-13 | ... | 0.00 | 0.00 | 2,70.00 | | | | |
| 18 | एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी | 2014-15 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 75.00 | | | | |
| 19 | जिला दुग्ध संघ को हिस्सा पूंजी | 2015-16 | ... | 0.00 | 0.00 | 32.80 | | | | |
| | | | ... | 0.00 | 0.00 | 24.00 | | | | |
| | | | ... | 0.00 | 0.00 | 56.80 | | | | |
| | | | ... | 0.00 | 0.00 | 7.81 | | | | |

(*) कृपया पृष्ठ सं. 411 पर टिप्पणी का अवलोकन करें।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
खण्ड-1 : वर्ष 2019-20 तक निवेशों का ब्योरा - क्रमांत

| क्रमांक | संस्था का नाम | निवेश का वर्ष | निवेश के ब्योरे (क) | | | | निवेशित राशि | कुल भुगतान की गई राशि एवं सरकारी निवेश का प्रतिशत | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं सरकारी हिस्सा में जमा किया गया | घोषित लाभांश जो सरकारी हिस्सा में नहीं जमा किया गया (ख) | अभ्युक्तियों |
|---------|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|---|---|--------------|
| | | | प्रकार | शेयरों की संख्या | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | प्रकार | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 20 | दुग्ध संघ को हिस्सा पूंजी | 2013-14 2014-15 2015-16 2017-18 | ... | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 10,00.00 7,00.00 5,00.00 3,00.00 | | | | | |
| | | | | | | जोड़ | 25,00.00 | | | | |
| 21 | जनजातीय सहकारी विकास निगम | 2009-10, 2010-11 से 2012-13 2014-15 2016-17 2019-20 | ... | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 3,50.00 (*) 1,00.00 (*) 1,00.00 (*) 50.00 | | | | | |
| | | | | | | जोड़ (VI) | 6,00.00 | | | | |
| | | | | | | कुल जोड़ | 1,60,84.36 | | | | |
| | | | | | | जोड़ (ग) | 4,47,95.10 | | | | |

टिप्पणी: संयुक्त बिहार के साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेश का उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड के राज्यों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है।

(*) व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) से निवेश किया गया था।

(क) निवेश के ब्योरे सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई है।

(ग) उपरोक्त सूचि में राज्य सरकार का निम्नलिखित निगमों के हिस्सा पूंजी में निवेश जो उनके लेखे में दर्शाये गए हैं, शामिल नहीं है। (i) झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड, ₹ 2.00 करोड़, (ii) झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना विकास तथा संग्रहण निगम लिमिटेड, ₹ 5 करोड़, (iii) झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड, ₹ 8.4 करोड़, (iv) झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, ₹ 5 करोड़ एवं (v) दामोदर घाटी निगम (भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), ₹ 17,81.55 करोड़ अविभाजित बिहार के दौरान निवेशित उपरोक्त अंतरों को मिलाकर किया गया है एवं राज्य सरकार के पास पुष्टि के लिए भेजा गया है, सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योग

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | 1 | 2 | पूर्व वर्ष के | | वर्ष के | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---|--|---------|----------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | अंत तक निवेश | दौरान निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| II ग्रामीण बैंक | | | | | | | | |
| प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में निवेश | | | | | | | | |
| 5475- | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | | |
| 1 | राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश के हिस्सा पूंजी के लिए अंशदान | 2001-02 | 6,98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,98.95 |
| | | 2007-08 | 11,97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,97.00 |
| 5475- | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | | |
| 2 | झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा | 2008-09 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| | | 2009-10 | 12,06.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,06.00 |
| | | 2011-12 | 6,30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,30.11 |
| 5475- | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | | |
| 3 | वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा | 2011-12 | 8,40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,40.00 |
| | | | | 45,73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,73.01 |
| जोड़ II - ग्रामीण बैंक | | | | | | | | |
| III सरकारी कम्पनियों में निवेश | | | | | | | | |
| 2055- | पुलिस | | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---------|---------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | (₹ लाख में) |
| 1 | पुलिस आवास निर्माण निगम के हिस्सा पूंजी के लिए अंशदान | 2001-02 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| | 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| | 01- वानिकी | | | | | | |
| | 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| 2 | झारखण्ड राज्य वन विकास निगम में हिस्सा पूंजी | 2003-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| | 800- अन्य व्यय | | | | | | |
| 3 | तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश | 2005-06 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| | 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| | 02- अलौह धातु | | | | | | |
| | 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| 4 | झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम | 2005-06 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| | 2852- उद्योग | | | | | | |
| | 80- सामान्य | | | | | | |
| | 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना | | | | | | |
| 5 | झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (जिडको) में निवेश | 2004-05 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| | | 2005-06 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2006-07 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | दौरान निवेश | दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| 4885- 60- 796- | उद्योग एवं खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय अन्य जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (जिडको) में निवेश | 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2019-20 | 1,00.00 1,00.00 1,00.00 1,00.00 1,00.00 2,00.00 1,00.00 1,00.00 5,00.00 6,00.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,00.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1,00.00 1,00.00 1,00.00 1,00.00 1,00.00 2,00.00 1,00.00 1,00.00 5,00.00 6,00.00 4,00.00 |
| | | जोड़ | 25,00.00 | 4,00.00 | 0.00 | 29,00.00 |
| 190- 4225- 80- 796- | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय सामान्य जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूँजी | 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 | 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| | झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को हिस्सा पूंजी (जे.टी.डी.सी.) | 2008-09 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | 2011-12 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2012-13 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | | 2013-14 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | 2014-15 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | 2015-16 | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 |
| | | 2016-17 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | जोड़ | | 9,50.00 | 0.00 | 0.00 | 9,50.00 |
| 4047- | अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 039- | राज्य उत्पाद | | | | | |
| 8 | झारखण्ड राज्य बिबरेजेज निगम लिमिटेड को हिस्सा पूंजी | 2011-12 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| 2053- | जिला प्रशासन | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | |
| 9 | वृहद राँची विकास अभिकरण लिमिटेड | 2011-12 | 25,00.00 | 0.00 | 0.00 | 25,00.00 |
| 5465- | सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | |
| 02- | व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य बैंक उपक्रमों में निवेश | | | | | |
| 10 | भवन निर्माण निगम को हिस्सा पूंजी | 2015-16 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| 4217- | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 60- | अन्य शहरी विकास योजनाएँ | | | | | |
| 191- | नगर निगम को सहायता | | | | | |
| 11 | राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड को हिस्सा पूंजी (आर.एस.सी.सी.एल.) | 2017-18 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 |
| | | 2018-19 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | 18,00.00 | 0.00 | 0.00 | 18,00.00 |
| | रौची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड को हिस्सा पूंजी (आर.एस.सी.सी.एल.) | | | | |
| 5075- | अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 | 30,00.00 |
| 60- | अन्य | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | 4,99.50 | 0.00 | 0.00 | 4,99.50 |
| 12 | रेलवे परियोजना को हिस्सा पूंजी (झारखण्ड केंद्रीय रेलवे लिमिटेड) | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| | | 9,99.50 | 0.00 | 0.00 | 9,99.50 |
| 2217- | शहरी विकास | | | | |
| 80- | सामान्य | | | | |
| 191- | स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता | | | | |
| 13 | झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जुडकोल) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2217- | शहरी विकास | | | | |
| 80- | सामान्य | | | | |
| 196- | जिला परिषद को सहायता/ जिला स्तरीय पंचायत | | | | |
| | झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जुडकोल) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4217- | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 60- | अन्य शहरी विकास योजनाएँ | | | | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | | | | वर्ष के अंत तक निवेश | |
|---------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | |
| 191- | नगर निगम को सहायता | | | | | | |
| | झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जुडकोल) | 2016-17 | 16,50.00 | 0.00 | 0.00 | 16,50.00 | |
| | | 2018-19 | 8,00.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00.00 | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| | झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जुडकोल) | 2016-17 | 17,50.00 | 0.00 | 0.00 | 17,50.00 | |
| | | 2018-19 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | |
| | जोड़ | | 45,00.00 | 0.00 | 0.00 | 45,00.00 | |
| 4702- | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| 14 | झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालिको) | 2001-02 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | |
| 2851- | ग्राम तथा लघु उद्योग | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| 15 | झारखण्ड राज्य रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम (झारक्राफ्ट) | 2006-07 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | |
| | | 2007-08 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | |
| | | 2008-09 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | |
| | | 2009-10 | 1,50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 | |
| | | 2010-11 | 1,50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 | |
| | | 2011-12 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | |
| | जोड़ | | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | |
| 4217- | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 60- | अन्य शहरी विकास योजनाएँ | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| | झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड को हिस्सा पूंजी | 2016-17 | 15,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | |
| | | 2017-18 | 20,00.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | |
| | | 2018-19 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | |
| | जोड़ | | 45,00.00 | 0.00 | 0.00 | 45,00.00 | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
|---------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| 3075- | अन्य परिवहन सेवा | | | | | |
| 60- | अन्य | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | |
| 17 | झारखण्ड रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को हिस्सा पूँजी | 2018-19 2019-20 | 5,00.00 0.00 | 0.00 10,00.00 | 0.00 0.00 | 5,00.00 10,00.00 |
| | जोड़ | | 5,00.00 | 10,00.00 | 0.00 | 15,00.00 |
| 5465- | सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | |
| 01- | व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंक उपक्रमों इत्यादि में निवेश | | | | | |
| 18 | वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) | 2019-20 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| | जोड़ (III) - सरकारी कम्पनियों | | 2,26,79.50 | 14,58.23 | 0.00 | 2,41,37.73 |
| VI | सहकारी बैंकों एवं समितियों में निवेश | | | | | |
| 2425- | सहकारिता | | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | | |
| 1 | प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति एवं व्यापार मंडल के हिस्सा पूँजी के लिए अंशदान | 2002-03 2004-05 | 20.00 20.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 20.00 20.00 |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश | | | | | |
| | झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को हिस्सा पूँजी | 2010-11 2011-12 | 25.00 55.57 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 25.00 55.57 |
| | जोड़ | | 1,20.57 | 0.00 | 0.00 | 1,20.57 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | | | | वर्ष के दौरान निवेश | | वर्ष के अंत तक निवेश | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | |
| 2 | 2425- सहकारिता 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सहकारी समितियों को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2002-03 2004-05 जोड़ | 10.84 1,30.00 1,40.84 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10.84 1,30.00 1,40.84 | 10.84 1,30.00 1,40.84 |
| 3 | 4425- सहकारिता 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना लाह उत्पादन विपणन संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2003-04 2004-05 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 | 10.00 15.00 1,00.00 1,00.00 2,00.00 30.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 10.00 15.00 1,00.00 1,00.00 2,00.00 30.00 | 10.00 15.00 1,00.00 1,00.00 2,00.00 30.00 |
| | 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 108- अन्य सहकारी समितियों में निवेश झारखण्ड राज्य सहकारिता लाह अधिप्राप्ति एवं विपणन संघ को हिस्सा पूँजी | 2010-11 2011-12 2012-13 | 15.00 10.00 10.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 15.00 10.00 10.00 | 15.00 10.00 10.00 |
| | 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना झारखण्ड राज्य सहकारिता लाह अधिप्राप्ति एवं विपणन संघ को हिस्सा पूँजी | 2010-11 2011-12 2012-13 | 10.00 5.00 5.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10.00 5.00 5.00 | 10.00 5.00 5.00 |
| | 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | 2010-11 2011-12 2012-13 | 10.00 5.00 5.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10.00 5.00 5.00 | 10.00 5.00 5.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | | | | | |
|---------|---|----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
| | | (₹ लाख में) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | झारखण्ड राज्य सहाकारिता लाह अधिप्राप्ति एवं विपणन संघ को हिस्सा पूँजी | 2010-11 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | 2011-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 2012-13 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | जोड़ | | 5,55.00 | 0.00 | 0.00 | 5,55.00 | 5,55.00 |
| 4 | 2425- सहाकारिता 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सहाकारी समितियों को हिस्सा पूँजी में अंशदान 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सहाकारी समितियों को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2003-04 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 2004-05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 2009-10 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | जोड़ | | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 |
| 5 | 2425- सहाकारिता 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहाकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2003-04 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | 2004-05 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 2006-07 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
| | | 2007-08 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 2,00.00 |
| | | 2008-09 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 2,00.00 |
| | | 2009-10 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 2425- सहाकारिता 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहाकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2009-10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | दौरान निवेश | दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2009-10 2013-14 2014-15 2015-16 | 15.00 40.00 1,80.00 3,48.34 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 15.00 40.00 1,80.00 3,48.34 |
| 4425- | सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2010-11 2011-12 | 12.50 10.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12.50 10.00 |
| 4425- | सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2010-11 2011-12 | 10.00 5.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10.00 5.00 |
| 4425- | सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | | | | | |
| 108- | अन्य सहकारी समितियों में निवेश दक्षिणी छोटानागपुर जनजातीय सहकारी फल एवं सब्जी विकास संघ को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2010-11 2011-12 | 2.50 10.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.50 10.00 |
| 4425- | सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना बृहद एवं बहुदेशीय सहकारी संघ/समिति (लेम्पस) को हिस्सा पूँजी में अंशदान | 2003-04 2004-05 2006-07 2007-08 | 50.00 50.00 49.98 2,00.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 50.00 50.00 49.98 2,00.00 |
| | | जोड़ | 12,08.34 | 0.00 | 0.00 | 12,08.34 |
| 2425- | सहकारिता | 2011-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | जोड़ | 12,08.34 | 0.00 | 0.00 | 12,08.34 |
| 6 | | जोड़ | 3,49.98 | 0.00 | 0.00 | 3,49.98 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 108- | अन्य सहकारी समितियों में निवेश | | | | |
| 7 | सहकारी समितियों एवं व्यापार मण्डल के अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों को हिस्सा पूँजी के लिए अंशदान | 2005-06 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | |
| 8 | प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति एवं व्यापार मण्डल के हिस्सा पूँजी के लिए अंशदान | 2006-07 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| | प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समिति एवं व्यापार मण्डल के हिस्सा पूँजी के लिए अंशदान | 2007-08 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | |
| 9 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पौषित रिफाइनरी/कोल्ड स्टोरेज/गोदाम निर्माण परियोजना के हिस्सा पूँजी के लिए अंशदान | 2006-07 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | |
| 10 | झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूँजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2007-08 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | 2008-09 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | | 2009-10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | जोड़ | 3,50.00 | 0.00 | 3,50.00 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
 खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | दौरान निवेश | दौरान निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 2425- | सहकारिता | | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2007-08 3,00.00 2008-09 25.00 2009-10 15.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 3,00.00 25.00 15.00 | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2007-08 2,50.00 2008-09 1,00.00 2009-10 30.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2,50.00 1,00.00 30.00 | |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | |
| 108- | अन्य सहकारी समितियों में निवेश झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2010-11 2.50 2011-12 10.00 2012-13 10.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 2.50 10.00 10.00 | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2010-11 10.00 2011-12 5.00 2012-13 5.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 10.00 5.00 5.00 | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना झारखण्ड राज्य लघु वन उत्पाद विपणन एवं विकास संघ के स्थापना के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान (झामकोफेड) | 2010-11 12.50 2011-12 10.00 2012-13 10.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 12.50 10.00 10.00 | |
| जोड़ | | 9,25.00 | 0.00 | 0.00 | 9,25.00 | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| 11 | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए हिस्सा पूंजी | 2007-08 6,85.00 | 0.00 | 0.00 | 6,85.00 |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | |
| | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए हिस्सा पूंजी | 2007-08 21,10.00 | 0.00 | 0.00 | 21,10.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | |
| | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए हिस्सा पूंजी | 2007-08 13,05.00 | 0.00 | 0.00 | 13,05.00 |
| | जोड़ | 41,00.00 | 0.00 | 0.00 | 41,00.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 108- | अन्य सहकारी समितियों में निवेश | | | | |
| 12 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूंजी | 2011-12 6,97.86 | 0.00 | 0.00 | 6,97.86 |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 108- | अन्य सहकारी समितियों में निवेश | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूंजी | 2010-11 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| | | 2014-15 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2015-16 1,62.41 | 0.00 | 0.00 | 1,62.41 |
| | | 2016-17 1,83.38 | 0.00 | 0.00 | 1,83.38 |
| | | 2017-18 2,04.20 | 0.00 | 0.00 | 2,04.20 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|-------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | दौरान निवेश | दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 2425- | सहकारिता | | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूँजी | 2008-09 | 2,40.00 | 0.00 | 0.00 | 2,40.00 |
| 195- | सहकारिता में निवेश | | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूँजी | 2009-10 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूँजी | 2007-08 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
| | | 2008-09 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| | | 2009-10 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | 2010-11 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | 2011-12 | 4,72.16 | 0.00 | 0.00 | 4,72.16 |
| | | 2014-15 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 35.04 |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | |
| | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संपोषित समर्पित बाल विकास कार्यक्रम का हिस्सा पूँजी | 2007-08 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 15.74 |
| | | 2008-09 | 1,77.58 | 0.00 | 0.00 | 1,77.58 |
| | | 2009-10 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | | 2010-11 | 1,35.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35.00 |
| | | 2011-12 | 11,69.42 | 0.00 | 0.00 | 11,69.42 |
| | | 2014-15 | 1,80.00 | 0.00 | 0.00 | 1,80.00 |
| | | 2015-16 | 2,54.18 | 0.00 | 0.00 | 2,54.18 |
| | | 2016-17 | 1,78.42 | 0.00 | 0.00 | 1,78.42 |
| जोड़ | | | 45,36.07 | 0.00 | 0.00 | 45,36.07 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (₹ लाख में) | | | |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | |
| 13 | विशेष प्रकार के सहकारी समितियों को अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के महिलाओं के कल्याणार्थ हिस्सा पूंजी के लिए अंशदान | 2008-09 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना विशेष प्रकार के सहकारी समितियों को अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के महिलाओं के कल्याणार्थ हिस्सा पूंजी के लिए अंशदान | 2008-09 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | 2009-10 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | जोड़ | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2425- | सहकारिता | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | |
| 14 | सहकारी समितियों के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान | 2008-09 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान | 2011-12 | 10.57 | 0.00 | 10.57 |
| | सहकारी समितियों के लिए विशेष घटक योजना | 2011-12 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | 2011-12 | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| | सहकारी समितियों के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान | जोड़ | 83.95 | 0.00 | 83.95 |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | दौरान निवेश | वर्ष के दौरान विनिवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (₹ लाख में) | | | | | | |
| 15 | 4425- सहाकरिता पर पूंजीगत परिव्यय 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता झारखण्ड राज्य विकास सहाकारी संघ को हिस्सा पूंजी | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 16 | 4425- सहाकरिता पर पूंजीगत परिव्यय 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता झारखण्ड राज्य सहाकारी बैंक को हिस्सा पूंजी 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना सहाकारी समितियों के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना सहाकारी समितियों के लिए हिस्सा पूंजी में अंशदान | 60.00 20.00 40.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 60.00 20.00 40.00 | |
| | 4425- सहाकरिता पर पूंजीगत परिव्यय 107- क्रेडिट सहाकारी समितियों को सहायता झारखण्ड राज्य सहाकारी संघ को हिस्सा पूंजी 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना झारखण्ड राज्य सहाकारी संघ को हिस्सा पूंजी 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना झारखण्ड राज्य सहाकारी संघ को हिस्सा पूंजी | 15.00 10.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15.00 10.00 | |
| | जोड़ | 2,70.00 | 0.00 | 0.00 | 2,70.00 | |
| | जोड़ | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमशः

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | वर्ष के | | | | | |
|---------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | अंत तक निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के दौरान निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश | वर्ष के अंत तक निवेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | |
| 4425- | सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 107- | क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | | | | | | |
| 18 | एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी में अंशदान | 2014-15 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | |
| | | 2015-16 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| | एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी में अंशदान | 2014-15 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | |
| | | 2015-16 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| | जोड़ | | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 56.80 | |
| 4404- | डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना | | | | | | |
| 19 | जिला दुग्ध संगठन को हिस्सा पूंजी | 2015-16 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | |
| 4404- | डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | |
| 190- | सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश | | | | | | |
| 20 | दुग्ध संघ को हिस्सा पूंजी | 2013-14 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | |
| | | 2014-15 | 7,00.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00.00 | |
| | | 2015-16 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | |
| | | 2017-18 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | |
| | जोड़ | | 25,00.00 | 0.00 | 0.00 | 25,00.00 | |

2225- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

19. सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण - क्रमांत

खण्ड-2 : वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्षवार निवेशों का ब्योरा - क्रमांत

| क्रमांक | मुख्य/लघु शीर्ष | पूर्व वर्ष के अंत तक निवेश | | | | वर्ष के दौरान निवेश | | | | वर्ष के अंत तक निवेश |
|---------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| 21 | 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना जनजातीय सहकारी विकास निगम का हिस्सा | 2009-10 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | 2010-11 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2011-12 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2012-13 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2014-15 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2016-17 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | | 2019-20 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | जोड़ | 5,50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 6,00.00 |
| | जोड़ VI -सहकारी बैंकों एवं समितियों में निवेश | | 1,60,34.36 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60,84.36 |
| | कुल जोड़ | | 4,32,86.87 | 15,08.23 | 0.00 | 0.00 | 15,08.23 | 0.00 | 0.00 | 4,47,95.10 |

4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग

एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

190- सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश

20. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2020 को विभिन्न वर्गों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

| खंड (गारंटियों की सं० कोष्ठक में) | अधिकतम गारंटीड राशि | वर्ष 2019-20 के आरंभ में बकाया | वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि | वर्ष 2019-20 के दौरान विलोपित (याचित से भिन्न) | वर्ष 2019-20 के दौरान याचित | | वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया | गारंटी कमीशन अथवा फीस | | अन्य वस्तुपरक विवरण |
|---|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | भुगतान किया गया | भुगतान नहीं किया गया | | प्राप्त किये जाने योग्य | प्राप्त किये गये | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | | |
| आर्थिक क्षेत्र (ऊर्जा) | 6,07,15.00 | 6,07,15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,07,15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14) | 1,57,15.00 | 1,57,15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,57,15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 4,50,00.00 | 4,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

20. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण - क्रमांत

(ii) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई वर्ग-वार सुविधाजन्य पत्र का विवरण तथा 31 मार्च 2020 को विभिन्न वर्गों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

| वर्ग एवं खण्ड | सुविधाजन्य पत्रों की संख्या | सुविधाजन्य पत्रों द्वारा जारी कुल राशि | याचनाओं का विवरण, यदि कोई हो | अन्य वस्तुपरक विवरण |
|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (₹ लाख में) | | | | |
| 1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14) | डब्ल्यू. एण्ड एम. (13)/18/2012-64/ बजट दिनांक 07.02.2013 | 1,57,15.00 | झारखण्ड सरकार द्वारा डी.भी.सी से क्रय की जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक विपन्न के भुगतान हेतु, अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिये झारखण्ड विद्युत बोर्ड को राज्य गारंटी प्रदान की गई। | इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने हेतु प्रपत्र पर ऊर्जा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राज्य गारंटर के रूप में हस्ताक्षर की जायेगी। |
| 2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड | ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना सं. ई. 8/ऊ.विबोर्ड-02/17-3072 दिनांक 20.12.2018 | 4,50,00.00 | रियायती दर पर उधार लिए गए अल्पावधि ऋण के विरुद्ध झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्तमान देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए राज्य गारंटी दी गई हैं। | राज्य गारंटी उस शर्त के साथ दिया गया है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पूरी तरह से झारखण्ड बिजली निगम लिमिटेड में निहित होगा। |

व्याख्यात्मक टिप्पणी

गारंटी विमोचन निधि: राज्य सरकार के द्वारा गारंटी विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया है।

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 में यह प्रावधान है कि :-

- (i) प्रबंधकीय गारंटियों तथा अन्य आकस्मिक दायित्वों को बुद्धिमतापूर्वक, उस दायित्व के जोखिम के स्तर तक के विशिष्ट संदर्भों के साथ।
- (ii) चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय, उधार तथा अन्य दायित्व, उधार देने और निवेश तथा अन्य क्रिया कलाप, जैसे कि गारंटियों तथा लोक उपक्रमों, जिनमें संभावित बजटीय आशय निहितार्थ है, से संबंधित झारखण्ड सरकार के नीतियों के संबंध में पोषण का मूल्यांकन शामिल किया जाना चाहिए।
- (iii) यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संस्था वार दिए गए गारंटियों को दर्शाता है, इन संस्थाओं द्वारा कर्ज अदायगी दायित्वों के निर्वहन में चूक तथा राज्य सरकार के लेखे में, इन संस्थाओं के चूक के कारण उत्पन्न आकस्मिक दायित्व को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: दिनांक 14.11.2000 तक के संयुक्त बिहार के शेषों का बंटोवारा अब तक नहीं हुआ है। राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों के संबंध में, राज्य सरकार के द्वारा सूचना का प्रेषण नहीं किया गया है (अगस्त 2020)।

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल रकम | वृद्धि (+)/ह्रास (-) प्रतिशत | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|------------------------------|----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग-II-आकस्मिकता निधि | | | | | | | | |
| 8000- आकस्मिकता निधि | | | | | | | | |
| 201- समेकित निधि से विनियोजन | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ - 8000 - आकस्मिकता निधि | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ भाग -II - आकस्मिकता निधि | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | जमा | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| भाग-III-लोक-लेखा¹ | | | | | | | | |
| झ लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि | | | | | | | | |
| (ख) भविष्य निधियाँ- | | | | | | | | |
| 8009- राज्य भविष्य निधि | | | | | | | | |
| 01- सिविल | | | | | | | | |
| 101- सामान्य भविष्य निधियाँ | जमा | 21,16,94.83 | 11,60,66.05 | 10,53,07.93 | जमा | 22,24,52.95 | 1,07,58.12 | 5.08 |
| 104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि | जमा | 2,32,93.13 | 6,55.37 | 0.00 | जमा | 2,39,48.50 | 6,55.37 | 2.81 |
| जोड़ - 01- सिविल | जमा | 23,49,87.96 | 11,67,21.42 | 10,53,07.93 | जमा | 24,64,01.45 | 1,14,13.49 | 4.86 |
| जोड़- 8009-राज्य भविष्य निधि | जमा | 23,49,87.96 | 11,67,21.42 | 10,53,07.93 | जमा | 24,64,01.45 | 1,14,13.49 | 4.86 |
| जोड़ (ख) भविष्य निधियाँ | जमा | 23,49,87.96 | 11,67,21.42 | 10,53,07.93 | जमा | 24,64,01.45 | 1,14,13.49 | 4.86 |
| (ग) अन्य लेखे- | | | | | | | | |
| 8011- बीमा तथा पेंशन निधि ² | | | | | | | | |
| 107- राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना | जमा | (-)11,38,76.58 | 8,15.48 | 1,16,54.72 | जमा | (-)12,47,15.82 | (-)1,08,39.24 | 9.52 |
| जोड़- 8011- बीमा तथा पेंशन निधि | जमा | (-)11,38,76.58 | 8,15.48 | 1,16,54.72 | जमा | (-)12,47,15.82 | (-)1,08,39.24 | 9.52 |
| जोड़ (ग) अन्य लेखे | जमा | (-)11,38,76.58 | 8,15.48 | 1,16,54.72 | जमा | (-)12,47,15.82 | (-)1,08,39.24 | 9.52 |
| जोड़ झ- लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि | जमा | 12,11,11.38 | 11,75,36.90 | 11,69,62.65 | जमा | 12,16,85.63 | 5,74.25 | 0.47 |

¹ दिनांक 14.11.2000 का संयुक्त बिहार के शेष का बटवारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य तथा झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हो पाया है (अगस्त 2020)।

² संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन के कारण उत्तरवर्ती राज्यों के बीच शेष के बटवारा नहीं होने के फलस्वरूप ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2020)।

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | प्रप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल रकम | वृद्धि (+)/ह्रास (-) प्रतिशत | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग- III- लोक-लेखा - क्रमशः | | | | | | | | | |
| ज- | | | | | | | | | |
| आरक्षित निधियाँ - | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | | | | | | | | | |
| 122-राज्य आपदा मोचन निधि | जमा 19,30,09.19 | 2,21,00.00 | 2,14,09.96 | जमा 19,36,99.23 | 6,90.04 | 0.36 | | | |
| 126-राज्य आपदा मोचन निधि-निवेश लेखा | नामे 4,00,00.00 ³ | 0.00 | 0.00 | नामे 4,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 129-राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि (एस.सी.ए.एफ) | 0.00 | 41,58,01.69 | 1,46,98.64 | जमा 40,11,03.05 | 40,11,03.05 | 100.00 | | | |
| जोड़-8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ | जमा 15,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | जमा 55,48,02.28 | 40,17,93.09 | 262.59 | | | |
| जोड़-(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ | जमा 15,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | जमा 55,48,02.28 | 40,17,93.09 | 262.59 | | | |
| जोड़-(ज) आरक्षित निधियाँ | जमा 15,30,09.19 | 43,79,01.69 | 3,61,08.60 | जमा 55,48,02.28 | 40,17,93.09 | 262.59 | | | |
| ट- | | | | | | | | | |
| जमा और पेशगियाँ- | | | | | | | | | |
| (क) ब्याज सहित जमा | | | | | | | | | |
| 8342- अन्य जमा | | | | | | | | | |
| 117- सरकारी कर्मचारियों का पेंशन योजना में अंशदान जमा | 12,63.51 | 5,22,42.67 | 4,95,50.87 | जमा 39,55.31 | 26,91.80 | 213.04 | | | |
| जोड़- 8342-अन्य जमा | जमा 12,63.51 | 5,22,42.67 | 4,95,50.87 | जमा 39,55.31 | 26,91.80 | 213.04 | | | |
| जोड़ (क) ब्याज सहित जमा | जमा 12,63.51 | 5,22,42.67 | 4,95,50.87 | जमा 39,55.31 | 26,91.80 | 213.04 | | | |
| (ख) ब्याज रहित जमा | | | | | | | | | |
| 8443- सिविल जमा | | | | | | | | | |
| 101- राजस्व जमा | जमा 10,19,13.96 | 5,52.22 | 1,45,37.39 | जमा 8,79,28.79 | (-),39,85.17 | (-)13.72 | | | |
| 102- सीमा शुल्क तथा अफीम जमा | जमा 1,24,91.29 | 0.00 | 0.00 | जमा 1,24,91.29 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 103- प्रतिभूति जमा | जमा 53,63.89 | 30,47.35 | 2,94.82 | जमा 81,16.42 | 27,52.53 | 51.32 | | | |
| 104- सिविल न्यायालय जमा | जमा 89,91.65 | 18,42.42 | 21,34.31 | जमा 86,99.76 | (-),2,91.89 | (-)3.25 | | | |

³ विभाग के पत्र सं. 554 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि ₹ 4,00,00.00 लाख का निवेश एस.डी.आर.एफ. से वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया है।

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---|
| | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | प्राम्तिर्षाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल रकम | वृद्धि(+)/ह्रास(-) प्राम्तिर्षत | | | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग- III- लोक-लेखा - क्रमशः | | | | | | | | | |
| ट जमा और पेशगिर्षाँ - क्रमशः | | | | | | | | | |
| (ख) ब्याज रहित जमा - क्रमशः | | | | | | | | | |
| 105- आपराधिक न्यायालय जमा | जमा | 30,51.19 | 2,88.25 | 22.02 | जमा | 33,17.42 | 2,66.23 | 8.73 | |
| 106- व्यक्तिगत जमा | जमा | 0.00 | 15,20,74.23 | 3,65,08.21 | जमा | 11,55,66.02 | 11,55,66.02 | 100.00 | |
| 108- लोक निर्माण कार्य जमा | जमा | 36,30,28.42 | 31,64,27.31 | 23,02,26.10 | जमा | 44,92,29.63 | 8,62,01.21 | 23.75 | |
| 111- अन्य विभागीय जमा | जमा | 1,05,47.11 | 0.00 | 5,43.19 | जमा | 1,00,03.92 | (-)5,43.19 | (-)5.15 | |
| 117- सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य के लिए जमा | जमा | 57.38 | 8.10 | 0.00 | जमा | 65.48 | 8.10 | 14.12 | |
| 121- चुनावों के संबंध में जमा | जमा | 0.75 | 10.50 | 0.00 | जमा | 11.25 | 10.50 | 1400.00 | |
| 122- खान के श्रमिकों का कल्याण करने के लिए जमा | जमा | 3.63 | 0.00 | 0.00 | जमा | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 800- अन्य जमा | जमा | 3,65,78.51 | 24,50.92 | 5,46.78 | जमा | 3,84,82.65 | 19,04.14 | 5.21 | |
| 8448- स्थानीय निधियों की जमा | जमा | 54,20,27.78 | 47,67,01.30 | 28,48,12.82 | जमा | 73,39,16.26 | 19,18,88.48 | 35.40 | |
| 101- जिला निधियाँ | जमा | 1,70,57.00 | 1,54,17.73 | 1,68,51.12 | जमा | 1,56,23.61 | (-)14,33.39 | (-)8.40 | |
| 102- नगरपालिका निधियाँ | जमा | 19,59,08.59 | 12,52,93.06 | 11,34,26.69 | जमा | 20,77,74.96 | 1,18,66.37 | 6.06 | |
| 103- छावनी निधियाँ | जमा | 19.86 | 0.00 | 0.00 | जमा | 19.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 105- राज्य परिवहन निगम की निधियाँ | जमा | 0.05 | 0.00 | 0.00 | जमा | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 107- राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियाँ | जमा | 43,69,42.61 | 29,28,18.22 | 46,74,97.13 | जमा | 26,22,63.70 | (-)17,46,78.91 | (-)39.98 | |
| 108- राज्य आवास बोर्ड निधियाँ | जमा | 22,77.06 | 0.00 | 8,56.71 | जमा | 14,20.35 | (-)8,56.71 | (-)37.62 | |
| 109- पंचायत निकाय निधियाँ | जमा | 3,64,38.18 | 1,24,59.58 | 1,50,86.26 | जमा | 3,38,11.50 | (-)26,26.68 | (-)7.21 | |

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल रकम | वृद्धि(+)/हास(-) प्रतिशत | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | |
| भाग-III- लोक- लेखा - क्रमशः | | | | | | | | |
| ट- | | | | | | | | |
| जमा और पेशगियाँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| (ख) | | | | | | | | |
| ब्याज रहित जमा - क्रमांत | | | | | | | | |
| 110- शिक्षा निधियाँ | जमा | 73,49.30 | 0.00 | 0.00 | जमा | 73,49.30 | 0.00 | 0.00 |
| 111- चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियाँ | जमा | 5,51,01.36 | 4,79,38.00 | 3,73,19.72 | जमा | 6,57,19.64 | 1,06,18.28 | 19.27 |
| 114- झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद निधि | जमा | (-7.29) | 0.00 | 0.00 | जमा | (-7.29) ⁴ | 0.00 | 0.00 |
| 120- अन्य निधियाँ | जमा | 68,36,37.79 | 55,08,34.92 | 45,77,89.58 | जमा | 77,66,83.13 | 9,30,45.34 | 13.61 |
| जोड़ -8448- स्थानीय निधियों की जमा | जमा | 1,43,47,24.51 | 1,04,47,61.51 | 1,10,88,27.21 | जमा | 1,37,06,58.81 | (-6,40,65.70) | (-4.47) |
| 8449- अन्य जमा- | | | | | | | | |
| 123- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास जमा | जमा | 86,29.92 | 95,78.78 | 1,62,65.39 | जमा | 19,43.31 | (-)66,86.61 | (-)77.48 |
| जोड़-8449- अन्य जमा | जमा | 86,29.92 | 95,78.78 | 1,62,65.39 | जमा | 19,43.31 | (-)66,86.61 | (-)77.48 |
| जोड़-(ख) ब्याज रहित जमा | जमा | 1,98,53,82.21 | 1,53,10,41.59 | 1,40,99,05.42 | जमा | 2,10,65,18.38 | 12,11,36.17 | 6.10 |
| (ग) अग्रिम | | | | | | | | |
| 8550- सिविल अग्रिम- | | | | | | | | |
| 101- वन अग्रिम | नामे | 6,28.47 | 4,89,40.48 | 4,90,26.89 | नामे | 7,14.88 | 86.41 | 13.75 |
| जोड़-8550-सिविल अग्रिम | नामे | 6,28.47 | 4,89,40.48 | 4,90,26.89 | नामे | 7,14.88 | 86.41 | 13.75 |
| जोड़-(ग) अग्रिम | नामे | 6,28.47 | 4,89,40.48 | 4,90,26.89 | नामे | 7,14.88 | 86.41 | 13.75 |
| जोड़- ट- जमा और पेशगियाँ | जमा | 1,98,60,17.25 | 1,63,22,24.74 | 1,50,84,83.18 | जमा | 2,10,97,58.81 | 12,37,41.56 | 6.23 |

⁴ संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन के कारण उत्तरवर्ती राज्यों के बीच शेष के बंटवारा नहीं होने के फलस्वरूप ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2020)।

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------------|--|
| | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | | | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | | निवल रकम | वृद्धि(+)/हास(-) प्रतिशत | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) | | | | | | |
| भाग-III-लोक-लेखा - क्रमशः | | | | | | | | | | |
| ठ | उचंत और विविध | | | | | | | | | |
| (ख) | उचंत | | | | | | | | | |
| | 8658- उचंत लेखा | | | | | | | | | |
| | 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत | नामे | 12,00.87 | 1,71,32.83 | 1,56,47.20 जमा | 2,84.76 | | 14,85.63 | 123.71 | |
| | 102- उचंत लेखा (सिविल) | नामे | 5,33.94 | 3,38.67 | 5,55.00 नामे | 7,50.27 | | 2,16.33 | 40.52 | |
| | 109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय) | नामे | (-),1,04.28 | (-),49.65 | 68.63 नामे | 14.00 | | 1,18.28 | (-),113.43 | |
| | 110- रिजर्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय | जमा | 0.00 | 62,08.65 | 0.00 जमा | 62,08.65 | | 62,08.65 | 100.00 | |
| | 112- स्रोत पर कर कटौती उचंत | जमा | 11,95.20 | 23,22.51 | 0.00 जमा | 35,17.71 | | 23,22.51 | 194.32 | |
| | 123- अ.भा.से. के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | नामे | 1,06.44 | 6.84 | 18.67 नामे | 1,18.27 | | 11.83 | 11.11 | |
| | जोड़- 8658-उचंत लेखा नामे | नामे | 5,41.77 | 2,59,59.85 | 1,62,89.50 जमा | 91,28.58 | | 96,70.35 | 1784.95 | |
| | जोड़-(ख) उचंत नामे | नामे | 5,41.77 | 2,59,59.85 | 1,62,89.50 जमा | 91,28.58 | | 96,70.35 | 1784.95 | |
| (ग) | अन्य लेखा | | | | | | | | | |
| | 8671- विभागीय शेष | | | | | | | | | |
| | 101- सिविल | नामे | 39,05.46 | 50,90.09 | 58,68.94 नामे | 46,84.31 | | 7,78.85 | 19.94 | |
| | 8672- स्थायी रोकड़ अग्रदाय | | | | | | | | | |
| | 101- सिविल | नामे | 13.45 | 0.00 | 2.50 नामे | 15.95 | | 0.00 | 0.00 | |
| | 8673- रोकड़ शेष निवेश लेखा | | | | | | | | | |
| | 101- रोकड़ शेष निवेश लेखा | नामे | 1,67,90.00 | 6,36,18,19.86 | 6,65,20,91.86 नामे | 30,70,62.00 | | 29,02,72.00 | 1728.84 | |
| | जोड़ -(ग) अन्य लेखा नामे | नामे | 2,07,08.91 | 6,36,69,09.95 | 6,65,79,63.30 नामे | 31,17,62.26 | | 29,10,53.35 | 1405.45 | |
| | जोड़- ठ- उचंत और विविध नामे | नामे | 2,12,50.68 | 6,39,28,69.80 | 6,67,42,52.80 नामे | 30,26,33.68 | | 28,13,83.00 | 1324.11 | |

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः

| लेखा शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को अथ शेष | प्राप्तियाँ | संवितरण | 31 मार्च 2020 को शेष | निवल रकम | वृद्धि(+)/ह्रास(-) प्रतिशत | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------|----------------------------|------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (₹ लाख में) | | | | | | | | | |
| भाग- III- लोक-लेखा - क्रमशः | | | | | | | | | |
| ड प्रेषण - | | | | | | | | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण- | | | | | | | | | |
| 8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारी के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | | | | |
| 102- लोक निर्माण प्रेषण | जमा | 1,18,20.84 | 1,05,65,28.14 | 1,05,71,08.18 | जमा | 1,12,40.80 | (-)5,80.04 | (-)4.91 | |
| 103- वन प्रेषण | जमा | 64.03 | 5,41,25.21 | 5,40,04.76 | जमा | 1,84.48 | 1,20.45 | 188.11 | |
| जोड़- 8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारी के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | | | | | | | | | |
| जोड़- (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 1,18,84.87 | | | | | | | | | |
| 1,11,06,53.35 | | | | | | | | | |
| 1,11,11,12.94 | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 1,14,25.28 | | | | | | | | | |
| (-)4,59.59 | | | | | | | | | |
| (ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा | | | | | | | | | |
| 8793- अंतर्राज्यीय उचंत लेखा | | | | | | | | | |
| नामे | | | | | | | | | |
| 19,57.38 | | | | | | | | | |
| (-)0.49 | | | | | | | | | |
| 12,37.57 | | | | | | | | | |
| नामे | | | | | | | | | |
| 31,95.44 | | | | | | | | | |
| 12,38.06 | | | | | | | | | |
| 63.25 | | | | | | | | | |
| जोड़- (ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा | | | | | | | | | |
| नामे | | | | | | | | | |
| 19,57.38 | | | | | | | | | |
| (-)0.49 | | | | | | | | | |
| 12,37.57 | | | | | | | | | |
| नामे | | | | | | | | | |
| 31,95.44 | | | | | | | | | |
| 12,38.06 | | | | | | | | | |
| 63.25 | | | | | | | | | |
| जोड़- ड- प्रेषण | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 99,27.49 | | | | | | | | | |
| 1,11,06,52.86 | | | | | | | | | |
| 1,11,23,50.51 | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 82,29.84 | | | | | | | | | |
| (-)16,97.65 | | | | | | | | | |
| (-)17.10 | | | | | | | | | |
| जोड़- भाग III- लोक लेखा | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 9,69,11,85.99 | | | | | | | | | |
| 9,44,81,57.74 | | | | | | | | | |
| जोड़- भाग III- लोक लेखा | | | | | | | | | |
| जमा | | | | | | | | | |
| 16,49,71,31.17 | | | | | | | | | |
| 16,52,13,74.94 | | | | | | | | | |
| जोड़- प्राप्तियाँ तथा संवितरण | | | | | | | | | |
| (भाग I, II एवं III) | | | | | | | | | |

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 21 का अनुबंध
उचत शेषों एवं प्रेषण शेषों का विश्लेषण

| क्र.सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिसके पास बकाया है | 31 मार्च 2020 को शेष | जमा | संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति | अंतिम वर्ष जब से बकाया है | रोकड़ शेष पर | बकाया का प्रभाव |
|----------|---|----------------------|-----|--|---------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | (रुलाख में) | | | |
| I | 8658-उचत लेखा - | | | | | | |
| | 101-वेतन लेखा कार्यालय - उचत | | | | | | |
| (i) | परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय | 13,63.66 | - | भारत सरकार के परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय के पी.ए.ओ. द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने के कारण शेष रहा। | 2019-20 | रोकड़ शेष में वृद्धि | उचत शेष अनिष्पादित रहा |
| (ii) | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली | 51.34 | - | सी.पी.ए.ओ. (पी), नई दिल्ली से सिविल पेंशन दावा | 2013-14 | रोकड़ शेष में ह्रास | उचत शेष अनिष्पादित रहा |
| क | 102-उचत लेखा (सिविल) | | | | | | |
| | रक्षा से लेखाकरण | | | | | | |
| | सी.डी.ए.(पी) इलाहाबाद | 3,31.17 | - | सी.डी.ए. (पी.), इलाहाबाद से रक्षा पेंशन दावे | 2019-20 | रोकड़ शेष में वृद्धि | उचत शेष अनिष्पादित रहा |
| ख | रेलवे से लेखाकरण | | | | | | |
| | दक्षिण पूर्व रेलवे | 2.83 | - | एफ.ए. एवं सी.ए.ओ. दक्षिण पूर्व रेलवे से रेलवे पेंशन दावे | 2019-20 | रोकड़ शेष में ह्रास | उचत शेष अनिष्पादित रहा |
| ग | डाक से लेखाकरण | | | | | | |
| | डाक | 0.77 | - | डाक द्वारा पेंशन के दावे की प्रतिपूर्ति | 2013-14 | रोकड़ शेष में ह्रास | उचत शेष अनिष्पादित रहा |

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमशः
विवरण संख्या 21 का अनुबंध
उचंत शेषों एवं प्रेषण शेषों का विश्लेषण

| क्र.सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिसके पास बकाया है | 31 मार्च 2020 को शेष | | संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति | अंतिम वर्ष जब से बकाया है | बकाया का प्रभाव | |
|-------------|---|----------------------|----------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | नाम | जमा | | | रोकड़ शेष पर | लेखा पर |
| (रुलाख में) | | | | | | | |
| 1 | 8658-उचंत लेखा - | | | | | | |
| घ | पूर्वी रेलवे | 3.72 | - | एफ.ए. एंड सी.ए.ओ. पूर्व रेलवे कोलकता से रेलवे पेंशन दावे | 2019-20 | रोकड़ शेष में वृद्धि | उचंत शेष अनिष्पादित रहा |
| ङ | आपत्ति पुस्तक उचंत (सिविल) के अंतर्गत राशि | 4,10.25 | - | कोषागार से मासिक लेखा वाउचर अप्राप्त रहना | 2017-18 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं | उचंत शेष अनिष्पादित रहा |
| | 112-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) | - | 35,17.71 | क्षेत्रीय लेखा कार्यालय सी. बी.डी.टी. पटना को टी.डी. एस. राशि की प्रतिपूर्ति | 2019-20 | रोकड़ शेष में ह्रास | उचंत शेष अनिष्पादित रहा |
| | 123-अ.भा.से. के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | 1,18.26 | - | अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के समूह बीमा योजना अंशदान भुगतान से संबंधित है | 2017-18 | रोकड़ शेष में वृद्धि | उचंत शेष अनिष्पादित रहा |

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण - क्रमांत
विवरण संख्या 21 का अनुबंध
उचंत शेषों एवं प्रेषण शेषों का विश्लेषण

| क्र.सं. | लेखा शीर्ष एवं मंत्रालय/ विभाग जिसके पास बकाया है | 31 मार्च 2020 को शेष | जमा | संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति | अंतिम वर्ष जब से बकाया है | बकाया का प्रभाव | |
|---------|---|----------------------|---------------|--|---------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | रोकड़ शेष पर | लेखा पर |
| | | | | | | (रुलाख में) | |
| 2 | 8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नगद प्रेषण तथा समायोजना | | | | | | |
| | 102- लोक निर्माण प्रेषण | | | | | | |
| (i) | I- लोक निर्माण प्रेषण/बैंक | 1,05,71,08.18 | - | लोक निर्माण डिवीजन से कोषागार को किया गया प्रेषण | 2011-12 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं | लोक निर्माण प्रेषण के अंतर्गत शेष अनिष्पादित रहा। |
| (ii) | II- लोक निर्माण चेक | - | 1,06,83,48.98 | लोक निर्माण डिवीजन से निर्गत किया गया लोक निर्माण चेकों को कोषागार में प्रस्तुत किया गया | 2000-01 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं | लोक निर्माण प्रेषण के अंतर्गत शेष अनिष्पादित रहा। |
| | 103- वन प्रेषण | | | | | | |
| (i) | I- वन प्रेषण | 5,40,04.76 | - | फॉरेस्ट डिवीजन से कोषागार को किया गया प्रेषण | 2014-15 | रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं | वन प्रेषण के अंतर्गत शेष अनिष्पादित रहा। |
| (ii) | II- वन चेक | - | 5,41,89.24 | फॉरेस्ट डिवीजन से निर्गत किया गया फॉरेस्ट चेकों को कोषागार में प्रस्तुत किया गया। | | | |
| 3 | 8793-अन्तराज्यीय उचंत लेखा | 31,95.44 | - | जावक परिशोधन लेखाओं का विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शेष रहा। | 2016-17 | रोकड़ शेष में हास | उचंत शेष अनिष्पादित रहा। |

22. कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण

| आरक्षित निधि या जमा खाते का नाम | 1 अप्रैल 2019 को शेष | 31 मार्च 2020 को शेष | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| नगद | निवेश | जोड़ | नगद | निवेश | जोड़ |
| (₹ लाख में) | | | | | |
| ज- आरक्षित निधियाँ | | | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ- | | | | | |
| 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ- | | | | | |
| 122- राज्य आपदा मोचन निधि | 19,30,09.19 जमा | 0.00 | 19,30,09.19 जमा | 0.00 | 19,36,99.23 जमा |
| 126- राज्य आपदा मोचन निधि-निवेश लेख | 0.00 | 4,00,00.00 नामे ¹ | 4,00,00.00 नामे | 0.00 | 4,00,00.00 नामे |
| निवेश लेख | | | | | |
| 129- राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण कोष (एस.सी.ए.एफ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,11,03.05 जमा | 40,11,03.05 जमा |
| जोड़ - 8121 | | | | | |
| नगद | 19,30,09.19 जमा | 0.00 | 19,30,09.19 जमा | 59,48,02.28 जमा | 59,48,02.28 जमा |
| निवेश | 0.00 | 4,00,00.00 नामे | 4,00,00.00 नामे | 0.00 | 4,00,00.00 नामे |
| जोड़ (क) ब्याज वाली आरक्षित निधिया -नगद | 19,30,09.19 जमा | 0.00 | 19,30,09.19 जमा | 59,48,02.28 जमा | 59,48,02.28 जमा |
| निवेश | 0.00 | 4,00,00.00 नामे | 4,00,00.00 नामे | 0.00 | 4,00,00.00 नामे |
| जोड़ (ज) आरक्षित निधियाँ - नगद | 19,30,09.19 जमा | 0.00 | 19,30,09.19 जमा | 59,48,02.28 जमा | 59,48,02.28 जमा |
| निवेश | 0.00 | 4,00,00.00 नामे | 4,00,00.00 नामे | 0.00 | 4,00,00.00 नामे |

¹ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार के पत्र सं. 03/01/2016-554/ दिनांक 23/07/2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि ₹ 4,00,00.00 लाख का निवेश विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया।

खण्ड - II

(भाग - II)

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|--------------|--|-------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | राज्यांश | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | | | |
| | | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | | | |
| (क) | | सामान्य सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | | | |
| (ख) | | राजकोषीय सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| (iv) | | अन्य राजकोषीय सेवाएँ | | | | | | | | |
| 2047 | | अन्य राजकोषीय सेवाएँ | 0.00 | 2,17.29 | 0.00 | 2,17.29 | 0.00 | 2,40.07 | 0.00 | 2,40.07 |
| | | जोड़ - (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएँ | 0.00 | 2,17.29 | 0.00 | 2,17.29 | 0.00 | 2,40.07 | 0.00 | 2,40.07 |
| | | जोड़ - (ख) राजकोषीय सेवाएँ | 0.00 | 3,43,39.63 | 0.00 | 3,43,39.63 | 0.00 | 3,17,07.07 | 0.00 | 3,17,07.07 |
| (घ) | | प्रशासनिक सेवाएँ | | | | | | | | |
| 2051 | | लोक सेवा आयोग | | 5,58.25 | | | | 4,63.69 | | |
| | | | 0.00 | 2,63.72 | 0.00 | 8,21.97 | 0.00 | 2,39.79 | 0.00 | 7,03.48 |
| 2052 | | सचिवालय-सामान्य सेवाएँ | 0.00 | 82,04.22 | 0.00 | 82,04.22 | 0.00 | 81,72.67 | 0.00 | 81,72.67 |
| 2053 | | जिला प्रशासन | 10.41 | 1,44,54.68 | 0.00 | 1,44,65.09 | 9.20 | 1,44,41.01 | 0.00 | 1,44,50.21 |
| 2054 | | खजाना तथा लेखा प्रशासन | 0.00 | 21,74.02 | 0.00 | 21,74.02 | 0.00 | 10,91.68 | 0.00 | 10,91.68 |
| 2055 | | पुलिस | 0.00 | 42,12,96.46 | 0.00 | 42,12,96.46 | 0.00 | 38,41,40.45 | 0.00 | 38,41,40.45 |
| 2056 | | जेल | 0.00 | 26,37.75 | 0.00 | 26,37.75 | 0.00 | 26,86.28 | 0.00 | 26,86.28 |
| 2058 | | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 0.00 | 1,13.07 | 0.00 | 1,13.07 | 0.00 | 1,24.36 | 0.00 | 1,24.36 |
| 2059 | | लोक निर्माण कार्य | 0.00 | 58,35.35 | 0.00 | 58,35.35 | 0.00 | 60,44.28 | 0.00 | 60,44.28 |
| 2070 | | अन्य प्रशासनिक सेवाएँ | 0.00 | 75,16.31 | 0.00 | 75,16.31 | 0.00 | 70,58.05 | 0.00 | 70,58.05 |
| 2071 | | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिहल लाभ | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जोड़ - (घ) प्रशासनिक सेवाएँ | 10.41 | 46,24,97.90 | 0.00 | 46,30,66.56 | 9.20 | 42,39,98.57 | 0.00 | 42,44,71.46 |
| | | जोड़-क सामान्य सेवाएँ | 10.41 | 53,94,64.49 | 0.00 | 54,88,71.22 | 9.20 | 49,67,98.77 | 0.00 | 50,51,97.00 |
| | | | | 93,96.32 | | | | 83,89.03 | | |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग | को.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.से. स्कीम सहित) | | |
|--------------|-------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|
| | | | राज्यांश | | राज्यांश | | | | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | व्यय शीर्ष | | | | | | | | | |
| | ख | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | | | |
| | | सामाजिक सेवाएँ | | | | | | | | |
| | (क) | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | | | | | | | |
| | 2202 | सामान्य शिक्षा | 5,11,87.95 | 38,24,95.42 | 0.00 | 43,36,83.37 | 1,62,77.67 | 37,99,37.21 | 0.00 | 39,62,14.88 |
| | 2203 | तकनीकी शिक्षा | 1,25.03 | 47,44.81 | 0.00 | 48,69.84 | 96.86 | 45,67.40 | 0.00 | 46,64.26 |
| | 2204 | खेलकूद तथा युवा सेवाएँ | 0.00 | 7,69.63 | 0.00 | 7,69.63 | 0.00 | 7,68.29 | 0.00 | 7,68.29 |
| | 2205 | कला तथा संस्कृति | 0.00 | 2,46.27 | 0.00 | 2,46.27 | 3.00 | 2,70.74 | 0.00 | 2,73.74 |
| | | जोड़-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 5,13,12.98 | 38,82,56.13 | 0.00 | 43,95,69.11 | 1,63,77.53 | 38,55,43.64 | 0.00 | 40,19,21.17 |
| | | (ख) | | | | | | | | |
| | | स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | | | | | | | |
| | 2210 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 15,83.11 | 7,15,84.14 | 0.00 | 7,31,67.25 | 18,32.03 | 7,40,50.47 | 0.00 | 7,58,82.50 |
| | 2211 | परिवार कल्याण | 0.00 | 3,40.08 | 0.00 | 3,40.08 | 1,02,78.05 | 2,70.06 | 0.00 | 1,05,48.11 |
| | | जोड़- (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 15,83.11 | 7,19,24.22 | 0.00 | 7,35,07.33 | 1,21,10.08 | 7,43,20.53 | 0.00 | 8,64,30.61 |
| | | (ग) | | | | | | | | |
| | | जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | | | | | | | |
| | 2215 | जलपूर्ति तथा सफाई | 0.00 | 1,54,61.47 | 0.00 | 1,54,61.47 | 0.00 | 1,65,65.10 | 0.00 | 1,65,65.10 |
| | 2217 | शहरी विकास | 0.00 | 1,27.56 | 0.00 | 1,27.56 | 0.00 | 1,01.44 | 0.00 | 1,01.44 |
| | | जोड़- (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 0.00 | 1,55,89.03 | 0.00 | 1,55,89.03 | 0.00 | 1,66,66.54 | 0.00 | 1,66,66.54 |
| | | (घ) | | | | | | | | |
| | | सूचना तथा प्रसारण | | | | | | | | |
| | 2220 | सूचना तथा प्रचार | 0.00 | 12,63.52 | 0.00 | 12,63.52 | 0.00 | 12,21.19 | 0.00 | 12,21.19 |
| | | जोड़- (घ) सूचना तथा प्रसारण | 0.00 | 12,63.52 | 0.00 | 12,63.52 | 0.00 | 12,21.19 | 0.00 | 12,21.19 |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|------------|---|----------|--|------------|--|----------|--|
| | | | राज्यांश | राज्य योजना और के.प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | | | |
| | | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | | | |
| ख | | सामाजिक सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| (इ) | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | | | | | | | |
| 2225 | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 7,83.11 | 96,35.94 | 0.00 | 1,04,19.05 | 7,04.16 | 97,21.20 | 0.00 | 1,04,25.36 |
| | | जोड़- (इ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 7,83.11 | 96,35.94 | 0.00 | 1,04,19.05 | 7,04.16 | 97,21.20 | 0.00 | 1,04,25.36 |
| (च) | | श्रमिक तथा श्रम कल्याण | | | | | | | | |
| 2230 | | श्रम तथा रोजगार | 16,29.80 | 57,99.51 | 0.00 | 74,29.31 | 15,09.26 | 58,51.98 | 0.00 | 73,61.24 |
| | | जोड़- (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 16,29.80 | 57,99.51 | 0.00 | 74,29.31 | 15,09.26 | 58,51.98 | 0.00 | 73,61.24 |
| (छ) | | समाज कल्याण तथा पोषण | | | | | | | | |
| 2235 | | सामाजिक कल्याण तथा पोषण | 70,85.75 | 17,11.78 | 13,00.50 | 1,00,98.03 | 70,05.45 | 18,67.07 | 14,19.54 | 1,02,92.06 |
| 2245 | | प्राकृतिक विपत्ति के कारण रहल-क्रमांत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| | | जोड़- (छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 70,85.75 | 17,11.78 | 13,00.50 | 1,00,98.03 | 70,05.45 | 18,68.67 | 14,19.54 | 1,02,93.66 |
| (ज) | | अन्य | | | | | | | | |
| 2250 | | अन्य सामाजिक सेवाएँ | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 2251 | | सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ | 0.00 | 26,79.90 | 0.00 | 26,79.90 | 0.00 | 26,98.95 | 0.00 | 26,98.95 |
| | | योग - (ज) अन्य | 0.00 | 26,91.37 | 0.00 | 26,91.37 | 0.00 | 27,02.58 | 0.00 | 27,02.58 |
| | | जोड़ - ख सामाजिक सेवाएँ | 6,23,94.75 | 49,68,71.50 | 13,00.50 | 56,05,66.75 | 3,77,06.48 | 49,78,96.33 | 14,19.54 | 53,70,22.35 |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | राज्यांश | | राज्यांश | | | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | स्थापना | योग | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | | |
| | | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | | |
| | | आर्थिक सेवाएं | | | | | | | |
| | (क) | कृषि तथा संबद्ध क्रिया - कलाप | | | | | | | |
| 2401 | | 0.00 | 82,81.65 | 0.00 | 82,81.65 | 0.00 | 81,20.88 | 0.00 | 81,20.88 |
| 2402 | | 0.00 | 13,60.88 | 0.00 | 13,60.88 | 0.00 | 11,35.44 | 0.00 | 11,35.44 |
| 2403 | | 0.00 | 1,33,73.87 | 0.00 | 1,33,73.87 | 0.00 | 1,39,81.85 | 0.00 | 1,39,81.85 |
| 2404 | | 0.00 | 8,35.12 | 0.00 | 8,35.12 | 0.00 | 8,72.11 | 0.00 | 8,72.11 |
| 2405 | | 0.00 | 12,03.91 | 0.00 | 12,03.91 | 0.00 | 12,68.32 | 0.00 | 12,68.32 |
| 2406 | | 38.02 | 2,00,79.91 | 0.00 | 2,01,17.93 | 38.06 | 2,11,73.30 | 0.00 | 2,12,11.36 |
| 2415 | | 0.00 | 2,00.64 | 0.00 | 2,00.64 | 0.00 | 2,02.09 | 0.00 | 2,02.09 |
| 2425 | | 0.00 | 60,26.84 | 0.00 | 60,26.84 | 0.00 | 65,62.35 | 0.00 | 65,62.35 |
| 2435 | | 0.00 | 2,33.16 | 0.00 | 2,33.16 | 0.00 | 2,33.68 | 0.00 | 2,33.68 |
| | | 38.02 | 5,15,95.98 | 0.00 | 5,16,34.00 | 38.06 | 5,35,50.02 | 0.00 | 5,35,88.08 |
| | (ख) | ग्राम विकास | | | | | | | |
| 2501 | | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2505 | | 17,89.33 | 0.00 | 0.00 | 17,89.33 | 16,70.91 | 0.00 | 0.00 | 16,70.91 |
| 2515 | | 35.77 | 4,82,20.59 | 0.00 | 4,82,56.36 | 45.85 | 4,31,17.02 | 0.00 | 4,31,62.87 |
| | | 18,37.41 | 4,82,20.59 | 0.00 | 5,00,58.00 | 17,16.76 | 4,31,17.02 | 0.00 | 4,48,33.78 |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | |
|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-------------------|--|--|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | राज्यांश | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | |
| | | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | |
| | ग | आर्थिक सेवाएँ - क्रमशः | | | | | | |
| | (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | | | | | | |
| | 2700 | मुख्य सिंचाई | 0.00 | 1,56,82.35 | 0.00 | 1,56,82.35 | 0.00 | 1,63,31.44 |
| | 2701 | मध्यम सिंचाई | 0.00 | 1,48,90.54 | 0.00 | 1,48,90.54 | 0.00 | 1,48,49.67 |
| | 2702 | लघु सिंचाई | 0.00 | 73,98.32 | 0.00 | 73,98.32 | 0.00 | 76,11.85 |
| | | जोड़ - (घ) सिंचाई तथा लघु नियंत्रण | 0.00 | 3,79,71.21 | 0.00 | 3,79,71.21 | 0.00 | 3,87,92.96 |
| | (च) | उद्योग तथा खनिज | | | | | | |
| | 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 0.00 | 28,38.29 | 0.00 | 28,38.29 | 0.00 | 30,24.16 |
| | 2852 | उद्योग | 0.00 | 6,71.74 | 0.00 | 6,71.74 | 0.00 | 7,12.04 |
| | 2853 | अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग | 0.00 | 25,46.51 | 0.00 | 25,46.51 | 0.00 | 26,90.58 |
| | | जोड़ - (च) उद्योग तथा खनिज | 0.00 | 60,56.54 | 0.00 | 60,56.54 | 0.00 | 64,26.78 |
| | (छ) | परिवहन | | | | | | |
| | 3053 | नगर विमानन | 0.00 | 63.70 | 0.00 | 63.70 | 0.00 | 69.57 |
| | 3054 | सड़क तथा सेतु | 0.00 | 1,31,39.04 | 0.00 | 1,31,39.04 | 0.00 | 1,36,22.07 |
| | | जोड़ - (छ) परिवहन | 0.00 | 1,32,02.74 | 0.00 | 1,32,02.74 | 0.00 | 1,36,91.64 |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम सहित) | योग | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम सहित) | योग | | |
| | | | राज्य योजना और के.प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम सहित) | योग | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम (के.प्रा. स्कीम सहित) | योग |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | | | |
| | | राजस्व लेखा - क्रमशः | | | | | | | | |
| | (ग) | आर्थिक सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| | (ज) | सामान्य आर्थिक सेवाएँ | | | | | | | | |
| | 3451 | सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ | 0.00 | 51,29.50 | 0.00 | 51,29.50 | 0.00 | 48,16.87 | 0.00 | 48,16.87 |
| | 3452 | पर्यटन | 0.00 | 1,38.19 | 0.00 | 1,38.19 | 0.00 | 1,37.46 | 0.00 | 1,37.46 |
| | 3454 | जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 0.00 | 16,80.53 | 25.63 | 17,06.16 | 0.00 | 15,98.26 | 33.74 | 16,32.00 |
| | 3456 | सिविल पूर्ति | 0.00 | 25,75.44 | 0.00 | 25,75.44 | 0.00 | 26,84.62 | 0.00 | 26,84.62 |
| | 3475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 0.00 | 3,24.58 | 0.00 | 3,24.58 | 0.00 | 3,18.70 | 0.00 | 3,18.70 |
| | | जोड़ - (ग) सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 0.00 | 98,48.24 | 25.63 | 98,73.87 | 0.00 | 95,55.91 | 33.74 | 95,89.65 |
| | | जोड़ - ग आर्थिक सेवाएँ | 18,75.43 | 16,68,95.30 | 25.63 | 16,87,96.36 | 17,54.82 | 16,51,34.33 | 33.74 | 16,69,22.89 |
| | | जोड़ - व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | | 93,96.32 | | | | 83,89.03 | | |
| | | पूँजीगत लेखा | | | | | | | | |
| | (ग) | आर्थिक सेवाएँ के पूँजीगत लेखा | | | | | | | | |
| | (ख) | ग्रामीण विकास के पूँजीगत लेखा | | | | | | | | |
| | 4515 | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 49,34.79 | 46,36.81 | 0.00 | 0.00 | 46,36.81 |
| | | जोड़ - (ख) ग्रामीण विकास के पूँजीगत लेखा | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 49,34.79 | 46,36.81 | 0.00 | 0.00 | 46,36.81 |

परिशिष्ट I - वेतन पर तुलनात्मक व्यय - क्रमांत
(तिरछे आंकड़े प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

(₹ लाख में)

| विभाग (#) | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | राज्यांश | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग |
| | | व्यय शीर्ष | | | | | | | | |
| ग | | आर्थिक सेवाएँ - क्रमांत | | | | | | | | |
| (छ) | | परिवहन का पूंजीगत लेखा | | | | | | | | |
| 5054 | | सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | |
| | | जोड़ - (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | |
| (ज) | | सामान्य आर्थिक सेवाएँ के पूंजीगत लेखा | | | | | | | | |
| 5452 | | पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | जोड़ - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ के पूंजीगत लेखा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | जोड़ - ग आर्थिक सेवाएँ के पूंजीगत लेखा | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 46,59.51 | |
| | | जोड़ - व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 49,34.79 | 0.00 | 0.00 | 46,59.51 | |
| | | कुल जोड़ | 93,96.32 | | | | | | 83,89.03 | |
| | | | 6,92,15.38 | 1,20,32,31.29 | 13,26.13 | 1,28,31,69.12 | 4,41,30.01 | 1,15,98,29.43 | 14,53.28 | 1,21,38,01.75 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग |
|------------|-------------|---|----------|---|----------|---|---------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 102 | खाद्यान फसलें | | | | | |
| | ए 0 | नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 61.92 | 0.00 | 1,07.90 | 1,08.00 | 1,89.60 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 102 | खाद्यान फसलें | | | | | |
| | ए 1 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 4,10.82 | 0.00 | 5,34.53 | 2,47.02 | 3,50.17 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 102 | खाद्यान फसलें | | | | | |
| | ए जे | डबल क्रॉपिंग राइस फौलो स्कीम | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 4,82.04 | 0.00 | 0.00 | 6,79.78 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 102 | खाद्यान फसलें | | | | | |
| | AS | नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइल हेल्थ एवं फर्टिलिटी | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 40.63 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 |

इस परिशिष्ट में के.प्रा. स्कीम (राज्यांश), के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) और के.से. स्कीम क्रमशः केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश), केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को सूचित करते हैं।

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 102 | खाद्यान फसलें | | | | | | | |
| | ए यू | कृषि क्षेत्र में रूपांतरण | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,06.26 | 0.00 | 4,05.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,05.35 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 102 | खाद्य एवं उर्वक | | | | | | | |
| | ए डब्ल्यू | बीज विनियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| कृषि विभाग | 52 | सब्सिडी | 5,98.34 | 0.00 | 10,70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,70.00 |
| | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 102 | खाद्य एवं उर्वक | | | | | | | |
| | ए जेड | विशेष फसल विकास योजना | | | | | | | |
| कृषि विभाग | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 6.11 | 0.00 | 4,72.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,72.63 |
| | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 104 | कृषि फार्म | | | | | | | |
| | बी बी | मधुमक्खी पालन की योजना | | | | | | | |
| कृषि विभाग | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 25.89 | 0.00 | 2,64.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,64.25 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|------------|------|------|----------|-------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | | |
| | 104 | खाद्यान फसलें | | | | | | | | | |
| | बी ई | मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना | | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 6,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,00,00.00 | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | | |
| | 104 | खाद्यान फसलें | | | | | | | | | |
| | बी एफ | कृषकों को स्मार्टफोन वितरण कि योजना | | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 2,40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,40.18 | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | | |
| | 105 | खाद्य एवं उर्वक | | | | | | | | | |
| | ए भी | नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सर्वाईल हेल्थ एव फर्टिलिटी | | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | | |
| | 105 | खाद्य एवं उर्वक | | | | | | | | | |
| | बी 2 | जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन | | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 20,85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,85.61 | | | | |
| | | | | | | | 15,40.19 | 0.00 | 0.00 | 15,40.19 | |
| | | | | | | | | | | 8.43 | 14.33 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|--|---------------------|--|--|--|--|----------|---------|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 108 | वाणिज्यिक फसलें | | | | | | | |
| | बी 1 | बागवानी विकास योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 20,89.39 | 0.00 | 8,38.21 | 0.00 | 20,89.39 | 0.00 | 8,38.21 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| 109 | विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | | | | | | | | |
| 99 | नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीकी | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 4,23.43 | 0.00 | 3,85.94 | 0.00 | 10,62.32 | 0.00 | 5,71.86 | 9,57.80 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| 109 | विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | | | | | | | | |
| ए जी | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 13,46.44 | 0.00 | 5,21.37 | 0.00 | 21,59.29 | 0.00 | 3,05.48 | 8,26.85 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| 109 | विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | | | | | | | | |
| बी 0 | सिंगल विंडो सेंटर कि स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्युशन | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 3,76.57 | 0.00 | 3,41.22 | 0.00 | 3,76.57 | 0.00 | 0.00 | 3,41.22 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग |
|------------|-------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 113 | कृषि इंजीनियरिंग | | | | | |
| | बी ए | कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 9,79.25 | 0.00 | 15,11.36 | 0.00 | 15,11.36 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 114 | तिलहन विकास | | | | | |
| | ए ए | नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | 39.63 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 119 | बागवानी तथा वनस्पति फसल | | | | | |
| | 94 | राज्य बागवानी मिशन नैर क्रियान्वित जिला | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 12,93.29 | 0.00 | 5,99.66 | 0.00 | 5,99.66 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | 94 | राज्य बागवानी मिशन नैर कार्यान्वित जिला | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 1,86.36 | 0.00 | 85.32 | 0.00 | 85.32 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------|------|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 99 | नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन एवं तकनीक | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,44.74 | 0.00 | 2,18.23 | 3,62.97 | 98.27 | 0.00 | 1,28.54 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए 0 | नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 5.70 | 0.00 | 8.55 | 14.25 | 29.50 | 0.00 | 48.11 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए 1 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,04.35 | 0.00 | 1,84.25 | 2,88.60 | 39.43 | 0.00 | 62.15 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए ए | नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 3.95 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|---|---|--|--|--|--|---------|----------|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए एफ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 84.09 | 0.00 | 1,43.19 | 0.00 | 1,00.10 | 1,37.71 | 2,27.28 |
| 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | | |
| ए जी | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 6,27.91 | 0.00 | 3,87.07 | 0.00 | 2,98.11 | 2,41.20 | 10,14.98 | 5,39.31 |
| 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | | |
| ए जे | डबल क्रॉपिंग राइस फैंलो स्कीम | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 1,40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,39.97 | 0.00 | 1,40.75 | 1,39.97 |
| 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | | |
| ए एस | परम्परागत कृषि विकास योजना | | | | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 13.54 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 0.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए यू | कन्वर्शन ऑफ फैंलो लैंड इन्टू क्रोप्लैंड एरिया | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 39.42 | 0.00 | 1,12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,12.91 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए भी | नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ साइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 3.31 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए डब्ल्यू | बीज विनिमय एवं बीज उत्पादन की योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,97.27 | 0.00 | 1,71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,71.84 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | ए जेड | विशेष फल विकास योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 4.97 | 0.00 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.51 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | |
|------------|-------------|---|----------|---|----------|---|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| | बी 0 | सिंगल विंडो सेंटर कि स्थापना एवं मोबाईल बेस्ट ई-सॉल्यूशन | | | | |
| | 06 | अनुदान | 1,01.32 | 0.00 | 77.43 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | |
| | | | 1,01.32 | 0.00 | 77.43 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| | बी 1 | बागवानी विकास योजना | | | | |
| | 06 | अनुदान | 6,96.51 | 0.00 | 2,92.21 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | |
| | | | 6,96.51 | 0.00 | 2,92.21 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| | बी 2 | जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन | | | | |
| | 06 | अनुदान | 6,86.32 | 0.00 | 4,91.35 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | |
| | | | 6,86.32 | 0.00 | 4,91.35 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | |
| | बी ए | कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण | | | | |
| | 06 | अनुदान | 3,22.37 | 0.00 | 3,25.64 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | |
| | | | 3,22.37 | 0.00 | 3,25.64 | 0.00 |
| | | | | | | 460 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|-------------|---|--|--|--|--|------|------|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | बी बी | कृषि के लिए योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 7.88 | 0.00 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.95 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | बी ई | मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 2,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | बी एफ | कृषकों को स्मार्टफोन वितरण कि योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोग | | | | | | | |
| | 94 | राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यन्वित जिला | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 2,92.58 | 0.00 | 0.00 | 2,92.58 | 0.00 | 0.00 | 1,75.76 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | |
|------------|-------------|--|--|---|--|---|---------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) योग | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | |
| | 99 | नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंसन एवं तकनीक | 8,37.68 | 0.00 | 12,47.98 | 20,85.66 | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | | | 7,23.24 | 0.00 | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | |
| | ए ओ | नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | |
| | ए 1 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 11,68.21 | 0.00 | 17,85.11 | 29,53.32 | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | |
| | ए ए | नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 44.27 | 0.00 | 76.70 | 1,20.97 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | |
|------------|-------------|--|----------|---|----------|---|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | ए एफ 06 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यांश अनुदान | 7,22.88 | 0.00 | 6,78.96 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | 11,29.07 | | 10,34.69 |
| | 2401 | फसल कृषि कर्म | | 18,51.95 | | 17,13.65 |
| कृषि विभाग | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | ए जी 06 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनुदान | 33,63.12 | 0.00 | 13,36.00 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | 19,13.51 | | 7,15.61 |
| | 2401 | फसल कृषि कर्म | | 52,76.63 | | 20,51.61 |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| कृषि विभाग | ए जे 06 | डबल क्रॉपिंग राइस फैलो स्कीम अनुदान | 8,01.32 | 0.00 | 8,53.67 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | 0.00 | | 0.00 |
| | 2401 | फसल कृषि कर्म | | 8,01.32 | | 8,53.67 |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | ए एस 06 | परंपरागत कृषि विकास योजना अनुदान | 81.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | सब्सिडी | | 1,21.88 | | 2,03.13 | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | |
|------------|-------------|---|----------|---|----------|---|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | |
| | ए यू | कृषि क्षेत्र में रूपांतरण | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 2,28.63 | 0.00 | 5,49.32 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | |
| | ए भी | नेशनल प्रोजेक्ट ऑन साइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 21.44 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | |
| | ए डब्ल्यू | बीज विनिमय वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 4,86.09 | 0.00 | 12,19.52 | 0.00 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | |
| | ए जेड | विशेष फसल विकास योजना | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 35.62 | 0.00 | 9,74.12 | 0.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------|-------------|---|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | बी 0 | सिंगल विंडो सेंटर कि स्थापना एवं मोबाईल बेस्ड ई-सोल्यूशन | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 7,89.68 | 0.00 | 3,57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,57.02 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | बी 1 | बागवानी विकास योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 43,09.61 | 0.00 | 18,21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,21.82 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | बी 2 | जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 41,87.93 | 0.00 | 31,55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,55.80 |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | बी 3 | इंटेरेस्ट सबभेन्सन | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,35.18 | 0.00 | 1,41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,41.67 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग | | | |
|------------------|-------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | बी ए | कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 20,27.91 | 0.00 | 31,03.20 | 0.00 | 31,03.20 | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | बी बी | कृषि के लिए योजना | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 57.16 | 0.00 | 5,80.77 | 0.00 | 5,80.77 | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | बी ई | मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 5,00,00.00 | 0.00 | 5,00,00.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | बी एफ | कृषकों को स्मार्ट फोन वितरण की योजना | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 3,31.50 | 0.00 | 3,31.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| कृषि विभाग | 2401 | फसल कृषि कर्म | | | | | | | | |
| | 800 | अन्य व्यय | | | | | | | | |
| | ए एफ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यांश | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 5,28.17 | 0.00 | 8,74.82 | 0.00 | 14,02.99 | | | |
| जोड़ 2401 | | | 16,43,82.45 | 0.00 | 1,01,89.08 | 17,45,71.53 | 2,85,79.30 | 0.00 | 8,15.76 | 13,43.26 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | | | | | | | |
| | 102 | मृदा संरक्षण | | | | | | | |
| | 11 | जलनिधि | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 4,15.69 | 0.00 | 27,73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,73.04 |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 11 | जलनिधि | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,61.85 | 0.00 | 9,31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,31.72 |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 2402 | मृदा तथा जल संरक्षण | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | 11 | जलनिधि | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 14,74.48 | 0.00 | 53,43.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,43.78 |
| | | जोड़ 2402 | 20,52.02 | 0.00 | 90,48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,48.54 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|----------------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| पशुपालन विभाग | 2403 | पशुपालन | | | | | | | |
| | 101 | वेटेनरी सर्विस एवं पशु स्वास्थ्य | | | | | | | |
| | 99 | सुकर विकास/बकरा विकास/ब्रायलर कुक्कुट विकास वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 28,91.58 | 0.00 | 0.00 | 28,91.58 | 0.00 | 0.00 | 1,67.44 |
| पशुपालन विभाग | 2403 | पशुपालन | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 99 | सुकर विकास/बकरा विकास/ब्रायलर कुक्कुट विकास वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 10,28.21 | 0.00 | 0.00 | 10,28.21 | 0.00 | 0.00 | 40.94 |
| पशुपालन विभाग | 2403 | पशुपालन | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | | | |
| | 99 | सुकर विकास/बकरा विकास/ब्रायलर कुक्कुट विकास वाणिज्यिक लेयर कुक्कुट विकास/कम लागत लेयर कुक्कुट वितरण की योजनाएँ | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 12,96.82 | 0.00 | 0.00 | 12,96.82 | 0.00 | 0.00 | 27.76 |
| | जोड़ 2403 | | 52,16.61 | 0.00 | 0.00 | 52,16.61 | 0.00 | 0.00 | 2,36.14 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| डेरी विकास एवं मत्स्य विभाग | 2404 | डेरी विकास | | | | | | | |
| | 102 | डेरी विकास परियोजनाएँ | | | | | | | |
| | 80 | लाभुको मुखी कार्यक्रम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 28,33.84 | 0.00 | 30,55.58 | 0.00 | 30,55.58 | 0.00 | 30,55.58 |
| डेरी विकास एवं मत्स्य विभाग | 2404 | डेरी विकास | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 80 | लाभुको मुखी कार्यक्रम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 5,41.29 | 0.00 | 5,74.66 | 0.00 | 5,74.66 | 0.00 | 5,74.66 |
| डेरी विकास एवं मत्स्य विभाग | 2404 | डेरी विकास | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | | | | | | | |
| | 80 | लाभुको मुखी कार्यक्रम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 12,31.89 | 0.00 | 12,65.89 | 0.00 | 12,65.89 | 0.00 | 12,65.89 |
| जोड़-2404 | | | 46,07.02 | 0.00 | 48,96.13 | 0.00 | 48,96.13 | 0.00 | 48,96.12 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | |
|-------------------|--|--|----------------|---|----------------|---|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| कृषि विभाग | 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | |
| | 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | | | | |
| | 102 | श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएँ | | | | |
| | 14 | मृदा परीक्षण के लिए भुगतान | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,20.00 | 0.00 | 3,56.90 | 0.00 |
| 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | | |
| 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | | | | | |
| 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| 14 | मृदा परीक्षण के लिए भुगतान | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 38.38 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | |
| 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | | |
| 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | | | | | |
| 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | |
| 11 | कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | |
| 2435 | अन्य कृषि कार्यक्रम | | | | | |
| 01 | विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | | | | | |
| 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | |
| 14 | मृदा परीक्षण के लिए भुगतान | | | | | |
| 06 | अनुदान | | | | | |
| 52 | सब्सिडी | 1,95.99 | 0.00 | 3,57.75 | 0.00 | |
| जोड़- 2435 | | | 0.00 | 7,81.05 | 0.00 | |
| | | | 3,54.37 | 3,54.37 | 7,81.05 | |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|-----------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | |
| | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | योग |
| उद्योग विभाग | 2852 | उद्योग | | | | | |
| | 80 | सामान्य | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोग | | | | | |
| | 74 | झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट बैट पर सब्सिडी | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 2,34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,34.01 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | 0.00 |
| | | जोड़- 2852 | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |
| पर्यटक, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामला विभाग (पर्यटक विभाग) | 3452 | पर्यटन | | | | | |
| | 01 | पर्यटन और अव संरचना | | | | | |
| | 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | | | | | |
| | 11 | राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3452 | पर्यटक | | | | | |
| | 01 | पर्यटक और अव संरचना | | | | | |
| | 190 | सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | | | | | |
| | 11 | राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| | | जोड़- 3452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | योग | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |
| | | जोड़- 2852 | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |
| | | योग | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |
| | | जोड़- 3452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जोड़- 2852 | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |
| | | योग | 12,32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.31 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग |
|---|-------------|--|-----------------|---|-------------|---|-----------------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | |
| पर्यटक, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामला विभाग (पर्यटक विभाग) | 3452 | पर्यटक | | | | | |
| | 80 | सामान्य | | | | | |
| | 104 | संवर्धन तथा प्रचार | | | | | |
| | 17 | कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा हेतु सहायता अनुदान | | | | | |
| | 06 | अनुदान | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| पर्यटक, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामला विभाग (पर्यटक विभाग) | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| | 3452 | पर्यटक | | | | | |
| | 80 | सामान्य | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता | | | | | |
| | 17 | कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा हेतु सहायता अनुदान | | | | | |
| सिविल पूर्ति | 06 | अनुदान | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 52 | सब्सिडी | | | | | |
| | | जोड़- 3452 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |
| | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 102 | सिविल पूर्ति योजना | | | | | |
| सिविल पूर्ति | 02 | अत्योदय अन्य योजना | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 43,99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,99.10 |
| | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 102 | सिविल पूर्ति योजना | | | | | |
| सिविल पूर्ति | 03 | अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जोड़- 3456 | 43,99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,99.10 |
| | | योग | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|--|--|--|--|------|------------|----------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 102 | सिविल पूर्ति योजना | | | | | | | |
| | 51 | प्रधानमंत्री उज्जवला योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,16,45.98 | 0.00 | 1,15,09.60 | 0.00 | 0.00 | 1,15,09.60 | |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 102 | सिविल पूर्ति योजना | | | | | | | |
| | 52 | धान संग्रहण के लिए बोनस का भुगतान | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 10,40.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 102 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 55 | पी.टी.जी. डकिया स्कीम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,20.44 | 0.00 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 79.52 | 79.52 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 02 | अंत्योदय अन्न योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 17,55.72 | 0.00 | 15,76.21 | 0.00 | 0.00 | 15,76.21 | 15,76.21 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | योग |
|--------------|-------------|--|---|---|---|---|----------|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | |
| | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | योग |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | 03 | अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 27.42 | 0.00 | 27.42 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | 17 | किरोसिन तेल वितरण हेतु कमिशन | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | 23 | मुख्यमंत्री दाल-भात योजना | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,28.92 | 0.00 | 1,08.97 | 0.00 | 1,28.92 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | |
| | 39 | पात्र गृहस्त योजना | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 67,51.69 | 0.00 | 50,28.77 | 0.00 | 67,51.69 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | |
|--------------|-------------|---|--|--|--|--|------|------|----------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 48 | ए.ए.वाई/पी.एच.एच. परिवार को फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक वितरण | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 8,09.83 | 0.00 | 1,68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,68.97 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 51 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 26.87.77 | 0.00 | 23,71.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,71.54 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 789 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| | 52 | धान संग्रहण के लिए बोनस का भुगतान | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 6,76.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 789 | सिविल पूर्ति | | | | | | | |
| | 55 | पी.टी.जी. डाकिया स्कीम | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 72.16 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | |
|--------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) |
| | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | योग | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | योग |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | 02 | अत्योदय अन्न योजना | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 88,81.46 | 0.00 | 77,17.80 | 0.00 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | 03 | अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 0.00 | 0.00 | 1,03.92 | 0.00 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | 17 | किरोसिन तेल वितरण हेतु कमिशन | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 1,36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | |
| | 23 | मुख्यमंत्री दाल-भात योजना | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 14,12.72 | 0.00 | 7,66.02 | 0.00 |

परिशिष्ट- II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| विभाग | मुख्य शीर्ष | विवरण | 2019-20 | | 2018-19 | | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------------|------|------------|
| | | | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | राज्यांश राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) (के.से. स्कीम सहित) | योग | योग | | |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | 39 | पात्र गृहस्थ योजना | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 2,36,35.95 | 0.00 | 2,36,35.95 | 0.00 | 0.00 | 2,15,85.83 | 0.00 | 2,15,85.83 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | 48 | ए.ए.वाई/पी.एच.एच. परिवार को फ्री प्लो आयोडाइज्ड नमक वितरण | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 31,14.10 | 0.00 | 31,14.10 | 0.00 | 0.00 | 6,54.41 | 0.00 | 6,54.41 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | 51 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 87,65.72 | 0.00 | 87,65.72 | 0.00 | 0.00 | 1,16,60.95 | 0.00 | 1,16,60.95 |
| सिविल पूर्ति | 3456 | सिविल पूर्ति | | | | | | | | |
| | 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | | | |
| | 52 | धान संग्रहण के लिए बोनस का भुगतान | | | | | | | | |
| | 06 | अनुदान | | | | | | | | |
| | 52 | सब्सिडी | 34,84.00 | 0.00 | 34,84.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | 0.00 | 15,00.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जा. उ. यो./ अनु. जातियों के लिए वि. यो./ सामान्य/वि. आ. वा. सं. यो. | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | |
|---|--|---|--|---------|--|-------------|--|---|----------|--|------------|--|------|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | |
| 1. निर्देशक, झारखण्ड शिक्षा परिवर्तन परिषद् | सर्वशिक्षा अभियान (एन.पी.ई.आई.एल. सहित) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 5,46,72.81 | 0.00 | 5,17,75.43 | 10,64,48.24 | 10,64,48.24 | 2,60,33.53 | 0.00 | 3,90,50.29 | 6,50,83.82 | 6,50,83.82 | |
| | | जं.जा.उ.यो. | 2,65,14.66 | 0.00 | 2,51,52.23 | 5,16,66.89 | 5,16,66.89 | 1,26,67.84 | 0.00 | 1,90,01.76 | 3,16,69.60 | 3,16,69.60 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 1,23,10.53 | 0.00 | 1,20,25.64 | 2,43,36.17 | 2,43,36.17 | 66,25.30 | 0.00 | 1,24,37.95 | 1,90,63.25 | 1,90,63.25 | |
| | वेतन के लिए प्रार्थमिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक सहित) को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,33.43 | 0.00 | 15,33.43 | 0.00 |
| | | सामान्य | 15,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | 15,00.00 | 0.00 | 8,86.26 | 0.00 | 0.00 | 8,86.26 | 0.00 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 5,00.00 | 0.00 | 23,44.80 | 0.00 | 0.00 | 23,44.80 | 0.00 |
| | साक्षर भारत योजना के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान | सामान्य | 3,53.63 | 0.00 | 6,03.75 | 9,57.38 | 9,57.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,57.38 | 0.00 |
| | | जं.जा.उ.यो. | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 1,49.23 | 0.00 | 1,50.55 | 2,99.78 | 2,99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,99.78 | 0.00 |
| | कस्तुरबा गाँधी प्राधिकरण बालिका विद्यालयों के क्षमता परिवर्धन हेतु सहायता अनुदान | सामान्य | 4,99.88 | 0.00 | 0.00 | 4,99.88 | 4,99.88 | 0.00 | 27,50.00 | 0.00 | 0.00 | 27,50.00 | 0.00 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,00.00 | 0.00 | 0.00 | 45,00.00 | 0.00 |
| | बच्चों को निःशुल्क स्कूल किट का वितरण | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 8,95.90 | 0.00 | 0.00 | 8,95.90 | 8,95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं.जा.उ.यो. | 22,74.20 | 0.00 | 0.00 | 22,74.20 | 22,74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
| गरीबी रेखा से उपर के छात्रों को निःशुल्क वर्दी का वितरण | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,72.00 | 0.00 | 0.00 | 2,72.00 | 0.00 | |
| | जं.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,88.00 | 0.00 | 0.00 | 6,88.00 | 0.00 | |
| | जं.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,21.12 | 0.00 | 1,06.86 | 5,27.98 | 0.00 | |
| डी.आई.ई.टी. के लिए सहायता अनुदान | अनु.जातियों के लिए वि. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,12.25 | 0.00 | 0.00 | 1,12.25 | 0.00 | |
| | जं.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,49.40 | 0.00 | 1,79.34 | 8,28.74 | 0.00 | |

इस परिशिष्ट में के. प्रा. स्कीम (राज्यांश), के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) और के. से. स्कीम क्रमशः केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश), केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को सूचित करते हैं।

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उ० यो०/अनु० जतियों के लिए वि०बा. यो०/सामान्य/वि-आ/वा०से०यो० | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|-------|--|---|------------|--|--|---|------------|--|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रो.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | राज्य योजना और के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | |
| | | | | | | | | | | |
| शरदखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना के लिए सहायता अनुदान | | सामान्य | 60,16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 14,48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 36,76.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 2,75,50.24 | 0.00 | 1,90,89.48 | 0.00 | 1,20,49.45 | 0.00 | 1,83,77.61 | 0.00 |
| सस्वती वाहिनी (मध्याह्न भोजन योजना) | | जंजा०उ०यो० | 1,45,66.72 | 0.00 | 94,01.97 | 0.00 | 69,37.80 | 0.00 | 92,28.27 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 70,07.77 | 0.00 | 49,34.93 | 0.00 | 29,36.84 | 12,23.18 | 35,62.24 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.99 | 0.00 |
| | | सामान्य | 15,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आदर्श विद्यालय की स्थापना के लिए सहायक अनुदान | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 5,10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 9,90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 0.00 |
| ऐस०पी०क्यू०डू०एम० योजना अंतर्गत मदरसा को अनुदान | | सामान्य | 0.00 | 2,19,24.93 | 0.00 | 2,19,24.93 | 0.00 | 1,34,43.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 3,75.00 | 0.00 | 0.00 | 3,75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 9,63.54 | 0.00 | 9,63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. प्राचार्य, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. प्राचार्य, सैनिक स्कूल, तिलैया | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जतियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज. जा. उ. यो./ अनु- जातियों के लिए वि.बा. यो./ सामान्य/वि.आ./ वा.सं.यो. | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--|----------|---|----------|--|--|------------|--|------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 5. निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची | स्थापना व्यय के लिए गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 3,28.42 | 0.00 | 3,28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,08,19.43 | 0.00 | 1,08,19.43 | 0.00 |
| | मान्यता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान | सामान्य | 39,64.17 | 0.00 | 0.00 | 39,64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु-जातियों के लिए वि.ध.यो. | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 23,99.18 | 0.00 | 0.00 | 23,99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | गैर सरकारी मदरसा को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 16,69.00 | 0.00 | 16,69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,88.61 | 0.00 | 16,88.61 | 0.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,97.58 | 0.00 | 10,97.58 | 0.00 |
| | | अनु-जातियों के लिए वि.ध.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,65.42 | 0.00 | 5,65.42 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,41.91 | 0.00 | 26,41.91 | 0.00 |
| 6. निर्देशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रांची | “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान” के लिए अनुदान | ज.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,70.39 | 85.09 | 2,37.26 | 20,92.74 |
| | | अनु-जातियों के लिए वि.ध.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 0.00 | 1,35.42 | 1,66.61 |
| | गैर सुविधा प्राप्त वर्गों के 25% विद्यार्थियों के नामांकन के लिए निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति मुआवजा | ज.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,13.60 | 0.00 | 7,70.40 | 12,84.00 |
| | | अनु-जातियों के लिए वि.ध.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,56.80 | 0.00 | 3,85.20 | 6,42.00 |
| | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 10,69.50 | 0.00 | 17,55.38 | 28,24.88 | 28,24.88 | 28,24.88 | 26,53.60 | 0.00 | 39,80.40 | 66,34.00 |
| | | अनु-जातियों के लिए वि.ध.यो. | 20,70.00 | 0.00 | 3,39.75 | 24,09.75 | 24,09.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 1,03.50 | 0.00 | 1,69.88 | 2,73.38 | 2,73.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | विश्वविद्यालयों तथा वर्तमान महाविद्यालयों को संरचना विकास के लिए अनुदान | सामान्य | 64,95.57 | 0.00 | 0.00 | 64,95.57 | 64,95.57 | 0.00 | 24,08.20 | 0.00 | 0.00 | 24,08.20 |
| | | ज.जा.उ.यो. | 45,35.89 | 0.00 | 0.00 | 45,35.89 | 45,35.89 | 0.00 | 35,84.41 | 0.00 | 0.00 | 35,84.41 |
| | वित्त रहित (गैर सहायता प्राप्त) महाविद्यालयों को अनुदान | सामान्य | 19,96.50 | 0.00 | 0.00 | 19,96.50 | 19,96.50 | 0.00 | 9,52.80 | 0.00 | 0.00 | 9,52.80 |
| | ज.जा.उ.यो. | 7,99.57 | 0.00 | 0.00 | 7,99.57 | 7,99.57 | 0.00 | 5,97.60 | 0.00 | 0.00 | 5,97.60 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उ० यो०/अनु० जातियों के लिए वि०बा० यो०/सामान्य/वि-आ/वा०सं०यो० | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | | |
|--|---|---|---|----------|--|--|---|------------|--|--|------------|------|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रो.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | राज्य योजना और के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | योग | |
| 7. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग | नए महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को संरचना विकास के लिए अनुदान पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर केंद्रों, उच्चमता विकास केंद्रों तथा आई०सी०टी० संरचना के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रशिक्षण गोष्ठियों, कार्यशाला तथा विभिन्न स्थानों का भ्रमण, सॉफ्ट स्कूल, परामर्शी फीस, प्लेसमेंट सेल, स्टार्ट-अप इत्यादि के लिए अनुदान संकल्प परियोजना के लिए अनुदान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना | सामान्य | 91,32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,41.13 | 0.00 | 0.00 | 24,41.13 | 0.00 | |
| | | जं०जा०उ०यो० | 39,24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,21.67 | 0.00 | 0.00 | 14,21.67 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 1,04.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | जं०जा०उ०यो० | 4,04.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,04.22 | 0.00 | 0.00 | 4,04.22 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | जं०जा०उ०यो० | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 0.00 |
| | | सामान्य | 3,74.80 | 0.00 | 5,62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०बा०यो० | 83.18 | 0.00 | 1,24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं०जा०उ०यो० | 43.09 | 0.00 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |
| | | जं०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50.00 | 0.00 | 0.00 | 2,50.00 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 62,90.58 | 0.00 | 62,90.58 | 0.00 | 1,08,20.27 | 0.00 | 1,08,20.27 | 1,08,20.27 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 94,41.68 | 0.00 | 94,41.68 | 0.00 | 30,40.00 | 0.00 | 30,40.00 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 57,54.70 | 0.00 | 57,54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | जं०जा०उ०यो० | 4,37.08 | 0.00 | 0.00 | 4,37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि०वा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--|------------|---|------------|--|----------|--|--|------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | | |
| 8. रांची विश्वविद्यालय, रांची | पूंजीगत परिसम्पत्तियों के विनिर्माण / विकसित विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान केन्द्र के लिए रांची विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 2,14,53.80 | 0.00 | 2,14,53.80 | 0.00 | 0.00 | 2,06,08.40 | 0.00 | 2,06,08.40 | 0.00 |
| | जिला केंद्रीय पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय एवं अनुमंडल पुस्तकालय के लिए अनुदान | सामान्य | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रांची विश्वविद्यालय, रांची को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 1,61,45.20 | 0.00 | 1,61,45.20 | 0.00 | 0.00 | 89,27.58 | 0.00 | 89,27.58 | 0.00 |
| 9. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा | यू० जी० सी० बकाया वेतन के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 1,09,50.70 | 0.00 | 1,09,50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 14,12.03 | 0.00 | 14,12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पूंजीगत परिसम्पत्तियों के विनिर्माण एवं परिसर विकास के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 50,58.05 | 0.00 | 50,58.05 | 0.00 | 50,58.05 | 87,48.93 | 0.00 | 87,48.93 | 87,48.93 |
| 10. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, डाल्टेनांज | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 36,59.95 | 0.00 | 36,59.95 | 0.00 | 0.00 | 22,71.00 | 0.00 | 22,71.00 | 0.00 |
| | यू० जी० सी० बकाया वेतन के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 38,92.42 | 0.00 | 38,92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा परिसर विकास के लिए नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 19,48.66 | 0.00 | 19,48.66 | 0.00 | 19,48.66 | 34,93.17 | 0.00 | 34,93.17 | 34,93.17 |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 9,44.51 | 0.00 | 9,44.51 | 0.00 | 0.00 | 5,70.00 | 0.00 | 5,70.00 | 0.00 |
| | यू० जी० सी० बकाया वेतन के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 10,96.54 | 0.00 | 10,96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उ० यो०/अनु० जतियाँ के लिए वि०वा० यो०/सामान्य/वि०आ०/वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|--|---|---|----------|--|----------|--|---|----------|--|----------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रो.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 11. सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका | परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 74,68.59 | 0.00 | 74,68.59 | 0.00 | 0.00 | 69,35.02 | 0.00 | 69,35.02 | 0.00 |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सिद्धू कान्हू मुर्मु विश्वविद्यालय, दुमका को सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 85,75.00 | 0.00 | 85,75.00 | 0.00 | 0.00 | 40,00.00 | 0.00 | 40,00.00 | 0.00 |
| | यू० जी० सी० बकाया वेतन के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 31,71.62 | 0.00 | 31,71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. विनोद बिहारी महतो कोयलाचल विश्वविद्यालय, धनबाद | विनोद बिहारी महतो कोयलाचल विश्वविद्यालय, धनबाद को अनुदान | सामान्य | 0.00 | 46,79.83 | 0.00 | 46,79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 9,49.00 | 0.00 | 9,49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. निर्देशक, झारखण्ड एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन-आई० टी० | झारखण्ड एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ आई० टी० (जेप-आई० टी०) को सहायक अनुदान | ज०जा०उ०यो० | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14. निर्देशक, झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, रांची | झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को स्थापना व्यय के लिए सहायक अनुदान | ज०जा०उ०यो० | 1,77.03 | 0.00 | 0.00 | 1,77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | सांस्कृतिक संस्थानों को सहायक अनुदान | सामान्य | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 1,35.00 | 0.00 | 0.00 | 1,35.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| | गैर सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान | अनु०जतियाँ के लिए वि०ध०यो० | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,49.31 | 0.00 |
| 15. निर्देशक, कला एवं सांस्कृतिक विभाग, झारखण्ड, रांची | खेल प्रोत्साहन गतिविधियों एवं परमर्शा तथा कमल एवं फुटबाल के लिए कमल क्लब को अनुदान | सामान्य | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 2,94.79 | 0.00 | 2,94.79 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 16,00.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | 0.00 | 0.00 | 6,95.99 | 0.00 | 6,95.99 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि०बा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|--------------|--|----------------|--|---|----------------|---|----------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 16. झारखण्ड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद्, रांची | झारखण्ड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद् को सहायक अनुदान | सामान्य | 7,40,00,000 | 0.00 | 0.00 | 7,40,00,000 | 0.00 | 14,80,00,000 | 0.00 | 0.00 | 14,80,00,000 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 2,60,00,000 | 0.00 | 0.00 | 2,60,00,000 | 0.00 | 5,20,00,000 | 0.00 | 0.00 | 5,20,00,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,15,35,000 | 0.00 | 0.00 | 42,15,35,000 | 0.00 |
| | गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 18,00,00,000 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 72,00,00,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 74,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 74,00,00,000 | 0.00 | 85,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 85,00,00,000 | 0.00 |
| 17. झारखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय | कौशल विकास मिशन (सामाजिक/बिला अनुदान) | ज०जा०उ०यो० | 26,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 26,00,00,000 | 0.00 | 65,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 65,00,00,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 7,40,00,000 | 0.00 | 0.00 | 7,40,00,000 | 0.00 | 10,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00,000 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 2,60,00,000 | 0.00 | 0.00 | 2,60,00,000 | 0.00 | 10,00,00,000 | 0.00 | 0.00 | 10,00,00,000 | 0.00 |
| 18. झारखण्ड के सभी नगर निगम | जल एवं स्वच्छता, सर्किट हाउस, दरवार व्यय, विविध तथा आकस्मिक व्ययों के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 0.00 | 8,00,12,000 | 0.00 | 8,00,12,000 | 0.00 | 0.00 | 8,00,00,000 | 0.00 | 8,00,00,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 4,01,80,58,000 | 4,01,80,58,000 | 0.00 | 0.00 | 1,06,13,77,000 | 0.00 | 1,06,13,77,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 12,31,26,000 | 0.00 | 12,31,26,000 | 0.00 | 0.00 | 14,43,87,000 | 0.00 | 14,43,87,000 | 0.00 |
| 19. नगरपालिका / नगर पंचायत / नगर परिषद् / अनुसूचित क्षेत्र समितियाँ | नगर निगमों के स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान; कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु सहायता अनुदान | सामान्य/ ज०जा०उ०यो०/ अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 2,61,41,18,000 | 701.12 | 0.00 | 2,68,42,30,000 | 0.00 | 5,95,44,86,000 | 0.00 | 48,09,72,000 | 6,43,54,58,000 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 1,82,98,27,000 | 1,82,98,27,000 | 0.00 | 0.00 | 45,73,98,000 | 0.00 | 45,73,98,000 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 15,21,61,000 | 0.00 | 0.00 | 15,21,61,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जा. उं. यो./ अनु. जातियों के लिए वि.बा. यो./ सामान्य/वि.आ./ वा.सं.यो. | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | |
|---|---|--|--|----------|---|--|--|------------|---|--|------------|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| | | | | | | | | | | | योग |
| 20. नगर निगम/नगरपालिका/ नगर परिषद/नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति/ आर०आर०डी०ए०/शहरी प्रशासन निदेशालय | शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों को वेतन तथा अन्य भत्तों के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 11,53.53 | 0.00 | 11,53.53 | 0.00 | 0.00 | 7,69.37 | 0.00 | 7,69.37 |
| | नगर परिषदों / नगरपालिकाओं के स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 5,36.69 | 0.00 | 5,36.69 | 0.00 | 0.00 | 4,72.72 | 0.00 | 4,72.72 |
| | प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए० वाई०) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 93,00.00 | 0.00 | 36,34.20 | 1,29,34.20 | 0.00 | 69,88.58 | 0.00 | 33,43.02 | 1,03,31.60 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 82,50.00 | 0.00 | 17,51.37 | 1,00,01.37 | 0.00 | 82,50.00 | 0.00 | 35,33.35 | 1,17,83.35 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.ध.यो. | 37,00.00 | 0.00 | 19,21.80 | 56,21.80 | 0.00 | 27,00.00 | 0.00 | 0.00 | 27,00.00 |
| | राजीव आवास योजना (आर०ए०वाई०) के लिए सहायता अनुदान | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,15.00 | 0.00 |
| | जलापूर्ति तथा स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,38.74 | 0.00 |
| | भूमि प्रबंधन तथा अधिग्रहण, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जं०एन०एन०यू०आर० एम०, वृहद् रांची विकास के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 15,00.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | 0.00 | 35,00.00 | 0.09 | 0.00 | 35,00.09 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 93,50.75 | 0.00 | 0.00 | 93,50.75 | 0.00 | 3,68,31.58 | 0.00 | 0.00 | 3,68,31.58 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.ध.यो. | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बकाया विद्युत विपत्तों के भुगतान के लिए नगर निगमों को सहायता अनुदान | सामान्य | 2,20.56 | 0.00 | 0.00 | 2,20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,90.00 | 0.00 | |
| | जं.जा.उं.यो. | 4,16.00 | 0.00 | 0.00 | 4,16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि०बा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|--|--|--|---------|---|------------|--|--|---------|---|------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 21. शहरी प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड, रांची | रिक्षा वितरण, आईएचएसडीपी०/ आर०ए०बाई०मूमि अभियंत्रण/झुग्गी झोपड़ी रहित शहरी योजना/परिवहन व्यवस्था/असैनिक सम्पदाएँ/जलवायु तथा वन योजनायें, जुड़कों को हिस्सा पूंजी के लिए सहायता अनुदान | ज०जा०उ०यो० | 1,06,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,06,00.00 | 0.00 | 6,00.00 | 0.00 | 0.00 | 6,00.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 71,99.30 | 0.00 | 0.00 | 71,99.30 | 0.00 | 99,49.21 | 0.00 | 0.00 | 99,49.21 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 18,36.39 | 0.00 | 0.00 | 18,36.39 | 0.00 | 23,36.40 | 0.00 | 0.00 | 23,36.40 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,07.96 | 0.00 | 0.00 | 1,07.96 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,21,21.98 | 0.00 | 0.00 | 1,21,21.98 | 0.00 |
| | | सामान्य | 7,94.21 | 0.00 | 11,91.31 | 19,85.52 | 0.00 | 5,48.48 | 0.00 | 8,22.72 | 13,71.20 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 46.67 | 0.00 | 70.00 | 1,16.67 | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 48.33 | 80.55 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 2,44.13 | 0.00 | 3,66.19 | 6,10.32 | 0.00 | 1,68.59 | 0.00 | 2,52.89 | 4,21.48 | 0.00 |
| | | सामान्य | 13,30.51 | 0.00 | 0.00 | 13,30.51 | 0.00 | 17,76.89 | 0.00 | 0.00 | 17,76.89 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 3,48.65 | 0.00 | 0.00 | 3,48.65 | 0.00 | 35,00.00 | 0.00 | 0.00 | 35,00.00 | 0.00 |
| स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान | शहरी योजना तथा परियोजना प्रबंधन, शहरी सुधार के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 58.00 | 0.00 | 62,07.94 | 62,65.94 | 0.00 | 12,61.00 | 0.00 | 23,06.00 | 35,67.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 60.00 | 0.00 | 28,64.49 | 29,24.49 | 0.00 | 8,03.74 | 0.00 | 12,46.98 | 20,50.72 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 17,35.78 | 17,35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,22.00 | 2,22.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 53,16.44 | 0.00 | 0.00 | 53,16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 81,50.00 | 0.00 | 0.00 | 81,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 13,20.18 | 0.00 | 0.00 | 13,20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 1,39.82 | 0.00 | 0.00 | 1,39.82 | 0.00 | 4,69.31 | 0.00 | 0.00 | 4,69.31 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 4,01.53 | 0.00 | 0.00 | 4,01.53 | 0.00 | 5,59.96 | 0.00 | 0.00 | 5,59.96 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 0.00 |
| | | सामान्य | 1,60,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,60,00.00 | 0.00 | 60,00.00 | 0.00 | 0.00 | 60,00.00 | 0.00 |
| | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,00.00 | 0.00 | 0.00 | 40,00.00 | 0.00 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां उं यो/ अनु. जातियों के लिए वि.वां यो/ सामान्य/वि.आ/ वां सं.यो | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|--|---|---|------------|---|--|--|------------|---|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्र. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्र. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | राज्य योजना और के. प्र. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्र. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | |
| | स्मार्ट सिटी के लिए सहायक अनुदान | जं.जां उं.यो | 98,00.00 | 0.00 | 98,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 1,55,25.38 | 0.00 | 1,09,02.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,82.60 | 0.00 |
| | | जं.जां उं.यो | 63,96.59 | 0.00 | 44,83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,76.40 | 0.00 |
| | | सामान्य | 94.31 | 2,26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.43 | 1,85.55 | 0.00 |
| 22. उप सचिव (कार्मिक), निदेशक-सैनिक कल्याण निदेशालय तथा उप सचिव (गृह) | पिछड़ा वर्ग आयोग, दृश्य एवं श्रवणशो, सहायता अनुदान, पुस्तकालयों का उन्नयन सैनिक रैली, आमी मेला तथा पेंशन अदालत, गरीबों को कानूनी सहायता, पिछड़ा वर्ग वोकेशनल प्रशिक्षण एवं पिछड़ा वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान | जं.जां उं.यो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.74 | 0.00 | 0.00 |
| 23. प्रबंध निदेशक-उप सचिव, योजना एवं निर्माण (वृहद् रांची)/ कार्यपालक अभियंता-पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, राज्य विकास परिषद् | हिस्सा पूंजी, पेयजल आपूर्ति एवं जलों के उन्नयन हेतु सहायता अनुदान | सामान्य/ जं.जां उं.यो/ अनु.जातियों के लिए वि.वां.यो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,00.00 | 0.00 | 50,00.00 |
| 24. निदेशक, राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, रांची | राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान को स्थापना व्यय/विकास तथा उन्नयन के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 2,61,91.31 | 0.00 | 2,61,91.31 | 0.00 | 0.00 | 1,84,72.82 | 0.00 |
| | | जं.जां उं.यो | 1,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50,00.00 | 0.00 | 0.00 |
| | रिनवास, कांके, रांची को सहायता अनुदान | जं.जां उं.यो | 8,36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,32.00 | 0.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | सामान्य | 5,21.00 | 0.00 | 7,82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | मानसिक आरोग्यशाला के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 28,22.15 | 0.00 | 28,22.15 | 0.00 | 0.00 | 31,85.66 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 15,22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | हजारीबाग, पलामू तथा दुमका के चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,20.00 | 0.00 |
| | राज्य औषधी नियामक तंत्र का मजबूतीकरण | सामान्य | 2,23.33 | 0.00 | 3,35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/अनु० जातियों के लिए वि० यो०/सामान्य/वि०आ०/वा० सं० यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|---|---|---------|--|------------|--|-----------------------------------|---------|--|------------|--|
| | | | रज्य योजना तथा के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | रज्य योजना प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 25. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 2,04,10.00 | 0.00 | 2,81,87.00 | 4,85,97.00 | 0.00 | 1,52,21.95 | 0.00 | 3,66,44.02 | 5,18,65.97 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 4,10.00 | 0.00 | 0.00 | 4,10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि० यो० | 1,00,00.00 | 0.00 | 83,62.00 | 1,83,62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी०) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 68,24.57 | 0.00 | 1,46,94.95 | 2,15,19.52 | 0.00 | 91,88.83 | 0.00 | 80,57.72 | 1,72,46.55 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 32,89.76 | 0.00 | 63,80.08 | 96,69.84 | 0.00 | 28,91.13 | 0.00 | 39,78.10 | 68,69.23 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि० यो० | 13,18.25 | 0.00 | 37,33.97 | 50,52.22 | 0.00 | 17,72.87 | 0.00 | 21,45.06 | 39,17.93 | 0.00 |
| | ग्रामीण स्वच्छता के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,15,06.52 | 0.00 | 3,09,42.11 | 5,24,48.63 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,81.57 | 0.00 | 89,30.93 | 1,34,12.50 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि० यो० | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 55.77 | 0.00 | 71,58.68 | 0.00 | 35,83.75 | 1,07,42.43 | 0.00 |
| | मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेटिओलोजी जांच योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एंव सरवाइकल केसर स्क्रीनिंग योजना | सामान्य | 11,57.21 | 0.00 | 0.00 | 11,57.21 | 0.00 | 36,05.82 | 0.00 | 0.00 | 36,05.82 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 10,59.35 | 0.00 | 0.00 | 10,59.35 | 0.00 | 32,74.33 | 0.00 | 0.00 | 32,74.33 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि० यो० | 3,16.41 | 0.00 | 0.00 | 3,16.41 | 0.00 | 5,89.44 | 0.00 | 0.00 | 5,89.44 | 0.00 |
| | यूनिवर्सल हेल्थ इन्सुरेंस कवरेज योजना | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,36,05.46 | 0.00 | 0.00 | 1,36,05.46 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,00.00 | 0.00 | 0.00 | 78,00.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि० यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,00.00 | 0.00 | 0.00 | 36,00.00 | 0.00 |
| 26. निदेशक, झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन सोसाइटी | झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन सोसाइटी के लिए सहायता अनुदान | ज०जा०उ० यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,00.00 | 0.00 | 0.00 | 22,00.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,41.26 | 0.00 | 0.00 | 72,00.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 37,00.00 | 0.00 | 0.00 | 37,00.00 | 0.00 | 81,47.00 | 0.00 | 0.00 | 81,47.00 | 0.00 |
| 27. प्राचार्य, विरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची | विरसा कृषि विश्वविद्यालय के पेंशन राशि विलग; राज्य कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ० यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उं. यो/ अनु. जातियों के लिए वि.बां. यो./ सामान्य/वि.आ./ वां.सं.यो. | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|---|---|---|---------|--|--|---------|---|---------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रो.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | योग | राज्य योजना और के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | |
| 28. उप-निदेशक, राज्य जैविक मिशन (उद्यान) | राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 4,22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.बां.यो. | 0.00 | 0.00 | 1,40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 29. संबंधित संस्थाओं के निदेशक | झारपाकर्स को सहायता अनुदान | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 8,44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,96.42 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 16,00.00 | 0.00 | 0.00 | 16,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,50.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,75.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30. निदेशक, कृषि, झारखण्ड, रांची | वनों का विस्तार, विकास एवं संरक्षण | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,91.92 |
| | | सामान्य | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,50.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 6,00.00 | 0.00 | 0.00 | 6,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,00.00 |
| | विभिन्न कृषि निगमों, प्राधिकरणों तथा मिशनों को अनुदान | अनु.जातियों के लिए वि.बां.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.08 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.28 |
| | | जं.जा.उं.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.बां.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज. जा. उ. यो./ अनु. जातियों के लिए वि. यो./ सामान्य/वि.ओ./ वा.सं.यो. | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|---|---|--|---------|---|-------------|--|--|---------|--|-------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 31. अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची | कॉम्प्लेक्स ग्रामीण रोजगार योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 86,63.38 | 0.00 | 3,24,07.60 | 4,10,70.98 | 4,10,70.98 | 82,35.77 | 0.00 | 2,63,68.35 | 3,46,04.12 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 63,64.92 | 0.00 | 1,13,36.15 | 1,77,01.07 | 1,77,01.07 | 61,06.33 | 0.00 | 1,93,24.54 | 2,54,30.87 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 26,52.06 | 0.00 | 0.00 | 26,52.06 | 26,52.06 | 24,50.36 | 0.00 | 80,45.23 | 1,04,95.59 | |
| | | सामान्य | 7,72,98.36 | 0.00 | 4,90,44.00 | 12,63,42.36 | 12,63,42.36 | 6,52,14.62 | 0.00 | 4,69,70.13 | 11,21,84.75 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 11,90,23.03 | 0.00 | 7,11,09.04 | 19,01,32.07 | 19,01,32.07 | 6,21,78.70 | 0.00 | 4,56,25.61 | 10,78,04.31 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 2,70,00.00 | 0.00 | 3,86,56.56 | 6,56,56.56 | 6,56,56.56 | 1,99,63.70 | 0.00 | 2,69,17.35 | 4,68,81.05 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 10,00.00 | 0.00 | 13,48.67 | 0.00 | 20,23.00 | 33,71.67 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,18.67 | 0.00 | 4,78.00 | 7,96.67 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,82.00 | 3,82.00 | |
| | | सामान्य | 1,47.43 | 0.00 | 4,46.06 | 5,93.49 | 5,93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| स्वर्ण ज्योती ग्राम स्वरोजगार योजना-डी.आर.डी.ए. प्रशासन के लिए सहायता अनुदान | स्वर्ण ज्योती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना हेतु सहायता अनुदान | ज.जा.उ.यो. | 4,68.60 | 0.00 | 5,10.44 | 9,79.04 | 9,79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 67,97.38 | 0.00 | 68,94.96 | 1,36,92.34 | 1,36,92.34 | 1,19,71.46 | 0.00 | 67,69.28 | 1,87,40.74 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 30,00.00 | 0.00 | 68,28.88 | 98,28.88 | 98,28.88 | 43,46.75 | 0.00 | 55,44.33 | 98,91.08 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 30,03.54 | 0.00 | 99,91.76 | 1,29,95.30 | 1,29,95.30 | 24,92.21 | 0.00 | 31,70.33 | 56,62.54 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,60.00 | 0.00 | 0.00 | 3,60.00 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,20.00 | 0.00 | 0.00 | 7,20.00 | |
| | | सामान्य | 11,01.50 | 0.00 | 0.00 | 11,01.50 | 11,01.50 | 25,00.00 | 0.00 | 0.00 | 25,00.00 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 10,51.35 | 0.00 | 0.00 | 10,51.35 | 10,51.35 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 33,29.38 | 0.00 | 0.00 | 33,29.38 | 33,29.38 | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 | 30,00.00 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.यो. | 25,05.00 | 0.00 | 0.00 | 25,05.00 | 25,05.00 | 21,00.00 | 0.00 | 0.00 | 21,00.00 | |
| जोहार योजना | | सामान्य | 81,83.00 | 0.00 | 0.00 | 81,83.00 | 81,83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ज.जा.उ.यो. | 60,12.00 | 0.00 | 0.00 | 60,12.00 | 60,12.00 | 50,40.00 | 0.00 | 0.00 | 50,40.00 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उं. यो/ अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो/ सामान्य/ वि. आ/ वां. सं. यो. | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--|----------|--|------------|--|---|----------|--|----------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रो. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रो. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 32. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, रांची | सहकारिता समितियों के द्वारा युवा तथा कौशल विकास, समर्पित सहकारिता विकास परियोजना; एन.सी.डी.सी. के द्वारा वित्त पोषित आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान | जं. जां. उं. यो. | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कृषि बीमा के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा निधि के प्रीमियम के लिए सहायता अनुदान तथा अन्य व्यय | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं. जां. उं. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | फसल के संरक्षण हेतु सूचना, सेमिनार, निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रलेखन इत्यादि के लिए अनुदान | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 13.36 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 0.00 | 30.90 | 0.00 |
| | पी.एस.जी.एस.वाई.के अंतर्गत जं.एस.आर.आर.डी.पी.-वाम पक्ष अतिवर्धियों (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित क्षेत्रों (आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए.) के लिए सड़क संयोजन परियोजना हेतु सहायता अनुदान | जं. जां. उं. यो. | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 82.78 | 0.00 | 82.78 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 2,30,00.00 | 0.00 | 2,54,62.68 | 4,84,62.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद को सहायता अनुदान | खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 84,81.89 | 0.00 | 84,81.89 | 0.00 | 0.00 | 38,87.15 | 0.00 | 38,87.15 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,09.30 | 0.00 | 6,09.30 | 0.00 |
| 34. सचिव, राज्य चुनाव आयोग, झारखण्ड, रांची तथा जिलों के चुनाव पदाधिकारी | जनजातीय उपयोग के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता / झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, रांची को सहायता अनुदान | सामान्य | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. उप-सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची | झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अनुदान | सामान्य | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,16.72 | 0.00 | 8,16.72 | 0.00 |
| | महिला शक्ति केन्द्र योजना | सामान्य | 5.67 | 0.00 | 8.50 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 7,14.64 | 0.00 | 7,14.64 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए विं. वां. यो. | 1,80.31 | 0.00 | 0.00 | 1,80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | विभिन्न आयोगों, बोर्डों इत्यादि की स्थापना | जं. जां. उं. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जां. उं. यो. / अनु. जातियों के लिए वि. वां. यो. / सामान्य/वि. आ. / वां. सं. यो. | 2019-20 | | | 2018-19 | | | कुल योग मे से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | योग | कुल योग मे से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---------|---|------------|--|---------|---|------------|---|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्र. स्कीम (राज्यश) | स्थापना | के. प्र. स्कीम (केन्द्रश) के.से. स्कीम सहित | स्थापना | राज्य योजना और के. प्र. स्कीम (राज्यश) | स्थापना | | | |
| 36. जनजातीय कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची | बाणिज्यिक प्रशिक्षण, पिछड़ा वर्ग विकास निगम, मंसो ग्रामीण अस्पताल : बिरसा मुंडा विद्यालय, बुडू : बिरसा मुंडा उल्लोहात प्राथमिक विद्यालय : शिक्षा तथा कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता के लिए सहायता अनुदान | अनु. जातियों के लिए वि. वां. यो. / सामान्य/वि. आ. / वां. सं. यो. | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | झारखण्ड जनजातीय विकास समिति, रांची : झारखण्ड जनजातीय सशक्तिकरण तथा आजीविका परियोजना : अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम के द्वारा परिचालित योजनाओं : जनजातियों को विशेष स्वास्थ्य योजना के लिए सहायता अनुदान; झारखण्ड जनजातीय विकास परियोजना (वांसं.पं.) के लिए शिक्षा अनुदान | जं. जां. उं. यो. | 38,00.00 | 0.00 | 0.00 | 38,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) के लिए अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,80.00 | 0.00 |
| | झारखण्ड जनजातीय परामर्शी परिषद् के लिए सहायता अनुदान | अनु. जातियों के लिए वि. वां. यो. | 0.00 | 0.00 | 24,76.49 | 24,76.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | टी.सी.डी.सी., कानूनी सहायता तथा चिकित्सा सहायता के लिए सहायता अनुदान | जं. जां. उं. यो. | 0.00 | 0.00 | 71,83.92 | 71,83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,28,21.90 | 0.00 |
| | अन्य कल्याण कार्यक्रम-चिकित्सा सहायता | सामान्य | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| | समर्पित जनजातीय विकास अधिकरण को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,03.37 | 0.00 | 0.00 |
| | संविधान का अनुच्छेद 275(1) | जं. जां. उं. यो. | 6,22.96 | 0.00 | 0.00 | 6,22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,02.44 | 0.00 |
| | अनुसूचित जनजातियों के लिए वोकेशनल शिक्षा-रै. सरकारी संस्थानों को सहायता: पहाडिया का कल्याण (मध्याह्न भोजन) के लिए सहायता अनुदान | जं. जां. उं. यो. | 1,22.91 | 0.00 | 0.00 | 1,22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 1,12.84 | 0.00 | 0.00 | 1,12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.04 | 0.00 |
| | | जं. जां. उं. यो. | 1,90.20 | 0.00 | 0.00 | 1,90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 0.00 |
| | | जं. जां. उं. यो. | 0.00 | 0.00 | 1,12,52.13 | 1,12,52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जं. जां. उं. यो. | 4,83.70 | 0.00 | 0.00 | 4,83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,03.91 | 0.00 |
| | | सामान्य | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.17 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि० वा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | | |
|---|--|---|--|---------|--|--|---|---------|--|--|----------|-------|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | |
| | | | योग | योग | योग | | योग | योग | | | | |
| 37. उप सचिव, श्रम तथा रोजगार विभाग | गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालयों का अनुदान डॉ० राम दयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान बिस्सा विशिष्ट जनजाति विकास योजना के लिए सहायता अनुदान दाना भगत विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान बधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना | सामान्य | 3,44.56 | 0.00 | 0.00 | 3,44.56 | 0.00 | 0.00 | 2,50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ज०जा०उ०यो० | 10,96.80 | 0.00 | 0.00 | 10,96.80 | 0.00 | 0.00 | 10,78.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 97.88 | 0.00 | 15,66.06 | 16,63.94 | 0.00 | 0.00 | 12,11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०धे०यो० | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.40 | 0.00 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 13.49 | 0.00 | 20.24 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. सामाजिक कल्याण परामर्शी बोर्ड तथा महिला आयोग, मोनिटरिंग सेल, वृद्धा आश्रम | राष्ट्रीय जनजातीय समूहों के लिए पेंशन योजना; राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना; विधवा कल्याण कार्यक्रम; महिलाओं के लिए राज्य स्तंभ केंद्र; राज्य महिला आयोग; तेजस्विनी योजना, स्वधारा गृह योजना के लिए सहायता अनुदान नवनिर्मित नेत्रहीन / मूक बधिर विद्यालयों के अनुदान के लिए सहायता अनुदान; गैर-सरकारी संस्थाओं को उनके संचालन के लिए सहायता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्रियाव्यवस्था अधिकरण के लिए वित्तीय सहायता; राज्य चोटिकता मिशन के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०ओ०एस० परियोजना IV; एकल ठहराव केंद्र रिश्तल टाइम मोनिटरिंग सेल की स्थापना : झारखण्ड महिला समिति का संचालन : समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई०सी०डी०पी०) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 47,70.00 | 0.00 | 0.00 | 47,70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ज०जा०उ०यो० | 1,47.52 | 0.00 | 0.00 | 1,47.52 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 1,70.85 | 0.00 | 0.00 | 1,70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 5,56.28 | 0.00 | 7,20.25 | 12,76.53 | 0.00 | 0.00 | 5,47.09 | 4,96.77 | 10,49.26 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 7,03.42 | 0.00 | 8,99.78 | 16,03.20 | 0.00 | 0.00 | 6,87.07 | 8,31.99 | 15,19.06 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/अनु० जातियों के लिए वि०वा० यो०/सामान्य/वि०आ०/वा०-सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|---|--|----------|--|----------|--|---|----------|--|----------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| 39. जिलों के उपायुक्त/उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग | वंचित परिवारों को अनुग्रह भुगतान | सामान्य | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 46.14 | 0.00 | 46.14 | 0.00 |
| | अन्य राज्यों के लोक आपदा के लिए सहायता | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 |
| | एस०डी०एम०ए० तथा डी०डी०एम०ए० के सशक्तिकरण के लिए अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| | वज्रपात से प्रभावित परिवारों / शीतलहर से पीड़ितों / क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 56.78 | 0.00 |
| राज्य / जिला स्तर पर मोक अग्र्यास का संचालन | राज्य / जिला स्तर पर मोक अग्र्यास का संचालन | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| | कृषि इनपुट ग्रांट (50% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 34,79.62 | 0.00 | 34,79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | वज्रपात से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 11,20.29 | 0.00 | 11,20.29 | 0.00 | 0.00 | 10,88.25 | 0.00 | 10,88.25 | 0.00 |
| | राष्ट्रीय जनसंख्या अभिलेख हेतु सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 2,71.43 | 2,71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. निदेशक, मवेशियों के लिए झारखण्ड राज्य क्रियान्वयन प्राधिकरण | मवेशियों के विकास के लिए झारखण्ड राज्य क्रियान्वयन अधिकरण : पशु कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | पशुधन, गौ सेवा आयोग को सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 | 1,00.00 | 0.00 |
| 42. महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे | झारखण्ड राज्य में रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए रेलवे को सहायता | सामान्य | 49,22.00 | 0.00 | 0.00 | 49,22.00 | 49,22.00 | 0.00 | 54,00.00 | 0.00 | 54,00.00 | 54,00.00 |
| | गोड्डा-हसडीहा रेल लिंक के लिए सहायता अनुदान, रेलवे परियोजनाओं के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) में प्राथमिक अंशदान | ज०जा०उ०यो० | 57,78.00 | 0.00 | 0.00 | 57,78.00 | 87,78.00 | 0.00 | 60,00.00 | 0.00 | 60,00.00 | 60,00.00 |
| | गोड्डा-हसडीहा रेल लिंक के लिए सहायता अनुदान, रेलवे परियोजनाओं के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) में प्राथमिक अंशदान | सामान्य | 20,00.00 | 0.00 | 0.00 | 20,00.00 | 20,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 2,00.00 |
| | पीरपैथी-जसडीह नई रेल लिंक | ज०जा०उ०यो० | 30,00.00 | 0.00 | 0.00 | 30,00.00 | 30,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 3,00.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज. जा. उ. यो. अनु. जातियों के लिए वि. यो. सामान्य/वि. आ. वा. सं. यो. | 2019-20 | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--|------------|-------------|--|---|---|-----------|------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | | | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के. से. स्कीम सहित | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | | |
| 43. निदेशक, उद्द्योग विभाग | लघु उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास योजना हेतु सहायता अनुदान | सामान्य | 59,01.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,34.85 | 0.00 | 0.00 | 17,34.85 | 17,34.85 |
| | | सामान्य | 7,91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,20.80 | 0.00 | 0.00 | 5,20.80 | 0.00 |
| | | सामान्य | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.66 | 0.00 | 79.66 |
| 44. न्यायाधिकरण, वक्फ बोर्ड तथा हज कमीटी | न्यायाधिकरण, वक्फ बोर्ड तथा हज कमीटी के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 1,68,14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.14 | 1,00.14 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 22,36,71.00 | 0.00 | 92,71.12 | 0.00 | 60,412.00 | 6,96,83.12 | 0.00 |
| 45. सचिव, जिला परिषद् | अम्बेडकर आवास योजना | सामान्य | 2,29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,19.44 | 0.00 | 0.00 | 2,19.44 | 0.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए वि. यो. | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20.00 | 0.00 |
| | | ज. जा. उ. यो. | 2,60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,70.00 | 0.00 | 0.00 | 2,70.00 | 0.00 |
| | | सामान्य | 39,40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,00.00 | 0.00 | 0.00 | 49,00.00 | 49,00.00 |
| | | अनु. जातियों के लिए वि. यो. | 16,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,50.00 | 0.00 | 0.00 | 15,00.00 | 15,00.00 |
| | | ज. जा. उ. यो. | 21,60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,60.00 | 0.00 | 0.00 | 36,00.00 | 36,00.00 |
| | | सामान्य | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 4,79,91.00 | 0.00 | 7,34,37.00 | 12,14,28.00 |
| | | ज. जा. उ. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,02,00.00 | 0.00 | 6,00,00.00 | 10,02,00.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 | 2,77.08 | 4,77.08 |
| | | अनु. जातियों के लिए वि. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 54.24 | 1,25.24 |
| 46. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड | दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी. डी. यू. जी. जे. वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता अनुदान | ज. जा. उ. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,17.68 | 4,17.68 | 0.00 |
| | | सामान्य | 3,19,47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,19,47.98 | 0.00 | 0.00 | 1,31,34.20 | 1,31,34.20 |
| | | अनु. जातियों के लिए वि. यो. | 61,83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,83.48 | 0.00 | 0.00 | 25,42.10 | 25,42.10 |
| | | ज. जा. उ. यो. | 1,33,97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,33,97.54 | 0.00 | 0.00 | 55,07.90 | 55,07.90 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि०बा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|---|--|--|--|---------|---|------------|--|--|------------|---|------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | राज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,47.00 | 0.00 | 0.00 | 16,47.00 | 0.00 |
| | सर्म्कित उर्जा विकास योजना (पी०डी०एस०) आई०टी०-फ़ेज II के अंतर्गत | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,19.00 | 0.00 | 0.00 | 3,19.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,91.00 | 0.00 | 0.00 | 6,91.00 | 0.00 |
| | झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे०बी०वी०एन०एल०) के लिए सहायता अनुदान | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,50,00.00 | 0.00 | 0.00 | 7,50,00.00 | 0.00 |
| | परामर्शी तथा अन्य कार्यों-उर्जा खपत संरक्षण: स्टेट लोड डिस्चेंज सेंटर के लिए सहायता: जे०एस०ई०बी० के अनुवर्ती कम्पनी को सहायता, परामर्शी सेवा, अंकेक्षण शालक, प्रचार/प्रसार/संमिन्तार तथा सम्मेलनों के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 | 20,32.00 | 0.00 | 0.00 | 20,32.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 3,82,10.27 | 0.00 | 0.00 | 3,82,10.27 | 0.00 | 3,69,00.00 | 0.00 | 0.00 | 3,69,00.00 | 0.00 |
| | जे०बी०पी०एन०एल० को रोलेटरी डिस-अलाउंस सपोर्ट के रूप में अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00,00.00 | 0.00 | 5,00,00.00 | 0.00 |
| | मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना | सामान्य | 2,45.00 | 0.00 | 0.00 | 2,45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 1,80.00 | 0.00 | 0.00 | 1,80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | अटल ग्रामोत्थान योजना | सामान्य | 16,58.68 | 0.00 | 0.00 | 16,58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 4,84.91 | 0.00 | 0.00 | 4,84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 10,89.18 | 0.00 | 0.00 | 10,89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. अध्यक्ष, झारखण्ड पुर्नवीनीकरण उर्जा विकास अधिकरण लिमिटेड, रांची | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,99.70 | 0.00 | 0.00 | 59,99.70 | 21,27.77 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 66,25.00 | 0.00 | 0.00 | 66,25.00 | 0.00 | 89,99.55 | 0.00 | 0.00 | 89,99.55 | 0.00 |
| | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,99.75 | 0.00 | 0.00 | 49,99.75 | 0.00 |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जा. उ. यो/ अनु. जातियों के लिए विंवा. यो/ सामान्य/वि-आ/ वा-सं-यो. | 2019-20 | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--------------|--|---|---|---------|----------|--|--|--|----------|--|
| | | | राज्य योजना तथा कें. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | | | कें. प्रा. स्कीम (केंद्रांश) के.से. स्कीम सहित | राज्य योजना और कें. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | | |
| | पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड | सामान्य | 13,86.32 | 0.00 | 13,86.32 | 0.00 | 9,52.00 | 0.00 | 9,52.00 | 0.00 |
| | | अनु-जातियों के लिए विंवा. यो. | 2,68.32 | 0.00 | 2,68.32 | 0.00 | 1,84.00 | 0.00 | 1,84.00 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 5,81.36 | 0.00 | 5,81.36 | 0.00 | 3,99.00 | 0.00 | 10,32.65 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,32.16 | 0.00 | 12,32.16 | 12,32.16 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,09.02 | 0.30 | 12,09.32 | 12,09.32 |
| | झारखण्ड टेक्सटाइल, अपैरल एंड फुटवियर पालिसी-2016 के लिए अनुदान | सामान्य | 2,93.66 | 0.00 | 2,93.66 | 0.00 | 3,62.93 | 0.00 | 3,62.93 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 19,73.53 | 0.00 | 19,73.53 | 0.00 | 2,60.02 | 0.00 | 2,60.02 | 0.00 |
| | हथकरघा विकास योजना: राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम: प्राथमिक बुनकर सहायता के सशक्तिकरण के लिए सहायता अनुदान, झारखण्ड सिल्क कपड़ा विकास के लिए प्रबंधकोय अनुदान | सामान्य | 13,00.00 | 0.00 | 13,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 9,50.00 | 0.00 | 9,50.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 |
| | तसर कोट अनुसन्धान: सरीकल्वर के विकास के लिए योजना-संरचना विकास: केन्द्रीय योजना की लिए मैचिंग ग्रांट: के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 1,62.28 | 0.00 | 1,62.28 | 0.00 | 1,71.41 | 0.00 | 1,71.41 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 3,60.66 | 0.00 | 3,60.66 | 0.00 | 5,80.87 | 0.00 | 5,80.87 | 0.00 |
| | आधारभूत शैक्षणिक प्रशिक्षण संरचना का विकास | जंजा-उ. यो. | 42.78 | 0.00 | 42.78 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | 0.00 |
| | हस्तशिल्प का विकास-एन-आई-डी, अहमदाबाद की सहायता से हस्तकरघा विकास संस्थान की स्थापना के लिए सहायक अनुदान | सामान्य | 52.32 | 0.00 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जंजा-उ. यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रबंधन अनुदान, समकित खादी विकास के लिए सहायक अनुदान | जंजा-उ. यो. | 20,65.00 | 0.00 | 20,65.00 | 0.00 | 5,25.00 | 0.00 | 5,25.00 | 0.00 |
| | मलवरी कोट अनुसन्धान को सहायता अनुदान | जंजा-उ. यो. | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 27.66 | 0.00 | 27.66 | 0.00 |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमशः
(संस्थावार और योजनावार)**

(₹ लाख में)

| प्राप्तकर्ता | योजना | जं. जा. उ. यो./ अनु. जातियों के लिए वि.बा. यो./ सामान्य/वि.आ./ वा.सं.यो. | 2019-20 | | | 2018-19 | | | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | योग | कुल योग में से पुंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|---|---|---|---------|---|---|---------|--|--|----------|--|
| | | | रज्य योजना तथा के. प्रा.स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के. प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | रज्य योजना और के. प्रा. स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | के.प्रा. स्कीम (केन्द्रांश) के.से. स्कीम सहित | | | |
| | झारखण्ड औद्योगिक तथा विनिवेश संवर्धन नीति-2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,03.47 | 0.00 | 0.00 | 29,03.47 | 0.00 | |
| | | जं.जा.उ.यो. | 15,22.34 | 0.00 | 0.00 | 19,99.53 | 0.00 | 0.00 | 19,99.53 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 6,73.90 | 0.00 | 0.00 | 5,83.17 | 0.00 | 0.00 | 5,83.17 | 0.00 | |
| | झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति-2015 | जं.जा.उ.यो. | 14,72.50 | 0.00 | 0.00 | 10,67.42 | 0.00 | 0.00 | 10,67.42 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 1,16.48 | 0.00 | 0.00 | 1,16.48 | 1,16.48 | |
| | | जं.जा.उ.यो. | 6,56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | पूंजी निवेश के लिए औद्योगिक इकाइयों; झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को कम्प्यूटरी प्रोजेक्ट इन्वैस्टमेंट सब्सिडी (सी०पी०आई०एस०) के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 3,68.79 | 0.00 | 0.00 | 3,68.79 | 0.00 | 0.00 | 3,68.79 | 2.99 | |
| | | जं.जा.उ.यो. | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 22.37 | 19,64.00 | |
| | | सामान्य | 3,20.00 | 0.00 | 0.00 | 3,20.00 | 0.00 | 0.00 | 3,20.00 | 14,84.00 | |
| 49. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम | झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के लिए गेट-यवन परिसम्पत्तियों के लिए केंद्रीय सहायता | जं.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | |
| | | सामान्य | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 1,93.66 | |
| | | अनु.जातियों के लिए वि.ध.यो. | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 1,13.24 | |
| 50. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रांची | झारखण्ड राज्य जल समिति तथा झालको: सर्वे तथा अनुसंधान परामर्शी एवं मानककरण के लिए सहायता अनुदान | जं.जा.उ.यो. | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 2,73.90 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 2,73.90 | |
| | | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,05.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,05.00 | |
| | | जं.जा.उ.यो. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,04.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,04.00 | |

**परिशिष्ट III - राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान - क्रमांत
(संस्थावार और योजनावार)**

| प्राप्तकर्ता | योजना | ज० जा० उ० यो०/ अनु० जातियों के लिए वि०वा० यो०/ सामान्य/वि०आ०/ वा०सं०यो० | 2019-20 | | | योग | कुल योग में से पुर्णगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि | 2018-19 | | | योग | कुल योग में से पुर्णगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि |
|--|--|---|---|--------------------|--|----------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|--|
| | | | राज्य योजना तथा क० प्रा० स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | क० प्रा० स्कीम (केन्द्रांश) क० स० स्कीम सहित | | | राज्य योजना और क० प्रा० स्कीम (राज्यांश) | स्थापना | क० प्रा० स्कीम (केन्द्रांश) क० स० स्कीम सहित | | |
| | | | 9,75.90 | 0.00 | 0.00 | | | 8,24.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 51. निर्देशक, पर्यटन, झारखण्ड, रांची | होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्यशिल्प संस्थान, झारखण्ड एडवेंचर टूरिज्म इंस्टिट्यूट तथा पर्यटन विकास प्राधिकरण इत्यादी को सहायता अनुदान | सामान्य | 9,75.90 | 0.00 | 0.00 | 9,75.90 | 9,75.90 | 8,24.35 | 0.00 | 0.00 | 8,24.35 | |
| | झारखण्ड राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड को प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता-वर्तमान परिसम्पत्तियों के सफाई, निर्माण, उन्नयन, प्रचार, रख-रखाव तथा पुनरुद्धार के लिए अनुदान | सामान्य | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ज०जा०उ०यो० | ज०जा०उ०यो० | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 4,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | सॉफ्टिको सशक्तिकरण के लिए सहायता | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 52. सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, रांची | राज्य सड़क परिवहन निगम, झारखण्ड को सहायता | सामान्य | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ज्वाइंट वेंचर कम्पनी (जे०बी०सी०) का राज्यांश पूंजी | ज०जा०उ०यो० | 10,00.00 | 0.00 | 0.00 | 10,00.00 | 0.00 | 5,00.00 | 0.00 | 0.00 | 5,00.00 | |
| | नस्ल विकास, हेइफेर रेअरिंग कार्यक्रम, उत्पादकता बढ़ोतरी कार्यक्रम (आर०के० बी०वाई०); हस्त एवं विद्युत् चालित शेफ कटर का वितरण; दुग्ध शौचालीकरण केंद्र की स्थापना एवं सशक्तिकरण; चारा प्राणिकरण, दुग्ध प्राणिकरण, प्रसंस्करण तथा मार्केटिंग, टैक्निकल इनपुट प्रोग्राम, स्कूली बच्चों को दुग्ध वितरण कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान | सामान्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,38.00 | 0.00 | 0.00 | 41,38.00 | |
| 53. सहायक निदेशक (डेयरी विकास), झारखण्ड, रांची | | अनु०जातियों के लिए वि०ध०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,20.00 | 0.00 | 0.00 | 11,20.00 | |
| | | ज०जा०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,19.60 | 0.00 | 0.00 | 22,19.60 | |
| | जोड़ | | 90,61,04.51 | 20,89,89.80 | 80,40,51.80 | 1,91,91,46.11 | 70,79,38.50 | 95,39,68.17 | 18,78,86.21 | 65,57,26.42 | 1,79,75,80.80 | |
| | | | | | | | | | | | 84,46,82.64 | |

(₹ लाख में)

परिशिष्ट IV - बाह्य सम्प्रेषित परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

| एड् एजेंसी | योजना/परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | | | | प्राप्त राशि | | | | | | वापस की गई राशि | | व्यय | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|------------|------------|----------|------|-----------------|---------|------------------------|---------------------------|--|
| | | अनुदान | | | ऋण | | | जोड़ | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | | वर्ष तक | | |
| | | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | |
| कृषि विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय कोष | झारखण्ड जनजाति सशक्तिकरण तथा आजीविका परियोजना | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.69.58 | 0.00 | 50.69.58 | 0.00 | 1,58,13.00 | 1,58,13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,00.00 | 24,81.00 | |
| | बाह्य सम्प्रेषित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,88.05 | 45,63.59 | 55,51.64 | 2,36.04 | 20,45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,63.07 | | |
| विश्व बैंक | केन्द्र तथा राज्य द्वारा लोकेशनल प्रशिक्षण सेवायें का सुधार तथा उन्नयन के लिए बाह्य सम्प्रेषित परियोजना | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,22.17 | 0.00 | 4,22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | राष्ट्रीय वेक्टर जनीत रोग का रोकथाम योजना ग्रामीण (बाह्य सम्प्रेषित घटक) | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.23 | 0.00 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | विश्व बैंक सम्प्रेषित तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम (वर्तमान एवं नई फेज) | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,03.75 | 0.00 | 9,03.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,54.90 | |
| | विश्व बैंक सम्प्रेषित आइसिंडीएस० परियोजना | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,93.42 | 0.00 | 21,93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,19.20 | |
| | राष्ट्रीय एड्स तथा एम०टी०डी० कंट्रोल परियोजना | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,66.23 | 0.00 | 17,66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,46.73 | |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 34,84.00 | 0.00 | 34,84.00 | 3,17,36.73 | 0.00 | 3,17,36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,13,16.84 ^[2] | |
| | औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल विकास करना (स्टाइव) | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 40.66 | 0.00 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,15.66 ^[2] | 2,15.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी: राज्य सरकार से आवश्यक सूचनाएं अप्राप्त रहा (अगस्त 2020)।

1. आर०बी०आई० लोन-देनों के आधार पर सकलित लेखों से यह परिशिष्ट तैयार किया गया था।
2. इसमें गव्यश सम्मिलित है।

परिशिष्ट IV - बाह्य सम्योषित परियोजनाओं का विवरण - क्रमांत

(₹ लाख में)

| एड एंजेंसी | योजना/परियोजना | कुल अनुमोदित सहायता | | | | | | प्राप्त राशि | | | | | | वापस की गई राशि | | व्यय | | |
|----------------------|--|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|---------------|------|-------------|------------|-------------|----------|-----------------|---------|----------------------------|----------------------------|------|
| | | वर्ष के दौरान | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | | | वर्ष तक | | | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | |
| | | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | अनुदान | ऋण | जोड़ | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | वर्ष के दौरान | वर्ष तक | |
| विश्व बैंक | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 1,93,62.00 | 0.00 | 1,93,62.00 | 16,09,71.64 | 0.00 | 16,09,71.64 | 0.00 | 16,09,71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,66,28.52 ^[2] | 0.00 |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजन पूर्ति कार्यक्रम | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 23,50.00 | 0.00 | 23,50.00 | 1,48,50.00 | 0.00 | 1,48,50.00 | 0.00 | 1,48,50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,77,04.85 ^[2] | 0.00 |
| | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल छाजन विकास कार्यक्रम) | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,54.02 | 0.00 | 3,54.02 | 0.00 | 3,54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,72.16 ^[2] | 0.00 |
| एशियन डेवलपमेंट बैंक | झारखण्ड राज्य सड़क परियोजना (लोन नं 2594-IND) | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,67,49.55 | 9,67,49.55 | 31,09.47 | 1,17,55.90 | 0.00 | 14,96,63.17 ^[3] | 0.00 | |
| एशियन डेवलपमेंट बैंक | द्वितीय झारखण्ड राज्य सड़क परियोजना | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,87,15.49 | 1,87,15.49 | 0.00 | 0.00 | 5,48,51.28 | 5,48,51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आई.डी.ए. | किशोरी एवं युवा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु तेजस्विनी योजना (ई-ए-पी०) | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,83.90 | 10,83.90 | 0.00 | 0.00 | 14,23.29 | 14,23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पोषण अभियान | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,83.36 | 0.00 | 23,83.36 | 0.00 | 23,83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,81.49 | 0.00 |
| आई.बी.आर.डी. | राष्ट्रीय पोषण अभियान | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,87.97 | 0.00 | 20,87.97 | 0.00 | 20,87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ग्रामीण विकास हेतु झारखण्ड में काम के अवसरों को लेना | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,41.23 | 95,41.23 | 0.00 | 0.00 | 1,26,98.38 | 1,26,98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | झारखण्ड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट परियोजना | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,82.15 | 74,82.15 | 0.00 | 0.00 | 74,82.15 | 74,82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जी.ओ.जे.पी. (जापान) | झारखण्ड में बागवानी माईक्रो डीप सिंचाई परियोजना द्वारा विस्तार | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,05.68 | 7,05.68 | 0.00 | 0.00 | 16,12.90 | 16,12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. इसमें राज्यांश सम्मिलित है।

3. इसमें व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक लिया गया है।

**परिशिष्ट V - योजनागत योजना पर व्यय
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम)**

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना | लेखा के व्यय शीर्ष के अंतर्गत राज्य योजना | एन०/ज०उ० यो०/अं० ज०उ० यो० | बजट उपबंध | | | | 2019-20 | | | | 2018-19 | | | |
|----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | 2019-20 | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | | व्यय | |
| | | | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियाँ |
| 1 | पी०एम०ए०वाई० (शहरी) के अंतर्गत राज्य तथा यू०टी० अनुदानों | प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सहायक अनुदान (के०ग्रा०स्कीम, केन्द्रांश) | एन० | 3,634.20 | 93,00.00 | 1,29,34.20 | | 36,34.20 | 93,00.00 | 1,29,34.20 | | 33,43.02 | 69,88.58 | 1,03,31.60 | |
| | | | ज०उ०यो० | 1,751.37 | 82,50.00 | 1,00,01.37 | 74,13.25 | 17,51.37 | 82,50.00 | 1,00,01.37 | 10,03,56.21 | 35,33.35 | 82,50.00 | 1,17,83.35 | |
| | | | अं०ज० वि०यो० | 1,921.80 | 37,00.00 | 56,21.80 | | 19,21.80 | 37,00.00 | 56,21.80 | | 0.00 | 27,00.00 | 27,00.00 | |
| | | जोड़ | | 73,07.37 | 2,12,50.00 | 2,85,57.37 | 74,13.25 | 73,07.37 | 2,12,50.00 | 2,85,57.37 | 10,03,56.21 | 68,76.37 | 1,79,38.58 | 2,48,14.95 | |
| 2 | | स्वच्छ भारत मिशन (के०ग्रा०स्कीम) | एन० | 133.94 | 58.00 | 1,91.94 | | 1,33.94 | 58.00 | 1,91.94 | | 14,00.00 | 12,61.00 | 26,61.00 | |
| | | | ज०उ०यो० | 90.00 | 60.00 | 1,50.00 | 1,77.00 | 90.00 | 60.00 | 1,50.00 | 47,68.36 | 9,23.98 | 8,03.74 | 17,27.72 | |
| | | जोड़ | | 2,23.94 | 1,18.00 | 3,41.94 | 1,77.00 | 2,23.94 | 1,18.00 | 3,41.94 | 47,68.36 | 23,23.98 | 20,64.74 | 43,88.72 | |
| 3 | मिशन फॉर 100 स्मार्ट सिटिस | स्मार्ट सिटि (के०ग्रा०स्कीम, केन्द्रांश) | ज०उ०यो० | 98,00.00 | 98,00.00 | 1,96,00.00 | 1,96,00.00 | 98,00.00 | 98,00.00 | 1,96,00.00 | 1,02,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 98,00.00 | 98,00.00 | 1,96,00.00 | 1,96,00.00 | 98,00.00 | 98,00.00 | 1,96,00.00 | 1,02,00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर०यु०एस०ए०) | सी०एस०पी०एस० के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर०यु०एस०ए०) 65:35 (के०से०स्कीम) तकनीकी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण अभियंत्रण महाविद्यालयों/बहुशिल्प/खनन संस्थानों का निर्माण एवं पुनरुद्धार (के०से०स्कीम) | एन० | 17,55.38 | 10,69.50 | 28,24.88 | | 17,55.38 | 10,69.50 | 28,24.88 | | 39,80.40 | 26,53.60 | 66,34.00 | |
| | | | ज०उ०यो० | 1,69.88 | 1,03.50 | 2,73.38 | | 1,69.88 | 1,03.50 | 2,73.38 | | 3,85.20 | 2,56.80 | 6,42.00 | |
| | | | अं०ज० वि०यो० | 3,39.75 | 2,07.00 | 5,46.75 | | 3,39.75 | 2,07.00 | 5,46.75 | | 7,70.40 | 5,13.60 | 12,84.00 | |
| | | | एन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | अं०ज० वि०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | जोड़ | | 22,65.01 | 13,80.00 | 36,45.01 | 0.00 | 22,65.01 | 13,80.00 | 36,45.01 | 28,49.75 | 51,36.00 | 34,24.00 | 85,60.00 | |

(^१)पहले यह सरदार पटेल शहरी आवास योजना से जाना जाता था।

परिशिष्ट V - योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः - क्रमशः
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना | लेखा के व्यय शीर्ष के अंतर्गत राज्य योजना | एन०/ज०/य०/अ०/ज०/वि० यो० | बजट उपबंध | | | | | | 2018-19 | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| | | | | 2019-20 | | | 2019-20 | | | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | | भारत सरकार की अंशदान | | व्यय | |
| | | | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | |
| 5 | अखन रेजुवनेशन मिशन-500 पर्यावासियाँ | अखन पुनरूथान मिशन-एएम-आर०यू०टी० को सहायक अनुदान (के०से०स्कीम) | एन० ज०/य० | 1,09,02.94 44,83.90 | 1,55,25.38 63,96.59 | 2,64,28.32 1,08,80.49 | 1,53,86.84 | 1,09,02.94 44,83.90 | 1,55,25.38 63,96.59 | 2,64,28.32 1,08,80.49 | 0.00 0.00 | 65,82.60 28,76.40 | 0.00 0.00 | 65,82.60 28,76.40 | |
| | | जोड़ | | 1,53,86.84 | 2,19,21.97 | 3,73,08.81 | 1,53,86.84 | 1,53,86.84 | 2,19,21.97 | 3,73,08.81 | 0.00 | 94,59.00 | 0.00 | 94,59.00 | |
| 6 | डी०ए०वाई०/एन०यू० एल०एम०(दीनदयाल अन्तोदय योजना राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) (के०प्रा०स्कीम केन्द्रांश) | एन० ज०/य० अ०/वि०/य० | 11,91.31 70.00 3,66.19 | 7,94.21 46.67 2,44.13 | 19,85.52 1,16.67 6,10.32 | 11,91.31 70.00 3,66.19 | 11,91.31 70.00 3,66.19 | 7,94.21 46.67 2,44.13 | 19,85.52 1,16.67 6,10.32 | 8,22.72 48.33 2,52.89 | 5,48.48 32.22 1,68.59 | 13,71.20 80.55 4,21.48 | | |
| | | जोड़ | | 16,27.50 | 10,85.01 | 27,12.51 | 16,27.50 | 16,27.50 | 10,85.01 | 27,12.51 | 44,88.81 | 7,49.29 | 18,73.23 | | |
| 7 | राज्य पुलिस वालों का सशक्तिकरण-क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सी०सी०टी०एन०एस०) | पुलिस बल का सशक्तिकरण तथा भवन निर्माण (के०प्रा०स्कीम केन्द्रांश) | एन० ज०/य० | 30,00.00 84,72.10 | 20,00.00 55,55.60 | 50,00.00 1,40,27.70 | 30,00.00 84,72.10 | 30,00.00 84,72.10 | 20,00.00 55,55.60 | 50,00.00 1,40,27.70 | 0.00 7,63.85 | 0.00 0.00 | 0.00 7,63.85 | | |
| | | जोड़ | | 84,72.10 | 55,55.60 | 1,40,27.70 | 5,89,79.45 | 84,72.10 | 55,55.60 | 1,40,27.70 | 1,93,27.02 | 7,63.85 | 0.00 | 7,63.85 | |
| 8 | अन्तरदेशीय मत्स्य पालन | ब्यू रेवुलेशन (के०से०स्कीम) | एन० ज०/य० अ०/वि०/य० | 3,67.80 1,80.00 1,80.00 | 2,47.80 1,20.00 1,20.00 | 6,15.60 3,00.00 3,00.00 | 3,67.80 1,80.00 1,80.00 | 3,67.80 1,00.80 1,65.60 | 2,47.80 67.20 1,10.40 | 6,15.60 1,68.00 2,76.00 | 1,23.98 1,23.56 0.00 | 1,15.98 1,15.56 0.00 | 2,39.96 2,39.12 0.00 | | |
| | | समूह बीमा योजना (रा०यो०) | एन० ज०/य० अ०/वि०/य० | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.05 0.56 0.23 | 1.05 0.56 0.23 | | |
| | | मत्स्य पालकों के लिए आवासीय योजना (के०से०स्कीम) | एन० ज०/य० अ०/वि०/य० | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | | |
| | | जोड़ | | 7,27.80 | 4,87.80 | 12,15.60 | 0.00 | 6,34.20 | 4,25.40 | 10,59.60 | 2,47.54 | 2,33.38 | 4,80.92 | | |

**परिशिष्ट V - योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) - क्रमशः**

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना | लेखा के व्यय शीर्ष के अंतर्गत राज्य योजना | एन०/ज०उ० यो०/अ० जंगि० यो० | बजट उपबंध | | | 2019-20 | | | 2018-19 | | | | |
|-------------|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 2019-20 | | | व्यय | | | व्यय | | | | |
| | | | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियों | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियों | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ |
| 9 | अनुसूचित जातियों उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रारंभिकी छात्रवृत्ति (के०से०स्कीम) | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,01.03 | 0.00 | 26,01.03 | | |
| | | | ज०उ०यो० | 73,90.42 | 0.00 | 73,90.42 | 73,90.42 | 0.00 | 73,90.42 | 17,73.07 | 0.00 | 17,73.07 | | |
| | | | अ०ज०वि०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,01.49 | 0.00 | 0.00 | 1,73,72.49 | 0.00 | 0.00 | 15,71.48 | |
| | | | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,69.53 | 0.00 | 0.00 | 1,20,00.00 | 0.00 | 0.00 | 1,20,00.00 | |
| | | विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (के०से०स्कीम) | अ०ज०वि०यो० | 39,32.63 | 0.00 | 39,32.63 | 28,69.53 | 0.00 | 28,69.53 | 7,96.00 | 0.00 | 7,96.00 | | |
| | | जोड़ | | 1,13,23.05 | 0.00 | 1,13,23.05 | 62,01.49 | 1,02,59.95 | 0.00 | 1,02,59.95 | 1,73,72.49 | 0.00 | 1,87,41.58 | |
| 10 | विशिष्ट आदिम जनजाति वर्गों का विकास (पी०टी०जी०) | आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०) | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,43.75 | 0.00 | 20,43.75 | | |
| | | | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,43.75 | 0.00 | 20,43.75 | 0.00 | 26,46.00 |
| 11 | महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना | वन स्टेप सेंटर (के०से०स्कीम) प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस०टी०ई०पी०)60:40 (के०से०स्कीम) | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,95.00 | 0.00 | 0.00 | 11,19.81 | 0.00 | 0.00 | 35.35 | 20.58 |
| | | | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.93 |
| | | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,95.00 | 0.00 | 0.00 | 11,19.81 | 0.00 | 0.00 | 1,11.11 | 44.31 |
| | | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,95.00 | 0.00 | 0.00 | 11,19.81 | 0.00 | 0.00 | 64.89 | 2,11.35 | |
| 12 | सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन | सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के०से०स्कीम) | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | 25.18 | 71.66 | | |
| | | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 87.26 | 53.03 | 1,40.29 | |
| | | | अ०ज०वि०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 8.29 | 20.73 | | |
| | | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 | 1,46.18 | 86.50 | 2,32.68 | | | |

परिशिष्ट V - योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
 क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना | एन०/ज०/उ० यो०/अ० ज०वि० यो० | बजट उपबंध | | | | | | 2019-20 | | | 2018-19 | | | |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 2019-20 | | व्यय | | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | व्यय | | भारत सरकार से विमुक्तियाँ | व्यय | | | | |
| | | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार की अंशदान | | राज्य की अंशदान | जोड़ | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | | |
| 13 | महिलाओं का सशक्तिकरण तथा संरक्षण | एन० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र का संचालन (के०से०स्कीम) | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | स्वधर गृह योजना (के०से०स्कीम) | एन० | 20.24 | 13.49 | 33.73 | 61.87 | 20.24 | 13.49 | 33.73 | 1,76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०से०स्कीम) | अ०क०वि०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.76 |
| | जोड़ | | 20.24 | 13.49 | 33.73 | 61.87 | 20.24 | 13.49 | 33.73 | 1,76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00.76 |
| 14 | जल संसाधन सूचना सिस्टम का विकास | एन० | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| 15 | नेशनल कैरियर सर्विस | एन० | 50.10 | 0.00 | 50.10 | 97.35 | 50.10 | 0.00 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०उ०यो० | 85.10 | 0.00 | 85.10 | 97.35 | 85.10 | 0.00 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | | 1,35.20 | 0.00 | 1,35.20 | 97.35 | 1,35.20 | 0.00 | 1,35.20 | 0.00 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास | एन० | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ज०उ०यो० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | अन्य डी०एम० परियोजना (स्कूल सेप्टी सहित) | एन० | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| | जोड़ | | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |

परिशिष्ट V - योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम) - क्रमांत

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | भारत सरकार की योजना | एन०/ज०/अ० यो०/अ० ज०/अ० यो० | बजट उपबंध | | | | 2018-19 | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|-------|
| | | | 2019-20 | | 2019-20 | | 2018-19 | | व्यय | | | | | |
| | | | भारत सरकार की अंशदान | राज्य सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियों अंशदान | भारत सरकार की अंशदान | जोड़ | भारत सरकार से विमुक्तियों | भारत सरकार की अंशदान | राज्य की अंशदान | जोड़ | | |
| 18 | कृषि गणना तथा साख्यकी पर समेकित योजना | कृषि गणना (के०से० स्कीम) | एन | 395.34 | 0.00 | 395.34 | 469.80 | 395.35 | 0.00 | 395.35 | 13.50 | 21.76 | 0.00 | 21.76 |

वर्ष 2019-20 के लिए जनजातिय क्षेत्र उपयोगना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा साधारण के अंतर्गत सकल बजट प्रावधान एवं वास्तविकी व्यय नीचे दर्शाये गए हैं।

(₹ लाख में)

| प्रकृति | 2019-20 | | वास्तविक व्यय |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | एकल बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | |
| जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | 32,97,73.53 | 32,94,66.55 | |
| अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना | 11,04,29.17 | 10,87,04.92 | |
| साधारण | 62,53,59.44 | 62,20,36.51 | |

**परिशिष्ट - V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
ख-राज्य योजनागत योजनाएं
(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)**

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| | | | | | | | |
| मुख्य सड़कें | एन | | | 12,44,83.89 | 12,95,47.37 | 12,44,83.89 | 12,88,98.63 |
| | ज०उ०यो० | | | 16,51,10.22 | 14,47,32.26 | 16,51,18.64 | 14,44,16.68 |
| | जोड़ | | | 28,95,94.11 | 27,42,79.63 | 28,96,02.53 | 27,33,15.31 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण सड़कों का निर्माण | एन | | | 3,97,76.50 | 6,12,07.34 | 4,11,87.24 | 6,12,07.34 |
| | ज०उ०यो० | | | 5,87,61.94 | 7,19,92.81 | 5,85,76.77 | 7,15,80.71 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 90,68.48 | 85,63.46 | 80,02.12 | 76,97.50 |
| जोड़ | | | 10,76,06.92 | 14,17,63.61 | 10,77,66.13 | 14,04,85.55 | |
| झारखण्ड उर्जा संरक्षण निगम को सवितरण हेतु ऋण | एन | | | 27,70.00 | 4,67,28.16 | 27,70.00 | 4,67,28.16 |
| | ज०उ०यो० | | | 11,61.61 | 1,95,95.68 | 11,61.61 | 1,95,95.68 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 50,00.61 | 90,44.16 | 50,00.61 | 90,44.16 |
| जोड़ | | | 89,32.22 | 7,53,68.00 | 89,32.22 | 7,53,68.00 | |
| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत | एन | | | 0.00 | 2,92,00.00 | 0.00 | 2,92,00.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 2,00,00.00 | 4,02,00.00 | 2,00,00.00 | 4,02,00.00 |
| जे०एस०आर०आर०डी०ए० को अनुदान | | | | | | | |
| जोड़ | | | | 2,00,00.00 | 6,94,00.00 | 2,00,00.00 | 6,94,00.00 |
| अग्रता गृह सामग्री योजना | एन | | | 2,14,43.00 | 2,07,49.19 | 2,14,43.00 | 2,07,49.19 |
| | ज०उ०यो० | | | 2,36,35.95 | 2,15,85.83 | 2,36,35.95 | 2,15,85.83 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 67,51.69 | 50,28.77 | 67,51.69 | 50,28.77 |
| जोड़ | | | 5,18,30.64 | 4,73,63.79 | 5,18,30.64 | 4,73,63.79 | |

(₹ लाख में)

परिशिष्ट - V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः
(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| | | (₹ लाख में) | | | | | |
| ग्रामीण स्वच्छता (एन०बी०ए०) | एन | | | 0.00 | 3,21,25.04 | 0.00 | 2,15,06.52 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 63,33.92 | 0.00 | 44,81.57 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 85,12.80 | 0.00 | 71,58.68 |
| जोड़ | | | 0.00 | 4,69,71.76 | 0.00 | 3,31,46.77 | |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) | एन | | | 5,56,94.25 | 1,84,59.18 | 5,56,94.25 | 1,84,59.18 |
| | ज०उ०यो० | | | 4,16,77.69 | 1,85,80.61 | 4,16,77.69 | 1,85,80.61 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 54,98.65 | 0.00 | 54,98.65 |
| जोड़ | | | 9,73,71.94 | 4,25,38.44 | 9,73,71.94 | 4,25,38.44 | |
| ग्रामीण जलापूर्ति योजना पाइपों से | एन | | | 1,81,52.86 | 1,33,65.62 | 2,02,81.45 | 1,33,65.62 |
| | ज०उ०यो० | | | 1,89,87.29 | 1,60,62.91 | 1,79,85.90 | 1,60,62.42 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 1,18,99.26 | 77,36.18 | 1,07,52.10 | 77,36.18 |
| जोड़ | | | 4,90,39.41 | 3,71,64.71 | 4,90,19.45 | 3,71,64.22 | |
| सलाह एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) जे०एस०ई०बी० के उत्तराधिकारी कम्पनी को सहायता के लिए अनुदान | ज०उ०यो० | | | 3,50,00.00 | 3,69,00.00 | 3,50,00.00 | 3,69,00.00 |
| | बी०ओ०टी० वार्षिक भुगतान परियोजना | | | 3,87,96.41 | 3,58,13.88 | 3,88,22.49 | 3,58,13.88 |
| | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) | | | 2,00,00.00 | 1,52,21.95 | 2,00,00.00 | 1,52,21.95 |
| जोड़ | | | 4,44,08.67 | 3,32,21.95 | 4,44,08.67 | 3,32,21.95 | |

परिशिष्ट - V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः
(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|--|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| विधानसभा योजना | एन० | | | 1,34,18.34 | 1,34,24.18 | 1,34,18.34 | 1,34,24.18 |
| | ज०उ०यो० | | | 1,51,90.25 | 1,55,34.09 | 1,51,90.25 | 1,55,34.09 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 38,88.00 | 39,36.00 | 38,88.00 | 39,36.00 |
| सेतु | जोड़ | | | 3,24,96.59 | 3,28,94.27 | 3,24,96.59 | 3,28,94.27 |
| | एन० | | | 58,72.92 | 1,20,23.39 | 55,76.45 | 1,05,73.40 |
| शहरी भूमि प्रबंधन तथा अधिग्रहण के लिए सहायता अनुदान | ज०उ०यो० | | | 1,24,95.91 | 1,94,79.49 | 1,21,40.26 | 1,63,58.42 |
| | जोड़ | | | 1,83,68.83 | 3,15,02.88 | 1,77,16.71 | 2,69,31.82 |
| जोड़ | एन० | | | 15,00.00 | 35,00.00 | 15,00.00 | 35,00.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 93,50.75 | 2,65,00.00 | 93,50.75 | 2,65,00.00 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 3,00.00 | 0.00 | 3,00.00 | 0.00 |
| परिवार तथा बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण के लिए विशेष योजना | जोड़ | | | 1,11,50.75 | 3,00,00.00 | 1,11,50.75 | 3,00,00.00 |
| | एन० | | | 1,29,38.13 | 1,31,16.56 | 1,29,38.13 | 1,31,16.56 |
| | ज०उ०यो० | | | 90,47.41 | 1,18,02.16 | 90,47.41 | 1,18,02.16 |
| यूनाइटेड फण्ड फॉर स्टेट प्लान | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 29,28.77 | 0.00 | 29,28.77 |
| | जोड़ | | | 2,19,85.54 | 2,78,47.49 | 2,19,85.54 | 2,78,47.49 |
| | एन० | | | 65,00.00 | 1,29,48.98 | 65,00.00 | 1,29,26.07 |
| बंजर तथा परती भूमि का विकास | ज०उ०यो० | | | 64,97.45 | 1,29,99.87 | 64,97.45 | 1,29,84.07 |
| | जोड़ | | | 1,29,97.45 | 2,59,48.85 | 1,29,97.45 | 2,59,10.14 |
| जोड़ | एन० | | | 18,73.00 | 81,11.99 | 18,73.00 | 81,11.99 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 1,48,36.10 | 0.00 | 1,48,36.10 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 5,61.16 | 23,35.00 | 5,61.16 | 23,35.00 |
| जोड़ | | | 24,34.16 | 2,52,83.09 | 24,34.16 | 2,52,83.09 | |

परिशिष्ट - V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः

ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः

(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना | एन० | | | 1,74,58.30 | 85,37.37 | 1,74,58.30 | 85,37.37 |
| | ज०उ०यो० | | | 1,95,49.16 | 90,71.43 | 1,95,49.16 | 90,71.43 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 58,21.54 | 27,74.28 | 58,21.54 | 27,74.28 |
| जोड़ | | | 4,28,29.00 | 2,03,83.08 | 4,28,29.00 | 2,03,83.08 | |
| कार्यालय भवन/परिसदन | एन० | | | 0.00 | 67,60.66 | 8.51 | 67,08.37 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 1,29,26.71 | 0.00 | 1,29,26.66 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 1,96,87.37 | 8.51 | 1,96,35.03 |
| जोड़ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| सर्व शिक्षा अभियान | एन० | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 1,26,67.84 | 0.00 | 1,26,67.84 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 66,25.30 | 0.00 | 66,25.30 |
| जोड़ | | | 0.00 | 1,92,93.14 | 0.00 | 1,92,93.14 | |
| ब्लॉक भवन-मुख्य निर्माण कार्य | एन० | | | 53,26.36 | 1,09,53.29 | 53,26.36 | 1,09,53.29 |
| | ज०उ०यो० | | | 35,81.25 | 80,74.36 | 37,00.17 | 80,96.04 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 89,07.61 | 1,90,27.65 | 90,26.53 | 1,90,49.33 |
| जोड़ | | | 1.86 | 82,35.77 | 1.86 | 82,35.77 | |
| राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट | एन० | | | 7.39 | 61,06.33 | 7.39 | 61,06.33 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.19 | 24,50.36 | 0.19 | 24,50.36 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 9.44 | 1,67,92.46 | 9.44 | 1,67,92.46 |
| जोड़ | | | 2,91.24 | 48,85.84 | 2,95.22 | 48,85.84 | |
| चालू लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण | एन० | | | 4,50.61 | 95,89.71 | 5,01.12 | 95,86.23 |
| | ज०उ०यो० | | | 7,41.85 | 1,44,75.55 | 7,96.34 | 1,44,72.07 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | | | | |
| जोड़ | | | | | | | |

परिशिष्ट -V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः
ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः
(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढिकरण हेतु जेईपीसी की सहायता अनुदान | एन० | | | 37,21.43 | 45,00.00 | 37,21.43 | 45,00.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 22,74.20 | 60,00.00 | 22,74.20 | 60,00.00 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 8,95.90 | 20,00.00 | 8,95.90 | 20,00.00 |
| जोड़ | | | 68,91.53 | 1,25,00.00 | 68,91.53 | 1,25,00.00 | |
| झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को आर्थिक विकास के लिए उधार | एन० | | | 0.00 | 56,86.64 | 0.00 | 56,86.64 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 23,84.72 | 0.00 | 23,84.72 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 11,00.64 | 0.00 | 11,00.64 |
| जोड़ | | | 0.00 | 91,72.00 | 0.00 | 91,72.00 | |
| प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति | एन० | | | 76,00.21 | 69,60.98 | 76,00.21 | 65,07.75 |
| | ज०उ०यो० | | | 14,30.53 | 7,46.31 | 14,30.53 | 6,19.07 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 22,14.43 | 11,26.60 | 22,14.43 | 9,76.93 |
| जोड़ | | | 1,12,45.17 | 88,33.89 | 1,12,45.17 | 81,03.75 | |
| स्वर्णरेखा परियोजना | एन० | | | 0.00 | 74,68.68 | 0.00 | 74,68.68 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.61 |
| जोड़ | | | 0.00 | 74,68.68 | 0.00 | 75,54.29 | |
| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | एन० | | | 0.00 | 5,72.69 | 0.00 | 5,72.69 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 4,68.22 | 0.00 | 4,68.22 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 1,73.03 | 0.00 | 1,73.03 |
| जोड़ | | | 0.00 | 12,13.94 | 0.00 | 12,13.94 | |
| इंदिरा आवास योजना-सामान्य योजना (प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना) | एन० | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,42,65.90 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट - V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः

ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः

(व्यय के अवरोहित क्रम में 31 मुख्य योजनाओं का योजनावार व्यय)

(₹ लाख में)

| राज्य योजना | साधारण, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना | योजना उद्व्यय | | बजट उपबंध | | व्यय | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 |
| जोड़ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,42,65.90 |
| मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना | एन० | | | 1,91,09.81 | 0.00 | 1,94,83.82 | 0.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 2,31,13.97 | 0.00 | 2,40,67.57 | 0.00 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 13,49.31 | 0.00 | 4,64.70 | 0.00 |
| जोड़ | | | | 4,35,73.09 | 0.00 | 4,40,16.09 | 0.00 |
| झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना | एन० | | | 60,16.40 | 0.00 | 60,16.40 | 0.00 |
| | ज०उ०यो० | | | 36,76.69 | 0.00 | 36,76.69 | 0.00 |
| | अ०ज०वि०यो० | | | 14,48.39 | 0.00 | 14,48.39 | 0.00 |
| जोड़ | | | | 1,11,41.48 | 0.00 | 1,11,41.48 | 0.00 |
| कुल जोड़ | | | | 96,73,52.81 | 1,16,31,10.11 | 96,74,99.36 | 1,15,60,19.71 |

परिशिष्ट -V योजनागत योजना पर व्यय - क्रमशः

ख- राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमशः

राज्य के समेकित निधि से प्राप्त निधि में से, 2018-19 तथा 2019-20 में यथाक्रम ₹ 2,69,69,08.25 लाख एवं ₹ 2,69,69,96.75 लाख, झारखण्ड सरकार ने राज्य योजना में व्यय किये हैं, यद्यपि कुछ विशेष योजनाओं के लिए राज्य के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य योजना में भारत सरकार ने भी अनुदानों को विमुक्ति किये हैं, ब्योरा निम्न में दर्शाये गये हैं :-

| क्र.सं. | योजना का नाम | विमुक्तियाँ (₹ लाख में) |
|---------|---|----------------------------|
| | राज्य योजना अनुदानों की ब्योरा :- | |
| | विभिन्न रूपों में प्राप्त बाह्य सहायता के विरूद्ध अनुदान | 0.00 |
| | एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान | 0.00 |
| | राज्य योजना के लिए अन्य अनुदान¹ | |
| 1 | प्रधानमंत्री आवास योजना (पुराना नाम - इंदिरा आवास योजना) | 15,73,19.81 |
| 2 | प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) | 2,14,40.69 |
| 3 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (एमजीएनआरईजीए) | 3,30,68.96 |
| 4 | आईसीडीएस/आंगनवाड़ी सेवाएँ | 4,33,55.99 |
| 5 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 8,15,72.20 |
| 6 | स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) | 1,77.00 |
| 7 | प्राथमिक शिक्षा की पौष्टिक सपोर्ट का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) | 3,23,10.90 |
| 8 | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम | 2,02,63.73 |
| 9 | स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन | 1,80,40.00 |
| 10 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) | 3,05,76.77 |
| 11 | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम | 50,14.09 |
| 12 | बागवानी का समेकित विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) | 10,00.00 |
| 13 | जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता | 62,01.49 |
| 14 | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) | 2,91,19.11 |
| 15 | केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजना | 56,13.00 |

¹ऊपर दर्शायी गई राशि राज्य सरकार की विमुक्ति के रूप में दिखाई गयी है जैसा की पीएफएमएस पोर्टल में समाविष्ट है। यद्यपि "1601" के अंतर्गत राज्य योजनागत के लिए किसी विशिष्ट उप शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार विमुक्ति नहीं मिलने के कारण उसका पुनर्मिलान नहीं किये जा सकता।

परिशिष्ट -V योजनागत पर व्यय - क्रमांत
ख-राज्य योजनागत योजनाएं - क्रमांत

| राज्य योजना अनुदानों की ब्योरा :- | | (रु लाख में) |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| क्र.सं. | योजना का नाम | विमुक्तियाँ |
| 16 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 25,89.29 |
| 17 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 48,44.00 |
| 18 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलविभाजन) | 22,97.00 |
| 19 | स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) | 1,77.00 |
| 20 | कृषि प्रसार पर सब मिशन | 21,42.95 |
| 21 | समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) | 18,45.80 |
| 22 | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.एन.यू.एल.एम.) | 16,27.50 |
| 23 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 22,97.00 |
| 24 | पी.एम.ए.वाई. (शहरी) के तहत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों का अनुदान | 74,13.25 |
| 25 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | 1,514.49 |
| 26 | व्यय जीवन पर्यावासी का समेकित विकास (पुनर्निर्माण) | 93.96 |
| जोड़ | | 51,19,15.98 |

परिशिष्ट - VI राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण

(राज्य बजट से बाह्य निधियाँ) (अअकोक्षित आँकड़े)
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (XI) से संदर्भित)

(₹ लाख में)

| भारत सरकार की योजनाएँ | क्रियान्वित करनेवाले अभिकरणों | भारत सरकार की विमुक्तियाँ | | |
|--|--|---------------------------|------------|----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| सांसदों के स्थानीय विकास योजना एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰ | उपायुक्त / जिला दंडाधिकारी | 82,50.00 | 1,00,00.00 | 82,50.00 |
| संरचना विकास और निर्माण क्षमता | इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर | 32,50.92 | 22,91.99 | 20,22.50 |
| राष्ट्रीय एड्स तथा एस्॰टी॰डी॰ रोकथाम कार्यक्रम (एन॰ए॰सी॰ओ॰) | झारखण्ड राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी | 22,73.01 | 15,48.28 | 10,21.09 |
| पैर और मुंह रोग और ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम | पशु तथा भैंस विकास के लिए झारखण्ड राज्य के क्रियान्वित करनेवाले अभिकरण | 15,00.51 | 0.00 | 0.00 |
| इलेक्ट्रॉनिक आई॰टी॰ विनिर्माण का प्रोत्साहन (एस॰आई॰पी॰एस॰, इ॰डी॰एस॰ एवं विनिर्माण क्लस्टर) | आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर लिमिटेड | 12,44.40 | 8,29.60 | 0.00 |
| आफग्रीड नवीकरणीय उर्जा | झारखण्ड नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी | 8,54.78 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि विपणन | झारखण्ड राज्य कृषि विपणन बोर्ड | 7,60.00 | 0.00 | 0.00 |
| ई-कोर्ट मोज-II | महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय | 5,53.42 | 4,53.33 | 0.00 |
| पेट्रोकेमिकल्स का प्रोत्साहन | झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड | 4,73.30 | 2,00.00 | 0.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर, शाखा) | 4,73.11 | 9,91.20 | 3,81.05 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | झारखण्ड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाईटी | 4,05.03 | 6,60.18 | 18,63.51 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | रामकृष्ण मिशन यक्ष्मा सेनोटोरियम राँची, झारखण्ड | 3,11.89 | 1,53.74 | 2,59.32 |
| अधिप्राप्ति और विपणन सहायता योजना | मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड | 2,46.30 | 0.00 | 0.00 |
| ग्रीड पारस्परिक प्रभावकारी नवीकरणीय उर्जा | झारखण्ड नवीकरणीय उर्जा विकास एजेन्सी | 2,29.50 | 0.00 | 5,55.04 |
| राष्ट्रीय सेवा योजना | झारखण्ड राज्य एन॰एस॰एस॰ कोष | 2,09.73 | 0.00 | 1,97.72 |
| सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल | दृश्य ज्ञान तथा प्रबंधन सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड | 2,08.13 | 0.00 | 81.14 |
| आई॰एच॰एम॰एस॰एफ॰सी॰आई॰एस॰ इत्यादि को सहायता | खाद्य शिल्प संस्थान (झारखण्ड) राँची | 1,58.09 | 1,41.91 | 0.00 |
| स्वास्थ्य क्षेत्र की आपदा की तैयारी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास | राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची, झारखण्ड | 1,50.00 | 1,00.00 | 0.00 |

परिशिष्ट - VI राज्य में क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण - क्रमशः
(राज्य बजट से बाह्य निधियाँ) (अअर्कोक्षित आँकड़े)
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (XI) से संदर्भित)

| भारत सरकार की योजनाएँ | क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों | भारत सरकार की विमुक्तियाँ | | |
|---|--|---------------------------|---------|---------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| स्वास्थ्य क्षेत्र की आपदा की तैयारी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास | पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद | 1,40.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्वास्थ्य क्षेत्र की आपदा की तैयारी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास | प्राचार्य, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर | 1,40.00 | 1,48.54 | 72.88 |
| पदोन्नति सेवा संस्थान और कार्यक्रम | झारखण्ड सरकार मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, राँची | 1,28.54 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्वयंसेवी एजेन्सी को सहायक अनुदान सहित एवं बंधुआ मजदूर को सहायता की प्रतिपूर्ति | बाल श्रमिक पुनस्थापना सोसाईटी, राँची | 1,22.24 | 0.00 | 80.61 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारत सेवाश्रम संघ (दुमका शाखा) | 1,03.44 | 2,00.04 | 72.92 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारत सेवाश्रम संघ | 68.96 | 1,07.71 | 53.90 |
| एग्जेंसिप एवं प्रशिक्षण | पी०आई०ए० टाटा स्टील लिमिटेड (जमशेदपुर) | 59.24 | 1,33.73 | 0.00 |
| नई मंजिल-एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | दृश्य ज्ञान तथा प्रबंधन सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड | 58.34 | 2,56.62 | 3,44.02 |
| नई मंजिल-एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | निष्ठा (अल्पसंख्यक मंत्रालय) | 56.82 | 0.00 | 61.86 |
| नई मंजिल-एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | सेजल एजुकेशन एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा० लि० | 55.54 | 0.00 | 70.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारत सेवाश्रम संघ (राँची शाखा) | 51.58 | 52.36 | 0.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची, झारखण्ड | 42.56 | 0.00 | 1,30.02 |
| कौशल विकास | जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग | 41.44 | 0.00 | 0.00 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची | 39.40 | 0.00 | 0.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारत सेवाश्रम संघ, बरजुरी शाखा | 39.38 | 45.46 | 85.34 |

परिशिष्ट - VI राज्य में क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण - क्रमशः
(राज्य बजट से बाह्य निधियाँ) (अअकोक्षित आँकड़े)
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (XI) से संदर्भित)

| भारत सरकार की योजनाएँ | क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों | भारत सरकार की विमुक्तियाँ | | |
|--|--|---------------------------|----------|----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| कौशल विकास पहल | जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र | 35.21 | 0.00 | 0.00 |
| अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन | बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची | 34.89 | 0.00 | 0.00 |
| राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, स्वयंसेवी एजेन्सी को सहायक अनुदान सहित एवं बंधुआ मजदूर को सहायता की प्रतिपूर्ति | बाल श्रमिक परियोजना सोसाइटी, हजारीबाग | 33.75 | 0.00 | 52.22 |
| कौशल विकास | जन शिक्षण संस्थान, राँची | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
| कौशल विकास | जन शिक्षण संस्थान, बोकारो | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान | भारतीय आदिम जाति सेवक संघ लुमबई, झारखण्ड | 31.35 | 36.13 | 0.00 |
| राष्ट्रीय गोकुल मिशन | पशु तथा भैंस विकास के लिए झारखण्ड राज्य के क्रियान्वित करनेवाले अधिकरण | 0.00 | 32,87.36 | 1,57.73 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम०एन०आर०ई०जी०ए०) | झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद | 0.00 | 16,40.76 | 22,87.69 |
| डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी०आई०एल०आर०एम०पी०) | झारखण्ड भूमि सुधार सोसाइटी | 0.00 | 11,40.00 | 2,50.00 |
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा | 0.00 | 10,56.37 | 50,86.14 |
| पी०डी०एस० के अंतर्गत चीनी सब्सिडी का भुगतान | झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम | 0.00 | 9,85.65 | 0.00 |
| वन स्टॉप सेंटर | उपायुक्त/जिला दंडाधिकारी | 0.00 | 7,04.37 | 0.00 |
| उद्यमिता का विकास | एक्स०एल०आर०आई०-जेवियर प्रबंधन संस्थान, जमशेदपुर | 0.00 | 4,46.00 | 0.00 |
| नर्सिंग सेवाओं का विकास | एम०जी०एम० अस्पताल जमशेदपुर, झारखण्ड | 0.00 | 4,04.00 | 0.00 |
| कार्यक्रम के बदले जिला प्लान प्रक्रम का आर०डी० कार्यक्रम तथा सशक्तिकरण के लिए प्रवर्धन सहायता | एस०आर०आई०डी० हेहल, राँची, झारखण्ड | 0.00 | 3,50.00 | 68.00 |
| आई०एच०एम०एस०एफ०सी०आई०एस० इत्यादि को सहायता | होटल प्रबंधन संस्थान, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एवं ऐपलायड न्यूट्रीशन (झारखण्ड) सोसाइटी | 0.00 | 2,00.00 | 0.00 |

परिशिष्ट - VI राज्य में क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण - क्रमशः
(राज्य बजट से बाह्य निधियों) (अअकॉक्षित ऑकडे)
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (XI) से संदर्भित)

| भारत सरकार की योजनाएँ | क्रियान्वित करनेवाले अधिकरणों | भारत सरकार की विमुक्तियाँ | | |
|--|---|---------------------------|---------|----------|
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| सौर उर्जा ऑफग्रीड | वनांचल ग्रामीण बैंक | 0.00 | 99.18 | 0.00 |
| एन०सी०डी०सी० का मौजूदा शाखाओं एवं स्थापना का 27 शाखाओं का सुदृढीकरण | राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, राँची, झारखण्ड | 0.00 | 96.35 | 0.00 |
| नई मॉडल-कौशल विकास पहल | नई दिशा (अल्पसंख्यक मंत्रालय) | 0.00 | 70.00 | 1,31.64 |
| रोड विंग का कार्य | आयोलिजा कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड | 0.00 | 57.82 | 91.02 |
| प्रवासी एवं रिपैट्रीएट के लिए सहायता एवं पुनर्वासि | ए०डी०एस०एस०, सिमडेगा | 0.00 | 50.40 | 0.00 |
| पर्यावरण सूचना प्रणाली | कार्य योजना एवं अनुसंधान परिषद | 0.00 | 50.18 | 0.00 |
| ए०एस०पी०आई०आर०इ० (नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना) | गवर्मेन्ट टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दुमका | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| ए०एस०पी०आई०आर०इ० (नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना) | झारखण्ड सरकार मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, राँची | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| अल्पसंख्यक एम०ए० के लिए निःशुल्क कोचिंग तथा संयुक्त योजना | एस०जी०आर०एस० एकैडेमिक प्राइवेट लिमिटेड | 0.00 | 46.80 | 52.20 |
| प्रवासी एवं रिपैट्रीएट के लिए सहायता एवं पुनर्वासि | ए०आई०एम०, राँची | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
| बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | उपायुक्त, कोडरमा | 0.00 | 40.82 | 0.00 |
| विकलांग व्यक्तियों के कार्याव्ययन से उत्पन्न योजनाएँ (समान अवसर, अधिकारों का रक्षा एवं सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 | झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी | 0.00 | 38.10 | 0.00 |
| क्षमता संवर्धन : पंचायत सशक्तिकरण अभियान | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान | 0.00 | 0.00 | 47,16.00 |
| सर्मेकित हैडलुम कलस्टर विकास कार्यक्रम-हैडलुम मेगा कलस्टर | झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैण्डिक्राफ्ट डेवलपमेंट निगम लि०, राँची | 0.00 | 0.00 | 3,70.10 |
| स्वास्थ्य शोध के संवर्धन के लिए संरचना का विकास | राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, राँची, झारखण्ड | 0.00 | 0.00 | 1,26.08 |
| नर्सिंग सेवाओं का विकास | पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद | 0.00 | 0.00 | 1,00.00 |

परिशिष्ट - VI राज्य में क्रियान्वित करनेवाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण - क्रमांत

(राज्य बजट से बाह्य निधियाँ) (अअकॉक्षित आँकड़े)
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 3 (XI) से संदर्भित)

| | | (₹ लाख में) | |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| भारत सरकार की योजनाएँ | क्रियान्वित करनेवाले अभिकरणों | भारत सरकार की विमुक्तियाँ | |
| | | 2019-20 | 2017-18 |
| सी०आर०एफ० से राज्य इ एवं आई को सहायता | मिनी कंस्ट्रक्शन | 0.00 | 18,83.05 |
| राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, स्वयंसेवी एजेन्सी को सहायक अनुदान सहित एवं बंधुआ मजदूर को सहायता की प्रतिपूर्ति | बाल श्रमिक परियोजना सोसाईटी, पाकुड़ | 0.00 | 69.41 |
| राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, स्वयंसेवी एजेन्सी को सहायक अनुदान सहित एवं बंधुआ मजदूर को सहायता की प्रतिपूर्ति | जिला बाल श्रम उन्मुलन सोसाईटी, दुमका | 0.00 | 46.36 |
| अनुसूचित जनजाति तथा छात्रवृत्ति के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षावृत्ति तथा छात्रवृत्ति | बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची | 0.00 | 31.52 |
| राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना | जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार | 0.00 | 2,66.00 |
| नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग (एस०ए०एम०पी०डी०ए०) | राँची नगर निगम | 0.00 | 1,72.92 |
| सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल | विश्वविद्यालयों का अखिल भारतीय विश्व संघ | 0.00 | 49.54 |
| अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा योजना | बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची | 0.00 | 30.93 |
| अन्य योजनाओं जिसकी प्रत्येक की विमुक्ति ₹ 30.00 लाख से कम है | अन्य क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों | 6,71.95 | 11,62.14 |
| जोड़ | | 2,35,71.27 | 3,04,19.12 |
| | | | 3,22,36.15 |

¹ महालेखा नियंत्रक के "सेन्ट्रल प्लान स्कीम मोनिटरिंग सिस्टम (सी०पी०एस०एम०एस०)" पोर्टल से आँकड़ों को लिया गया है ये आँकड़े अअकॉक्षित है।

² इस परिशिष्ट में दिखाई गई विमुक्तियों में पंजीकृत सोसाईटी (सरकारी स्वायत्त निकाय, गैर सरकारी संगठन), सार्वधिक निकाय, निजी संस्थाएँ और स्थानीय निकाय शामिल है।

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके ब्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|---|---|--|--|
| 1 | 6215-जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज रौंची नगर निगम को कर्ज | 5 7 12 5 7 2 16 93 125 234 120 146 175 5 2 4 5 5 | 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 | 11,86.99 2,32.64 10,50.40 1,56.78 3,03.23 1,34.76 2,97.64 8,40.87 16,25.40 29,15.12 40,97.37 43,25.93 30,16.42 7.92 33.85 1,11.43 2,37.20 77.52 |
| | स्थानीय निकायों को कर्ज | | | |
| | धनबाद नगर निगम को कर्ज | | | |
| 2 | 6216 - आवास के लिए कर्ज झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को कर्ज | 1 1 1 2 523 | 2005-06 2007-08 2008-09 2009-10 | 2,10.00 1,20.00 1,20.00 3,00.00 |

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमशः
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके व्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 1 | 2010-11 | 2,20.00 |
| | | 1 | 2011-12 | 1,00.00 |
| | | 3 | 2012-13 | 2,00.00 |
| | | 2 | 2013-14 | 6,00.00 |
| | | 3 | 2014-15 | 6,00.00 |
| | | 3 | 2015-16 | 23,50.00 |
| | | 3 | 2016-17 | 25,50.00 |
| | | 1 | 2017-18 | 2,00.00 |
| 3 | 6217 - शहरी विकास के लिए कर्ज राँची नगर निगम को कर्ज | 1 | 2003-04 | 2,26.96 |
| | | 3 | 2004-05 | 2,34.08 |
| | | 6 | 2005-06 | 4,50.32 |
| | | 4 | 2006-07 | 3,42.60 |
| | | 5 | 2007-08 | 4,31.02 |
| | | 3 | 2008-09 | 3,46.23 |
| | | 16 | 2009-10 | 6,52.22 |
| | | 3 | 2010-11 | 3,92.15 |
| | | 1 | 2011-12 | 4,04.15 |
| | | 2 | 2012-13 | 5,26.04 |
| | | 1 | 2013-14 | 4,77.97 |
| | | 1 | 2014-15 | 4,54.99 |
| | | 2 | 2015-16 | 6,00.34 |
| | | 1 | 2016-17 | 6,32.83 |
| | | 1 | 2017-18 | 6,14.60 |

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमशः
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके व्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 3 | 6217 - शहरी विकास के लिए कर्ज-क्रमांत देवघर नगर निगम को कर्ज | 1 | 2013-14 | 1,30.26 |
| | | 1 | 2014-15 | 1,28.83 |
| | | 2 | 2015-16 | 2,19.74 |
| | | 1 | 2016-17 | 1,85.71 |
| | | 2 | 2017-18 | 4,12.14 |
| | | 42 | 2003-04 | 7,73.03 |
| | | 74 | 2004-05 | 7,85.23 |
| | | 129 | 2005-06 | 32,13.92 |
| | | 44 | 2006-07 | 7,32.72 |
| | | 103 | 2007-08 | 16,90.06 |
| | | 127 | 2008-09 | 17,39.08 |
| | | 7 | 2009-10 | 8.16 |
| | | 64 | 2010-11 | 7,23.29 |
| | | 28 | 2011-12 | 5,83.93 |
| | | 54 | 2012-13 | 9,05.60 |
| | | 26 | 2013-14 | 7,04.02 |
| | | 27 | 2014-15 | 6,83.95 |
| | | 45 | 2015-16 | 8,92.65 |
| | | 32 | 2016-17 | 11,01.16 |
| | | | 2017-18 | 17,14.99 |
| | | 5 | 2006-07 | 36.32 |
| | | 7 | 2007-08 | 2,08.41 |
| | | 8 | 2008-09 | 3,99.69 |
| | | 9 | 2009-10 | 2,98.71 |
| | | 525 | | |

धनबाद नगर निगम को कर्ज

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमशः
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके व्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 3 | 2010-11 | 1,52.67 |
| | | 1 | 2011-12 | 1,52.67 |
| | | 2 | 2012-13 | 2,18.21 |
| | | 1 | 2013-14 | 1,31.33 |
| | | 1 | 2014-15 | 1,31.33 |
| | | 2 | 2015-16 | 1,97.71 |
| | | 1 | 2016-17 | 2,12.57 |
| | | 1 | 2017-18 | 2,22.88 |
| | चास नगर निगम को कर्ज | 2 | 2015-16 | 5.90 |
| | | 1 | 2016-17 | 5.02 |
| | | 1 | 2017-18 | 5.01 |
| 4 | 6425 - सहाकारिता के लिए कर्ज रजिस्ट्रार सहाकारी समिति को कर्ज | 2 | 2005-06 | 3,69.58 |
| | | 3 | 2006-07 | 3,85.13 |
| | | 1 | 2008-09 | 5.00 |
| | | 5 | 2009-10 | 5,00.00 |
| | | 9 | 2010-11 | 4,10.00 |
| | | 9 | 2011-12 | 19,94.54 |
| | | 6 | 2013-14 | 10,65.00 |
| | | 3 | 2014-15 | 4,29.70 |
| | | 2 | 2015-16 | 8,85.20 |
| | | 2 | 2016-17 | 3,90.89 |
| | | 47 | 2017-18 | 19.77 |

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमशः
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके व्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 5 | 6515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज जिला परिषद को कर्ज | 18 | 2001-02 | 1,46.64 |
| | | 18 | 2002-03 | 1,50.00 |
| | | 18 | 2004-05 | 55.14 |
| | | 15 | 2005-06 | 72.37 |
| | | 14 | 2006-07 | 72.25 |
| | | 7 | 2007-08 | 29.83 |
| | | 9 | 2008-09 | 38.45 |
| | | 26 | 2009-10 | 1,47.83 |
| | | 19 | 2010-11 | 15,17.65 |
| | | 20 | 2011-12 | 17,02.99 |
| | | 20 | 2012-13 | 1,87.50 |
| | | 23 | 2013-14 | 2,19.67 |
| | | 20 | 2014-15 | 3,50.76 |
| | | 24 | 2015-16 | 2,97.39 |
| | | 23 | 2016-17 | 2,62.89 |
| | | 20 | 2017-18 | 3,51.34 |
| 6 | 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कर्ज | 6 | 2001-02 | 3,05,80.00 |
| | | 6 | 2002-03 | 1,91,00.00 |
| | | 7 | 2003-04 | 78,58.50 |
| | | 7 | 2004-05 | 3,00,76.00 |

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमशः
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)

1. शेषों की स्वीकृति

कर्जों से संबंधित काफी बड़ी राशि वाले शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति में हुए विलम्ब के उदाहरण, जिसके व्योरेवार लेखे महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।
(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | लेखा शीर्ष एवं संस्था का नाम | वांछित स्वीकृतियों के संख्या | पूर्ववर्ती वर्ष जहां से स्वीकृति अपेक्षित है | 31 मार्च 2020 को उक्त मदों का शेष |
|-------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 9 | 2005-06 | 3,35,26.00 |
| | | 8 | 2006-07 | 1,14,00.00 |
| | | 7 | 2007-08 | 4,57,00.00 |
| | | 7 | 2008-09 | 3,00,00.00 |
| | | 13 | 2009-10 | 5,12,00.45 |
| | | 18 | 2010-11 | 2,75,43.88 |
| | | 9 | 2011-12 | 1,64,94.69 |
| | | 19 | 2012-13 | 5,41,69.82 |
| | | 9 | 2013-14 | 1,75,34.48 |
| | | 1 | 2015-16 | 50,00.00 |
| | झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड को कर्ज | 1 | 2014-15 | 99,56.15 |
| | झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज | 1 | 2015-16 | 5,01,56.00 |
| | | 14 | 2016-17 | 5,69,92.00 |
| | | 3 | 2017-18 | 6,81,64.00 |
| | झारखण्ड उर्जा संरचना निगम लिमिटेड को कर्ज | 1 | 2014-15 | 6,79,48.25 |
| | | 1 | 2015-16 | 68,23,85.79 |
| | | 79 | 2016-17 | 6,58,59.00 |
| | | 75 | 2017-18 | 10,79,03.10 |
| 7 | 6885 - उद्योग तथा खनिज को अन्य कर्ज बिहार स्पंज आयन लिमिटेड, चाडिल को कर्ज बंद एवं रून औद्योगिक इकाईयों को आकस्मिक ऋण के लिए कर्ज | 1 | 2004-05 | 32,50.00 |
| | | 2 | 2006-07 | 4,75.00 |
| | जोड़ | | | 1,55,43,90.83 |

परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान - क्रमांत
(जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
2. लेजर एवं ब्रॉडशीट के बीच असमाशोधित भिन्नताएँ

शेषों के समाधान में विभागीय/खजाना अधिकारियों से प्रतीक्षित ब्यौरे/ सूचना का विवरण

(₹ लाख में)

| लेखा शीर्ष | पूर्व वर्ष जिससे अन्तर की राशि सम्बद्ध है | अन्तर की राशि | विभागीय/खजाना अधिकारियों जिनके साथ भिन्नताएँ समाधान के अधीन है | प्रतीक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों का विवरण |
|------------|---|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

समाधान विचारधीन है (अगस्त 2020)।

परिशिष्ट VIII - सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(i) - सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

(र लाख में)

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (बजट प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (पुनरीक्षित प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति | | | वर्ष 2019-20 के दौरान परिव्यय या छोड़े गये राजस्व | | वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12) | वर्ष 2019-20 के दौरान कार्य चालन व्यय तथा रखरखाव प्रभार | | व्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | | व्याज देने के बाद निगम हानि या लाभ | | | |
|----------|-------------------------------|---|------------|--|------------|---------------------------------------|-----|------------------|---|-----|---|---|------------|-----------------------------|------|-------|------------------------------------|----------|-------|---------|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष राजस्व | अप्रत्यक्ष प्राप्ति | कुल | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | स्वपरिखा बहुउद्देशीय परियोजना | 8,67,60.00 | | 8,67,60.00 | 6,73,47.00 | 6,73,47.00 | | | | | | | 4,15,15.02 | 0.00 | 0.58 | 13.38 | 65,34.73 | 13,27.14 | 86.77 | 3,08.68 |
| 2 | राईसे जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | सुरू जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | अमरनाथ बराज योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | पुनासी जलाशय योजना | 3,30,00.00 | | 3,30,00.00 | 2,90,00.00 | 2,90,00.00 | | | | | | | 66,57.94 | 0.00 | 0.58 | 13.38 | 65,34.73 | 13,27.14 | 86.77 | 3,08.68 |
| 6 | कोनार सिंचाई योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | उत्तरी कोयल जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**परिशिष्ट VIII - सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम - क्रमशः
(i) - सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम**

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (बजट प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय (पुनरीक्षित प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति | | वर्ष 2019-20 के दौरान परित्यक्त राजस्व छोड़े गये राजस्व | वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12) | | वर्ष 2019-20 के दौरान कार्य चालन व्यय तथा रखरखाव प्रभार | | ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | | ब्याज देने के बाद निगम हानि या लाभ | | | | |
|----------|--|---|------------|---|-----------|---------------------------------------|-----|---|---|------------|---|------|---|------------------------------------|--|--|----|----|----|----|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | व्यय | 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | व्यय से राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व से व्यय की अधिकता (-) | वर्ष 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | दोमनी नाला जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 10 | डाहरबाटी जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 11 | तिलैया सिंचाई योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 12 | बधाई जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 20,67.98 | | 20,67.98 | | | | | |
| 13 | सी०ए०डी०एम० डब्ल्यू०मयूरकशी कार्य का एम०एम०सी० | | | | | | | | | | | | 24,96.94 | | 24,96.94 | | | | | |
| 14 | सी०ए०डी०डब्ल्यू० एम० कांची सिंचाई कार्य का योजना | | | | | | | | | | | | 40,80.73 | | 40,80.73 | | | | | |
| 15 | दुगानी बराज योजना | | | | | | | | | | | | 4,89.34 | | 4,89.34 | | | | | |

**परिशिष्ट VIII - सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम - क्रमशः
(i) - सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम**

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (बजट प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (पुनरीक्षित प्राक्कलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति | | वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12) | वर्ष 2019-20 के दौरान कार्य चालन व्यय तथा रखरखाव प्रभार | | | ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | | ब्याज देने के बाद निगम हानि या लाभ | | | | | |
|----------|---------------------|---|------------|--|-----------|---------------------------------------|----------|---|---|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|----|----|----|----|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | व्यय | 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | व्यय से राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व से व्यय की अधिकता (-) | वर्ष 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | गुमानी बराज योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 25 | सुरंगी जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 3,17.82 | | 3,17.82 | | | | | |
| 26 | सोनुआ जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 1,50.03 | | 1,50.03 | | | | | |
| 27 | पंचखैरो जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 28 | सुकरी जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 29 | केशो जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 30 | उपरशंख जलाशय योजना | | | | | | | | | | | | 43.00 | | 43.00 | | | | | |
| 31 | पुनर्स्थापना योजना | | | | | | | | | | | | 15,17.68 | | 15,17.68 | | | | | |
| | | | | 30,94.00 | 30,94.00 | | 30,94.00 | | | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट VIII - सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम - क्रमशः
(i) - सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (बजट प्राककलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (पुनरीक्षित प्राककलन) | | वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियाँ | | वर्ष 2019-20 के दौरान परित्यक्त गये छोड़े गये राजस्व | | वर्ष 2019-20 चालन व्यय तथा रखरखाव प्रभार | | व्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | | व्याज देने के बाद निगम हानि या लाभ | | |
|----------|---|--|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | कुल | व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) अथवा राजस्व (कॉलम 13) पर व्यय (कॉलम 16) का अधिशेष (-) | 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर व्याज | व्यय से राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व से व्यय की अधिकता (-) | वर्ष 2019-20 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ई०आर०एम० योजना | 5,00,00.00 | | 5,00,00.00 | | 5,00,00.00 | | | | | | 4,31,27.07 | | | | | |
| 33 | एम० एवं एम० नयी योजना | 28,85.00 | | 28,85.00 | | 20.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 34 | क्षमता संवर्द्धन एवं सुदृढीकरण | 1,08,60.00 | | 1,08,60.00 | | 45,55.00 | | | | | | 17,48.77 | | | | | |
| 35 | लघु (चालू) योजना | 2,40,41.00 | | 2,40,41.00 | | 76,90.00 | | | | | | 55,50.35 | | | | | |
| 36 | लघु (नयी) योजना | 3,40,65.00 | | 3,40,65.00 | | 1,73,75.00 | | | | | | 87,17.78 | | | | | |
| 37 | बाढ़ (चालू) योजना | 1,25.00 | | 1,25.00 | | 1,25.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 38 | बाढ़ (नयी) योजना | 15,00.00 | | 15,00.00 | | 15,00.00 | | | | | | 4,17.96 | | | | | |
| 39 | सतही जल | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 40 | 100% सी०एस०पी० एस०(एन० एच०पी० एवं एम०आई० संसप्त | 5,10.00 | | 5,10.00 | | 5,10.00 | | | | | | 78.00 | | | | | |
| | कुल | 25,26,10.00 | 0.00 | 25,26,10.00 | 0.00 | 18,46,36.00 | 66,57.94 | 0.00 | 66,57.94 | 0.00 | 13,12,43.66 | 0.00 | 13,12,43.66 | 0.00 | 13,12,43.66 | | |

टिप्पणी : उपर्युक्त सूचना जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या 355 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

परिशिष्ट संख्या VIII - सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम - क्रमांत
(ii) विद्युत योजनाओं का वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | परियोजनाओं का नाम | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय | | वर्ष 2019-20 के दौरान सकल राजस्व | कार्य चालन व्यय | | | ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व | | पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज | ब्याज के बाद निवल लाभ या हानि | |
|----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---|--|--------------------------|--|--|
| | | वर्ष 2019-20 के अन्त तक | वर्ष 2019-20 के दौरान | | मूल्य ह्रास | प्रत्यक्ष कार्य चालन व्यय | कुल कार्य चालन व्यय | व्यय से राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-) | वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत | | व्यय से अधिक राजस्व (+) या राजस्व से व्यय की अधि कता (-) | वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

राज्य सरकार के द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2020)।

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हों/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|-------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| पथ निर्माण विभाग | | | | | | | | | |
| 1 | पंडित बी.एन. झा पथ से बिलासी, बमबम बाबा पथ होकर (कुल लम्बाई-1250 मी०) तक नाली को ढक कर पथ का निर्माण कार्य | 17,14.09 04/10/2017 | 2018 | 2018 | 27 | 36.16 | 3,87.99 | 13,45.46 | अनुपलब्ध |
| 2 | बिलासी-छतिसी-सकुलर पथ (कुल लम्बाई-0.900 कि०मी०) के नाली को ढक कर पथ का निर्माण कार्य। | 10,64.99 05/10/2017 | 2018 | 2018 | 64 | 64.21 | 6,83.39 | 3,93.81 | अनुपलब्ध |
| 3 | सारठ-पालाजोरी पथ के कि०मी० 0.00 से 20.00 तक राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य | 9,26.99 14/10/2016 | 2019 | 2019 | 95 | 6,00.00 | 8,00.00 | 1,14.93 | अनुपलब्ध |
| 4 | चिरकी-पलमा-राजगंज पथ के कि०मी० 0 से 22.00 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 41,07.93 30/05/2016 | 2017 | 2019 | 87 | 9,50.00 | 30,40.01 | 10,67.92 | अनुपलब्ध |
| 5 | पातालडीह-देवरी-गॉवा-सतागोवा पथ (कुल लं० 42.40 कि०मी०) का पुनर्निर्माण कार्य। | 83,39.45 09/03/2017 | 2017 | 2019 | 74 | 12,33.29 | 28,43.29 | 54,96.15 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | गिरिडीह नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न पथों में मजबूतिकरण एवं चौड़ीकरण कार्य, नाली निर्माण सहित (कुल लं० 8.889 कि०मी०)। | 24,33.04 27/06/2017 | 2018 | 2019 | 56 | 4,02.88 | 6,02.88 | 18,30.16 | अनुपलब्ध |
| 7 | झरी मोड़, बनपुरा-चिचाकि-खुंटा चौक-चिचाकी रेलवे स्टेशन तक पथ (कुल लं० 14.025 कि०मी०) तक पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित)। | 33,31.56 16/10/2017 | 2018 | 2019 | 69 | 11,49.99 | 11,99.99 | 21,31.57 | अनुपलब्ध |
| 8 | कोआर-कोडरमा पथ के 16वें कि०मी० में अवस्थित ईरगा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 4,30.92 11/06/2014 | 2015 | 2017 | 90 | 6.83 | 3,74.42 | 56.50 | भू-अर्जन के कारण |
| 9 | गम्हरिया-दाजियाघाट (गाजियाघाट)-गोविन्दपुर पथ (लम्बाई 26.160 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 47,62.11 03.03.2014 | 2014 | 2015 | 92 | 23.53 | 46,05.71 | 8,21.34 | 6,64.95 11.10.2017 |
| 10 | खरसावाँ-हुडांगदा-रायजामा-कांरखूटी (रंगामाटी)-रङ्गाव पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 29.407 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 49,71.54 25.03.2013 | 2013 | 2015 | 80 | 5,00.00 | 47,05.36 | 2,66.18 | अनुपलब्ध |
| 11 | सरायकेला-खरसावाँ पथ के 7वें कि०मी० में संजय नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य। | 6,92.86 27.11.2012 | 2013 | 2014 | 90 | 0.00 | 7,36.93 | 4,82.19 | 5,26.25 20.06.2019 |
| 12 | काण्डा-चाण्डिल पथ के 8वें कि०मी० में अवस्थित स्वर्ण रेखा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य। | 18,37.00 12.08.2015 | 2015 | 2017 | 96 | 1,37.43 | 18,21.93 | 15.07 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | चास चन्दनकियारी रघुनाथपुर पथ के चैनैज 8.500 कि०मी० में ईजरी नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 3,32.12 10/07/2014 | 2015 | 2017 | 90 | 1,44.12 | 3,31.50 | 94.18 | 4,25.68 तिथि 16.08.2018 |
| 14 | बहादुरपुर-कसमार-खैराचातर-बंगाल सीमा पथ के कि०मी० 0.00 से 33.30 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भूमि अधिग्रहण सहित) | 60,73.38 09/07/2014 | 2015 | 2017 | 95 | 0.00 | 66,77.95 | 11,79.56 | 17,84.14 तिथि 21.03.2018 |
| 15 | डुमरी नावाडीह बेरसो पथ के 3.300 कि०मी० में जमुनिया नदी पर पुल का निर्माण कार्य। | 4,07.91 17/12/2013 | 2015 | 2017 | 85 | 17.83 | 3,45.78 | 62.13 | अनुपलब्ध |
| 16 | बहादुरपुर कसमार पेटरवार बंगाल सीमा पथ पर के 22.050 कि०मी० में गवई नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 2,29.94 23/09/2014 | 2015 | 2016 | 85 | 0.00 | 1,36.94 | 93.00 | अनुपलब्ध |
| 17 | विष्णुगढ़ नरकी पथ के 18वें कि०मी० पर स्थित भोरभापानी नाला पर उच्चस्तरीय सेतु का निर्माण कार्य। | 3,17.34 20/11/2014 | 2015 | 2016 | 85 | 33.83 | 2,58.83 | 58.51 | अनुपलब्ध |
| 18 | चन्द्रपुरा से बोकारो पथ, ल० 6.55 कि०मी० के निर्माण (भूमि अधिग्रहण सहित) कार्य। | 21,90.34 13/07/2016 | 2017 | 2018 | 75 | 6,26.31 | 10,20.03 | 11,70.31 | अनुपलब्ध |
| 19 | विष्णुगढ़ नरकी पथ के 3.00 कि०मी० पर जमुनिया नाला पर उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण कार्य। | 1,86.28 10/01/2013 | 2013 | 2014 | 87 | 26.44 | 1,76.75 | 9.53 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | बोकरो स्टील सिटी के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जोड़ने वाली पथों (कुल लं० 2.89 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य। | 2,54.22 13/08/2019 | 2019 | 2019 | 90 | 1,91.78 | 1,91.78 | 62.44 | अनुपलब्ध |
| 21 | भवनाथपुर-काण्डी भाषा पथ के कि०मी० 0.00 से 25.856 तक पुर्ननिर्माण कार्य। | 58,39.09 28/12/2016 | 2018 | 2019 | 57 | 8,66.36 | 19,76.36 | 38,62.73 | अनुपलब्ध |
| 22 | केतार से कडवन होकर हरिहरपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 20.275 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 42,74.00 07/07/2015 | 2016 | 2018 | 95 | 4,30.35 | 30,61.93 | 12,12.07 | अनुपलब्ध |
| 23 | केतार-राजी पथ के कि०मी० 24वें में पण्डा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य। | 4,75.79 10/07/2017 | 2018 | 2019 | 90 | 67.76 | 3,00.18 | 1,75.61 | अनुपलब्ध |
| 24 | मालपहाड़ी से पथरगट्टा पी० डबल्यु०डी० पथ भाया बहिरग्राम रोड कुल लं० 0.00 से 9.00 कि०मी० में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य। | 24,94.04 21/11/2017 | 2018 | 2019 | 95 | 11,51.32 | 22,01.32 | 2,92.72 | 1,65.42 तिथि 02/04/2019 |
| 25 | रानीपुर चौक से पुचाईबड़ा पैम रोड भाया गोकुलपुर डांगापाड़ा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 48,30.09 03/03/2014 | 2014 | 2016 | 97 | 0.00 | 43,38.22 | 4,91.87 | अनुपलब्ध |
| 26 | विश्रामपुर से बेलहारा भाया फण्ड पथ (लं० 22.00 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 33,82.09 25.06.2015 | 2016 | 2017 | 85 | 5,50.00 | 28,61.00 | 5,21.09 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | डुमरवार-चह-मनातू-पदमा पथ में चैनेज 2.040 कि०मी० पर स्थित डुलकी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। | 2,68.95 31.07.2015 | 2017 | 2018 | 62 | 1,49.76 | 2,26.81 | 42.14 | अनुपलब्ध |
| 28 | हंटरगंज-कालेश्वरी मंदिर पथ के कि०मी० 0.00 से 9.2 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 15,69.66 30/04/2015 | 2017 | 2018 | 80 | 1,57.20 | 8,89.54 | 6,80.12 | अनुपलब्ध |
| 29 | हंटरगंज-पाण्डेयपुर-प्रतापपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 29.75 तक में पुनर्निर्माण कार्य। | 82,85.88 30/08/2016 | 2017 | 2019 | 96 | 37,98.83 | 61,86.34 | 20,99.54 | अनुपलब्ध |
| 30 | नीमाकातू कौरा पथ में उच्चस्तरीय पुल के साथ 0.00 से 25.852 कि०मी० तक में पुनर्निर्माण कार्य। | 67,66.33 22/08/2016 | 2017 | 2019 | 90 | 11,00.00 | 58,48.84 | 9,17.49 | अनुपलब्ध |
| 31 | डैटा मोड़ से तमाशीन पथ एवं कान्हाचट्टी से गुल्ली मोड़ पथ कि०मी० 0.00 से 33.261 तक (मध्यवर्ती लेन) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 56,91.95 22/08/2016 | 2018 | 2019 | 71 | 19,49.95 | 33,99.45 | 22,92.50 | अनुपलब्ध |
| 32 | सिमरा-टण्डवा पथ के कि०मी० 23वें कि०मी० में बिगलात नदी पर उच्चस्तरीय पुल सह पहुंच पथ का निर्माण। | 2,57.97 29/05/2018 | 2018 | 2019 | 40 | 50.00 | 50.00 | 2,07.97 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | टोटो से अंजनधाम पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लं० 9.350 कि०मी०) | 19,62.48 23/12/2015 | 2016 | 2017 | 83 | 26.08 | 16,64.81 | 2,97.68 | अनुपलब्ध |
| 34 | छारदा से फुसरो पथ (कुल लं० 17.665 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 39,32.53 18/05/2017 | 2017 | 2019 | 98 | 9,00.00 | 37,50.00 | 1,82.53 | अनुपलब्ध |
| 35 | भरनो ब्लॉक चौक से परवल पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लं० 12.975 कि०मी०)। | 29,92.16 30/05/2017 | 2018 | 2019 | 95 | 6,50.00 | 7,50.00 | 22,42.16 | अनुपलब्ध |
| 36 | जामताड़ा-करमाटाड़-लहरजोरी पथ के कि०मी० 0.00 से 29.175 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 90,14.47 26/12/2014 | 2014 | 2016 | 75 | 15,81.58 | 56,53.70 | 33,60.77 | अनुपलब्ध |
| 37 | घोतला मोड़ से नाला पथ के कि०मी० 0.00 से 19.950 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 37,08.37 01/09/2014 | 2014 | 2016 | 91 | 3,93.47 | 29,65.86 | 7,42.50 | अनुपलब्ध |
| 38 | अंगुठियाँ मोड़ से बाबुपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 19.880 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 48,82.85 12/09/2014 | 2014 | 2016 | 83 | 10,95.10 | 31,19.44 | 17,63.41 | अनुपलब्ध |
| 39 | लोहरदगा-गंगुपाड़ा-पेशरार पथ के कि०मी० 0.00 से 27.60 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 77,97.55 26/12/2014 | 2016 | 2018 | 99 | 3,67.42 | 73,02.42 | 4,95.13 | अनुपलब्ध |
| 40 | चट्टी से कुडू तथा कैरो नया टोली से जिंजी मोड़ पथ के कि०मी० 0.00 से 36.535 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 86,08.96 05/05/2016 | 2016 | 2018 | 88 | 7,94.92 | 56,94.92 | 29,14.04 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | केशा मोड़-मांडर पथ के 15.94 कि०मी० में दक्षिण कोयल नदी पर सेतु निर्माण कार्य। | 3,71.00 19/05/2016 | 2016 | 2018 | 50 | 37.48 | 1,52.48 | 2,18.52 | अनुपलब्ध |
| 42 | बेड़ो-लोहरदगा पथ के कि०मी० में दक्षिण कोयल नदी पर (पहुँच पथ सहित) उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य। | 7,95.44 9/12/2014 | 2016 | 2018 | 70 | 1,50.00 | 3,55.00 | 4,40.44 | अनुपलब्ध |
| 43 | सोस गुल फैंक्ट्री से बाजोटोली, पतरातु ग्राम पथ का पुर्ननिर्माण कार्य। | 17,96.14 25/05/2017 | 2017 | 2018 | 72 | 1,84.98 | 3,74.98 | 14,21.16 | अनुपलब्ध |
| 44 | सर्किट हाऊस लोहरदगा से बी०एस० कॉलेज, लोहरदगा तक पथ निर्माण कार्य (कुल लं० 4.87 कि०मी०)। | 9,37.46 19/12/2017 | 2018 | 2018 | 83 | 4,30.87 | 5,05.87 | 4,31.59 | अनुपलब्ध |
| 45 | बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट-नामकुम तुंबागुदू पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 19,82.22 16.08.2016 | 2017 | 2018 | 80 | 5,34.35 | 10,53.52 | 9,28.70 | अनुपलब्ध |
| 46 | रौंची-पिस्का स्टेशन के बीच कि०मी० 427/2-3 में एल०सी० सं०-आर०एल० 5 के स्थान पर प्रस्तावित पैदल पार पथ तक पहुँच पथ। | 7,16.44 27/02/2019 (संशोधित) | 2018 | 2018 | 45 | 1,76.54 | 2,19.77 | 4,96.67 | अनुपलब्ध |
| 47 | कुल्ही मोड़-चापावार औद्योगिक क्षेत्र तक पथ (कुल लं० 0.850 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) कार्य। | 3,00.00 14.11.2017 | 2018 | 2019 | 75 | 1,46.71 | 1,96.71 | 1,03.29 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | राँची के रिसेटलेमेन्ट एवं रिहैबिलिशन कॉलोनी पुन्दाग के पहुँच पथ (कुल लं० 2.400 कि०मी०) निर्माण कार्य। | 9,11.41 24/4/2018 | 2019 | 2019 | 75 | 6,46.67 | 6,46.67 | 2,64.74 | अनुपलब्ध |
| 49 | आई०टी०आई० बस स्टैण्ड (एन०एच०-23 से संत फ्रांसिस विद्यालय पथ तक) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 8,20.70 24/08/2016 | 2017 | 2018 | 90 | 98.37 | 6,55.67 | 1,65.03 | अनुपलब्ध |
| 50 | अंतु चौक से सिन्दुआर टोली पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य | 3,20.086 06/03/2019 | 2019 | 2019 | 60 | 15.00 | 15.00 | 3,05.09 | अनुपलब्ध |
| 51 | इबा से गोदीपोखर के मध्य स्वर्णखा नदी पर पुल तथा पहुँच पथ (लं० 7.50 कि०मी०) का निर्माण कार्य | 39,00.00 10/03/2017 | 2016 | 2019 | 82 | 12,89.49 | 26,89.48 | 12,10.52 | अनुपलब्ध |
| 52 | राँची-हटिया सेक्शन के बीच कि०मी० 422/29-31 पर स्थित पथ अन्दर पुल (आर.यू.बी.) सं०-392 बी में अतिरिक्त वेंट का निर्माण कार्य। | 1,26.59 13/12/2017 | 2017 | 2019 | 45 | 35.41 | 56.59 | 70.00 | अनुपलब्ध |
| 53 | लातेहार-सरयु-कोटाम पथ के 3रे कि०मी० चैनैज में प्रस्तावित औरंगा नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० सेतु निर्माण कार्य। | 6,10.93 21/04/2016 | 2016 | 2018 | 29 | 18.21 | 2,53.41 | 4,18.82 | 61.30 07/05/2018 |
| 54 | लोहबर्बा-मयूरनचना-कदमाहारा पथ एवं मयूरनचना-अमरपुर (कुल लं०-27.506 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 53,20.07 05/10/2016 | 2017 | 2019 | 93 | 12,00.00 | 40,50.00 | 12,70.07 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | चिरकी-पलमा-राजगंज पथ के कि०मी० 22 से 35.325 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 23,95.94 30/05/2016 | 2017 | 2019 | 92 | 10,49.47 | 18,19.47 | 5,76.47 | अनुपलब्ध |
| 56 | कंचनडीह-पोद्दारडीह-किरडीह पथ (कुल लं० 23.864 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 59,14.46 08/11/2016 | 2018 | 2019 | 89 | 15,04.69 | 33,54.69 | 25,59.77 | अनुपलब्ध |
| 57 | करकेन्द वाटर टैंक मोड़ से केन्दुआ खैरा पथ भाया मुण्डा पट्टी धनबाद पथ (कुल लं० 1.00 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य | 1,96.10 19/09/2019 | 2019 | 2019 | 95 | 1,50.00 | 1,50.00 | 46.10 | अनुपलब्ध |
| 58 | सोनहात-मिलन चौक पथ के कि०मी० 0.00 से 23.90 में सुदृढीकरण कार्य वर्ष 2015-16 | 26,77.53 08/05/2014 | 2016 | 2017 | 99 | 6,21.15 | 38,70.44 | 2,72.08 | 14,64.99 12/06/2017 |
| 59 | बुंड़-सोनाहात-जामुदाग-जरिया पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। लं० 30.005 (एम०डी०आर०-026)। | 55,22.56 16/08/2016 | 2017 | 2019 | 81 | 7,00.00 | 34,25.00 | 20,97.56 | अनुपलब्ध |
| 60 | बंता-राहे-बुंड़ पथ के कि०मी० 1.00 से 33.00 में राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य। | 12,21.38 17/08/2017 | 2018 | 2018 | 93 | 2,37.26 | 10,87.26 | 1,34.12 | अनुपलब्ध |
| 61 | तांतनार-मझगाँव पथ के पन्डरीगुटु गाँव से ओडिशा बॉर्डर तक पथ के 9वें कि०मी० में पुनर्निर्माण कार्य। | 3,35.47 20/09/2016 | 2017 | 2018 | 60 | 1,73.14 | 1,71.80 | 1,63.67 | अनुपलब्ध |
| 62 | बड़ानन्दा से डागुवापोसी पथ तक पथ का पुनर्निर्माण कार्य (लं० 8.015 कि०मी०)। | 24,25.80 21/09/2016 | 2018 | 2019 | 42 | 9,02.51 | 8,76.22 | 15,49.58 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | बड़ानन्दा से रामतीर्थ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (लं० 9.825 कि०मी०)। | 21,77.89 21/10/2016 | 2019 | 2019 | 22 | 4,25.51 | 2,21.83 | 19,56.06 | अनुपलब्ध |
| 64 | पलमा-मस्केडीह-चौबे केशवारी पथ के कि०मी० 0 से 21.54 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 47,06.46 09/08/2016 | 2017 | 2019 | 65 | 4,64.22 | 21,66.43 | 25,40.03 | अनुपलब्ध |
| 65 | पद्मा महल मेन गेट से पद्मा बाजार पथ के 11वें कि०मी० (कुल लं० 8.07 कि०मी०) उच्चस्तरीय पुल निर्माण सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 18,76.35 11/08/2016 | 2017 | 2019 | 75 | 3,05.91 | 15,28.04 | 3,48.31 | अनुपलब्ध |
| 66 | मलकाना एवं लराही के बीच कोयल नदी पर पुल एवं पथ (कुल लं० 7.20 कि०मी०) का निर्माण कार्य। | 53,31.74 18/11/2016 | 2017 | 2019 | 55 | 17,30.01 | 35,29.49 | 18,02.25 | अनुपलब्ध |
| 67 | पी.डबल्यू.डी. चौक से हजारीबाग सर्किट हाउस पथ के कि०मी० 0 से 2.25 कि०मी० तक के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य। (आई०आर०क्यू०पी०)। | 2,10.26 07/05/2018 | 2018 | 2018 | 90 | 1,60.36 | 1,85.36 | 24.90 | अनुपलब्ध |
| 68 | मिर्जाचौकी-बोआरीजोर सिमरा पथ कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.00 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 24,60.39 12/09/2014 | 2015 | 2017 | 90 | 3,02.53 | 19,49.09 | 8,82.90 | 371.597 20.12.2016 |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 69 | सोभनपुरभट्टहा से राजगाँव भाया किसन प्रसाद कि०मी० 0.00 से कि०मी० 19.625 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 60,18.09 05/08/2015 | 2016 | 2017 | 95 | 6,50.00 | 50,70.25 | 17,20.29 | 7,72.448 17.03.2017 |
| 70 | पंचकटिया-तलबरिया एवं-बरहेट लिंक पथ सहित (कुल लं० 14.082 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य। | 34,87.02 14/12/2015 | 2016 | 2018 | 80 | 8,56.73 | 24,50.24 | 14,01.95 | 3,65.173 06.06.2018 |
| 71 | कोआर-कोडरमा पथ के कि०मी० 48वें में मीठा नाला पर प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 3,56.16 04/01/2017 | 2017 | 2018 | 57 | 48.40 | 97.25 | 2,50.99 | (-)7.92 02.03.2020 |
| 72 | स्वणरिखा नदी पर कंडरबेरा डोमुहानी पर 2 नं० उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 38,23.30 07/07/2015 | 2015 | 2017 | 98 | 2,01.00 | 41,79.10 | 0.00 | 3,55.80 |
| 73 | टाटानगर रेलवे स्टेशन का बड़ौदा घाट तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य। | 13,84.89 15/01/2016 | 2016 | 2017 | 70 | 1,85.82 | 8,52.88 | 5,32.01 | अनुपलब्ध |
| 74 | खासमहल से जादुगोड़ा पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य 24.670 कि०मी० तक। | 42,94.37 23/05/2016 | 2016 | 2018 | 69 | 1,50.00 | 26,05.00 | 16,89.37 | अनुपलब्ध |
| 75 | पिताजोड़ी घुडाबन्धा पथ (कुल लं० 17.15 कि०मी०) चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य। | 56,98.99 03/05/2017 | 2017 | 2019 | 85 | 18,25.00 | 27,45.00 | 29,53.99 | अनुपलब्ध |
| 76 | मुसाबनी-डुमरिया-आस्थाकोवाली-उड़ीसा सीमा तक (19 नंबर पुल) पथ का निर्माण कार्य पहुँच पथ के साथ। | 45,93.31 13/07/2016 | 2017 | 2019 | 60 | 11,50.00 | 15,19.50 | 30,73.81 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | डिमना मेन रोड से डीपीएस स्कूल तक पथ (कुल लं० 4.730 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 8,18.60 16/11/2017 | 2018 | 2018 | 50 | 4,88.32 | 3,63.15 | 4,55.45 | अनुपलब्ध |
| 78 | बासदा से पाथरा पथ (कुल लं० 12.987 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 40,14.54 01/02/2018 | 2018 | 2019 | 3 | 3,19.71 | 3,19.71 | 36,94.83 | अनुपलब्ध |
| 79 | काशीदा-हुलुंग पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (14.725 कि०मी०। | 4,08.30 28/08/2017 | 2018 | 2019 | 15 | 3,00.00 | 3,00.00 | 1,08.30 | अनुपलब्ध |
| 80 | हल्दीपोखर-कोबाली रोड की राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य। लं० 12.00 कि०मी०। | 4,25.66 04/07/2018 | 2018 | 2019 | 65 | 1,00.00 | 1,00.00 | 3,25.66 | अनुपलब्ध |
| 81 | भादुडीह माधोपुर (पश्चिम बंगाल सीमा पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। कुल लं० 19.09 कि०मी०। | 55,84.53 10/03/2017 | 2018 | 2019 | 65 | 15,00.00 | 15,00.00 | 40,84.53 | अनुपलब्ध |
| 82 | कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नं०-4 से नदी किनारे होते हुए ब्लॉक नं०-2 तक क्रास रोड के निर्माण के साथ सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। कुल लं० 2.55 कि०मी०। | 8,05.54 25/01/2018 | 2019 | 2019 | 10 | 0.95 | 0.95 | 8,04.59 | अनुपलब्ध |
| 83 | टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच में लेवल क्रॉसिंग में पथ उपरी पुल (आरओबी) का निर्माण कार्य। | 18,61.22 30/11/2017 | 2018 | 2019 | 20 | 8,69.25 | 8,69.25 | 9,91.96 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 84 | कोचेडागा-रामरेखा धाम-छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 67,35.98 15/05/2014 | 2014 | 2016 | 98 | 22,00.00 | 65,70.90 | 1,65.08 | अनुपलब्ध |
| 85 | सिमडेगा-मनोहरपुर पथ के 67वें कि०मी० में अवस्थित पातालीराल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य। | 2,60.78 19/05/2015 | 2017 | 2019 | 95 | 1,27.00 | 2,20.13 | 40.65 | अनुपलब्ध |
| 86 | खूँटी-बेड़ो पथ के कि०मी० 0.00 से 44.00 तक पुनर्निर्माण कार्य। | 60,08.58 22/08/2013 | 2014 | 2016 | 70 | 5,76.60 | 39,01.51 | 21,07.08 | अनुपलब्ध |
| 87 | सिसई लापुंग डोरमा पथ के कि०मी० 0.00 से 43.40 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 54,55.46 02/08/2012 | 2014 | 2016 | 87 | 11,55.71 | 45,63.05 | 8,92.40 | अनुपलब्ध |
| 88 | मुरहू तपकरा तोरपा पथ के कि०मी० 0 से 27.070 का पुनर्निर्माण कार्य। | 42,50.41 03/01/2013 | 2013 | 2015 | 94 | 2,50.00 | 34,75.12 | 7,75.28 | अनुपलब्ध |
| 89 | खूँटी-भुसूर पथ में तजना नदी, कैनल नदी, काची नदी एवं तुनजू नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य। | 11,43.93 11/12/2015 | 2016 | 2018 | 95 | 2,07.82 | 10,42.62 | 1,01.31 | अनुपलब्ध |
| 90 | कि०मी० 25.60 से कि०मी० 29.51 तक हरिहरगंज बाजार पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 21,37.54 25/06/2018 | 2019 | 2019 | 76 | 14,57.50 | 14,57.50 | 6,80.04 | अनुपलब्ध |
| | कुल पथ निर्माण विभाग | 25,75,67.24 | | | | 5,05,35.39 | 17,29,46.02 | 9,10,93.02 | |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ग्रामीण कार्य विभाग | | | | | | | | | |
| 91 | पिण्डाहाट (आदिवासी टोला) से लखीपुर तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,16.534 11/12/2018 | 2019 | 2019 | 65 | 52.71 | 52.71 | 63.83 | अनुपलब्ध |
| 92 | हुण्डरू फॉल रोड से सोसो पहाणटोली तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,31.98 03/08/2018 | 2018 | 2019 | 99 | 82.58 | 1,14.13 | 17.85 | अनुपलब्ध |
| 93 | बुढमू राय मेन रोड से डून्डू तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,05.69 18/08/2018 | 2018 | 2019 | 99 | 91.46 | 91.46 | 14.23 | अनुपलब्ध |
| 94 | खूँटी मारंगहावा पथ से सलगा (पंचायत-डिगरी) तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,77.20 08/04/2017 | 2017 | 2018 | 98 | 1,56.91 | 1,56.91 | 20.29 | अनुपलब्ध |
| 95 | कदमा से दुबचातर छाताकूरुम तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,45.04 28/03/2018 | 2018 | 2019 | 98 | 1,27.84 | 1,27.84 | 17.20 | अनुपलब्ध |
| 96 | कारकीखुर्द पंचायत भवन से कुर्कनाली तक पथ निर्माण कार्य। | 5,57.68 09/11/2017 | 2018 | 2019 | 98 | 2,28.14 | 5,48.63 | 9.05 | अनुपलब्ध |
| 97 | बोरेया काँके मुख्य पथ से बोरेया तीन कोनिया बाजार तक पथ निर्माण कार्य। | 1,63.06 29/08/2018 | 2018 | 2019 | 98 | 26.30 | 1,07.38 | 55.68 | अनुपलब्ध |
| 98 | चट्टी कुडू मुख्य पथ से टंगराटोली मोड़ तक पथ का निर्माण कार्य। | 1,40.45 14/08/2018 | 2018 | 2019 | 95 | 59.06 | 81.71 | 58.75 | अनुपलब्ध |
| 99 | वारंडिया से महतो देवांग तक का निर्माण कार्य। (लं० 2.320 कि०मी०) | 1,45.38 06/10/2016 | 2017 | 2017 | 95 | 31.09 | 1,23.43 | 21.95 | अनुपलब्ध |
| 100 | चुटू चन्दवे मुख्य पथ गुमटी से हुण्डूर बस्ती तक पथ निर्माण कार्य। | 1,12.62 29/08/2018 | 2018 | 2019 | 94 | 0.00 | 83.75 | 28.87 | अनुपलब्ध |
| 101 | ददमारा जसीडीह रोड भाया ग्राम सरसा, कुशमाहा दूबे मंडप तक पथ निर्माण। | 1,68.38 11/10/2018 | 2018 | 2019 | 92 | 1,17.52 | 1,27.41 | 1,11.03 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 102 | ग्राम बुरूसाई पथ से सरस्वतीपुर तक पथ निर्माण कार्य (2.40 कि०मी०)। | 1,58.06 21/02/2017 | 2017 | 2018 | 92 | 22.13 | 1,10.51 | 47.55 | अनुपलब्ध |
| 103 | मुचया से होचर तक पथ निर्माण कार्य। | 1,95.38 17/10/2015 | 2016 | 2019 | 90 | 33.09 | 43.33 | 1,52.05 | अनुपलब्ध |
| 104 | डिगरी सत जोसेफ इंटर कॉलेज से बिरसा तक पथ निर्माण कार्य। | 2,22.77 13/07/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 83.42 | 1,08.87 | 1,13.90 | अनुपलब्ध |
| 105 | सोनाहातु जामुदाग पथ से सरयाद भाया शत्रुधनडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 2,77.41 04/01/2011 | 2011 | 2012 | 90 | 1.31 | 14.64 | 2,62.77 | अनुपलब्ध |
| 106 | बारेडीह टोला (बलंगा) से मुरगिडीह भाया बुरूहादा उकतासपीरी तक पथ निर्माण कार्य। | 3,49.74 16/02/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 2,48.22 | 2,48.22 | 1,01.52 | अनुपलब्ध |
| 107 | रायडीह मोड़ से सरजामडीह भाया अमलेशा बसनडीह पंडुरानी तक पथ निर्माण कार्य। | 3,07.36 03/06/2017 | 2017 | 2019 | 90 | 2,55.74 | 2,71.74 | 35.62 | अनुपलब्ध |
| 108 | बोरवा से नुनुरायडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 1,62.05 06/07/2018 | 2018 | 2019 | 90 | 1,05.68 | 1,05.68 | 56.37 | अनुपलब्ध |
| 109 | ग्राम चिडियापहाड़ी से चौदीपी तक पथ कार्य। (2085 कि०मी०)। | 1,97.11 13/07/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 49.65 | 1,65.39 | 31.72 | अनुपलब्ध |
| 110 | रोलाहातु से लुधुबेड़ा-जाम्बडो तक पथ निर्माण। (4.00 कि०मी०)। | 3,89.48 31/08/2015 | 2017 | 2019 | 90 | 1,87.64 | 3,17.69 | 1,11.22 | 39.42 25.06.2018 |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | ग्राम कोसम्बा नीचे टोला बरसोति नदी से मलेशिया मोड़ जी०टी० रोड तक पथ निर्माण कार्य (लं० 1.800 कि०मी०)। | 1,25.86 31/10/2017 | 2018 | 2018 | 90 | 37.59 | 1,00.65 | 25.21 | अनुपलब्ध |
| 112 | मकान्डु टोंगरी से बड़मारा भाया बड़ा तालाब तक पथ निर्माण कार्य। | 1,51.38 08/08/2016 | 2017 | 2018 | 90 | 77.81 | 77.81 | 73.57 | अनुपलब्ध |
| 113 | कोराडीह झारखण्डी रोड खिजरसोता स्कूल से कैलाढांब स्कूल तक पथ निर्माण कार्य। | 1,49.15 18/08/2018 | 2019 | 2019 | 90 | 1,11.92 | 1,11.92 | 37.23 | अनुपलब्ध |
| 114 | सिरसा मोड़ रोड से हिजरी परसा भाया बच्चा धोबना कावाढाब पथ निर्माण कार्य। | 4,63.30 14/08/2014 | 2015 | 2017 | 90 | 46.62 | 3,39.21 | 1,24.09 | अनुपलब्ध |
| 115 | पृथ्वीनगर से न्यू अंजना तक पथ निर्माण कार्य। | 1,38.70 19/12/2016 | 2017 | 2017 | 87 | 18.98 | 92.39 | 46.31 | अनुपलब्ध |
| 116 | भंडरो सरस्वती मंदिरे से रानीगंज तक पथ निर्माण कार्य। | 1,15.84 15/06/2018 | 2019 | 2019 | 86 | 83.93 | 99.22 | 16.62 | अनुपलब्ध |
| 117 | कमड़ा से रोन्हे पथ भाया कलासंस चर्च पथ निर्माण कार्य। | 1,93.55 10/03/2017 | 2017 | 2018 | 85 | 1,24.82 | 1,61.71 | 31.84 | अनुपलब्ध |
| 118 | गुडहालु से डेरंग तक पथ निर्माण कार्य। | 2,56.31 10/03/2017 | 2017 | 2019 | 85 | 1,26.43 | 1,63.06 | 93.25 | अनुपलब्ध |
| 119 | जिलिंगसिरंग से लुपुंगडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 1,58.89 08/04/2017 | 2017 | 2018 | 85 | 53.58 | 99.70 | 59.19 | अनुपलब्ध |
| 120 | पलामू से पिलपिलो तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य। | 2,30.51 19/09/18 | 2018 | 2019 | 85 | 1,80.42 | 1,95.47 | 35.04 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 121 | पंदनाटांड पी०सी०सी० रोड से डुमरियटांड तक पथ निर्माण कार्य। | 2,13.41 21/08/2015 | 2016 | 2017 | 85 | 0.00 | 1,31.69 | 81.72 | अनुपलब्ध |
| 122 | बड़ा बोलला पंचायत के अंतर्गत भारोतालिया से बकरकोचा तक पथ का निर्माण कार्य। | 3,39.25 03/06/2017 | 2018 | 2019 | 83 | 39.92 | 3,08.02 | 64.50 | 33.27 08/03/2019 |
| 123 | मिलिट्री छावनी गेट रोड से कोचाटोली स्वर्णरेखा नदी तक। | 2,08.32 19/03/2018 | 2018 | 2019 | 81 | 62.64 | 72.81 | 1,35.51 | अनुपलब्ध |
| 124 | बुरुजु जिउरी पथ से बारेडीह भाया सागाटोली पथ का निर्माण कार्य। | 1,23.54 08/04/2017 | 2018 | 2018 | 80 | 1,19.93 | 1,19.93 | 3.61 | अनुपलब्ध |
| 125 | पेलाल से दुलवा पथ का निर्माण कार्य। | 1,38.22 08/04/2017 | 2018 | 2018 | 80 | 85.91 | 85.91 | 52.31 | अनुपलब्ध |
| 126 | दाहु बरकाटोली से बोंगटेल पथ का निर्माण कार्य। | 1,85.76 12/08/2017 | 2017 | 2018 | 80 | 1,44.26 | 1,56.17 | 29.59 | अनुपलब्ध |
| 127 | सिलादोत से मान्हु पथ का निर्माण कार्य। | 2,61.78 08/04/2017 | 2018 | 2019 | 80 | 1,81.31 | 1,81.31 | 80.47 | अनुपलब्ध |
| 128 | हाकाडुबा ओमटो पथ से काँची रिवर भाया उरगडीह बारूडीह रउता पथ का निर्माण कार्य। | 3,49.45 08/04/2017 | 2018 | 2019 | 80 | 1,03.98 | 1,03.98 | 2,45.47 | अनुपलब्ध |
| 129 | बुण्डु सोनाहातु एस०एच० रोड (दानाडीह) से भिकुडीह सेरंगडीह पथ का निर्माण कार्य। | 3,43.24 31/10/2016 | 2017 | 2018 | 80 | 2,14.80 | 2,31.80 | 1,11.44 | अनुपलब्ध |
| 130 | हुरूहंसा से विरजा ग्राम तक पथ निर्माण कार्य। | 1,09.83 14/03/2018 | 2018 | 2019 | 80 | 62.03 | 62.03 | 47.80 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 131 | रजवाडीह पी०डब्ल्यू०डी० पांकी रोड से कुम्हार टोला जमुने तक पथ निर्माण कार्य। | 1,20.28 24/10/2018 | 2019 | 2019 | 80 | 94.37 | 94.37 | 25.91 | अनुपलब्ध |
| 132 | काँके पिस्तौल सूर्या नगर कॉलोनी जर्नादन प्रसाद के घर से नन्दु शर्मा के घर तक। | 1,01.10 01/10/2018 | 2018 | 2019 | 80 | 0.00 | 21.26 | 79.84 | अनुपलब्ध |
| 133 | गोयरा पथ से जामडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 5,10.68 08/06/2017 | 2018 | 2019 | 80 | 0.00 | 3,39.70 | 1,70.98 | अनुपलब्ध |
| 134 | बड़ोबान्दी से गामियाडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 2,79.91 13/12/2010 | 2012 | 2013 | 80 | 0.00 | 2,35.05 | 44.86 | अनुपलब्ध |
| 135 | जाम्बड़ो से सिकरम्बा तक पथ निर्माण कार्य। | 2,75.08 31/08/2015 | 2017 | 2018 | 80 | 80.55 | 1,94.75 | 1,06.43 | 26.10 18.07.2018 |
| 136 | कल्लेपार्ट से भरागांव-बेड़ा टोली तक पथ निर्माण कार्य। | 1,65.47 21/12/2016 | 2017 | 2018 | 80 | 22.16 | 87.51 | 77.96 | अनुपलब्ध |
| 137 | कोकड़बोना ब्रीज से चंडीतल्ला तक पथ निर्माण कार्य। | 1,90.51 20/07/2017 | 2017 | 2018 | 80 | 54.89 | 98.01 | 92.50 | अनुपलब्ध |
| 138 | किसन प्रसाद से चासाटोली तक पथ निर्माण कार्य। | 1,77.55 04/03/2016 | 2016 | 2017 | 80 | 28.81 | 1,21.11 | 56.44 | अनुपलब्ध |
| 139 | सुखसेना से बुधवरिया तक पथ निर्माण कार्य। | 1,38.71 03/08/2018 | 2019 | 2019 | 80 | 0.00 | 0.00 | 1,38.71 | अनुपलब्ध |
| 140 | खेलारी नावाडीह मुख्य पथ से करकट्टा तक पथ निर्माण कार्य। | 1,76.90 25/04/2017 | 2017 | 2018 | 76 | 0.00 | 37.35 | 1,39.55 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 141 | काठवारी हाड़ी घर से पादन गोड़ा तक पथ निर्माण कार्य। | 1,31.90 15/06/2018 | 2018 | 2019 | 75 | 49.12 | 99.31 | 32.59 | अनुपलब्ध |
| 142 | अभयपुर स्कूल से तालाब तक पथ निर्माण कार्य।(लं०3कि.मी.) | 1,96.72 27/02/2017 | 2018 | 2019 | 75 | 8.33 | 1,07.06 | 89.66 | अनुपलब्ध |
| 143 | ग्राम मंडल बाजारटांड से कोरवाटोली तक पथ निर्माण कार्य। | 1,44.41 02/08/2018 | 2018 | 2019 | 70 | 1,28.81 | 1,28.81 | 15.60 | अनुपलब्ध |
| 144 | हिसरा बरवाडीह से नान्ही झरिया ग्राम होते हुए राजेन्द्र राम के घर तक पथ निर्माण कार्य। | 1,45.24 18/01/2017 | 2017 | 2018 | 70 | 0.00 | 85.99 | 59.24 | अनुपलब्ध |
| 145 | छतरपुर से हेसला ग्राम मंदेया तक पथ निर्माण कार्य। | 1,14.12 30/01/2018 | 2018 | 2019 | 70 | 75.64 | 75.64 | 38.48 | अनुपलब्ध |
| 146 | उपरविजय से जीतराई टांड तक पथ निर्माण कार्य। (लं० 1.850 कि.मी.) | 1,28.64 19/10/2016 | 2017 | 2017 | 70 | 18.38 | 97.01 | 31.63 | अनुपलब्ध |
| 147 | भुर्भई पथ उपरगहा से जोभिया भाया बारूडीह एवं मुर्पा तक पथ निर्माण कार्य। | 2,78.85 15/09/2016 | 2017 | 2018 | 70 | 61.27 | 1,43.17 | 1,35.68 | अनुपलब्ध |
| 148 | उत्कर्मित मध्य विद्यालय सिमराबेड़ा से सहदेव महतो (धवैया) के घर तक पथ निर्माण कार्य। | 1,71.43 18/05/2015 | 2018 | 2019 | 69 | 54.04 | 1,18.30 | 53.13 | अनुपलब्ध |
| 149 | चन्द्रजरकी से असनतलिया तक पथ निर्माण कार्य। (लं० 1.700 कि०मी०) | 1,17.87 20/06/2017 | 2017 | 2018 | 68 | 17.80 | 70.89 | 46.98 | अनुपलब्ध |
| 150 | रतनपुर आवासीय विद्यालय से बेरबो भाया रोहरा तक पथ निर्माण कार्य। | 4,43.07 29/04/2017 | 2017 | 2019 | 62 | 35.89 | 2,44.88 | 1,98.19 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 151 | भोरागडीह से हुमटा भाया जरिया रोड तक पथ निर्माण कार्य। | 1,13.61 03/02/2014 | 2014 | 2015 | 60 | 0.00 | 7.93 | 1,05.68 | अनुपलब्ध |
| 152 | जी०इ०एल० चर्च स्कूल मरचा से बोगड़ा (गुमला सीमाना) तक पथ निर्माण कार्य। | 1,84.39 10/03/2017 | 2017 | 2018 | 60 | 75.05 | 87.97 | 96.42 | अनुपलब्ध |
| 153 | गोपिला मेन रोड से रोहिनपानी पथ तक पथ निर्माण कार्य। | 1,31.74 12/08/2017 | 2017 | 2018 | 60 | 48.13 | 69.69 | 62.05 | अनुपलब्ध |
| 154 | गुटजोरा से धनापुंजी भाया शसांकटोली पथ तक पथ निर्माण कार्य। | 3,59.94 08/04/2017 | 2018 | 2019 | 60 | 2,24.99 | 2,24.99 | 1,34.95 | अनुपलब्ध |
| 155 | उलीडीह से दिन्दीली भाया बेतिया पथ तक पथ निर्माण कार्य। | 4,14.30 02/08/2017 | 2018 | 2019 | 60 | 2,60.95 | 2,60.95 | 1,53.35 | अनुपलब्ध |
| 156 | बिच्छी पुल से बरछाबांध (कोल्हुआ) तक पथ निर्माण कार्य। | 1,45.66 19/06/2018 | 2018 | 2019 | 60 | 58.01 | 68.48 | 83.28 | अनुपलब्ध |
| 157 | कालीदुंगरी (हिरक रोड) बिरहोर टण्डा से टुटी झरना भाया पिण्डरा तक पथ निर्माण कार्य। | 6,51.41 15/10/2015 | 2016 | 2018 | 60 | 1,54.86 | 3,92.29 | 2,59.12 | अनुपलब्ध |
| 158 | चरही घाटो पक्की सड़क से बहेरा पंचायत के आजाद नगर कजरी ग्राम में कब्रिस्तान तक पथ निर्माण कार्य (लं० 2.00 कि०मी०)। | 1,29.48 20/08/2018 | 2018 | 2019 | 60 | 49.24 | 62.12 | 67.36 | अनुपलब्ध |
| 159 | घाट बाजार से तारोबाडंडा तक पथ निर्माण कार्य। (लं० 2.400 कि०मी०) | 1,68.00 19/09/2016 | 2017 | 2018 | 59 | 0.00 | 78.89 | 89.11 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 160 | पुनर्निर्माणा मानकीडीह पथ से गुमटी भाया बधायकैम्प तक पथ निर्माण कार्य। | 6,36.13 03/08/2017 | 2017 | 2019 | 55 | 3,60.49 | 3,60.49 | 2,75.64 | अनुपलब्ध |
| 161 | कदमा मोड़ से खपिया भाया खरना दरना मोड़ तक पथ निर्माण कार्य। | 4,99.69 06/12/2017 | 2018 | 2019 | 54 | 2,68.39 | 2,68.39 | 2,31.30 | अनुपलब्ध |
| 162 | खटंगा मेन रोड से गोरसोद भाया चुरदाग रैडिपारा तक पथ निर्माण कार्य। | 3,24.87 12/08/2017 | 2018 | 2019 | 50 | 1,37.15 | 1,56.03 | 1,68.84 | अनुपलब्ध |
| 163 | पी०एम०जी०एस०वाई० रोड से बेडोखुर्द तक, बरसोती पुल होते हुए पथ निर्माण। (लं० 3.55 कि०मी०)। | 2,44.72 31/08/2017 | 2018 | 2019 | 50 | 16.00 | 1,52.82 | 91.90 | अनुपलब्ध |
| 164 | हथनंदा मोड़ से हुटहुटवा तक पथ निर्माण कार्य। | 1,11.22 12/08/2017 | 2017 | 2018 | 40 | 92.23 | 97.53 | 13.69 | अनुपलब्ध |
| 165 | सलगाडीह नहर पथ गंझुडीह गाँव भाया पेरायडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 1,53.27 22/03/2017 | 2018 | 2019 | 40 | 46.47 | 46.47 | 1,06.80 | अनुपलब्ध |
| 166 | बरना मोड़ से सरजामडीह भाया महुवाडीह तक पथ निर्माण कार्य। | 3,02.00 08/04/2017 | 2018 | 2019 | 40 | 1,51.92 | 1,51.92 | 1,50.08 | अनुपलब्ध |
| 167 | ग्राम रूपायडीह बाघमारा चौक से यदुडीह रेलवे हाल्ट तक पथ निर्माण कार्य। | 1,59.58 23/06/2017 | 2017 | 2018 | 25 | 33.33 | 76.38 | 83.20 | अनुपलब्ध |
| 168 | काकडबोना मुख्य सडक से पातालपुर पथ तक पथ निर्माण कार्य। | 1,06.18 01/10/2018 | 2019 | 2019 | 25 | 23.53 | 23.53 | 82.65 | अनुपलब्ध |
| 169 | तोरपा कर्नी रोड (जागु गाँव) से कसीरा ब्रीज तक पथ निर्माण कार्य। | 2,91.01 25/08/2014 | 2016 | 2017 | 20 | 0.00 | 36.62 | 2,54.39 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 170 | दाउडीह सैदवा मोड़ से लुमलुमा भाया लुदमकेल तक पथ निर्माण कार्य। | 1,13.92 04/08/2018 | 2019 | 2019 | 10 | 0.00 | 0.00 | 1,13.92 | अनुपलब्ध |
| 171 | सिमडेगा कुरडेग मुख्य पथ से ठेसुटोली भाया परकला बथानटोली, बगई तक पथ निर्माण कार्य। | 4,19.72 12/12/2017 | 2018 | 2019 | 90 | 2,36.80 | 3,59.80 | 59.92 | अनुपलब्ध |
| 172 | मुख्य पथ पक्काबौंध से सर्पमुण्डा तक पथ निर्माण कार्य। | 1,53.71 28/03/2018 | 2018 | 2019 | 85 | 79.61 | 99.19 | 54.52 | अनुपलब्ध |
| 173 | ग्राम डेम्बुआ विद्यालय तक पथ का रख-रखाव व मरम्मत कार्य। | 1,74.22 27/03/2018 | 2019 | 2019 | 78 | 15.43 | 15.43 | 1,58.79 | अनुपलब्ध |
| 174 | पाखा से लेढो विद्यालय तक पथ का रख-रखाव व मरम्मत कार्य। | 1,75.92 24/11/2016 | 2017 | 2017 | 75 | 0.00 | 1,23.80 | 52.12 | अनुपलब्ध |
| 175 | जी०टी० रोड से पिपराडीह भाया सतपहाड़ी तक पथ निर्माण कार्य। | 2,57.09 5/17/2017 | 2017 | 2018 | 75 | 0.00 | 2,18.35 | 38.74 | अनुपलब्ध |
| 176 | इटखोरी से पचमो पनौल भाया कोनी, हरदिया बानथ, पनौल, पाण्डेखाप तक पथ मरम्मत कार्य। | 1,05.50 23/07/2019 | 2019 | 2019 | 70 | 59.86 | 64.54 | 40.96 | अनुपलब्ध |
| 177 | दुर्गापुर पी.डबल्यू.डी. पथ से जोड़मो पंचायत भवन टोला तक पथ निर्माण। | 2,96.88 22/02/2017 | 2017 | 2019 | 60 | 1,15.31 | 1,15.31 | 1,81.56 | अनुपलब्ध |
| 178 | ग्राम जबरा, शिव मंदिर से मच्छी घाट, देवी स्थान तक पथ निर्माण कार्य। | 1,29.84 27/03/2018 | 2019 | 2019 | 45 | 74.83 | 74.83 | 55.01 | अनुपलब्ध |
| 179 | जोरी-कुरखेता से जोलडीहा तक पथ निर्माण कार्य। | 2,86.15 11/09/2009 | 2010 | 2011 | 30 | 0.00 | 53.27 | 2,32.88 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | कुल ग्रामीण कार्य विभाग | 1,97,28.23 | | | | 71,50.00 | 1,20,44.37 | 78,58.81 | |
| पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | | | | | | | | | |
| 180 | सुन्दरपहाड़ी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 4,18.40 15/03/2013 | 2013 | 2015 | 90 | 1,01.30 | 3,24.93 | 93.47 | अनुपलब्ध |
| 181 | शाम ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 8,43.56 24/11/2017 | 2017 | 2019 | 99 | 2,78.97 | 8,12.97 | 30.59 | अनुपलब्ध |
| 182 | तिलोकरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 16,52.86 21/11/2017 | 2017 | 2019 | 97 | 6,99.96 | 15,39.96 | 1,12.90 | अनुपलब्ध |
| 183 | सोनाहातु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 8,54.54 26/09/2016 | 2017 | 2019 | 95 | 3,46.64 | 5,78.58 | 2,75.96 | अनुपलब्ध |
| 184 | अनगड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 17,10.77 03/08/2016 | 2017 | 2019 | 95 | 11,00.00 | 16,00.00 | 1,10.77 | अनुपलब्ध |
| 185 | बाराडीह ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य। | 11,29.00 20/06/2016 | 2016 | 2018 | 91 | 95.96 | 9,15.96 | 2,13.04 | अनुपलब्ध |
| 186 | बगोदरडीह ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 14,82.32 08/03/2016 | 2017 | 2019 | 76 | 4,00.00 | 10,39.90 | 4,42.42 | अनुपलब्ध |
| 187 | कोयरीडीह ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 11,55.70 22/09/2014 | 2016 | 2018 | 96 | 1,89.00 | 11,47.51 | 8.19 | अनुपलब्ध |
| 188 | पेशाम ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 9,04.73 29/02/2016 | 2016 | 2018 | 97 | 0.00 | 6,91.90 | 2,12.83 | अनुपलब्ध |
| 189 | चानो-कपलो ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 14,93.30 23/09/2014 | 2017 | 2019 | 89 | 3,35.00 | 14,34.98 | 58.32 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 190 | नगरी-लोहेडीह ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 1,145.72 16/09/2016 | 2017 | 2019 | 76 | 4,00.00 | 6,12.49 | 5,33.23 | अनुपलब्ध |
| 191 | सुन्दरपहाड़ी जलापूर्ति योजना। | 4,18.40 15/03/2013 | 2013 | 2015 | 90 | 1,01.30 | 3,24.93 | 93.47 | अनुपलब्ध |
| 192 | मयूरहण्ड और आस पास के ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 20,63.48 06/10/2017 | 2017 | 2019 | 95 | 7,49.07 | 19,73.98 | 89.50 | अनुपलब्ध |
| 193 | अमड़पाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 5,35.90 23/06/2016 | 2016 | 2018 | 98 | 1,48.89 | 3,84.89 | 1,51.02 | अनुपलब्ध |
| 194 | महेशपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 7,56.62 23/06/2016 | 2016 | 2018 | 98 | 97.73 | 4,82.52 | 2,74.10 | अनुपलब्ध |
| 195 | पाकुड़ जिला में सौर उर्जा आधारित जलापूर्ति का निर्माण कार्य। | 4,99.95 13/02/2019 | 2019 | 2019 | 35 | 1,13.16 | 1,13.16 | 3,86.79 | अनुपलब्ध |
| 196 | बानो ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य। | 6,63.11 22/08/2015 | 2016 | 2018 | 98 | 0.00 | 6,08.92 | 54.19 | अनुपलब्ध |
| 197 | रामरेखा धाम ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य। | 52,13.91 15/07/2016 | 2016 | 2019 | 98 | 4,83.68 | 49,83.68 | 2,30.23 | अनुपलब्ध |
| 198 | अधरमा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य। | 14,43.51 24/02/2016 | 2016 | 2018 | 98 | 1,60.00 | 13,08.50 | 1,35.01 | अनुपलब्ध |
| 199 | मोंगरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य। | 9,34.17 04/03/2014 | 2015 | 2017 | 70 | 0.00 | 5,67.32 | 3,66.85 | अनुपलब्ध |
| 200 | चन्दौरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 5,63.99 23/06/2016 | 2017 | 2019 | 90 | 3,00.00 | 5,53.06 | 43.44 | अनुपलब्ध |
| 201 | बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 71,96.88 22/08/2015 | 2016 | 2019 | 96 | 0.00 | 59,89.84 | 12,07.05 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 202 | मोहलीडीह-लटानी-रूपन ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 32,44.03 22/08/2015 | 2016 | 2019 | 92 | 0.00 | 27,98.51 | 4,45.52 | अनुपलब्ध |
| 203 | टुण्डी-कोलर-जताखुटी ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 55,43.42 22/08/2015 | 2016 | 2019 | 92 | 7,00.00 | 41,62.86 | 13,80.55 | अनुपलब्ध |
| 204 | खेड़ाबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए विवर निर्माण कार्य। | 6,29.94 23/01/2016 | 2016 | 2018 | 50 | 2,50.00 | 2,50.00 | 4,83.68 | अनुपलब्ध |
| 205 | पथड्डा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 5,97.99 18/11/2016 | 2017 | 2019 | 92 | 1,26.95 | 4,29.95 | 1,68.03 | अनुपलब्ध |
| 206 | मारगोमुण्डा के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 9,81.19 01/02/2017 | 2017 | 2019 | 90 | 4,25.00 | 8,61.92 | 1,19.26 | अनुपलब्ध |
| 207 | माथाटाड़ ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। | 9,31.39 16/11/2017 | 2017 | 2019 | 85 | 5,50.00 | 8,49.73 | 81.65 | अनुपलब्ध |
| 208 | चन्द्रपुरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना। | 8,82.83 24/06/2016 | 2017 | 2018 | 83 | 43.81 | 7,16.65 | 1,66.18 | अनुपलब्ध |
| 209 | भंडरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 735.18 27/05/2014 | 2016 | 2018 | 95 | 1,00.00 | 6,86.71 | 48.47 | अनुपलब्ध |
| 210 | पेटरवार-कसमार के समीपवर्ती ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 58,69.85 15/07/2016 | 2016 | 2019 | 80 | 20,83.83 | 42,47.76 | 16,22.09 | अनुपलब्ध |
| 211 | प्रतापपुर एवं समीपवर्ती ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 8,99.52 25/07/2016 | 2016 | 2018 | 75 | 32.67 | 6,73.51 | 2,26.01 | अनुपलब्ध |
| | कुल : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 5,33,96.16 | | | | 1,04,12.92 | 4,36,67.58 | 98,64.82 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| जल संसाधन विभाग | | | | | | | | | |
| 212 | दरियापुर वितरणी के गुमानी बराज गेट, एच०आर० गेट, तथा इ०आर० गेटों का मरम्मत एवं संपोषण कार्य। | 1,09.76 03/11/2017 | 2018 | 2018 | 70 | 0.00 | 0.00 | 1,08.00 | अनुपलब्ध |
| 213 | हीरू जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य। | 4,37.59 14/02/2015 | 2015 | 2016 | 42 | 19.54 | 1,96.81 | 2,42.42 | अनुपलब्ध |
| 214 | दानरी जलाशय योजना के ई०आर०एम० कार्य। | 39,85.42 12/05/2017 | 2017 | 2019 | 99 | 11,63.06 | 38,52.19 | 1,33.23 | अनुपलब्ध |
| 215 | फुलवरिया सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार तथा इसके मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य। | 9,10.35 13/10/2017 | 2018 | 2019 | 97 | 4,73.80 | 8,71.80 | 38.55 | अनुपलब्ध |
| 216 | टर्न-की आधार पर सुरू जलाशय योजना का निर्माण कार्य। | 96,35.32 30.03.2011 | 2013 | 2017 | 45 | 0.58 | 53,01.40 | 43,33.92 | अनुपलब्ध |
| 217 | पंचखेरो जलाशय योजना अंतर्गत पररिया शाखा नगर का निर्माण कार्य। (चैनेज 0.00 से 47.00) | 1,16.61 15/06/2016 | 2017 | 2017 | 76 | 0.00 | 94.18 | 22.43 | अनुपलब्ध |
| 218 | कांची जलाशय परियोजना के कमांड एरिया सर्वे का कार्य। | 13,30.80 10/05/2011 | 2011 | 2011 | 95 | 0.00 | 1,63.34 | 11,67.46 | अनुपलब्ध |
| 219 | जिजोई सिंचाई योजना का ई०आर०एम० कार्य। | 36,72.45 26/03/2016 | 2016 | 2018 | 99 | 4,17.88 | 35,27.08 | 2,21.89 | 76.52 10.06.2019 |
| 220 | पुनासी मिट्टी बांध के सं० 53 से 70 तक निर्माण कार्य। | 17,22.12 16/08/2016 | 1998 | 2001 | 95 | 5,82.05 | 41,06.32 | 4,00.00 | 27,84.20 30.03.2013 |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 221 | पुनासी मिट्टी बांध के चैन सं० 19.5 से 53 तक अवशेष कार्य। | 7,89.65 16/08/2016 | 2013 | 2014 | 54 | 2,50.42 | 4,32.01 | 5,80.62 | 2,22.99 14.11.2015 |
| 222 | पुनासी गिट्टी बांधा के चैन सं 72.18 से 76.50 तक डाइक ए का निर्माण कार्य। | 1,19.07 16/08/2016 | 2017 | 2018 | 90 | 6.63 | 78.83 | 0.00 | अनुपलब्ध |
| 223 | पुनासी जलाशय योजना के स्पीलवे-सह-गेट निर्माण कार्य। | 43,03.94 10/06/2010 | 2010 | 2012 | 33 | 1,83.09 | 12,11.53 | 30,92.41 | 43,03.94 |
| 224 | पुनासी जलाशय योजना के एक्सटेंडेड च्यूट और स्टेलिंग बेसिन तथा सुरक्षात्मक उपार्यों का निर्माण कार्य। | 13,88.01 21/08/2014 | 2015 | 2016 | 35 | 2,85.30 | 1,93.81 | 11,94.20 | 13,88.01 |
| 225 | अजय बराज परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य। | 3,26.15 13/09/2017 | 2017 | 2017 | 70 | 0.00 | 2,24.23 | 1,01.92 | अनुपलब्ध |
| 226 | चिरका जलाशय योजना के ई०आर०एम० कार्य के साथ लाइनिंग कार्य। | 10,28.50 29/07/2015 | 2016 | 2018 | 99 | 2,73.77 | 11,16.69 | 1,48.92 | 2,37.11 |
| 227 | केहुनिया नाला जल संवर्द्धन योजना। | 2,29.93 22/07/2016 | 2016 | 2017 | 15 | 0.00 | 34.73 | 1,95.20 | अनुपलब्ध |
| 228 | दानरो जलाशय योजना के ई०आर०एम० कार्य। | 39,85.42 12/05/2017 | 2017 | 2019 | 99 | 11,63.06 | 38,52.19 | 1,33.23 | अनुपलब्ध |
| 229 | फुलवरिया सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य के साथ इसके मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य। | 9,10.35 13/10/2017 | 2018 | 2019 | 97 | 4,73.80 | 8,71.80 | 38.55 | अनुपलब्ध |
| 230 | कोरियाडीह आहर का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,32.90 19/04/2018 | 2018 | 2019 | 90 | 80.47 | 87.34 | 45.56 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 231 | लालपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। | 2,17.06 21/03/2016 | 2017 | 2017 | 80 | 0.00 | 1,34.21 | 82.25 | अनुपलब्ध |
| 232 | चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना का अवशेष कार्य। | 9,47.85 14/09/2016 | 2018 | 2019 | 40 | 2,82.92 | 4,33.90 | 5,13.95 | अनुपलब्ध |
| 233 | बालक मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,03.68 04/08/2017 | 2017 | 2018 | 45 | 6.11 | 50.91 | 52.77 | अनुपलब्ध |
| 234 | जोरीनाला, बैशछन्दवा नाला एवं नकटी नाला पर चेक डैम निर्माण। | 1,57.21 28/01/2016 | 2017 | 2017 | 80 | 0.00 | 86.98 | 70.23 | अनुपलब्ध |
| 235 | हमन्ती नाला पर चेकडैम का निर्माण कार्य। | 1,32.34 30./01/2016 | 2016 | 2017 | 42 | 0.00 | 48.20 | 84.14 | अनुपलब्ध |
| 236 | लठैया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का निर्माण कार्य। | 2,29.50 03/14/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 43.40 | 1,82.81 | 46.69 | अनुपलब्ध |
| 237 | खरार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,90.37 04/05/2016 | 2016 | 2017 | 70 | 2.12 | 99.35 | 91.02 | अनुपलब्ध |
| 238 | बिन्दसरजाम नाला, डुकरी नाला एवं कुरुमुण्डा नाला पर 03 अर्द्ध चेकडैम का निर्माण कार्य। | 1,13.01 25/05/2013 | 2014 | 2015 | 98 | 0.00 | 1,04.76 | 8.25 | अनुपलब्ध |
| 239 | पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत 14 अर्द्ध चेकडैम का निर्माण कार्य। | 1,70.08 14/04/2016 | 2017 | 2018 | 90 | 1,34.31 | 1,34.31 | 35.77 | अनुपलब्ध |
| 240 | सैरया नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का निर्माण कार्य। | 1,57.18 27/01/2017 | 2018 | 2019 | 93 | 25.94 | 1,07.09 | 50.09 | अनुपलब्ध |
| 241 | चीर नदी में वीयर का निर्माण कार्य। | 2,19.60 24/04/2017 | 2018 | 2019 | 90 | 1,58.36 | 1,58.36 | 61.24 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 242 | बड़काबौध नदी पर वियर का निर्माण कार्य। | 1,07.57 19/05/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 0.00 | 77.20 | 30.36 | अनुपलब्ध |
| 243 | रामसागर बाँध का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,39.47 24/01/2018 | 2018 | 2019 | 95 | 8.87 | 1,09.67 | 29.80 | अनुपलब्ध |
| 244 | अलपीटो बड़की तालाब मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,35.81 26/03/2018 | 2019 | 2019 | 80 | 58.85 | 64.35 | 71.46 | अनुपलब्ध |
| 245 | राजाबाँध आहार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य। | 1,06.11 05/05/2018 | 2018 | 2019 | 90 | 75.96 | 75.96 | 30.15 | अनुपलब्ध |
| 246 | ईचा बाँयी मुख्य नहर पर सी०डी० का निर्माण कार्य। | 1,43.00 09/12/2016 | 2016 | 2017 | 50 | 0.00 | 24.13 | 1,18.87 | अनुपलब्ध |
| 247 | ईचा बाँयी मुख्य नहर पर एक पथीय सेतु निर्माण कार्य। | 1,43.98 31/12/2014 | 2015 | 2016 | 80 | 0.00 | 1,14.75 | 29.23 | अनुपलब्ध |
| 248 | ईचा बाँयी मुख्य नहर पर संयुक्त संरचना एवं पैदल सेतु के निर्माण का कार्य। | 2,06.96 16/03/2018 | 2018 | 2019 | 80 | 0.00 | 1,06.49 | 1,00.47 | अनुपलब्ध |
| 249 | ईचा राइट मेन नहर की पोटका डिस्ट्रीब्यूटरी की लघु जलवाहों का तथा सभी संरचना के साथ निर्माण के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। | 2,27.57 19/05/2014 | 2014 | 2015 | 88 | 0.00 | 1,71.65 | 55.92 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 250 | कोनार नहर प्रमण्डल, बनासो अन्तर्गत कोनार मुख्य नहर के एप्रोच चैनल, इंटैक एवं टनेल, टनेल, कट एवं कमर का अवशेष एवं डिसिल्टिंग कार्य, तथा कट एवं कभर से मिट्टी भराई का कार्य। | 54,60.75 07/06/2012 | 2013 | 2018 | 99 | 1,88.28 | 81,84.44 | 3,02.45 | 30,26.15 03/11/2017 |
| 251 | कोनार नहर प्रमण्डल, बनासो अन्तर्गत कोनार मुख्य नहर के एप्रोच चैनल का अवशेष निर्माण कार्य। | 6,66.72 01/09/2018 | 2018 | 2019 | 32 | 1,89.46 | 2,41.29 | 4,58.40 | अनुपलब्ध |
| 252 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के गोविन्दपुर माइनर (ओ.आर.-26) के डबल्यू.सी. के लाईनिंग एवं संरचना का अवशेष कार्य। | 10,14.58 12/10/2010 | 2013 | 2015 | 86 | 8.53 | 10,45.97 | 1,83.32 | 2,14.71 27/11/2016 |
| 253 | गोविन्दपुर माइनर और सब माइनर के सेवा पथ पर डबल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण कार्य (ओ.आर.-26) | 1,30.06 24/02/2018 | 2018 | 2019 | 56 | 12.31 | 65.12 | 64.94 | अनुपलब्ध |
| 254 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के काशीडीह लघु नहर के निःस्त जलवाहों का मिट्टी लाईनिंग एवं सभी संचरनाओं सहित का निर्माण कार्य। | 10,27.92 22/06/2018 | 2018 | 2019 | 80 | 6,59.39 | 7,97.15 | 2,77.63 | 46.86 दिसम्बर 2019 |
| 255 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के जलवाहों का मिट्टी, लाईनिंग एवं सभी संचरनाओं सहित का निर्माण कार्य। | 11,71.25 22/03/2018 | 2018 | 2019 | 50 | 4,79.72 | 5,41.77 | 6,29.48 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 256 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के अंतर्गत बड़ाबाँकी माईनर, सालबनी माईनर, काशीडीह माईनर, डिमनाझोर माईनर एवं लोअर बालीगुमा पर बॉक्स कलभर्ट संरचना का निर्माण कार्य। | 3,96.78 29/04/2016 | 2016 | 2017 | 90 | 33.58 | 3,26.47 | 70.31 | अनुपलब्ध |
| 257 | मुसकाटी शाखा नहर एवं इससे निःसृत जलवाहों के लघु वितरण प्रणाली का डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य। | 1,93.75 25/10/2014 | 2015 | 2015 | 45 | 27.90 | 84.74 | 1,09.01 | अनुपलब्ध |
| 258 | कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर (गिरिडीह) के अन्तर्गत बगरो वितरणी के अवशेष कार्य। | 13,56.14 29/09/2015 | 2016 | 2018 | 87 | 1,72.76 | 13,40.51 | 15.63 | अनुपलब्ध |
| 259 | कोनार नहर प्रमण्डल बगोदर (गिरिडीह) के अन्तर्गत दूया शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 6.6 के बीच रिसेकशनिंग एवं रिलाईनिंग कार्य। | 19,15.03 08/08/2016 | 2016 | 2017 | 96 | 2,01.73 | 18,69.69 | 45.35 | अनुपलब्ध |
| 260 | कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर (गिरिडीह) के अंतर्गत बगोदर शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 11.15 के बीच रिसेकशनिंग एवं रिलाईनिंग कार्य | 34,54.81 02/09/2016 | 2016 | 2017 | 88 | 0.00 | 30,51.45 | 4,03.36 | अनुपलब्ध |
| 261 | गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 42.60 से 49.30 तक नहर, मिट्टी संरचना, डबल्यू०बी०एम० रोड एवं कन्क्रीट लाईनिंग निर्माण कार्य। | 38,73.06 01/11/2014 | 2014 | 2019 | 82 | 0.00 | 33,39.53 | 7,52.21 | 2,18.68 19.09.2016 |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 262 | गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 49.30 से 56.00 तक नहर, मिट्टी संरचना, डबल्यू०बी०एम० रोड एवं कन्क्रीट लाईनिंग, निर्माण कार्य। | 46,77.30 10/02/2014 | 2014 | 2018 | 96 | 0.84 | 40,92.14 | 1,81.67 | 4,27.38 20.12.2017 |
| 263 | गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 65.70 तक के बीच उप वितरिका तथा लघु वितरिका के डी०पी०आर० तैयार करने हेतु कार्य। | 1,00.00 09/03/2014 | 2016 | 2017 | 93 | 7.73 | 88.74 | 6.64 | -4.62 20.12.2017 |
| 264 | सालबनी वितरणी के ओ०एल० 50(अवशेष) का ओ०आर० 1 (ओ०एल० 51) से निःसृत कि०मी० 2.182 पर निर्माण कार्य। | 1,63.86 30/08/2016 | 2016 | 2017 | 49 | 0.00 | 79.36 | 84.50 | अनुपलब्ध |
| 265 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 94.20 पर हेड रेगुलेटर इटेक पम्प हाउस, राईजिंग पाईप लाईन एवं स्टाफ कम्पस ओ०एल०-44 का निर्माण कार्य। | 2,67.03 09/12/2015 | 2016 | 2017 | 95 | 18.24 | 2,60.03 | 7.00 | अनुपलब्ध |
| 266 | गालुडीह दाँया मुख्य नहर के कि०मी० 47.155 के.पी.एल.-5 निःसृत समानान्तर नाला का निर्माण कार्य। (0.00 से 6.92 कि०मी०) | 6,87.62 13/12/2006 | 2007 | 2015 | 98 | 0.00 | 6,81.35 | 6.27 | अनुपलब्ध |
| 267 | गालुडीह दाँयी मुख्य नहर के पी. एल.-5 से निःसृत आंगारपाड़ा माईनर के मिट्टी एवं लाईनिंग का कार्य। | 10,05.50 19/02/2014 | 2014 | 2015 | 70 | 41.04 | 7,02.79 | 3,02.71 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्यो की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 268 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 78.567 से निःसृत बाराजूरी (ओ०आर०-35) लघु नहर का अवशेष कार्य। | 14,80.00 09/01/2007 | 2007 | 2015 | 0 | 0.00 | 0.03 | 14,79.97 | अनुपलब्ध |
| 269 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 94.20 में (डबल्यू०बी०एम० मेटल सेवा) पथ का निर्माण कार्य। | 8,40.39 21/05/2011 | 2011 | 2018 | 92 | 0.38 | 7,72.76 | 67.63 | अनुपलब्ध |
| 270 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 59.878 पर जलसेतु (एक्वाडक्ट) की मरम्मत से संबंधित कार्य। | 1,15.97 31/01/2015 | 2015 | 2015 | 30 | 0.00 | 33.91 | 82.06 | अनुपलब्ध |
| 271 | चाडिल बाँयी मुख्य नहर के लघु एवं उनके जलवाहों का मिट्टी, लाईनिंग एवं संरचनाओं का निर्माण कार्य। | 2,91.85 31/01/2015 | 2015 | 2017 | 87 | 0.00 | 2,52.55 | 39.30 | अनुपलब्ध |
| 272 | नरसिंहपुर लघु नहर एवं उनके जलवाहों में अवशेष लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य। | 1,38.73 28/11/2016 | 2016 | 2018 | 99 | 0.00 | 1,36.76 | 1.97 | अनुपलब्ध |
| 273 | ओ०आर०-06 (आमचुरिया लघु नहर नया कार्य) एवं उनके जलवाहों का अवशेष निर्माण कार्य। | 1,63.73 17/05/2017 | 2017 | 2019 | 85 | 69.82 | 1,38.26 | 25.47 | अनुपलब्ध |
| 274 | कालिकापुर वितरणी के कि०मी० 0.00 से 27.180 तक में मिट्टी एवं पी०सी०सी० लाईनिंग का निर्माण तथा मिट्टी कार्य। | 92,15.14 03/01/2014 | 2014 | 2016 | 62 | 7,72.87 | 56,71.12 | 35,44.02 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 275 | आई.आर.एम.सी. के कि०मी० 30.21 से निःसृत कालिकापुर वितरणी पर एकपथीय सेतु का निर्माण कार्य। | 9,91.85 15/02/2016 | 2016 | 2017 | 69 | 37.50 | 6,85.04 | 3,06.81 | अनुपलब्ध |
| 276 | कालिकापुर वितरणी के (पूर्व कि०मी० 30.21 आई.आर.एम.सी.) पर सी०डी० निर्माण कार्य। | 3,39.08 08/02/2017 | 2017 | 2018 | 78 | 1,98.28 | 2,63.40 | 75.68 | अनुपलब्ध |
| 277 | गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 7.02 से 10.23 तक के बीच मिट्टी, लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य। | 63,93.92 21/01/2014 | 2014 | 2016 | 6 | 0.00 | 16,76.00 | 47,17.92 | अनुपलब्ध |
| 278 | गालूडीह बाँयी 36 से 23.40 तक के बीच मिट्टी, लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य। | 42,37.71 20/01/2014 | 2014 | 2016 | 8 | 0.00 | 6,35.97 | 36,01.74 | अनुपलब्ध |
| 279 | गालूडीह बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 23.40 से 29.36 तक के बीच मिट्टी, लाईनिंग, संरचना निर्माण कार्य। | 42,56.44 20/01/2014 | 2014 | 2016 | 8 | 0.00 | 5,97.02 | 36,59.42 | अनुपलब्ध |
| 280 | गालूडीह में बराज गेटों एवं इसके अवयवों का पेंटिंग कार्य। | 2,52.00 08/03/2016 | 2017 | 2017 | 9 | 0.00 | 1,01.48 | 1,50.52 | अनुपलब्ध |
| 281 | गालूडीह, बराज कॉलोनी में निरीक्षण भवन निर्माण कार्य। | 3,68.83 07/09/2015 | 2016 | 2017 | 8 | 0.49 | 61.58 | 3,07.25 | अनुपलब्ध |
| 282 | गालूडीह बराज स्थित वाच टावर का निर्माण कार्य। | 1,20.00 19/10/2016 | 2016 | 2017 | 8 | 0.00 | 10.60 | 1,09.40 | अनुपलब्ध |
| 283 | बहरागोड़ा प्रखंड में ग्राम-बामडोल एवं महलडुगरी में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण | 6,05.76 19/02/2016 | 2016 | 2017 | 7 | 0.00 | 1,49.11 | 4,56.65 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्यो की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 284 | ग्राम-बामडोल और महलडुंगरी में सुवर्णरेखा नदी के बाँधी तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं एण्टी स्लूइस गेट में निर्माण कार्य। | 1,57.86 15/06/2018 | 2018 | 2019 | 5 | 1,33.13 | 1,40.63 | 17.23 | अनुपलब्ध |
| 285 | खरकई दौया मुख्य नहर के कि०मी० 13.480 से 17.22 तक मिट्टी, लाईनिंग का निर्माण कार्य। | 1,66.46 03/01/2014 | 2014 | 2016 | 70.55 | 5,48.85 | 10,81.73 | 4,51.49 | (-) 1,31.38 14.10.2019 |
| 286 | खरकई दौया मुख्य नहर पर एक पथीय सेतु का निर्माण कार्य। | 2,64.96 06/09/2016 | 2017 | 2018 | 60.61 | 11.31 | 1,60.57 | 1,04.39 | अनुपलब्ध |
| 287 | खरकई दौया मुख्य नहर के जाडुगोड़ा वितरणी पर दो अर्द्ध क्रॉस ड्रेनेज संरचना के साथ नहर लाईनिंग का कार्य। | 1,20.33 23/02/2018 | 2018 | 2019 | 87.23 | 73.16 | 1,04.97 | 15.35 | अनुपलब्ध |
| 288 | सतनाला बाँध से निःसृत कपाली लघु नहर का मिट्टी एवं रेखांकन कार्य। | 9,80.00 16/12/2013 | 2013 | 2019 | 91 | 1,58.06 | 9,01.49 | 2,43.51 | 1,65.00 |
| 289 | कपाली लघु नहर से निःसृत गौरी लघु नहर का मिट्टी का रेखांकन कार्य। | 8,80.46 16/12/2013 | 2013 | 2019 | 57 | 10.00 | 4,08.25 | 4,72.21 | अनुपलब्ध |
| 290 | कनहर बराज परियोजना का डी०पी०आर० तैयार करना। | 9,95.30 22/05/2014 | 2014 | 2015 | 97 | 0.00 | 9,68.39 | 26.91 | अनुपलब्ध |
| 291 | ईचा दौया मुख्य नहर के राजनगर वितरणी पर मिट्टी एवं लाईनिंग निर्माण कार्य। | 11,15.18 20/02/2014 | 2014 | 2016 | 93 | 0.75 | 10,63.68 | 51.50 | अनुपलब्ध |
| 292 | ईचा दौया मुख्य नहर के राजनगर वितरणी पर एक पथीय सेतु सह फॉल का निर्माण कार्य। | 2,53.97 20/02/2014 | 2014 | 2015 | 86 | 0.00 | 2,42.76 | 11.21 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 293 | कोलवरिया वितरणी पर एकपथीय सेतु सह फॉल का निर्माण एवं कोलवरिया वितरणी के संरचनात्मक गोप में लाईनिंग का निर्माण कार्य। | 1,45.21 14/10/2010 | 2017 | 2018 | 96 | 8.72 | 1,38.91 | 6.30 | अनुपलब्ध |
| 294 | बटाने डेम बराज के गेटों का विनिर्माण, सविरचन, खड़ा करना, टेस्ट करना, तथा संचालित करना एवं कंट्रोल रूम का निर्माण कार्य। | 8,28.74 11/03/2011 | 2011 | 2012 | 57 | 0.00 | 4,74.77 | 3,53.97 | अनुपलब्ध |
| 295 | लातेहार जिला अंतर्गत नकटी नाला सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य। | 4,38.41 19/06/2017 | 2018 | 2019 | 92 | 94.98 | 3,72.00 | 66.41 | अनुपलब्ध |
| 296 | लातेहार जिला अंतर्गत रामघाट सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य। | 6,77.28 19/06/2017 | 2018 | 2019 | 65 | 80.88 | 2,61.88 | 4,15.40 | अनुपलब्ध |
| | | 10,33,80.41 | | | | 5,37,67.57 | 7,27,99.51 | 3,85,23.74 | अनुपलब्ध |
| ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल) | | | | | | | | | |
| 297 | खूँटी जिला में कसमार गाँव के पास छाता नदी पर पुल निर्माण। | 4,68.42 25/02/2017 | 2017 | 2019 | 90 | 1,16.31 | 4,13.11 | 55.31 | अनुपलब्ध |
| 298 | खूँटी जिला में पुटिदाग से तिलमा के बीच काँची नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 1,84.73 19/12/2016 | 2018 | 2019 | 98 | 47.47 | 1,53.00 | 31.73 | अनुपलब्ध |
| 299 | गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत आसंगी से ईटागढ़ के बीच खरकई नदी पर सेतु का निर्माण। | 7,46.80 16/05/2012 | 2013 | 2015 | 85 | 12.37 | 5,91.37 | 1,55.43 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 300 | कुचाई प्रखण्ड अन्तर्गत बालजीडीह एवं छोटा चाकरी गाँव के बीच शंख नदी पर पुल निर्माण। | 5,29.84 21/03/2017 | 2017 | 2019 | 85 | 0.00 | 4,40.70 | 1,02.55 | अनुपलब्ध |
| 301 | जलडेगा प्रखण्ड में टोनिया से बनो जाने वाले पथ में देव नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 3,46.28 28/02/2017 | 2017 | 2018 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3,46.28 | अनुपलब्ध |
| 302 | सिमडेगा के खरवागढ़ा में छिन्दा नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 2,84.95 21/09/2017 | 2017 | 2019 | 95 | 83.33 | 2,46.75 | 38.20 | अनुपलब्ध |
| 303 | सिमडेगा में सिकरीबिडरा से महुआटोली पथ में सेनाजोर नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 3,50.70 23/08/2017 | 2017 | 2019 | 97 | 94.31 | 3,05.10 | 45.60 | अनुपलब्ध |
| 304 | सिमडेगा के चिडगटोली से तुमडेगी जाने वाली पथ में शंख नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 11,76.99 22/02/2017 | 2017 | 2019 | 48 | 1,17.20 | 2,74.64 | 9,02.35 | अनुपलब्ध |
| 305 | सोहबगंज के मौजा-शहरी, सुगनीवासा के बीच करनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। | 4,28.60 21/02/2018 | 2018 | 2019 | 95 | 1,02.96 | 3,52.90 | 75.70 | अनुपलब्ध |
| 306 | लोहरदगा में मन्हों से बाघा पथ में कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। | 5,98.47 20/02/2017 | 2018 | 2019 | 70 | 1,10.39 | 3,40.08 | 2,39.87 | अनुपलब्ध |
| 307 | गढ़वा में जतपुरा एवं पिपरी कला ग्राम के बीच बाँकी नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 3,36.82 29/06/2017 | 2018 | 2019 | 85 | 59.95 | 2,10.65 | 1,26.17 | अनुपलब्ध |
| 308 | गढ़वा में करकोमा मुख्य पथ में डांडू नदी पर पुल निर्माण कार्य। | 3,03.72 20/07/2017 | 2018 | 2019 | 15 | 0.00 | 0.00 | 3,03.72 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 309 | बोकारो के ग्राम पहाड़ीबांध और सिंहपुर के बीच बरका नदी में पुल का निर्माण। | 2,80.13 16/03/2017 | 2017 | 2019 | 70 | 13.94 | 1,66.42 | 1,13.71 | अनुपलब्ध |
| 310 | बोकारो के साबड़ा-आसबनी के बीच दरहा जोड़िया में पुल निर्माण। | 4,48.86 10/10/2017 | 2018 | 2019 | 50 | 32.10 | 1,47.01 | 3,01.85 | अनुपलब्ध |
| 311 | हजारीबाग के ग्राम सिरम और चट्टी के बीच हहरो नदी पर पुल निर्माण। | 6,63.81 18/10/2013 | 2015 | 2017 | 55 | 86.47 | 3,67.00 | 2,96.81 | अनुपलब्ध |
| 312 | रामगढ़ जिलान्तर्गत जमुआबेड़ा से कुल्ही आर०ई०ओ० पथ में बरवाकोचा नाला पर पुल निर्माण। | 1,51.33 31/01/2017 | 2017 | 2018 | 97 | 52.13 | 1,19.22 | 32.10 | अनुपलब्ध |
| 313 | रामगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम सिरका तेलियाटाड़ और गुटुवा प्रखंड के बीच दामोदर नदी पर पुल निर्माण। | 5,13.56 28/03/2016 | 2016 | 2018 | 90 | 1,62.60 | 4,87.38 | 26.18 | 25.67 09.08.2016 |
| 314 | तिल्हाटोली से रंगारी पथ एवं बारडीह से सुबसुता पथ में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य। | 7,83.83 04/04/2011 | 2011 | 2013 | 77 | 0.00 | 5,39.12 | 2,44.71 | अनुपलब्ध |
| 315 | गुमला जिला अन्तर्गत तिगरा-नीमडीह पथ में लावा नदी पर पुल निर्माण कार्य (102.70 मी०)। | 3,37.00 25/03/2013 | 2014 | 2015 | 85 | 0.00 | 2,54.38 | 82.62 | अनुपलब्ध |
| 316 | गुमला में चिलमपोखर से चोरखाखर गारू पथ में उत्तरी कोयल नदी में पुल निर्माण कार्य। | 4,98.75 11/02/2017 | 2017 | 2019 | 70 | 1,50.65 | 3,47.65 | 1,51.10 | अनुपलब्ध |
| 317 | रौंची जिला अंतर्गत ग्राम सरजामडीह एवं अड़की प्रखंड अंतर्गत ग्राम-योरडीह के बीच अवस्थित काँची नदी पर पुल निर्माण। | 8,23.18 23/02/2015 | 2015 | 2017 | 96 | 1,64.50 | 6,98.06 | 1,25.12 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 318 | राँची जिला के बुढ़मू प्रखंड के तीरू जटा से बमने जाने के पथ में तीरू नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। | 5,33.85 27/02/2018 | 2018 | 2019 | 85 | 2,30.86 | 4,46.24 | 87.61 | अनुपलब्ध |
| 319 | राँची जिला के बेड़ो प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय नवभवन निर्माण। | 3,67.59 13/01/2017 | 2017 | 2018 | 96 | 1,40.69 | 2,96.35 | 71.24 | अनुपलब्ध |
| 320 | राँची जिला के रातू प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन नवनिर्माण। | 3,67.59 13/01/2017 | 2018 | 2019 | 90 | 2,38.82 | 3,37.98 | 29.61 | अनुपलब्ध |
| 321 | धनबाद जिला के चन्दन कियारी-मुनीडीह पथ में दामोदर नदी पर पुल का निर्माण कार्य। | 4,88.51 19/01/2017 | 2018 | 2018 | 50 | 1,03.88 | 2,43.16 | 2,45.35 | अनुपलब्ध |
| 322 | धनबाद जिला अन्तर्गत परसबनिया-पुरनाडीह-हेठघाट जोरिया पर पुल निर्माण। | 1,82.04 10/10/2017 | 2018 | 2019 | 42 | 35.97 | 75.34 | 1,06.70 | अनुपलब्ध |
| 323 | धनबाद जिला अन्तर्गत चुटकी लोयाबाद पथ पर लोयाबाद पावर हाउस के पास एकड़ा जोड़िया पर पुल निर्माण। | 1,32.41 25/09/2017 | 2018 | 2019 | 78 | 72.73 | 1,02.55 | 29.86 | अनुपलब्ध |
| 324 | गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के माखमरगो से जुठहाआम तक पथ में माखमरगो नदी पर पुल निर्माण। | 4,01.92 17/03/2016 | 2016 | 2018 | 98 | 29.95 | 2,89.25 | 1,12.67 | अनुपलब्ध |
| 325 | गिरिडीह जिला अन्तर्गत बराकर नदी पर कारनाटांड से खुदीसार (कोयरीटोला) के बीच पुल निर्माण। | 4,73.57 09/12/2016 | 2017 | 2019 | 62 | 31.56 | 1,49.53 | 3,24.04 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृतादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 326 | गिरिडीह जिला के प्रखण्ड गिरिडीह अन्तर्गत कुंजरवा नदी पर पुल निर्माण। | 2,13.68 22/02/2017 | 2017 | 2018 | 91 | 13.72 | 1,58.33 | 55.35 | अनुपलब्ध |
| 327 | गिरिडीह जिला के धनबाद प्रखंड में मुखली नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 3,65.06 26/09/2017 | 2018 | 2019 | 87 | 69.26 | 1,60.50 | 2,04.56 | अनुपलब्ध |
| 328 | डोमचांच प्रखण्ड में केशो नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण। | 3,97.04 06/08/2014 | 2015 | 2016 | 98 | 64.78 | 3,13.87 | 83.17 | अनुपलब्ध |
| 329 | चक्रधरपुर प्रखण्ड में ग्राम भरनिया नाला पर पुल निर्माण कार्य। | 2,28.01 04/04/2017 | 2017 | 2018 | 76 | 20.00 | 87.86 | 1,40.15 | अनुपलब्ध |
| 330 | नोवामुण्डी प्रखण्ड के पेटेता एवं सुधबिला पथ पर सुकरीपाड़ा नाला पर पुल निर्माण। | 3,97.30 09/11/2017 | 2018 | 2019 | 95 | 1,28.92 | 3,44.79 | 52.51 | अनुपलब्ध |
| 331 | प्रखण्ड पाटन के ग्राम सहदेवा एवं प्रखण्ड लेस्लीगंज के ग्राम हस्तुआ के बीच अमानत नदी पर पुल निर्माण। | 6,86.90 22/03/2017 | 2017 | 2019 | 98 | 2,31.84 | 6,75.42 | 11.48 | अनुपलब्ध |
| 332 | प्रखण्ड पाँकी के ग्राम डंडार चौराहा पथ के बीच सोनरे नदी पर पुल निर्माण। | 3,88.45 29/03/2017 | 2017 | 2019 | 36 | 1,41.36 | 1,41.36 | 2,47.09 | अनुपलब्ध |
| 333 | प्रखण्ड पाँकी के ग्राम डुब एवं ग्राम छतरपुर के बीच अमानत नदी पर पुल निर्माण। | 8,34.31 25/05/2017 | 2018 | 2019 | 76 | 2,37.55 | 6,37.55 | 1,96.77 | अनुपलब्ध |
| 334 | चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखण्ड में तुलबुल नगवा पथ में गहरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण। | 2,95.98 22/01/2015 | 2015 | 2017 | 95 | 20.00 | 2,49.05 | 46.93 | अनुपलब्ध |
| 335 | चतरा जिला अंतर्गत ग्राम-लावालोंग से डालटेनगंज पथ के बीच चाको नदी पर पुल निर्माण। | 3,87.44 09/01/2017 | 2017 | 2018 | 95 | 1,66.00 | 2,70.74 | 1,16.70 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमांत

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यों का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रगामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 336 | चतरा जिला अंतर्गत प्रखण्ड लावालोंग में कटिया पंचायत के करमा नदी, करमा से चतर रोड पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य। | 3,81.71 14/09/2017 | 2017 | 2019 | 95 | 1,50.00 | 3,30.00 | 51.71 | अनुपलब्ध |
| 337 | चतरा जिला अंतर्गत गौधी चौक में बकुलिया नदी पथलगड्डा पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण। | 4,48.83 25/07/2016 | 2017 | 2019 | 95 | 1,20.00 | 3,39.49 | 1,09.34 | अनुपलब्ध |
| 338 | दुमका जिला के मसलिया प्रखण्ड में शीला नदी में बास्कीडिह पंचायत के कुरूवा एवं जोगीडिह गाँव के बीच पुल निर्माण। | 2,91.20 19/02/2014 | 2014 | 2015 | 99 | 0.00 | 2,98.17 | 0.00 | 6.97 |
| 339 | दुमका जिला अंतर्गत भोक्तानडीह और पाटोमिल के बीच नदी पर पुल निर्माण। | 2,50.20 05/02/2014 | 2014 | 2016 | 99 | 0.00 | 2,32.55 | 17.65 | अनुपलब्ध |
| 340 | दुमका जिला के मसलीया प्रखण्ड अन्तर्गत खेरबनी और सथाली बेदिया के बीच जोरिया में पुल निर्माण। | 2,33.13 28/02/2015 | 2015 | 2016 | 99 | 0.00 | 1,81.11 | 52.02 | अनुपलब्ध |
| 341 | दुमका जिला के काठीकुण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत मसनिया से हरिणसिंधा के बीच (ब्राह्मणी) नदी पर पुल निर्माण। | 4,11.79 18/05/2015 | 2015 | 2017 | 99 | 0.00 | 4,46.59 | 0.00 | 34.8 |
| 342 | दुमका जिला के जामा प्रखण्ड में पुसरो नदी में अमड़ा एवं फुलोपानी गाँव के बीच पुल निर्माण। | 2,91.54 15/05/2015 | 2016 | 2017 | 99 | 0.00 | 2,66.42 | 25.12 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृति/देश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 343 | दुमका जिला अन्तर्गत पहाड़पुर से हरला के बीच हरला नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण। | 2,19.52 06/04/2016 | 2016 | 2017 | 99 | 0.00 | 1,84.68 | 34.84 | अनुपलब्ध |
| 344 | दुमका जिला अन्तर्गत ग्राम सीमरा से चितबेसरा के बीच नदी में पुल निर्माण। | 2,75.94 19/01/2016 | 2016 | 2018 | 99 | 0.00 | 2,33.07 | 42.87 | अनुपलब्ध |
| 345 | दुमका जिला में पुसारा नदी में नावाडीह पंचायत एवं पुचारू गाँव के बीच पुल निर्माण। | 2,50.00 25/11/2016 | 2017 | 2018 | 99 | 32.39 | 1,76.93 | 73.07 | अनुपलब्ध |
| 346 | दुमका जिला के जरमुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत डेकचाधौंघा एवं रेड़ा के बीच पुल निर्माण। | 3,58.66 11/04/2016 | 2017 | 2018 | 99 | 0.00 | 2,94.86 | 63.80 | अनुपलब्ध |
| 347 | दुमका जिला के मसलिया प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण। | 3,67.17 08/02/2017 | 2017 | 2018 | 99 | 0.00 | 0.00 | 3,67.17 | अनुपलब्ध |
| 348 | दुमका जिला अन्तर्गत ग्राम सिलवा बी जगन्धु पाल के घर से खोडम्बा के बीच जोरिया में पुल निर्माण। | 1,37.99 11/04/2016 | 2016 | 2018 | 99 | 0.00 | 10.81 | 1,27.18 | अनुपलब्ध |
| 349 | दुमका जिला अन्तर्गत शिकारीपाड़ा में प्रखण्ड भवन एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी के आवासीय भवन का निर्माण कार्य। | 5,41.87 29/05/2012 | 2013 | 2015 | 99 | 0.00 | 0.00 | 5,41.87 | अनुपलब्ध |
| 350 | दुमका जिला अंतर्गत पंचायत अमड़ापहाड़ी के ग्राम साबेटूमा से कुशबोना के बीच साबेटूमा नदी पर पुल निर्माण। | 2,32.65 02/03/2017 | 2017 | 2018 | 99 | 0.00 | 1,88.77 | 43.88 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 351 | दुमका जिला के काठीहकुण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम हरला पंचायत से पंचायत राजबाँध के ग्राम राजबाँध के बीच ब्राह्मणी नदी पर पुल निर्माण। | 2,73.15 02/03/2017 | 2017 | 2019 | 99 | 0.00 | 2,50.41 | 22.74 | अनुपलब्ध |
| 352 | दुमका जिला के मसलिया प्रखण्ड में शीला नदी में बास्कीडिह पंचायत के कुरूवा एवं जोगीडिह गाँव के बीच पुल निर्माण। | 2,91.20 19/02/2014 | 2014 | 2015 | 99 | 0.00 | 0.00 | 2,91.20 | अनुपलब्ध |
| 353 | दुमका जिला अन्तर्गत ग्राम बुढ़ा बंगाल से सुगा पहाड़ी के बीच दिनारी नदी पर पुल निर्माण। | 2,14.51 09/09/2017 | 2017 | 2019 | 99 | 36.34 | 2,27.76 | -0.00 | 13.25 |
| 354 | दुमका जिलान्तर्गत जबरदाहा से दुधाजोल के बीच नोनाची नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य। | 2,19.60 28/03/2018 | 2018 | 2019 | 99 | 79.83 | 1,76.91 | 42.69 | अनुपलब्ध |
| 355 | दुमका जिला में रगदापाड़ा से बासकीडीह के बीच नदी पर पुल निर्माण। | 3,50.00 20/09/2017 | 2018 | 2019 | 99 | 1,11.58 | 2,84.17 | 65.83 | अनुपलब्ध |
| 356 | पाकुड़ जिलान्तर्गत बालकोघाट और पाराघाट के बीच त्रिपलिया नदी पर पुल निर्माण। | 3,55.25 17/04/2013 | 2014 | 2016 | 92 | 0.00 | 2,71.80 | 83.45 | अनुपलब्ध |
| 357 | पाकुड़ जिलान्तर्गत रामचन्द्रपुर से तारानगर के बीच काना नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य। | 4,77.70 04/06/2018 | 2018 | 2019 | 45 | 1,77.69 | 2,17.72 | 2,59.98 | अनुपलब्ध |
| | | 2,42,72.04 | | | | 40,92.41 | 16046.63 | 82,75.30 | |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| भवन निर्माण विभाग | | | | | | | | | |
| 358 | हजारीबाग में प्रस्तावित समाहरणालय भवन का निर्माण। | 37,46.91 08/05/2015 | 2016 | 2018 | 97 | 9,78.65 | 33,56.79 | 3,90.12 | अनुपलब्ध |
| 359 | हजारीबाग में 'डी' टाईप (02 ब्लॉक 06 युनिट) का निर्माण। | 2,97.84 26/07/2017 | 2018 | 2019 | 75 | 93.83 | 93.83 | 2,04.01 | अनुपलब्ध |
| 360 | कोडरमा में एस.डी.ओ. एवं डी.एस.पी. आवास के पीछे डी. टाईप आवास का निर्माण कार्य (03 ब्लॉक 06 युनिट)। | 4,80.28 18/12/2017 | 2018 | 2019 | 85 | 1,85.41 | 3,39.74 | 1,40.54 | अनुपलब्ध |
| 361 | जमशेदपुर समाहरणालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य। | 2,25.21 28/12/2016 | 2017 | 2017 | 90 | 70.71 | 70.71 | 1,54.50 | अनुपलब्ध |
| 362 | जमशेदपुर में पी.पी.एम. वेयर हाउस का निर्माण कार्य। | 4,45.01 09/05/2017 | 2017 | 2018 | 90 | 1,27.39 | 2,27.39 | 2,17.62 | अनुपलब्ध |
| 363 | बेन्दोरा, चैनपुर गुमला में एस.डी.ओ. कार्यालय का निर्माण कार्य। | 6,89.89 24/05/2016 | 2017 | 2018 | 93 | 2,09.75 | 4,20.54 | 2,69.35 | अनुपलब्ध |
| 364 | बेन्दोरा, चैनपुर में एस.डी.ओ. सह एस.डी.पी.ओ. आवास एवं ए.बी.सी.डी. टाईप आवास का निर्माण कार्य। | 6,99.53 24/05/2016 | 2017 | 2018 | 95 | 1,39.86 | 5,64.92 | 1,34.61 | अनुपलब्ध |
| 365 | कांके रोड रौंची स्थित माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्तावित एनेक्सी भवन का निर्माण कार्य। | 16,60.55 19/02/2016 | 2017 | 2018 | 85 | 5,61.31 | 9,91.60 | 6,68.95 | अनुपलब्ध |
| 366 | सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत चाडिल अनुमंडल में अनुमंडल कोर्ट (10 कोर्ट) सभी सुविधा सहित भवन के निर्माण कार्य। | 20,12.00 30/05/2016 | 2016 | 2018 | 94 | 7,12.23 | 10,21.58 | 9,90.42 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमशः

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्यो का नाम | कार्यो की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 367 | सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत चाडिल अनुमंडल में अनुमंडल कोर्ट(10 कोर्ट) आवासीय परिसर में बी टाईप आवास 8 ब्लॉक (48 युनिट), ए टाईप आवास 3 ब्लॉक (36 युनिट), एवं डी टाईप आवास 2 ब्लॉक (12 युनिट) का निर्माण कार्य। | 19,11.04 26/08/2016 | 2016 | 2018 | 99 | 7,60.36 | 9,51.04 | 9,60.00 | अनुपलब्ध |
| 368 | सरायकेला स्थित सदर अस्पताल के परिसर में मुख्य भवन का जीर्णोद्धार चाहरदिवारी का सुदृढीकरण बोरिंग, पहुँच पथ का निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य। | 3,35.02 19/10/2016 | 2017 | 2017 | 99 | 75.00 | 1,50.00 | 1,85.02 | अनुपलब्ध |
| 369 | उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ आवास निर्माण कार्य। | 1,73.60 29/12/2017 | 2018 | 2019 | 87 | 42.04 | 42.04 | 1,31.56 | अनुपलब्ध |
| 370 | चतरा में ई०पी०एम० वेयर हाउस का निर्माण कार्य। | 3,74.13 07/11/2018 | 2018 | 2019 | 90 | 90.00 | 90.00 | 2,84.13 | अनुपलब्ध |
| 371 | दुमका में ई०पी०एम०, वेयर हाउस का निर्माण कार्य। | 3,99.23 03/02/2017 | 2018 | 2019 | 95 | 1,02.00 | 2,22.00 | 1,77.23 | अनुपलब्ध |
| 372 | धुर्वा रौंजी स्थित नया झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य हेतु पी०एम०सी० का कार्य। | 7,74.00 01/10/2015 | 2015 | 2018 | 70 | 21.56 | 3,95.51 | 3,78.49 | अनुपलब्ध |

परिशिष्ट IX - सरकार की वचनबद्धता - अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची - क्रमांत

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | परियोजना/कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत एवं स्वीकृत्यादेश सं. एवं तिथि | प्रारम्भ करने का वर्ष | पूरा करने का निर्धारित वर्ष | कार्य की भौतिकी प्रगति (प्रतिशत में) | वर्ष के दौरान व्यय | वर्ष के अंत में प्रणामी व्यय | बकाया भुगतान | पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृत्ति की तिथि |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 373 | नई दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहिब लेन में नए झरखण्ड भवन का निर्माण कार्य। | 84,26.10 30/10/2017 | 2018 | 2019 | 19 | 5,69.17 | 11,77.34 | 72,48.76 | अनुपलब्ध |
| 374 | पुलिस लाईन राजभवन स्थित गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य। | 6,37.02 09/11/2017 | 2018 | 2019 | 90 | 1,20.18 | 2,27.15 | 4,09.87 | अनुपलब्ध |
| 375 | राँची में नए डीडीसी आवास विकास भवन का निर्माण कार्य। | 1,73.60 29/12/2017 | 2018 | 2018 | 95 | 0.00 | 37.40 | 1,36.20 | अनुपलब्ध |
| 376 | गढ़वा में 'बी' टाईप आवास-(5 ब्लॉक 6 यूनिट प्रत्येक ब्लॉक में) का निर्माण कार्य। | 5,12.39 16/01/2017 | 2017 | 2018 | 99 | 1,00.59 | 4,99.57 | 15.58 | 2.76 30.12.19 |
| 377 | न्यायिक पदाधिकारी गढ़वा के लिए 'जी' टाईप आवास एक ब्लॉक का निर्माण कार्य। | 1,73.91 06/12/2016 | 2017 | 2018 | 98 | 42.93 | 1,44.48 | 29.43 | अनुपलब्ध |
| 378 | गढ़वा में ई०वी०एम० वेयर हाउस का निर्माण कार्य। | 4,36.37 25/06/2018 | 2018 | 2019 | 80 | 59.00 | 1,09.00 | 3,27.37 | अनुपलब्ध |
| | कुल: भवन निर्माण विभाग | 2,45,83.63 | | | | 50,61.97 | 1,11,32.63 | 1,34,53.76 | अनुपलब्ध |
| | कुल योग | 48,29,27.71 | | | | 13,10,24.93 | 32,86,32.06 | 16,90,60.88 | - |

परिशिष्ट X - पृथक किये गये वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

| अनुदान सं० | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का धटक | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| 1 | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) | 2401-00-103-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 2401-00-107-09-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| | | 2401-00-109-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 4.99 | 4.99 |
| | | 2401-00-119-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| 2 | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) | 2403-00-101-24-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 2403-00-796-19-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2.98 | 2.98 |
| | | 2403-00-796-24-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
| | | 2403-00-796-26-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | भवन निर्माण विभाग | 2059-80-001-11-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2,48.87 | 2,48.87 |
| | | 2059-80-053-13-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 19,11.24 | 19,11.24 |
| | | 2216-05-053-04-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 12,79.47 | 12,79.47 |
| | | 2012-03-103-05-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2.47 | 2.47 |
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | 2070-00-114-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| | | 2059-80-001-10-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 30,06.62 | 30,06.62 |
| 8 | परिवहन विभाग (नगर विमानन् प्रभाग) | 2059-80-001-10-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 15,64.78 | 15,64.78 |
| | | 2406-01-001-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 10.15 | 10.15 |
| 10 | उर्जा विभाग | 2406-01-003-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 2406-01-004-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | 2406-01-005-12-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| | | 2406-01-070-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 19 | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 2406-01-101-06-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 4.10 | 4.10 |
| | | 2406-02-110-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2.45 | 2.45 |
| | | 2210-05-105-12-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 10.02 | 10.02 |
| | | | | | | |
| 20 | स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | | | | | |

परिशिष्ट X - पृथक किये गये वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| अनुदान सं० | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का धटक | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------|---------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| 22 | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) | 2055-00-003-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 3.97 | 3.97 |
| | | 2055-00-003-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 2055-00-003-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.99 | 0.99 |
| | | 2055-00-104-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 4.98 | 4.98 |
| | | 2055-00-104-05-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | 2055-00-109-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 9.95 | 9.95 |
| | | 2055-00-115-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 4,87.52 | 4,87.52 |
| | | 2070-00-106-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
| | | 2851-00-102-08-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.48 | 1.48 |
| | | 2851-00-107-06-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23 | उद्योग विभाग | 2851-00-107-13-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 11.95 | 11.95 |
| | | 2851-00-107-70-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 27.76 | 27.76 |
| | | 2851-00-796-06-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,38.71 | 1,38.71 |
| | | 2220-60-796-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 46.97 | 46.97 |
| | | 2853-02-102-20-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 5.70 | 5.70 |
| | | 2011-02-103-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 3.05 | 3.05 |
| | | 2215-01-101-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| | | 2215-01-101-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 40.94 | 40.94 |
| | | 2215-01-101-04-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 78.66 | 78.66 |
| | | 2215-01-101-09-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 99.99 | 99.99 |
| 24 | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | 2215-01-102-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,10.00 | 1,10.00 |
| | | 2215-01-102-14-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,14.08 | 1,14.08 |
| 29 | खनन एवं भूतत्व विभाग | | | | | |
| 32 | विधान सभा | | | | | |
| 36 | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | | | | | |

परिशिष्ट X - पृथक किये गये वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय - क्रमशः

(₹ लाख में)

| अनुदान सं० | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का धटक | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| | | 2215-01-796-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,56.38 | 1,56.38 |
| | | 2215-02-105-04-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 9.95 | 9.95 |
| 39 | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) | 2245-01-102-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 94,48.55 | 94,48.55 |
| | | 2245-01-102-04-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 3,78.68 | 3,78.68 |
| | | 2245-02-113-02-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,75.49 | 1,75.49 |
| | | 2245-02-113-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 48.54 | 48.54 |
| | | 2245-02-114-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 9.86 | 9.86 |
| 40 | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) | 2070-00-115-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,99.50 | 1,99.50 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 3054-01-337-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 36.10 | 36.10 |
| | | 3054-03-337-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,06,88.28 | 1,06,88.28 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) | 2515-00-796-09-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 49.90 | 49.90 |
| 51 | अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) | 2225-01-789-88-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,90.00 | 1,90.00 |
| | | 2225-02-277-92-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 92.34 | 92.34 |
| | | 2225-02-277-98-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2,30.26 | 2,30.26 |
| | | 2225-02-796-92-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 2,50.00 | 2,50.00 |
| | | 2225-02-796-98-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 64.58 | 64.58 |
| | | 2225-03-277-84-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 79.65 | 79.65 |
| | | 2225-03-796-84-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 38.00 | 38.00 |
| 52 | पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) | 2204-00-796-38-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मति | 0.00 | 1,73.53 | 1,73.53 |

परिशिष्ट X - पृथक किये गये वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय - क्रमांत

(₹ लाख में)

| अनुदान सं० | अनुदान का नाम | व्यय शीर्ष | विवरण | व्यय का धटक | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | वेतन | गैर-वेतन | कुल |
| 53 | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) | 2405-00-001-01-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 9.29 | 9.29 |
| | | 2405-00-101-06-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 62.18 | 62.18 |
| | | 2405-00-796-06-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 57.29 | 57.29 |
| 55 | ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) | 2515-00-001-28-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 52,48.73 | 52,48.73 |
| 56 | ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) | 2515-00-789-59-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 35.91 | 35.91 |
| | | 2515-00-796-59-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 36.35 | 36.35 |
| 58 | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेन्डी शिक्षा प्रभाग) | 2202-02-109-03-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 60 | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग | 2235-02-106-A4-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 24.86 | 24.86 |
| | | 2235-02-796-A4-05-43 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.00 | 12.51 | 12.51 |
| जोड़ | | | | 0.00 | 3,70,97.34 | 3,70,97.34 |

नोट : उपरोक्त सूचना राज्य सरकार/बी.एल.सी. से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट-XI वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | नीतिगत निर्णय/ नई योजनाओं की प्रकृति | प्राप्तियाँ/व्यय/ उभय | आवर्ती/ एक ही वार | आवर्ती के मामलों में निवल रोकड़ प्रवाह के फलन पर वार्षिक अनुमानों को दर्शाएँ | | वार्षिक व्यय | | नई योजनाओं पर होने वाले व्यय की संभावित श्रोत | | | | |
|-------------|--|--|-------------------|--|-------|--|----------|---|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | निश्चित अवधि (अवधि उल्लेख) | स्थाई | राजस्व | पूंजी | राज्य का निजी स्रोत | केन्द्रीय स्थानांतरण | कर्ज उगाही (वृषया इंगित करें) | | |
| 1 | बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार बिहार सरकार को पेंशन दायित्व का भुगतान | सेवानिवृत्ति लाभ पर दायित्वों को चुकाने हेतु बजट पर अतिरिक्त भार | आवर्ती | 20 वर्षों के लिए | | 7,36,82.00 (पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार) | | 7,36,82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | छोटानागपुर एवं स्थाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण | व्यय | अनावर्ती | 2019-20 | | | 21,24.45 | 21,24.45 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कमल क्लब ग्राउंड का उन्नयन | व्यय | अनावर्ती | 2019-20 | | | 7,85.00 | 7,85.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4 | एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण | व्यय | अनावर्ती | 2019-20 | | | 4,68.00 | 4,68.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5 | जिला अस्पताल और चिकित्सा कॉलेज में नई डायलिसिस सेंटर की स्थापना | व्यय | अनावर्ती | 2019-20 | | | 1,04.20 | 1,04.20 | 0.00 | | 0.00 | |
| जोड़ | | | | | | | | 7,36,82.00 | 34,81.65 | 7,71,63.65 | 0.00 | 0.00 |

नोट : वर्ष 2019-20 के बजट इस्तावेजों में दिए गए सूचनाओं के आधार पर यह विवरण तैयार किया गया है।

परिशिष्ट-XII सरकार की वचनबद्ध देयताएँ

(₹ लाख में)

| क्र. स | देयताओं की प्रकृति | राज्य योजना | स्थापना | संभावित स्रोत जिससे व्यय प्रस्तावित है | ऋण चुकाने के संभावित वर्ष | चालू वर्ष के दौरान चुकाए गए देयताएँ | अवशेष | | |
|---|------------------------------------|-------------|----------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. भुगतान योग्य लेखें | | | | | | | | | |
| 1. | पेंशन | 0.00 | 60,04,59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-21 | 60,04,59.69 | 0.00 |
| 2. | ब्याज अदायगियाँ | 0.00 | 53,07,71.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-21 | 53,07,71.21 | 0.00 |
| 3. | कर्जों का पुनर्भुगतान | 0.00 | 42,31,40.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-21 | 42,31,40.29 | 0.00 |
| | जोड़ | 0.00 | 1,55,43,71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,55,43,71.19 | 0.00 |
| II. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्सा | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| III. योजनागत योजनाओं को गैर योजना शीर्षों में हस्तांतरण के रूप में देयताएँ | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| IV. अपूर्ण योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न देयताएँ | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| V. अन्य/विविध | | | | | | | | | |
| 1. | स्थानीय निकायों को अनुदान का बकाया | 0.00 | अनुपलब्ध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | अनुपलब्ध |
| | जोड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

¹ अपूर्ण योजनाओं का विवरण परिशिष्ट - IX में दर्शाया गया है।

² राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

परिशिष्ट- XIII राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (iii) से संदर्भित

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | मद (कर्ज, जमा आदि) | संयुक्त बिहार (14 नवम्बर 2020) के वित्त लेखे | | झारखण्ड एवं बिहार, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आवाटित की जाने वाली राशि | | |
|-------------------------------------|---|---|------|---|------|-------------|
| | | 2000-01 के अनुसार लेखा शीर्ष | नामे | 1,55,00.41 | नामे | 1,55,00.41 |
| 1 | क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा- ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- | 4059-लोक निर्माण कार्य का पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,55,00.41 | नामे | 1,55,00.41 |
| | | 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 0.20 | नामे | 0.20 |
| | | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 2,10,66.21 | नामे | 2,10,66.21 |
| | | 4210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,29,96.57 | नामे | 1,29,96.57 |
| | | 4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 30,48.06 | नामे | 30,48.06 |
| | | 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 10,69,81.77 | नामे | 10,69,81.77 |
| | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 97,13.43 | नामे | 97,13.43 |
| | | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,16,90.17 | नामे | 1,16,90.17 |
| | | 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,19,98.49 | नामे | 1,19,98.49 |
| | | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 86.90 | नामे | 86.90 |
| | | 4250-अन्य समाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 4,74.81 | नामे | 4,74.81 |
| | | 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 16,39.51 | नामे | 16,39.51 |
| | | 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 4,29.83 | नामे | 4,29.83 |
| | | 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,88.81 | नामे | 1,88.81 |
| | | 4404-डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 13,81.10 | नामे | 13,81.10 |
| 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,90.82 | नामे | 1,90.82 | | |

पुनर्गठन के समय 31 मार्च 2020 तक की वर्तमान स्थिति

परिशिष्ट- XIII राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है - क्रमशः
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (iii) से संदर्भित

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | मद (कर्ज, जमा आदि) | संयुक्त बिहार (14 नवम्बर 2020) के वित्त लेखे | | झारखण्ड एवं बिहार, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच | |
|----------|---|--|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | 2000-01 के अनुसार लेखा शीर्ष | आवांठित की जाने वाली राशि | पुनर्गठन के समय | 31 मार्च 2020 तक की वर्तमान स्थिति |
| | ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमशः | नामे | नामे | नामे | नामे |
| | 4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत व्यय | नामे | 18,39.84 | नामे | 18,39.84 |
| | 4408-खाद्य-भण्डारण तथा भंडागार पर पूंजीगत व्यय | नामे | 18,66.64 | नामे | 18,66.64 |
| | 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत व्यय | नामे | 77.78 | नामे | 77.78 |
| | 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,56,12.15 | नामे | 1,56,12.15 |
| | 4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 26,60.54 | नामे | 26,60.54 |
| | 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 11,26,26.47 | नामे | 11,26,26.47 |
| | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 55,94,01.24 | नामे | 55,94,01.24 |
| | 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 3,77,84.08 | नामे | 3,77,84.08 |
| | 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 58.00 | नामे | 58.00 |
| | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 8,74,49.44 | नामे | 8,74,49.44 |
| | 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,93,04.15 | नामे | 1,93,04.15 |
| | 4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 27,26.60 | नामे | 27,26.60 |
| | 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 9,87.35 | नामे | 9,87.35 |
| | 4855-उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,36.27 | नामे | 1,36.27 |
| | 4857-रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 8,99.92 | नामे | 8,99.92 |
| | 4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 88.18 | नामे | 88.18 |
| | 4859-दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 5,64.50 | नामे | 5,64.50 |
| | 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 54,85.99 | नामे | 54,85.99 |
| | 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 23.78 | नामे | 23.78 |
| | 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | नामे | 57,47.68 | नामे | 57,47.68 |

परिशिष्ट- XIII राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है - क्रमशः
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (iii) से संदर्भित

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | मद (कर्ज, जमा आदि) | संयुक्त बिहार (14 नवम्बर 2020) के वित्त लेखे | | झारखण्ड एवं बिहार, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच | | |
|--|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| | | लेखा-क्रमांत | 2000-01 के अनुसार लेखा शीर्ष | आवाटित की जाने वाली राशि | 31 मार्च 2020 तक की वर्तमान स्थिति | |
| 2 | ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमांत | 5053-नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 2,57.03 | नामे | 2,57.03 |
| | | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 12,28,03.98 | नामे | 12,28,03.98 |
| | | 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 79,94.97 | नामे | 79,94.97 |
| | | 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 1,78.61 | नामे | 1,78.61 |
| | | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 19,71.01 | नामे | 19,71.01 |
| | | 5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | नामे | 17,48.08 | नामे | 17,48.08 |
| | | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | नामे | 58,41.39 | नामे | 58,41.39 |
| | | 6202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज | नामे | 4,43.94 | नामे | 4,43.94 |
| | | 6215-जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज | नामे | 58,76.37 | नामे | 58,76.37 |
| | | 6216-आवास के लिये कर्ज | नामे | 1,14,71.52 | नामे | 1,14,71.52 |
| | | 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज | नामे | 2,16,39.23 | नामे | 2,16,39.23 |
| | | 6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज | नामे | 4,60.14 | नामे | 4,60.14 |
| | | 6245-प्राकृतिक आपदाओं के राहत के लिये कर्ज | नामे | 11,93.51 | नामे | 11,93.51 |
| | | 6250-अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज | नामे | 11.54 | नामे | 11.54 |
| | | 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज | नामे | 2,56,85.35 | नामे | 2,56,85.35 |
| | | 6402-मृदा एवं जल संरक्षण के लिये कर्ज | नामे | 2,54.94 | नामे | 2,54.94 |
| 6404-डेयरी विकास के लिये कर्ज | नामे | 1,96.09 | नामे | 1,96.09 | | |
| 6405-मत्स्य पालन के लिये कर्ज | नामे | 7.13 | नामे | 7.13 | | |
| 6406-वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये कर्ज | नामे | 1,60.39 | नामे | 1,60.39 | | |
| 6408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिये कर्ज | नामे | 1,18,74.95 | नामे | 1,18,74.95 | | |

परिशिष्ट- XIII राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है - क्रमशः
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (iii) से संदर्भित

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | मद (कर्ज, जमा आदि) | संयुक्त बिहार (14 नवम्बर 2020) के वित्त लेखे | | झारखण्ड एवं बिहार, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच | |
|----------|--|--|---------------------------|--|------------------------------------|
| | | 2000-01 के अनुसार लेखा शीर्ष | आवांठित की जाने वाली राशि | पुनर्गठन के समय | 31 मार्च 2020 तक की वर्तमान स्थिति |
| | च. कर्ज तथा उधार-क्रमांत | नामे | नामे | 1,88,07.18 | 1,88,07.18 |
| | 6425-सहकारिता के लिये कर्ज | नामे | नामे | 34,36.15 | 34,36.15 |
| | 6435-अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 2,25.46 | 2,25.46 |
| | 6506-भूमि सुधार के लिये कर्ज | नामे | नामे | 36,45.95 | 36,45.95 |
| | 6515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 1,04.81 | 1,04.81 |
| | 6701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के लिये कर्ज | नामे | नामे | 9,58.16 | 9,58.16 |
| | 6702-लघु सिंचाई के लिये कर्ज | नामे | नामे | 42,72.54 | 42,72.54 |
| | 6705-कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज | नामे | नामे | 47,31,92.82 | 47,31,92.82 |
| | 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज | नामे | नामे | 10,74.19 | 10,74.19 |
| | 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 66.93 | 66.93 |
| | 6853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के लिये कर्ज | नामे | नामे | 58.85 | 58.85 |
| | 6854-सीमेंट तथा अधातु खनिज उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 10,16.56 | 10,16.56 |
| | 6857-रसायन तथा औषधि निर्माण उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 1,95.12 | 1,95.12 |
| | 6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 6,23.88 | 6,23.88 |
| | 6859-दूर-संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 3,15,62.04 | 3,15,62.04 |
| | 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | नामे | नामे | 2,14,55.10 | 2,14,55.10 |
| | 6885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य कर्ज | नामे | नामे | 64,46.54 | 64,46.54 |
| | 7055-सड़क परिवहन के लिये कर्ज | नामे | नामे | 16,31.16 | 16,31.16 |
| | 7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिये कर्ज | नामे | नामे | 32,96.59 | 32,96.59 |
| | 7465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिये कर्ज | नामे | नामे | 69,05.16 | 69,05.16 |
| | 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | नामे | नामे | 85.28 | 85.28 |
| | 7615-विविध कर्ज | जमा | जमा | 74,03,59.43 | 74,03,59.43 |
| 3 | झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | जमा | जमा | 1,45,97.10 | 1,45,97.10 |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.govn

httagovharkhan